ईस्टर्न कॉल फील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा
2018 - 2019

गहरा खनन
उच्च उद्देश्य

आशातीत वृद्धि :
उत्पादन 15.13%
मालवा हटाई 6.03%
ऑफ़टेक 15.54%

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

2018-19

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)

CIN-U10101WB1975GOI030295

www.easterncoal.nic.in

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	मिशन / विजन कथन	01
2.	प्रबंधन	02
3.	बैंकर / लेखा परीक्षक	04
4.	वार्षिक आम सभा की सूचना	07
5.	अध्यक्ष का वक्तव्य	11
6.	परिचालन सांख्यिकी / वित्तीय स्थिति	21
7.	निदेशकों की प्रोफाइल	23
8.	बोर्ड की रिपोर्ट	26
9.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	108
10.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन के जवाब	110
11.	31 मार्च, 2019 को बैलेंस शीट	125
12.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	127
13.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	129
14.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी	130
15.	कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	153
16.	तुलन-पत्र के भाग के रूप में टिप्पणियां	181
17.	लाभ - हानि विवरणी के भाग के रूप में टिप्पणियां	173
18.	लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियां	181

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

हमारा लक्ष्य (मिशन)

"सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कुशलता एवं मितव्ययिता पूर्वक पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कोयला और कोयला उत्पादों की योजनाबद्ध मात्रा का उत्पादन और विपणन करना।"

हमारी संकल्पना (विजन)

"पर्यावरण और सामाजिक सतत विकास को ध्यान में रखते हुए खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होकर प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरना।"

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
बोर्ड के सदस्य
दिनांक 31 जुलाई 2019 को

कार्यकारी निदेशकगण

श्री प्रेम सागर मिश्र	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री सुनील कुमार झा	:	निदेशक (तकनीकी) संचालन
श्री जयप्रकाश गुप्ता	:	निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (कार्मिक)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण

श्री भबानी प्रसाद पति	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री श्याम नंदन प्रसाद	:	निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लि. , कोलकाता

स्वतंत्र निदेशकगण

प्रो (डॉ) इंदिरा चक्रवर्ती

श्री प्रवीण कांत

श्री अनील कुमार गनेरीवाला

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल	:	प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक (पीसीओएम), पूर्वी रेलवे

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
वर्ष 2018-19 के दौरान प्रबंधन

श्री प्रेम सागर मिश्र	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (20.08.2018 से)
श्री सुनील कुमार झा	:	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार 01.07.2018 से 19.08.2018 तक)
श्री अजय कुमार सिंह	:	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार 01.04.2018 से 30.06.2018 तक)

कार्यकारी निदेशकगण

श्री सुनील कुमार झा	:	निदेशक (तकनीकी) संचालन (19.12.2017 से)
श्री जयप्रकाश गुप्ता	:	निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना (18.06.2018 से)
श्री संजीव सोनी	:	निदेशक (वित्त) (19.06.2018 से)
श्री विनय रंजन	:	निदेशक (कार्मिक) (16.08.2018 से)
श्री के एस पात्र	:	निदेशक (कार्मिक) (01.11.2013 से 30.04.2018)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकगण

श्री भबानी प्रसाद पति	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (11.01.2019 से)
सुश्री विस्मिता तेज	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (03.10.2018 से 10.01.2019)
श्री एन के सुधांशु	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (30.10.2017 से 02.10.2018)
श्री श्याम नंदन प्रसाद	:	निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लि., कोलकाता (10.12.2018 से)
श्री चंदन कुमार डे	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लि., कोलकाता (19.03.2015 से 30.09.2018)

स्वतंत्र निदेशक

प्रो (डॉ) इंदिरा चक्रवर्ती	:	17.11.2015 से
श्री प्रवीण कांत	:	13.12.2018 से

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल	:	पीसीओएम, पूर्वी रेलवे (28.02.2019 से)

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक	:	02.07.2018 से
श्री वी. आर. रेड्डी	:	19.07.2012 से 30.06.2018 तक

बैंकर्स लेखा परीक्षकों और पंजीकृत कार्यालय

31.03.2019 को बैंकर्स की सूची

भारतीय स्टेट बैंक	यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक एक्सिस बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा	पंजाब नेशनल बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
कॉर्पोरेशन बैंक	आईसीआईसीआई बैंक	केनरा बैंक	सिंडीकेट बैंक

2018-19 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक

1. मैसर्स जीपी अग्रवाल एंड कंपनी, 7-ए, किरण शंकर रे रोड, दूसरी मंजिल, कोलकाता -700001

शाखा लेखा परीक्षक:

2. मैसर्स रे एंड कंपनी, 21 ए, शेक्सपियर सरानी, फ्लैट नंबर -8 सी, 8 वीं मंजिल, कोलकाता -700017
3. मैसर्स सराफ एंड चंद्रा, 501, अशोका हाउस, 3 ए हरे स्ट्रीट, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700001
4. मैसर्स ऐडीडी एंड एसोसिएट्स, पी-168, सेक्टर-बी, मेट्रोपॉलिटन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., कोलकाता -700105
5. मैसर्स एन सरकार एंड कंपनी, 21 प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, कोलकाता-700072
6. मैसर्स एस के बसु एंड कंपनी, टेम्पल चैम्बर्स, द्वितीय तल, 6 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कोलकाता -700001

2018-19 के दौरान लागत लेखा परीक्षक

1. मैसर्स मौ बनर्जी एंड कंपनी, बैकुंठ अपार्टमेंट, भू-तल, गोपालपुर, जीटी रोड (डब्ल्यू), आसनसोल -713304, पश्चिम बंगाल
2. मैसर्स के के दास एंड एसोसिएट्स, मेह -17, कनिष्क रोड, दुर्गापुर -713204, पश्चिम बंगाल
3. मैसर्स बीसीडी एंड एसोसिएट्स, फ्लैट -4 ए, 382, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, पश्चिम बंगाल
4. मैसर्स बी रे एंड एसोसिएट्स, 27, गोपाल यहूदी मंदिर रोड, बिराटी, कोलकाता-700051, पश्चिम बंगाल
5. मैसर्स सुभद्रा दत्ता एंड एसोसिएट्स, पुस्पक अपार्टमेंट, 5, पर्णश्री पल्ली, बनमाली नस्कर रोड, कोलकाता -70060, पश्चिम बंगाल
6. मैसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स, प्लॉट नंबर-एन -4 / 232, आईआरसी विलेज, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751015, ओडिशा

2018-19 के दौरान सिचिवीय लेखा परीक्षक

1. मैसर्स अगरवाला दिनेश एंड कंपनी 16/1 ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, चौथी मंजिल, कमरा -4 बी, कोलकाता-700069।

2018-19 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षक

1. मैसर्स निरुपम एंड एसोसिएट्स, रसखोला पारा, खारदाह, जिला- 24परगना (एन), कोलकाता7001172
2. मैसर्स डी के छाजेड़ एंड कंपनी, नेलाहाट हाउस, 11, आर एन मुखर्जी रोड, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता -700001
3. मैसर्स दिनेश के. यादव एंड एसोसिएट्स, एम -4, नारायण प्लेस, फ्रेजर रोड, पटना - 1
4. मैसर्स एसएन मुखर्जी एंड कंपनी, एमराल्ड हाउस, 1 बी, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कोलकाता -700001
5. मैसर्स पी के गुटगुटिया एंड कंपनी, जे जे कॉम्प्लेक्स (दूसरी मंजिल), बैंक रोड, धनबाद - 826001, झारखंड
6. मैसर्स सेन एंड कंपनी, 1/13, चित्तरंजन कॉलोनी, जादवपुर, कोलकाता-700032
7. मैसर्स आर एन गोयल एंड कंपनी मंगतुराम रोड, सिलीगुड़ी -734005
8. मैसर्स आर के दीपक एंड कंपनी, 303-बी, अपरा प्लाजा, प्लॉट नंबर 28, रोड नंबर 44; पीतमपुरा, दिल्ली -110034
9. मैसर्स डी पी सेन एंड कंपनी, 22, आशुतोष चौधरी एवेन्यू, द्वितीय तल, फ्लैट नंबर 22, कोलकाता 70019
10. मैसर्स ए एन चटर्जी एंड कंपनी, 41 ए, टाउनशेंड रोड, कोलकाता-700025
11. मैसर्स चटर्जी एंड कंपनी, 21/2, गरियाहाट रोड (पश्चिम), कोलकाता - 700068
12. मैसर्स एस मल्लिक एंड कंपनी, 11, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, ब्लॉक-बी, तीसरी मंजिल, कोलकाता -700001
13. मैसर्स चंदर खट्टर एंड एसोसिएट्स।, 10 ए, ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट, कोलकाता - 700069
14. मैसर्स भट्टाचार्य दास एंड कंपनी, 2, गारस्टीन प्लेस (ग्राउंड फ्लोर), कोलकाता -700001
15. मैसर्स एन एन दास एंड कंपनी, पियाली अपार्टमेंट, 660, राजडांगा मेन रोड, कोलकाता -700107

पंजीकृत कार्यालय, सीआईएन और वेबसाइट

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीएमडी कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्दवान,
पिन -713333, पश्चिम बंगाल
CIN-U10101WB1975GOI030295
www.easterncoal.nic.in

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
निदेशक मंडल

श्री प्रेम सागर मिश्र
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री बी. पी. पति
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

श्री एस. एन. प्रसाद
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक
निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड

प्रो (डॉ) इंदिरा चक्रवर्ती
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक

श्री प्रवीण कांत
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक

श्री अनिल कुमार गनेरीवाला
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक

श्री एस. के. झा
निदेशक (तकनीकी) संचालन

श्री जयप्रकाश गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
परियोजना एवं योजना

श्री विनय रंजन
निदेशक (कार्मिक)

श्री उत्पल कांति बल
स्थायी आमंत्रित
पीसीओएम, पूर्वी रेलवे

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
कंपनी सचिवालय
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: West Burdwan, West Bengal-713333
Company Secretariat
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in

Telefax: 0341-2520546
E-Mail: companysecretary.ecl@coalindia.in

संदर्भ सं.: ईसीएल:सीएस:15(2019)/7098

26 जुलाई, 2019

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के शेयरधारकों की 44वीं वार्षिक आमसभा **बुधवार, दिनांक 31 जुलाई, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय - सीएमडी कार्यालय, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल, पिन- 713333 में पूर्वाह्न 11.00** बजे निम्नलिखित कारोबार के निष्पादन हेतु होगी:

सामान्य कारोबार:

1. 31 मार्च, 2019 को अंकेक्षित तुलन-पत्र, समाप्त वित्तीय वर्ष 2018-19 के लाभ-हानि विवरण, वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणियों तथा महत्वपूर्ण लेखा नीति पर की गई सभी टिप्पणियों, अतिरिक्त टिप्पणियों सहित नकदी प्रवाह विवरण, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और बोर्ड-रिपोर्ट की प्राप्ति, विवेचन एवं ग्रहण करने हेतु।
2. श्री सुनील कुमार झा (डीआइएन-08039292), जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु और योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।
3. श्री जयप्रकाश गुप्ता (डीआइएन-08174002), जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत पारी (रोटेशन) समाप्त के कारण सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने हेतु और योग्य होने के कारण उनकी स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव है।

विशेष कारोबार:

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि एवं विचार करने और यदि उचित हो तो, निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के **एक साधारण संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु:

   वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लागत लेखा-परीक्षा कार्य हेतु निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए लेखा-परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के संदर्भ में एतद् द्वारा निम्नलिखित पारिश्रमिक के भुगतान का **संकल्प पारित किया गया**:

क्र. सं.	**लागत लेखा-परीक्षक का नाम**	**वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा-परीक्षकों की पारिश्रमिक (₹ में)**
1	मैसर्स मउ बनर्जी ऐंड कं.	2,17,547/-
2	मैसर्स के. के. दास ऐंड एसोसिएट्स	1,24,414/-
3	मैसर्स बीसीडी ऐंड एसोसिएट्स	1,10,907/-
4	मैसर्स बी राय ऐंड एसोसिएट्स	88,867/-
5	मैसर्स सुभद्रा दत्ता ऐंड एसोसिएट्स	82,469/-
6	मैसर्स आशुतोष ऐंड एसोसिएट्स	66,828/-
	कुल: छः लाख इक्यानवे हजार बत्तीस रुपये मात्र	**6,91,032/-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा-परीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्मों की नियुक्ति ''अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में यथा वर्णित नियमों एवं शर्तों द्वारा निर्देशित होगी।''

5. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.21/33/2018-BA(iv) दिनांक 17.11.2018 के संदर्भ में कंपनी की गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएन-07368268) की दिनांक 17.01.2018 से एक वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, पुनः नियुक्ति की पुष्टि करने हेतु।

   विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित प्रस्तावों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु:

   "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 तथा अन्य प्रभावी प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए अन्य नियमों (किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन/ संशोधनों या उस समय प्रभावी पुन: अधिनियमन सहित) और संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 21/33/2018-BA(iv) दिनांक 17.11.2018 के आधार पर प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएन-07368268) को दिनांक 17.11.2018 से एक वर्ष या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए एतद् द्वारा कंपनी के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप पुन: नियुक्ति करने के **संकल्प को पारित किया गया**। उनकी सेवानिवृत्ति पारी (रोटेशन) के आधार पर नहीं होगी।

6. विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित प्रस्तावों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु:

   "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 तथा अन्य प्रभावी प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए अन्य नियमों (किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन/ संशोधनों या उस समय प्रभावी पुन: अधिनियमन सहित) और संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 21/33/2018-BA (i) दिनांक 13.12.2018 के आधार पर श्री प्रवीण कांत (डीआईएन-00282716) को दिनांक 13.12.2018 से तीन वर्ष या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए एतद् द्वारा कंपनी के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप नियुक्ति करने के **संकल्प को पारित किया गया**। उनकी सेवानिवृत्ति पारी (रोटेशन) के आधार पर नहीं होगी।

7. विचारार्थ प्रस्तुत और यदि उचित हो तो निम्नलिखित प्रस्तावों को संशोधनों सहित या बिना संशोधन के **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु:

   "कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 तथा अन्य प्रभावी प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए अन्य नियमों (किसी भी अन्य वैधानिक संशोधन/ संशोधनों या उस समय प्रभावी पुन: अधिनियमन सहित) और संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्गत अन्य दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 21/33/2018-BA(part II)(iv) दिनांक 10.07.2019 के आधार पर श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (डीआईएन-06372875) को दिनांक 10.07.2019 से तीन वर्ष या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए एतद् द्वारा कंपनी के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप नियुक्ति करने के संकल्प को पारित किया गया। उनकी सेवानिवृत्ति पारी (रोटेशन) के आधार पर नहीं होगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

R Pathak 26/7/19

(रामबाबू पाठक)
(Rambabu Pathak)
उप-प्रबंधक (वित्त)/ कंपनी सचिव

26 जुलाई, 2019
पंजीकृत कार्यालय:
सीआइएन-U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़
जिला- पश्चिम बर्दवान (पश्चिम बंगाल)- 713333

टिप्पणियां:

1. जो सदस्य इस बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के अधिकारी हैं, उन्हें अपने बदले में एक प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) को इस बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु नियुक्त करने का अधिकार है और उस प्रतिनिधि का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए, प्रतिनिधि प्रपत्र को विधिवत रूप से भरकर तथा वार्षिक आमसभा के निर्धारित समय से अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत, सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के अनुसार, उनका पारिश्रमिक वार्षिक आमसभा में अथवा इस बैठक में निर्धारित प्रणाली के अनुसार कंपनी द्वारा तय किया जाता है। कंपनी के सदस्यों ने 30 जुलाई, 2001 को आयोजित अपनी 8वीं विशेष आमसभा में सांविधिक लेखा परीक्षकों की पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विशेष कारोबार से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

प्रतिलिपि:

1. मैसर्स जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी., चार्टर्ड अकाउंटेंट, सांविधिक लेखा परीक्षक, 7-ए, किरण शंकर रॉय रोड, दूसरी मंजिल, कोलकाता -700001
2. मैसर्स अगरवाला दिनेश एंड कंपनी, कंपनी सचिव, सचिवीय लेखा परीक्षक, 16/1ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, 4थी मंजिल, कमरा-4 बी, कोलकाता -69
3. मैसर्स मउ बनर्जी एंड कं, लागत लेखा परीक्षक, वैकुंठ अपार्टमेंट, भू-तल, गोपालपुर, जीटी रोड (डब्ल्यू), आसनसोल -713304, पश्चिम बंगाल।
4. समस्त निदेशकगण, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (i) के अनुसार विवरण

विशेष कारोबार:

मद सं. 4

कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 (a)(ii)के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार लागत लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक को लेखा-परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसकी संपुष्टि शेयरधारकों द्वारा भी किया जाना आवश्यक है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेखा-परीक्षा समिति ने 22 सितंबर, 2018 को आयोजित अपनी 89वीं बैठक में इसकी अनुशंसा की थी और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 22 सितंबर, 2018 को आयोजित अपनी 316वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा-परीक्षक के रूप में निम्नलिखित लागत लेखाकार फर्मों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक को अनुमोदित कर दिया, जिसकी संपुष्टि आगामी एजीएम में किया जाना है:

क्र. सं.	लागत लेखा-परीक्षकों का नाम	वर्ष 2018-19 के लिए लागत लेखा - परीक्षकों की पारिश्रमिक (₹ में)
1	मैसर्स मउ बनर्जी ऐंड कं.	2,17,547/-
2	मैसर्स के. के. दास ऐंड एसोसिएट्स	1,24,414/-
3	मैसर्स बीसीडी ऐंड एसोसिएट्स	1,10,907/-
4	मैसर्स बी राय ऐंड एसोसिएट्स	88,867/-
5	मैसर्स सुभद्रा दत्ता ऐंड एसोसिएट्स	82,469/-
6	मैसर्स आशुतोष ऐंड एसोसिएट्स	66,828/-
	कुल: छः लाख इक्यानवे हजार बत्तीस रुपये मात्र	**6,91,032/-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखा-परीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्मों की नियुक्ति ''रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में यथा वर्णित नियमों एवं शर्तों द्वारा निर्देशित होगी'', इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए शेयरधारकों द्वारा लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना प्रस्तावित है। कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस संकल्प में रुचि नहीं रखते या इससे संबंधित नहीं हैं।

मद सं. 5

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.21/33/2018-BA(iv) दिनांक 17.11.2018 के संदर्भ में कंपनी के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएन-07368268) को दिनांक 17.01.2018 से एक वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए पुनः नियुक्ति की गई थी। कंपनी ने उनसे (i) कंपनियों के नियम 2014 के नियम 8 के तहत फार्म डीआईआर 2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति (निदेशकों के नियुक्ति एवं योग्यता) प्राप्त कर लिया है (ii) कंपनियों के नियम 2014 के नियम 8 के तहत फार्म डीआईआर 2 में इस बात की घोषणा प्राप्त कर ली गई है कि इस प्रभाव के बाद वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 164 के उपधारा (2) के तहत अयोग्य नहीं हैं। प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती, जिनसे यह संकल्प संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से वित्तीय या किसी अन्य रूप से संबंधित नहीं हैं।

मद सं. 6

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.21/33/2018-BA(i) दिनांक 13.12.2018 के संदर्भ में कंपनी के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक श्री प्रवीण कांत (डीआईएन- 00282716) को दिनांक 13.12.2018 से तीन वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति की गई थी। कंपनी ने उनसे (i) कंपनियों के नियम 2014 के नियम 8 के तहत फार्म डीआईआर 2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति (निदेशकों के नियुक्ति एवं योग्यता) प्राप्त कर लिया है (ii) कंपनियों के नियम 2014 के नियम 8 के तहत फार्म डीआईआर 2 में इस बात की घोषणा प्राप्त कर ली गई है कि इस प्रभाव के बाद वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 164 के उपधारा (2) के तहत अयोग्य नहीं हैं। श्री प्रवीण कांत, जिनसे यह संकल्प संबंधित है, को छोड़कर कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से वित्तीय या किसी अन्य रूप से संबंधित नहीं हैं।

मद सं. 7

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं.21/33/2018-BA(part II) (iv) दिनांक 10.07.2019 के संदर्भ में कंपनी के गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (डीआईएन-06372875) को दिनांक 10.07.2019 से तीन वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति की गई थी। कंपनी ने उनसे (i) कंपनियों के नियम 2014 के नियम 8 के तहत फार्म डीआईआर 2 में निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए लिखित सहमति (निदेशकों के नियुक्ति एवं योग्यता) प्राप्त कर लिया है (ii) कंपनियों के नियम 2014 के नियम 8 के तहत फार्म डीआईआर 2 में इस बात की घोषणा प्राप्त कर ली गई है कि इस प्रभाव के बाद वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 164 के उपधारा (2) के तहत अयोग्य नहीं हैं। श्री अनिल कुमार गनेरीवाला, जिनसे यह संकल्प संबंधित है,को छोड़कर कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से वित्तीय या किसी अन्य रूप से संबंधित नहीं हैं।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

मित्रो,

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 44वीं वार्षिक आमसभा में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखा सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत है।

किसी भी देश के आर्थिक प्रगति के लिए ऊर्जा एक प्रमुख घटक होता है। भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में कोयले का स्थान प्रमुख है, जिसका योगदान देश की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में 52% है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। हमारी कंपनी, उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले थर्मल ग्रेड कोयले का उत्पादन करती है, जो देश भर में फैले विभिन्न विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ स्पंज आयरन, सीमेंट एवं सीपीपी इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करता है।

हमारी कंपनी की रणनीति दृष्टि, खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना है।

व्यापारिक रणनीति

वैश्विक चुनौतियों को पहचानना तथा उसे समझना और इन चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाएं बनाना, कंपनी के व्यापारिक रणनीति का एक हिस्सा है, जिसके लिए कंपनी को सराहा भी गया है। कंपनी में कई पहल की शुरूआत विशेष रूप से की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनी के ध्येय, दृष्टि एवं उद्देश्यों को पुन: परिभाषित करना है। कंपनी ने निम्नलिखित परियोजनाओं को विशेष रूप से शुरू किया है, जिसका यह भी उद्देश्य है कि कंपनी की छवि को नया रूप दिया जाय:

1. मिशन **सुदेश:** (SUDESHH - Sustainable Development, Environment, Safety, Health & Hygiene) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, एवं स्वच्छता है। संधारणीय विकास का प्रमुख सारतत्व, भावी-पीढ़ी के अधिकारों से समझौता किए बिना वर्तमान-पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए, ईसीएल वैश्विक चुनौतियों स्वीकार करता है और उसे समझता है, जिसके तहत संधारणीय विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दे आते हैं और इसलिए, एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, मिशन सुदेश: (SUDESHH) का उद्देश्य एक स्थायी और बेहतर ईसीएल का निर्माण करना है।
2. मिशन **संजीवनी** (SANJIBANI - Systemic Advancements, New Jobs, Integrated Business & New Initiatives) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य व्यवस्थित उन्नति, नये रोजगार, एकीकृत व्यवसाय और नई पहलें है।
3. मिशन **सुमित** (SUMIT - Systematic Upgradation of Mining & Information Technology) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य खनन और सूचना प्रौद्योगिकी का योजनाबद्ध रूप से उन्नयन करना है। चूंकि, लगभग सभी खदानों में बहुत पुराने एवं परंपरागत तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए सुमित (SUMIT) परियोजना के माध्यम से सूचना-प्रौद्योगिकी के साथ खदानों एवं संबद्ध प्रक्रियाओं को एकीकृत करने की जरूरत महसूस की जा रही थी।
4. मिशन **धरोहर** (DHAROHAR) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य संग्रहालय का निर्माण करके देश में कोयला खनन की विरासतों, प्राचीन भवनों, संयंत्रों, उपकरणों, मशीनों, यंत्रों, औजारों, धरोहर प्रकृति के मॉडलों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करना है।
5. मिशन **जटायु** (JATAYU) की शुरूआत सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2018 के दौरान किया गया था, जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि को नया रूप देने के लिए कर्मचारियों के बीच फाइट (FITE - Fairness, Integrity, Transparency & Equality) अर्थात निष्पक्षता, अखंडता, पारदर्शिता एवं समानता को बढ़ावा देना है।
6. मिशन **संबंध** (SAMBANDH) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य समस्या निवारक एवं समाधान प्रदाता के रूप में व्यापक पैमाने पर सभी हितधारकों और समुदाय तक संपर्क स्थापित करना है, जो अंततः ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सुचारु रूप से शुरू करने और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को आसान बनाने में सहायक होगा।
7. मिशन **इंद्रधनुष** (INDRADHANUSH) की शुरूआत देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, त्योहारों, नृत्य, संगीत और जातीयता को आत्मसात करने के लिए किया गया है। इस पहल के माध्यम से, अलग-अलग क्षेत्रों के विभिन्न उत्सवों को अलग-अलग इकाइयों में आयोजित किया जाता है, जिससे ईसीएल कर्मचारियों तथा इनके पारिवारिक सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना का विकास होता है और इससे ईसीएल के प्रसन्नता सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स) में भी वृद्धि हुई है।

कोयला उत्पादन (मि. टन में)

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा "उत्कृष्टता" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

8. मिशन **सुदेश**: (SUDESHH) के तहत सुदेश: "मितवा (SUDESHH-MITWA)" नामक एक और मिशन की शुरूआत 1 दिसंबर, 2018 को 'विश्व एड्स दिवस' के अवसर पर किया गया है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
9. मिशन "**मितवा** (MITWA)" की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य उचित कार्य संस्कृति के विकास के साथ-साथ ओपनकास्ट और भूमिगत खदानों में सभी उपकरणों एवं मशीनरियों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है।
10. ईसीएल में "**10 R**" नामक एक नयी संकल्पना की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य कंपनी के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए उसका "पुन: उपयोग (Reuse)", "अस्वीकार (Refuse)", पुनर्चक्रण (Recycle) "पुन: प्रयोजन (Repurpose)", "पुनर्भरण (Refill)", "पुनर्निवेश (Reinvent)", "मरम्मत (Repair)", "कम करना (Reduce)", "नया स्वरूप (Redesign)" और "नवीकरण (Refurbish)" करना है।

    वित्तीय वर्ष 2019-20 को "क्षमता संपन्न ईसीएल" के रूप में घोषित किया गया है और आंतरिक प्रतिभाओं के क्षमता विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्य स्थलों पर "अनुपालन की संस्कृति" और अनुशासन को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया गया है।

परिचालन प्रदर्शन:

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, कोयला उत्पादन में ईसीएल सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाली कंपनी थी, जो 15.13% है, जिसमें सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच ऑफटेक: 15.54% और मलवा हटाई: 6.03% है। कोयला- उत्पादन-50.16 मि. टन, ऑफटेक-50.41 मि .टन और मलवा हटाई-126.6 घ. मी. जैसी सभी उपलब्धियाँ कंपनी की स्थापना के बाद से सर्वाधिक है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2018-19 में कोयला उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्य का 107% हासिल किया है। ईसीएल ने भूमिगत कोयला उत्पादन में 5.35% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, जो सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में सबसे अधिक है। ईसीएल के झांझरा परियोजना ने वर्ष 2018-19 के दौरान 3.38 मि. टन का वार्षिक उत्पादन किया है, जिससे इसे देश की सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाली भूमिगत खदान होने का श्रेय हासिल हुआ है।

वित्तीय प्रदर्शन:

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का सकल बिक्री का कारोबार पिछले वर्ष के ₹ 15250.11 करोड़ की तुलना में ₹18385.03 करोड़ था, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 20.56% की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष कर-पूर्व कुल व्यापक हानि ₹ 1303.10 करोड़ और कर-बाद कुल व्यापक हानि ₹ 824.17 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान कंपनी की कर-पूर्व कुल व्यापक आय ₹ 1237.00 करोड़ और कर-बाद कुल व्यापक आय ₹ 706.38 करोड़ थी। वर्ष 2017-18 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 959.99 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय ₹ 829.96 करोड़ (विनिमय में उतार-चढ़ाव को छोड़कर) था।

भूमिगत खानों का आधुनिकीकरण और मशीनीकरण:

भूमिगत कोयला उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि हासिल करने के लिए, हमने कई भूमिगत खानों में वृहत उत्पादन तकनीक (मास प्रोडक्शन तकनीक) को अपनाया है जैसे, लाँगवाल माइनिंग, कंटीन्यूअस माइनर्स, कामगारों को आने-जाने के लिए फ्री-स्टीयर्ड व्हीकल्स, जिसके कारण आपकी कंपनी भूमिगत कोयला उत्पादन में निरंतर प्रगति को बनाए रखने में सफल रही है। वर्तमान में, 1 (एक) पावर्ड सपोर्ट लाँगवाल फेस, 3 (तीन) मानक ऊँचाई के कंटीन्यूअस माइनर्स और 2 (दो) कम ऊँचाई के कंटीन्यूअस माइनर्स का परिचालन किया जा रहा हैं और शीघ्र ही कई कंटीन्यूअस माइनर्स स्थापित की जाने वाली है। एक और आधुनिक भूमिगत प्रौद्योगिकी अर्थात हाईवाल माइनिंग को एक क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जिनके द्वारा इस वित्तीय वर्ष का अंत तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

परियोजना निर्माण:

वर्ष 2018-19 में, ईसीएल बोर्ड द्वारा 3 (तीन) परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 4 (चार) परियोजना को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

पर्यावरणीय पहल:

कोयले की निकासी के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर हमारी कंपनी द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है और वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण, भूमि क्षरण, वनों की कटाई आदि के नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। ये उपाय नियमित आधार पर सभी वैधानिक मानदंडों, अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किए जा रहे हैं। इसके लिए कंपनी को ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 और OHSAS 18001:2015 जैसे विभिन्न प्रमाणन से अलंकृत किया गया है। ईसीएल ने बैकफिल्ड एरिया (50.5 हे.), बाहरी ओबी डंप (22.2 हे.) और अन्य समतल भूमि (67.8 हे.) पर 140.50 हे. (जो लक्ष्य से 33% अधिक है) में बहुस्तरीय वृक्षारोपण किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्य वन विभाग के माध्यम से कुल 351250 पौधे लगाए गए हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व:

हमारी सीएसआर गतिविधियां हमारे व्यापार का एक अभिन्न अंग है। हम ईसीएल के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से वंचित, भू-वंचित (लैंड-लूजर) और परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) लोगों के लिए कल्याणकारी उपाय करने के साथ-साथ कई सामाजिक योजनाएं भी चलाते हैं। सीआईएल-सीएसआर नीति के प्रावधान के अनुसार, निधि का 80% ईसीएल मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 किमी के दायरे में उपयोग किया जाता है और शेष 20% राज्य/ राज्य के परिचालन क्षेत्र के अंदर खर्च किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग अपने विकास एवं संधारणीयता के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। वर्ष के दौरान ₹ 16.46 करोड़ सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया गया था।

सुरक्षा:

हमने हमेशा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसे ईसीएल में मुख्य उत्पादन प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए, ईसीएल ने वर्ष के दौरान कई कदम उठाएं है। 49वीं अखिल भारतीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता (कोयला और धातु) दिनांक 10 से 13 दिसंबर, 2018 तक माइन्स रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कोयला और धातु कंपनियों से कुल 23 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया था। ईसीएल से भी दो टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और ओवर ऑल बेस्ट, तृतीय ओवर ऑल बेस्ट, एफएबी में बेस्ट, एफएबी में द्वितीय बेस्ट, सुरक्षा एवं बचाव में बेस्ट तथा सुरक्षा एवं बचाव कार्यक्रम में द्वितीय बेस्ट पुरस्कार प्राप्त किया।

औद्योगिक संबंध:

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान औद्योगिक संबंध कंपनी में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहा है। ईसीएल में 'प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' का अनुपालन कंपनी के विभिन्न स्तरों पर पूरी तरह से किया जाता है। कॉर्पोरेट, क्षेत्र और परियोजना/इकाई स्तर पर संयुक्त सलाहकार समितियां संचालित हैं। संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठकों में उत्पादन, उत्पादकता, आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, अन्य समिति/ बोर्ड, द्विपक्षीय सुरक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति और कोलियरी सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड आदि भी हमारी कंपनी में कार्य कर रहे हैं। उक्त समितियों में प्रमुख ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिससे प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच विश्वास और सद्भावना बढ़ती है और इसके अलावा कंपनी में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बहाल होती हैं।

कारपोरेट गवर्नेंस:

ईसीएल अपने संचालन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता, स्पष्टता एवं जवाबदेही और निष्पक्षता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी हितधारकों को सभी प्रकार की भौतिक जानकारी संतुलित और समय पर देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अपने सभी हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है और उनके हितों का संरक्षण करता है। कंपनी में जोखिम को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की एक सक्षम प्रणाली मौजूद है और रणनीति के कार्यान्वयन में प्रबंधन को निरीक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सच्चे मन एवं भावना के साथ मौजूदा कानूनों, अधिनियमों एवं नियमों का पालन किया जाता है। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिये गए दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक एक अलग अनुच्छेद बोर्ड की रिपोर्ट में जोड़ा गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए आपकी कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में डीपीई द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग दी गई थी। स्व-मूल्यांकन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी, आपकी कंपनी को कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन में उत्कृष्ट रेटिंग पर रहेगी। मैं कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, अन्य केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, रेलवे, बैंकरों, सभी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं को उनके सतत समर्थन एवं अथक सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन-07379202

सांकतोड़िया
दिनांक: 31 जुलाई, 2019

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच स्वच्छता पखवाड़ा में प्रथम स्थान पर रहा।

कोयला ऑफटेक (मि. टन में)

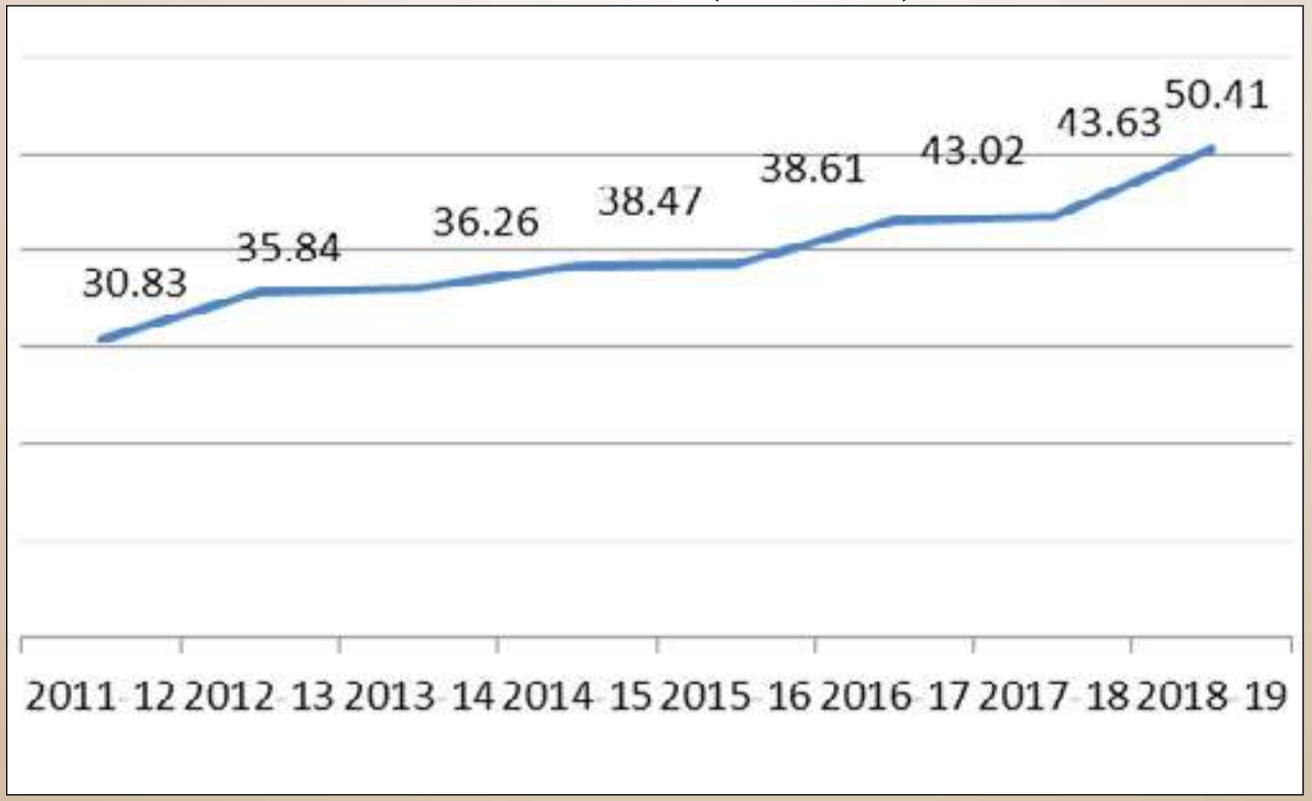

शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)

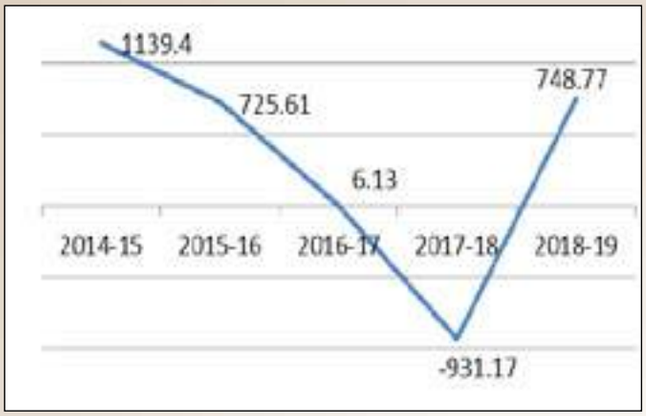

शुद्ध संपत्ति (₹ करोड़ में)

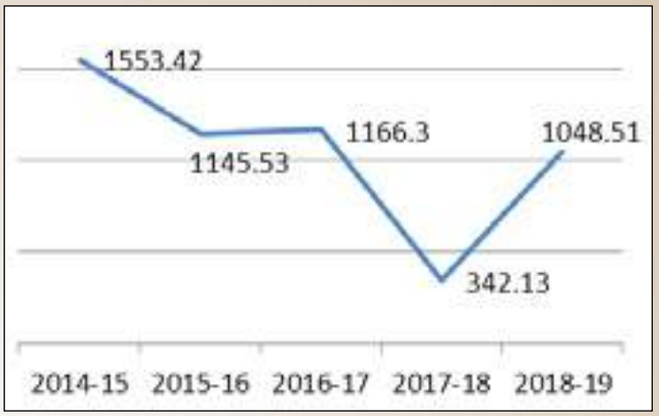

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पर्यावरण दिवस समारोह, मिशन सुदेश (SuDESHH) के तहत 10आर अवधारणा का प्रावरण करते हुए।

व्यवहार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम "अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता वाले (वूका) विश्व में मानव संसाधन पर पुनर्विचार"

राजमहल क्षेत्र की महिला कर्मचारियों के साथ चाय पे चर्चा।

महीनों की खपत में स्टोर का भंडार

देनदार, महीनोंकी बिक्री में

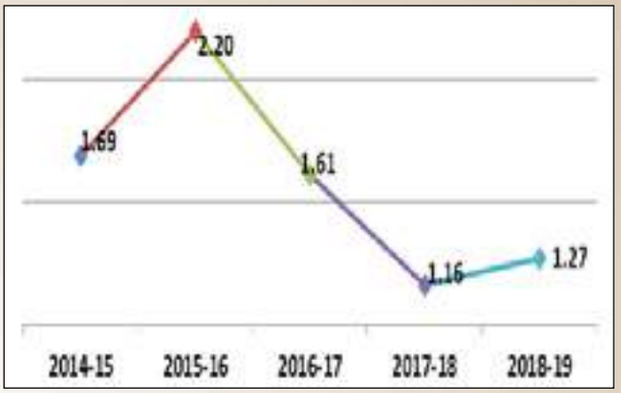

वार्षिक सीएसआर संगोष्ठी-2019

कोयले का स्टॉक, महीनों की बिक्री में

समग्र सीपीटी बनाम एसपीटी (₹ / मि. टन)

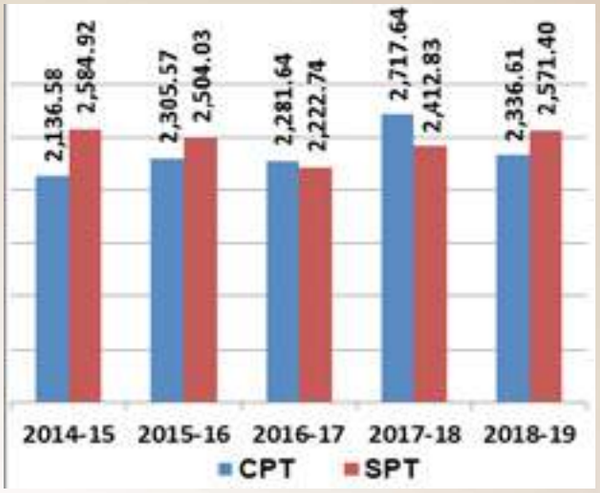

मिशन इंद्रधनुष के तहत ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में "पोइला बोइसाख" का उत्सव।

मिशन संबंध के तहत शिकायत निवारण शिविर

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कवि समेलन

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

परिचालन सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
1. कोयला उत्पादन (मिलियन टन)								
भूमिगत खदान	9.06	8.6	8.13	7.33	7.29	6.87	6.85	6.83
खुली खदान	41.10	34.97	32.39	32.88	32.72	29.18	27.05	23.725
कुल:	50.16	43.57	40.52	40.21	40.01	36.05	33.9	30.555
2. ओवरबर्डन हटाना (मिलियन घन मी.)	126.06	118.9	124.53	119.22	94.05	85.76	76.45	60.31
3. ऑफटेक (कच्चा कोयला): (मिलियन टन)								
विद्युत शक्ति	46.79	40.04	40.12	35.8	35.1	31.05	30.02	24.27
सीमेंट	0.04	0.06	0.05	0.08	0.08	0.06	0.14	0.14
कोलियरी की खपत	0.19	0.2	0.21	0.23	0.25	0.28	0.3	0.34
अन्य	3.39	3.33	2.64	2.5	3.04	4.86	5.38	6.08
कुल :	50.41	43.63	43.02	38.61	38.47	36.25	35.84	30.83
4. श्रमशक्ति	59698	61796	64029	66238	68681	71826	74276	78009
5. उत्पादकता (ओएमएस) (एम. टी.)								
भूमिगत खदान	0.78	0.72	0.64	0.56	0.53	0.48	0.46	0.44
खुली खदान	17.02	14.32	12.9	12.42	12.12	10.96	10.17	8.64
कुल मिलाकर:	3.58	3.01	2.64	2.56	2.45	2.12	1.94	1.68
6. पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	829.96	959.99	827.80	754.70	686.69	408.87	202.94	332.96
7. सकल बिक्री कारोबार (₹ करोड़ में)	18385.03	15250.11	14717.53	13514.18	13431.84	11959.75	1262.59	10695.11

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

नियोजित पूंजी, शुद्ध संपत्ति, और अन्य वित्तीय अनुपात

विवरण	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
नियोजित पूंजी	5111.26	4397.19	4876.79	5027.76	4589.75	2528.15	1971.14	171.1
शुद्ध संपत्ति	1048.51	342.13	1166.3	1145.53	1553.42	-1586.37	-2458.6	-4946.85
तरलता अनुपात :								
i) चालू अनुपात (वर्तमान परिसंपत्तियां / वर्तमान देयताएं)	1.18	1.11	1.33	1.49	1.58	1.18	1.11	0.83
कारोबार अनुपात:								
i) पूंजी कारोबार अनुपात (शुद्ध बिक्री / नियोजित पूंजी)	2.53	2.42	2.08	2.03	2.18	3.52	4.66	48.29
ii) विविध देनदार (सकल) महीनों की संख्या के आधार पर:								
क) सकल क्रेडिट बिक्री	1.27	1.16	1.61	2.20	1.69	2.15	3.93	2.99
ख) शुद्ध क्रेडिट बिक्री।	1.79	1.67	2.34	2.90	2.26	2.89	5.20	3.87
iii) कोयले का स्टॉक (उत्पाद शुल्क का नेट), महीनों की बिक्री मूल्य के आधार पर	0.22	0.38	0.45	0.60	0.43	0.38	0.37	0.66
iv) स्टोर और पुर्जों का स्टॉक (सकल) खपत के महीनों के आधार पर (केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों के स्टॉक सहित)	3.59	4.19	3.76	3.55	2.85	2.91	3.10	3.78
संरचनात्मक अनुपात:								
ऋण इक्विटी	0.82	0.76	0.71	0.67	0.04	0.31	0.30	0.30
ऋण: शुद्ध मूल्य	1.74	4.95	1.36	1.30	0.11	- 0.43	- 0.27	- 0.14

निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

श्री प्रेम सागर मिश्रा (54) (डीआईएन-07379202), 20 अगस्त, 2018 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं।

उन्होंने वर्ष 1987 में धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से अपनी बी. टेक (खनन) की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1990 में फर्स्ट क्लास सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ जुरिडिकल से बिजनेस लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया है। वर्तमान में वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी (CMA) कर रहे हैं। वे आईआईटी (आईएसएम) धनबाद से प्रबंधन अध्ययन में पीएच.डी भी कर रहे हैं। उनके शोध का विषय है - "इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ कॉरपोरेट सोशल रेसपोंसिबिलिटी इनीसिएटिव्स – ए केस स्टडी ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया।"

उन्होंने वर्ष 1987 में एसईसीएल में नौकरी की शुरुआत की और सोलह वर्षों से अधिक समय तक एसईसीएल की कई खानों में विभिन्न प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया। उन्होंने लगभग पांच वर्षों तक सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की विभिन्न खुली खदानों में उप मुख्य खनन अभियंता / परियोजना अधिकारी के रूप में भी काम किया। जून, 2008 में बीसीसीएल में स्थानांतरित होने पर, उन्होंने ब्लॉक II क्षेत्र में मुख्य खनन इंजीनियर, महाप्रबंधक, ब्लॉक II क्षेत्र, महाप्रबंधक, बरोरा क्षेत्र तथा महाप्रबंधक, समन्वय, बीसीसीएल के रूप में भी काम किया। उन्हें नवंबर, 2015 में उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक (उत्पादन और योजना) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री मिश्रा ने आईआईएम, कलकत्ता, सेंट गैलेन विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड और 2014 में एसेस बिजनेस स्कूल पेरिस, फ्रांस में आयोजित एडवांस प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लिया है। श्री मिश्रा विश्व खनन कांग्रेस 2011 में भाग लेने के लिए इस्तांबुल (तुर्की) गए कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे। उन्होंने प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आईआईसीएम द्वारा एलबीएसएनएए, मसूरी में संचालित एडवांस प्रबंधन कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। उन्होंने विभिन्न नेतृत्व विकास, निर्णय लेना, परियोजना प्रबंधन और अन्य प्रबंधकीय और तकनीकी विषयों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं भाग लिया है।

श्री मिश्रा राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम), भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान (आईआईएमएम), भारतीय खान प्रबंधक संघ (आईएमएमए), भारतीय खनन और इंजीनियरिंग फोरम के एक सक्रिय सदस्य तथा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फेलो (एफआईई) भी हैं। वह 2010 से 2014 तक आईएसएम एलुमनी एसोसिएशन के महासचिव और 2011 से 2015 तक एमजीएमआई, धनबाद शाखा के महासचिव रहे हैं। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर कई सम्मेलन और सेमिनारों का संचालन भी किया है। उन्होंने वाद-विवाद, आशु-भाषण, भाषण कला, लेखन, एथलेटिक्स और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों में कई पुरस्कार जीते हैं।

श्री मिश्रा एक मार्गदर्शक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं और उन्हें ओवर-ऑल परफॉर्मेंस, उत्पादन, सुरक्षा, लाभ, स्टॉक लिक्विडेशन, ओवरबर्डन रिमूवल और इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन के लिए कई पुरस्कार हुए हैं। उन्होंने बीसीसीएल के बरोरा क्षेत्र में कोल टूरिज्म की परिकल्पना की और उसका क्रियान्वयन भी किया। उन्हें विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों द्वारा व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है।

श्री भबानी प्रसाद पति (49) (डीआईएन-08257345), कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उन्हें 11.01.2019 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के बोर्ड में भी अंशकालिक आधिकारिक निदेशक भी हैं।

श्री बी. पी. पति गुजरात कैडर के एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्त की है। कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपनी पोस्टिंग से पहले, वे गुजरात वन विभाग के मुख्य संरक्षक (वी एंड पी) के रूप में कार्यरत थे तथा गुजरात खनिज विकास निगम में मुख्य महाप्रबंधक भी थे।

श्री श्याम नंदन प्रसाद (59) (डीआईएन-07408431) ने 1 फरवरी, 2016 को कोल माइनिंग मोनोलिथ कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के निदेशक (विपणन) के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री एस एन प्रसाद एमबीए (मार्केटिंग) हैं और कोल इंडिया लिमिटेड में वर्ष 1982 में प्रबंधन प्रशिक्षु (मार्केटिंग) के रूप में शामिल हुए हैं। वह 33 वर्षों से अधिक समय तक विपणन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्होंने खदानों, पिट हेड, कोयला स्टॉक यार्ड, सीएचपी आदि स्थानों पर तथा सहायक कंपनियों के कॉर्पोरेट कार्यालय में काम करने का अनुभव प्राप्त किया है। कोल इंडिया लिमिटेड में निदेशक (विपणन) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (विपणन और बिक्री) सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। वह नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सीआईएल के नामित निदेशक भी हैं। वह अक्टूबर, 2018 से निदेशक (वित्त), सीआईएल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। उन्होंने 31 मार्च, 2017 से 16 जून, 2017 तक निदेशक (कार्मिक एवं औ. सं.), सीआईएल के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। श्री प्रसाद ने एशिया-प्रशांत और यूरोपीय देशों में कोयले के निवेश और विपणन के क्षेत्र में आयोजित होने वाले कई सम्मेलनों में सीआईएल के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है।

प्रो. (डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (71) (डीआईएन-07368268), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं, वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और उनके संपूर्ण प्रयास सार्वजनिक स्वास्थ्य की बुनियादी बातों जैसे; पोषण और खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता और साफ-सफाई आदि में सुधार के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य का उपयोग करने की दिशा में लक्षित हैं। प्रो. इंदिरा चक्रवर्ती के पास शिक्षा जगत की उच्चतम डिग्रियां, विज्ञान में पीएच.डी और डी. एससी हैं। उन्होंने कोलकाता के प्रेसीडेंसी कॉलेज और फिर साइंस कॉलेज में अध्ययन किया और उसके बाद में अमेरिका के कई प्रसिद्ध संगठनों और विश्वविद्यालयों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की फेलो के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रो. इंदिरा चक्रवर्ती को उनकी आजीवन उपलब्धियों के लिए पद्म पुरस्कार मिला है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के एफएओ से प्रतिष्ठित एडुआर्डो सौमा पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघ के 50वें वर्ष (1995) में सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रोजेक्ट, यूएसएफ से 2009 में प्रेसिडेंट्स ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड इन पब्लिक हेल्थ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्रियदर्शिनी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उदय अवार्ड, रोटरी इंटरनेशनल तथा कई अन्य पुरस्कारों सम्मानित किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर के पद, निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, भारत सरकार और निदेशक, चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, भारत सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण एशिया, एमआई, आईडीआरसी (कनाडा) और क्षेत्रीय सलाहकार न्यूट्रिशन-एक्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जैसे सबसे वरिष्ठ और जिम्मेदार पदों को संभाला है।

वर्तमान में वह पीएचईडी, पश्चिम बंगाल, सरकार की मुख्य सलाहकार, जल एवं पेय पैनल, एफएसएसएआई, एमओएच एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार की अध्यक्ष, एसएसी, आईसीएमआर, एमओएच एंड एफडब्ल्यू, भारत सरकार की अध्यक्ष, भारत पोषण परियोजना की अध्यक्ष, रेकिट बेंकिज़र, स्टॉप डायरिया कार्यक्रम, सेव दि चिल्ड्रेन कार्यक्रमों की अध्यक्ष, शेवरन इनोवेशन सेंटर के अध्यक्ष, ईपीसी, एनएचएम, एमओएच एंड एफडब्ल्यू की सदस्य; आईसीएमआर की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य; वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड, आईसीएमआर की सदस्य; राष्ट्रीय विज्ञान संचार केंद्र, भारत सरकार की सलाहकार समिति की सदस्य, स्वच्छता सूचकांक, रेकिट बेंकिज़र की सदस्य ; वाश (स्वच्छ भारत मिशन), एमडीडब्ल्यूएस. भारत सरकार की प्रमुख समिति कोर कमेटी की सदस्य, जल सप्ताह, सिंगापुर जल सम्मेलन के सलाहकार बोर्ड की सदस्य, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य हैं।

श्री प्रवीण कांत (65) (डीआईएन-00282716) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। वे 1976 से मैसर्स पी. के. माहेश्वरी एंड कंपनी, नई दिल्ली में पार्टनर के रूप में एक सक्रिय लेखा परीक्षक हैं । उनके पास निजी कंपनियों के साथ-साथ एनटीपीसी, सेल, नेशनल हाउसिंग बैंक, बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे सरकारी संगठनों के लेखा परीक्षण में 42 वर्षों से अधिक का अनुभव है ।

वह एक वित्तीय सलाहकार के रूप में स्थापना से लेकर अंतिम रूप देने तक कई परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, कराधान और कंपनी मामलों के क्षेत्र में भी अनुभव है। वह वर्तमान में विभिन्न निजी कंपनियों में निदेशक हैं। उन्हें 13.12.2018 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (62) (DIN-06372875) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं। उनका जन्म सिरसा, हरियाणा में वर्ष 1957 में हुआ था। अपनी बीएससी की डिग्री पूरी करने के बाद, उन्होंने वनस्पति विज्ञान और वानिकी में परास्नातक किया और बाद में उन्होंने लोक प्रशासन में एम. फिल भी किया। वह वर्ष 1986 में भारतीय वन सेवा (IFS) में शामिल हुए और 31 वर्षों की प्रतिष्ठित सेवा के बाद वर्ष 2017 में सिक्किम सरकार के संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए।

अपने कैरियर के दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन और आयुष जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत उप सलाहकार, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। उनके पास प्रशासन और सतर्कता मामलों में व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2006 से 2008 तक नई दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर, सिक्किम सरकार के रूप में भी काम किया है।

उन्होंने 2008-2012 के दौरान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सिक्किम सरकार के रूप में भी कार्य किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने सड़क, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे विभिन्न बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी की।

वर्ष 2012 में उन्हें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2017 तक मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और विदेश दोनों जगह भारतीय दवाओं की पारंपरिक प्रणालियों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। । इस अवधि के दौरान, उन्होंने भारतीय चिकित्सा औषधि निगम लिमिटेड (आईएमपीसीएल) के बोर्ड में भी कार्य किया।

श्री सुनील कुमार झा (59) (डीआईएन-08039292 ने 19 दिसंबर, 2017 को ईसीएल के निदेशक (तकनीकी) के रूप में पदभार ग्रहण किया । श्री झा ने वर्ष 1984 में आईएसएम, धनबाद से खनन में बी. टेक उत्तीर्ण किया। उन्होंने वर्ष 1989 में आईएसएम, धनबाद से ही ओपनकास्ट माइनिंग में एम. टेक की डिग्री प्राप्त की।

उन्होंने कोयला उद्योग में अपने कैरियर की शुरुआत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड से वर्ष 1984 में की थी। उन्होंने सीसीएल के विभिन्न खानों में एसीएम के रूप में यूजी और ओपेनकॉस्ट माइनिंग में वृहत ज्ञान प्राप्त किया है। 2001 से 2017 तक उन्होंने बड़ी ओपनकास्ट खदानों निगाही और दुधीचुआ, एनसीएल में कोयला उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । वर्ष 2007 में वह महाप्रबंधक बने और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। ईसीएल के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने ईसीएल में महाप्रबंधक (प्रभारी) के रूप में समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है।

श्री झा ने विभिन्न विदेशी देशों जैसे जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा किया है। उन्होंने जर्मनी के आचेन में आयोजित भूमिगत खनन में बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकी से संबंधित एक संगोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता और प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में एडवांस प्रबंधन कार्यक्रमों में भाग लिया है । वे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने कॉलेज के जीवन में एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं।

श्री जयप्रकाश गुप्ता (57) (डीआईएन-08174002) ने 18.06.2018 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना का कार्यभार संभाला।

श्री गुप्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU / IIT) से 1983 में खनन इंजीनियरिंग में बी. टेक स्नातक किया और उन्होंने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जूनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने एसईसीएल में लगभग 23 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया और फिर वर्ष 2006 में मुख्य प्रबंधक (खनन) के रूप में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने 12 वर्षों तक बीसीसीएल में परियोजना अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया।

उन्हें वर्ष 1998 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से थिक सीम वर्किंग में केबल बोल्ट सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस विकास के लिए उन्हें एसईसीएल में सम्मानित भी किया गया था । परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्यरत रहते हुए उन्होंने चिरमिरी, एसईसीएल की एनसीपीएच कोलियरी की आर. वी. वर्जिन सीम में निर्धारित समय में सभी प्रमुख विकास गतिविधियों को पूरा करके कंटीन्यूअस माइनर लगाया, जिससे खदान की क्षमता में भूमिगत खनन से 01 एमटी से अधिक तक की वृद्धि हुई। श्री गुप्ता के नेतृत्व में सिजुआ क्षेत्र, बीसीसीएल की परियोजना तेतुलमारी में पारिस्थितिक बहाली पर पहली पायलट परियोजना, देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के तकनीकी मार्गदर्शन में आरंभ की गयी। इस परियोजना को 2014 में सीआईएल स्थापना दिवस के अवसर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्री गुप्ता की सीएसआर गतिविधियों में गहरी रुचि है। उनके नेतृत्व में और झारखंड सरकार की तकनीकी मदद से गरेडिया, महुलीडीह गाँव की 50 से अधिक महिलाओं ने हथकरघा बुनाई और कपड़ा निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया है जो झारखंड सरकार की एक फर्म झारक्राफ्ट द्वारा कुछ पारिश्रमिक देकर लिया जाता है ।

उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ष 2011 में चीन का दौरा किया भी किया है। उनके पास भूमिगत खदान मशीनीकरण और ओपनकास्ट खनन दोनों में व्यापक अनुभव है।

श्री विनय रंजन (48) (डीआईएन-03636743) अगस्त 2018 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) के रूप में शामिल हुए। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदभार ग्रहण करने से पहले, श्री विनय रंजन मुंबई स्थित दैनिक भास्कर समूह की एक कंपनी डीबी पावर लिमिटेड के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष और मानव संसाधन प्रमुख का पद संभाल रहे थे।

डीबी पावर लिमिटेड से पहले, श्री विनय रंजन को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने का व्यापक अनुभव है। नवरत्न पीएसयू विदेश संचार निगम लिमिटेड में शुरुआती वर्षों के बाद, उन्होंने वीएसएनएल के टाटा ग्रुप कंपनी में विनिवेश प्रक्रिया के परिणामस्वरूप संक्रमण देखा। उनके पास कॉर्पोरेट भूमिकाओं में रिलायंस और जेएसडब्ल्यू समूह के बड़े कॉरपोरेट घरानों में भी अच्छा कार्यानुभव है।

श्री रंजन के पास प्रतिभा अधिग्रहण, प्रतिभा प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन, नियोक्ता ब्रांडिंग, मुआवजा प्रबंधन, उद्यम संसाधन योजना, परिवर्तन प्रबंधन, कर्मचारियों को काम पर लगाए रखने, औद्योगिक संबंध और प्रशिक्षण एवं विकास में करीब 24 साल का व्यापक कार्य अनुभव है । उन्होंने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी संस्थाओं के लिए एचआर सपोर्ट को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। उन्होंने दो पूर्ण जीवन चक्र के सैप एचआर (SAP HR) कार्यान्वयन के लिए टीम का नेतृत्व किया, पहला टाटा कम्युनिकेशन, पूर्ववर्ती वीएसएनएल में कार्यान्वयन साझेदार टीसीएस के साथ और उसके बाद टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में एक और चक्र के लिए उनकी विशेषज्ञता के कारण प्रतिनियुक्ति की गई।

वह एक ऐसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता हैं जिसके पास विकास करने की क्षमता है और उन्होंने कुशल और अत्यधिक उत्पादक कार्यबल का नेतृत्व किया है। उन्हें अपने उत्कृष्ट हितधारक प्रबंधन कौशल और उच्च गुणवत्ता के साथ सेवा वितरण तथा निष्पादन के उच्च स्तर के साथ सहानुभूति के लिए जाना जाता है ।

श्री रंजन प्रतिष्ठित इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने फ्रांस के फॉनटेनब्लयू से सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम उत्तीर्ण किया है । वह भौतिकी में ऑनर्स स्नातक हैं और कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में पूर्णकालिक पीजी डिप्लोमा धारक हैं।

श्री रंजन को विभिन्न मानव संसाधन मंचों तथा भारत भर के अधिकांश अग्रणी बी स्कूल कैम्पस में बोलने का गौरव प्राप्त है। वह वर्तमान में एनआईपीएम, आसनसोल चैप्टर के अध्यक्ष और नेशनल एचआरडी नेटवर्क, मुंबई चैप्टर के आजीवन सदस्य हैं। श्री रंजन को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न मंचों पर पहचान मिली है, जैसे कि डीबी पावर में उनके कार्यकाल के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांडिंग अवार्ड, सीएचआरओ ऑफ़ द इयर और प्राइड ऑफ़ एचआर प्रोफेशनल्स (पीएसयू)।

निदेशक (कार्मिक) के रूप में, ईसीएल में लंबे समय से लंबित कानूनी मामलों को संभालने के लिए उनका योगदान उल्लेखनीय है और उनके नेतृत्व में कंपनी ने अदालती मामलों की संख्या में काफी महत्वपूर्ण कमी दर्ज की है। वह विधायी निकायों द्वारा जारी सांविधिक मानदंडों / दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं । कर्मचारियों और समाज के कल्याण की ओर उनका ध्यान काफी सराहनीय है। उन्होंने सीएसआर गतिविधियों के उच्च प्रभाव को लागू करने पर जोर दिया और प्रत्येक हितधारक तक पहुंचने का प्रयास किया है।

श्री उत्पल कांति बल (57) 1988 बैच के एक आईआरटीएस अधिकारी हैं। वह आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में बी. टेक हैं । रेलवे में शामिल होने से पहले, उन्होंने ओएनजीसी में भी काम किया है।

रेलवे में, उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और रेलवे परिचालन में व्यापक अनुभव हासिल किया है। उन्होंने मुख्य माल परिवहन प्रबंधक / नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे / मालीगांव, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक /पू. रे., अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक / सियालदह / पू. रे., वरिष्ठ उप महाप्रबंधक / पू. रे. के रूप में काम किया है। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक (PCOM) / पू. रे. के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले उन्हें प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक / द. पू. म. रे / बिलासपुर के रूप में तैनात किया गया था, जो भारतीय रेलवे का उच्चतम माल लदान क्षेत्र है। उन्होंने सिंगापुर और मलेशिया में प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

निदेशकों का रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

देवियों और सज्जनों,

में निदेशक मंडल की ओर से, अत्यन्त प्रसन्नता के साथ आपकी कंपनी के कामकाज पर 44वीं वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखाबही, वैधानिक लेखा परीक्षकों व सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर प्रबंधन के जवाब के साथ ही साथ अंकेक्षित लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करता है।

विशेष उपलब्धियाँ :

क. वर्ष 2018-19 में सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में ईसीएल कोयला उत्पादन में उच्चतम वृद्धि दर्ज करने वाली कंपनी है, जो 15.13% है, ऑफटेक: 15.54% और ओबी निकासी: 6.03% है।

ख. 50.16 मीट्रिक टन के कोयला उत्पादन, 50.41 मीट्रिक टन ऑफटेक तथा 126.6 मिलियन घन मी. ओबी निकासी की सभी उपलब्धियाँ कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक की सर्वोच्च उपलब्धियाँ हैं।

ग. ईसीएल ने मार्च, 2019 के दौरान 67.98 एल.टीई. कोयला उत्पादन, 58.02 एल.टीई. ऑफटेक तथा 136.24 एल. सीयूएम. ओबी निकासी की उपलब्धि हासिल की है , जो कंपनी की स्थापना के बाद से अब तक किसी भी महीने के दौरान उच्चतम उपलब्धियां हैं।

घ. ईसीएल ने 31 मार्च, 2019 को 2.54 एल.टीई. कोयला उत्पादन प्राप्त किया, 31 मार्च, 2019 को 2.55 एल.टीई. ऑफटेक तथा 13.01.2019 को 5.84 एल. सीयूएम ओबी निकासी दर्ज की जो कि कंपनी की स्थापना के बाद से एक ही दिन में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं।

ङ. ईसीएल ने 2018-19 में कोयला उत्पादन के लिए एमओयू लक्ष्य का 107% हासिल किया है।

च. ईसीएल ने 5.35% की वृद्धि के साथ भूमिगत कोयला उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है, जो सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है।

छ. ईसीएल के झांझरा प्रोजेक्ट ने 2018-19 के दौरान 3.38 मि. टन का वार्षिक उत्पादन प्राप्त किया जो कि देश में एकल भूमिगत खदान से सर्वाधिक कोयला उत्पादन है।

ज. 31 मार्च, 2019 को, ईसीएल ने 34 रेक के लक्ष्य के मुकाबले 57 रेलवे रेक लोड किए और 31.03.2018 को प्राप्त 45 रेलवे रेक के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

झ. सीआईएल अंतर-कंपनी एथलेटिक्स टूर्नामेंट 2018-19 में, ईसीएल ने पुरुष, महिला और समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

ञ. सीआईएल अंतर-कंपनी फुटबॉल टूर्नामेंट 2018-19 में ईसीएल द्वितीय उप-विजेता रहा।

1.0 उत्पादन:

1.1 विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान तथा लक्ष्य के मुकाबले कंपनी का उत्पादन निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	इकाई	2018-19			2017-18	पिछले साल से अधिक विकास	
		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक	शुद्ध	%
1. उत्पादन:	मि. टन						
i) कच्चा कोयला							
- भूमिगत		8.80	9.06	102.95	8.60	0.46	5.35
- खुली खदान		41.70	41.10	98.56	34.97	6.13	17.53
संपूर्ण		50.50	50.16	99.33	43.57	6.59	15.13
ii) कोकिंग कोल							
- मिश्रित		0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
- अन्य		0.00	0.03	100.00	0.03	0.00	-
iii) गैर-कोकिंग		50.50	50.13	99.27	43.53	6.60	15.16
2. उपरि संस्तर (ओबी) नकासी	घन मी.	149.00	126.06	84.60	118.89	7.17	6.03
3. उत्पादकता (ओएमएस)	टन						
- भूमगित		0.75	0.78	104.00	0.72	0.06	8.33
- खुली खदान		16.89	17.02	100.76	14.32	2.70	18.85
- कुल मलिाकर		3.55	3.58	100.85	3.01	0.57	18.94

1.2 कोयला उत्पादन में आयी बाधाएँ:

क्र. सं.	उत्पादन में कमी का कारण	मात्रा (मि. टन)
1	भूवैज्ञानिक गड़बड़ी	0.07
2	मशीन ख़राब होना	0.07
3	वर्षा के कारण जल जमाव	0.39
4	औद्योगिक संबंध की समस्या	0.29
5	भूमि अधिग्रहण	2.07
6	अन्य	0.69
	कुल	**3.58**

1.3 पद्धति (सिस्टम) क्षमता का उपयोग:

(आंकड़े प्रतिशत में)

विवरण		2018-19			2017-18
		लक्ष्य	वास्तविक	प्राप्ति (%)	वास्तविक
क)	भूमिगत	89.12	91.76	102.96	86.71
ख)	खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	73.77	69.27	93.90	71.61
ग)	खुली खदान (भाड़े का) उत्खनन	112.26	91.53	81.53	68.94
घ)	खुली खदान (विभागीय +भाड़े का) उत्खनन	102.42	85.84	83.81	69.47
ङ)	कुल भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)	75.73	72.11	95.22	73.67
च)	समग्र (भूमिगत + खुली खदान) (भाड़े+ विभागीय)	102.08	86.15	84.39	69.99

2.0 वित्तीय परिणाम:

2.1 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सकल बिक्री कारोबार गत वर्ष के ₹ 152501.11 करोड़ की तुलना में ₹ 18385.03 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 20.56% की वृद्धि हुई। आलोच्य अवधि वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष कर-पूर्व ₹ 1303.10 करोड़ एवं कर-पश्चात ₹ 824.17 करोड़ के नुकसान की तुलना में कर-पूर्व ₹ 1237.00 करोड़ तथा कर-पश्चात ₹ 706.38 करोड़ की व्यापक आय दर्ज की है। विव`रण इस प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
लाभ (+) / हानि (-) सभी खर्चो को प्रभारित करने के बाद,	2537.84	865.12
लेकिन पीआरपी/अधिकारी अधिवर्षता लाभ ब्याज, मूल्यह्रास, हानि, ओबीआर, पूर्वावधि समायोजन से पूर्व	120.91	41.08
घटाएं: पीआरपी / अधिकारी अधिवर्षता लाभ का प्रभाव	228.71	1409.11
घटाएं: बीमांकिक प्रावधान	-	-
घटाएं: ब्याज	494.98	443.99
घटाएं: मूल्यह्रास / हानि	456.24	274.04
घटाएं: ओबीआर समायोजन	1237.00	-1303.10
ब्याज और मूल्यह्रास, हानि और ओबीआर समायोजन के बाद वर्ष के लिए कुल व्यापक आय।	0.00	0.00
घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन।	1237.00	-1303.10
पूर्व अवधि समायोजन पर विचार करने के बाद कुल व्यापक आय।	2787.25	1524.53
नकद लाभ	706.38	-824.17
कर के बाद कुल व्यापक आय		

2.2 पूंजीगत व्यय:

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय (विनिमय उतार चढ़ाव छोड़कर) गत वर्ष 2017-18 के ₹ 959.99 करोड़ की तुलना में ₹ 829.96 करोड़ रहा।

2.3 पूँजीगत संरचना:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018–19	2017–18
क. शेयर पूंजी		
1. अधिकृत शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,50,00,000 इक्विटी शेयर और प्रत्येक ₹ 1000 के 2,10,00,000 वरीयता शेयर)।	4600.00	4600.00
2. प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1000 के 2,21,84,500 शेयर)	2218.45	2218.45
अन्य इक्विटी (प्रदत्त 6% गैर-परिवर्तनीय, संचयी, प्रतिदेय वरीयता शेयर, पूर्ण प्रदत्त (प्रत्येक ₹ 1000 के 20509700 शेयर)	855.61	855.61
ख. ऋण निधियां:		
• निर्यात विकास निगम, कनाडा	165.55	161.20
• कम्पाउन्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट (वरीयता शेयर) का देयता घटक	1662.03	537.16

2.4 विदेशी ऋण की चुकौती:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
सीआईएल के माध्यम से विदेशी ऋण की चुकौती।	6.60	6.04

2.5 वर्ष के दौरान रॉयल्टी, उपकर, नौभरण उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर का भुगतान / समायोजन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19				2017-18			
	पश्चिम बंगाल	झारखंड	केंद्रीय	संपूर्ण	पश्चिम बंगाल	झारखंड	केंद्रीय	कुल
i) प. बं. के संबंध में जीएसटी								
क. आईजीएसटी	0.00	0.00	166.77	166.77	0.00	0.00	78.70	78.70
ख. सीजीएसटी	0.00	0.00	32.43	32.43	0.00	0.00	31.48	31.48
ग. एसजीएसटी	32.43	0.00	0.00	32.43	32.91	0.00	0.00	32.91
घ. क्षतिपूर्ति उपकर	0.00	0.00	1160.54	1160.54	0.00	0.00	684.65	684.65
ii) झारखंड के संबंध में								
क. आईजीएसटी	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	15.05	15.05
ख. सीजीएसटी	0.00	0.00	53.21	53.21	0.00	0.00	25.01	25.01
ग. एसजीएसटी	0.00	53.21	0.00	53.21	0.00	25.01	0.00	25.01
घ. क्षतिपूर्ति उपकर	0.00	0.00	813.69	813.69	0.00	0.00	477.46	477.46
iii) कोयले पर रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ	17.67	525.04	0.00	542.71	18.87	440.88	0.00	459.75
iv) आरई और पीई उपकर	1587.50	0.00	0.00	1587.50	1510.55	0.00	0.00	1510.55
v) एएमबीएच सेस	2.34	0.00	0.00	2.34	2.15	0.00	0.00	2.15
vi) डब्ल्यू और रोड सेस	2.34	0.00	0.00	2.34	2.12	0.00	0.00	2.12
vii) बिक्री कर (वैट / सीएसटी)	0.00	0.32	0.00	0.32	104.90	11.99	0.00	116.89
viii) स्टोइंग एक्साइज ड्यूटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79	20.79
ix) स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.25	622.25
x) कोयला पर उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	72.43	72.43
xi) प्रवेश कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	1.76
कुल	**1642.28**	**578.57**	**2226.84**	**4447.69**	**1671.50**	**477.88**	**2029.58**	**4178.96**

2.6 निदेशकगण के दायित्व का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के तहत कंपनी के निदेशक मंडल यह कहते एवं सुनिश्चित करते हैं कि :-

क. 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करते समय, सभी लागू भारतीय लेखा मानकों को सामग्री प्रेषण से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है;

ख. निदेशकों ने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया तथा निर्णय लिए एवं अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण हों ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए लाभ/ हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग. निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी है;

घ. निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक अग्रगामी संस्था के आधार पर तैयार किया है;

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जा रहे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उल्लेख किया और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे एवं प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे ; तथा

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया था और इस तरह के सिस्टम प्रभावी रूप से संचालन के लिए पर्याप्त थे।

3.0 योजना:

3.1 परिचालन का अधिकार क्षेत्र:

ईसीएल में कुल 14 परिचालित क्षेत्रों में 84 कार्यरत खदानें है जिसमें 54 भूमिगत खदानें, 20 खुली खदानें तथा 10 मिश्रित खदानें हैं।

3.2 अनुसंधान एवं विकास:

3.3. कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना:

कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास अनुदान के तहत वित्तपोषित चल रहे अनुसंधान एवं विकास अनुदान परियोजना के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण अनुबंध- I में दिया गया है।

3.4 एस एण्ड टी परियोजनाएँ:

कोयला मंत्रालय के एस एण्ड टी अनुदान के अंतर्गत वित्तपोषित चालू एस एण्ड टी अनुसंधान परियोजनाओं का विस्तृत विवरण अनुबंध -II में दिया गया है।

3.5 कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण:

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण तथा यांत्रिकीकरण के स्तर को ऊपर उठाने के क्रम में, 2018-19 तक ईसीएल के 57 खदानों में एलएचडी/एसडीएल के साथ मध्यवर्ती तकनीक को आरम्भ किया गया। 31.03.2019 को ईसीएल के विभिन्न भूमिगत खदानों में 254 एसडीएल, 38 एलएचडी एवं 106 यूडीएम कार्य कर रहे थे। 2018-19 के दौरान, 254 एसडीएल से 4.45 मिलियन टन, 31 एलएचडी से 0.87 मिलियन टन तथा 02 रोड हेडर (लाँगवाल पैकेज का हिस्सा) से 0.16 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया।

झांझरा तथा सरपी परियोजना में शटल कार (5 सीट) सहित कन्टीन्यूअस माइनर की स्थापना से "बृहत उत्पादन तकनीक" लागू की गई है और यह सफलता पूर्वक चल रही है। वर्ष 2018-19 में 3 मानक ऊँचाई के कन्टीन्यूअस माइनर तथा 2 कम ऊँचाई के कन्टीन्यूअस माइनर से 2.03 मिलियन टन उत्पादन किया गया। झांझरा में अगस्त 2016 से लाँगवाल प्रौद्योगिकी सफलता पूर्वक कार्यशील है और वर्ष 2018-19 के दौरान 1.45 मिलियन (रोड हेडर से छोड़कर) टन उत्पादन प्राप्त किया गया। कुल मिलाकर भूमिगत कोयला उत्पादन 2017-18 के 8.60 मीट्रिक टन से बढ़कर 2018-19 में 5.35% की वृद्धि के साथ 9.06 मीट्रिक टन हो गया।

उपरोक्त के अलावा कोयला उद्योग के विविधीकरण / आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

क. कोल बेड मीथेन (सीबीएम): परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) तैयार की जा चुकी है और 22.09.2018 को एमडीओ अवधारणा के तहत सतग्राम , कुनुस्तोड़िया और श्रीपुर के पट्टाधारित क्षेत्र को शामिल करते हुए ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है

ख. उपकरण के मानकीकरण की दिशा में 35 टन डंपर की जगह 60 टन के डंपर के प्रतिस्थापन तथा 2-3 M3 हाइड्रोलिक शॉवेल के स्थान पर 5-6 M3 हाइड्रोलिक शॉवेल के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया जारी है। एचईएमएम में सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। जहाँ भी तकनीकी रूप से संभव है वहां खुली खदानों में सरफेस माइनर का उपयोग भी किया जा रहा है।

ग. हाईवाल माइनिंग : निमचा एवं श्रीपुर कोलियरी में हाईवाल माइनिंग प्रौद्योगिकी आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। हाईवाल माइनिंग प्रौद्योगिकी की शुरुआत के लिए 25.07.2018 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

घ. मैन राइडिंग सिस्टम: 2018-19 के दौरान निमचा भूमिगत खदान में मैन राइडिंग सिस्टम का एक सेट लगाया गया है। इस प्रकार झांझरा, परसिया, निमचा (1 सेट) और चिनकुरी माइन III खदानों सहित कार्यशील मैन राइडिंग सिस्टम की कुल संख्या चार हो गयी है। इसके अलावा, श्यामसुंदरपुर , निमचा (दूसरा सेट), धेमोमैन और बाँसरा खदानों में मैन राइडिंग सिस्टम की स्थापना की प्रक्रियाधीन है।

3.6 भूमिगत उत्पादन में सुधार हेतु उठाए गए कदम :

विभिन्न परिचालन बाधाओं, ऊपरी सीम का परिसमापन, कैविंग के लिए भूमि की उपलब्धता में देरी आदि को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से मध्यवर्ती तकनीक के साथ धीरे-धीरे चरणबद्ध मैनुअल संचालन के अलावा आने वाले वर्षों में अधिक खदानों जैसे; कुमारडीह-बी, खोट्टाडीह, तिलाबनी, सिदौली में शटल कार सहित कन्टीन्यूअस माइनर की स्थापना से "बृहत उत्पादन तकनीक" को आरंभ करके बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक की शुरूआत द्वारा भूमिगत उत्पादन में सुधार लाने की दिशा में कार्रवाई की गई है।

ड्रिलिंग गैंग की सेवानिवृत्ति के कारण कमी एवं फेस तथा सपोर्टिंग पर अधिक कोयले की उपलब्धता के दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक यूडीएम की स्थापना के लिए भी कार्रवाई की गई है।

3.7 वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना निरूपण का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूंजी (₹ करोड़ में)
1	मोहनपुर विस्तार ओसीपी (चरण- II)	2.50	विभागीय: 686.79 आंशिक आउटसोर्सिंग: 459.61
2	सिमलोंग ओसीपी (यूसीई) का ड्राफ्ट पीआर	2.00	विभागीय: 711.91 आउटसोर्सिंग: 342.58
3	बोन्जेमेहरी विस्तार ओसीपी के लिए ड्राफ्ट पीआर	1.00	विभागीय: 676.89 आउटसोर्सिंग: 434.74 आंशिक आउटसोर्सिंग: 518.57
4	सरपी यूजी के विस्तार के लिए ड्राफ्ट पीआर	1.59	विभागीय: 676.89 आउटसोर्सिंग: 434.74 आंशिक आउटसोर्सिंग: 518.57
5	ड्राफ्ट पीआर नबकजोड़ा-माधबपुर खदान	खुली खदान: 0.80 भूमिगत: 1.32	विभागीय: 887.80 आउटसोर्सिंग: 548.22
6	झांझरा यूजीपी की ड्राफ़्ट परियोजना विस्तार रिपोर्ट	सामान्य क्षमता-5.0 एमटीवाई, उच्चतम क्षमता -5.80 एमटीवाई	विभागीय: 1519.27 आउटसोर्सिंग: 1032.73

3.8 वर्ष 2018-19 के दौरान कोल इंडिया बोर्ड की स्वीकृति के लिए ईसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और अनुशंसित परियोजनाओं का विवरण:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी निवेश (₹ करोड़)	अनुमोदन की तारीख
1.	तिलबनी भूमिगत खदान	1.86	916.62	04.07.2018
2.	परसिया - बेलबैद पुनः संगठति भूमगित खदान	2.07	826.42	30.10.2018
3.	मोहनपुर विस्तार ओसीपी (चरण- II)	2.50	459.61	07.12.2018

3.9 वर्ष 2018-19 के दौरान कोल इंडिया द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूंजी निवेश (₹ करोड़)	अनुमोदन की तारीख
1.	सिदौली (खुली एवं भूमिगत) खदान की रीकास्ट परियोजना रिपोर्ट	खुली खदान: 1.20 भूमगित खदान: 1.63	535.18	22.05.2018
2.	चत्रि ओसी की आर.सी.ई.	2.50	513.99	11.08.2018
3.	नकरकोंडा कुमारडीह -बी ओसीपी	3.00	502.68	11.08.2018
4.	तलिबनी भूमगित माइन	1.86	916.62	12.02.2019

3.10 पूँजीगत परियोजनाएँ / योजनाएँ:

i. नई परियोजना (ग्रीनफील्ड) की संख्या : 1 (हुरा- सी ओसी)

ii. परियोजनाओं के विस्तार / संशोधन / बंदी : 11 (झांझरा संयुक्त परियोजना रिपोर्ट, खोट्टाडीह, खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी, खोट्टाडीह – सीएम, मोहनपुर विस्तार, न्यू केंदा ओसी, सोनेपुर बजरी संयुक्त ओसीपी, चित्रा पूर्व ओसीपी, सिदौली मिश्रित, नकरकोंडा – कुमारडीह बी ओसीपी, तिलबनी भूमिगत।

iii. अन्य : 6

iv. कुल : 18

3.11 नयी पहल एवं भविष्य के कार्यक्रम:

भूमिगत खदानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए 2018-19 में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

क. मौजूदा भूमिगत खदानों का तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण: मौजूदा भूमिगत खदानों को तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए पहचाना गया है, वे हैं बजना, श्यामपुर बी, सिदुली, घुसिक, तथा निमचा। मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड को यह काम के साथ सौंपा गया था। उन्होंने ईसीएल और कोयला मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट स्वीकार्य पाई गई है। रिपोर्ट के आधार पर, कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा सिदुली के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है और घूसिक की ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है।

उपरोक्त के अलावा 23 भूमिगत परियोजनाओं में मैसर्स आईएसएम, मैसर्स एससीसीएल तथा मैसर्स पीडब्लूसी के संयुक्त दल ने उत्पादन वृद्धि संबंधी अध्ययन किया है। यह कार्य कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशानुसार किया गया है। रिपोर्ट जनवरी, 2018 में प्रस्तुत की गई। उसी रिपोर्ट को कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वीकार कर लिया है। 23 में से, एक परियोजना रिपोर्ट (तिलबनी भूमिगत) को मंजूरी दे दी गई है, चार अन्य परियोजना रिपोर्टें तैयार करने / अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, छह खदानों के लिए अध्ययन किया जा रहा है।

ख. वृहत उत्पादन तकनीक का आरंभ कंटीन्यूअस माइनर (सीएम): कंटीन्यूअस माइनर की स्थापना हेतु निम्नलिखित खदानों को चिन्हित किया गया है :

क्रम स.	खदान / परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	अनुमानित पूंजी (₹ करोड़ में)	स्थिति
1	खोताडीह सी.एम.	0.60	जोखमि-लाभ - 127.17	अगस्त -19 में आरंभ होने की उम्मीद है
2	कुमारडीह -बी सी.एम.	1.02	उपकरण भाड़े पर लेना - 117.90	अगस्त -19 में एक एलएचसीएम की आरंभ होने की उम्मीद है
3	सिदुली भूमिगत / खुली	खुली: 1.20 भूमगित: 1.63	उपकरण भाड़े पर लेना - 535.18	मई -18 में पीआर अनुमोदित की गयी है
4.	तिलबनी भूमिगत	1.86	उपकरण भाड़े पर लेना - 916.62	फरवरी -19 में पीआर अनुमोदित की गयी है
5	परसिया-बेलबैद भूमिगत	2.07	उपकरण भाड़े पर लेना - 826.42	ईसीएल बोर्ड द्वारा पीआर अनुमोदित कोल इंडिया का अंतिम अनुमोदन के तहत प्रक्रियाधीन
6	सरपी विस्तार भूमिगत: 2 सी.एम.	1.59	जोखमि-लाभ - 680.93 उपकरण भाड़े पर लेना - 339.54	पीआर तैयार
7	नबकोजोर-माधबपुर खुली + भूमिगत	यूजी: 1.32 खुली : 0.80	जोखमि-लाभ - 887.80 उपकरण भाड़े पर लेना - 548.22	पीआर तैयार

ग. विदेशी सहयोग / प्रौद्योगिकी समामेलन-अनुकूलन और नवाचार :

i. झांझरा भूमिगत खदान में 2 कम ऊँचाई के कन्टीन्यूअस माइनर (एलएचसीएम) की स्थापना: वर्ष 2018-19 के दौरान मैसर्स गेनवेल कोमोसेल्स द्वारा मैसर्स कैटरपिलर (यूएसए) के सहयोग से एलएचसीएम के 2 सेट चालू किए गए हैं।

ii. कुमारडीह-बी भूमिगत खदान में एक कम ऊँचाई वाले कन्टीन्यूअस माइनर की स्थापना: भाड़ा आधार पर एलएचसीएम आपूर्ति के लिए जॉय ग्लोबल यूके के सहयोग के साथ मैसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. को एलओए जारी किया गया है। इसकी 2019-20 में स्थापना की उम्मीद है। अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं और इसके 2019-20 में चालू होने की उम्मीद है।

iii. खोट्टाडीह यूजी खदान में 1 कंटीन्यूअस माइनर की स्थापना: एजेंसी मैसर्स CMATL-SXTD-CMML (चीन) कंसोर्टियम के साथ अनुबंध समझौते पर

हस्ताक्षर हो गए हैं। किया गया है। इसके 2019-20 में ही चालू होने की उम्मीद है।

iv. झांझरा आर -VI सीम में पावर्ड सपोर्ट लाँगवाल पैनल सफलता पूर्वक परिचालन जिससे वर्ष 2018-19 में 1.45 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ।

v. मैसर्स क्यूपरम बैग्रोडिया लिमिटेड के साथ मैसर्स कैटरपिलर (यूएसए) के सहयोग से हाईवाल माइनिंग प्रौद्योगिकी आरंभ करने के लिए अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3.12 31 मार्च 2019 तक एमओयू लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति

क्र. सं.	प्रदर्शन मापदंड	मापन इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	प्राप्ति
1	कोयला उत्पादन	मलियिन टन	46.76	50.16
2	सीएपीईएक्स(₹ करोड़ में)	₹ करोड़ में	1090.00	829.96
3.	वर्ष के दौरान पूर्ण हो रहे सीएपीईएक्स अनुबंधों के कुल मूल्य से अधिक समय/ लागत के बिना वर्ष के दौरान पूर्ण हो रहे सीएपीईएक्स अनुबंधों / परियोजनाओं का प्रतिशत मान (%)	%	100	86.82

3.13 वर्ष 2018-19 के दौरान अन्य प्रमुख गतिविधियाँ:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्रियाएँ / मील के पत्थर	वर्ष के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
1	सोनेपुर-बाजारी विस्तार ओसीपी.	90 हैक्टे. जमीन का कब्जा	मार्च -2019	अब तक 48.6919 हैक्टे. पर कब्जा
		रेलवे साइडिंग	मार्च -2019	गठन और जोड़ने का समस्त काम पूरा हो गया। ओएचई कार्य प्रगति पर है। ऊंची कीमत की बोली के कारण एसएंडटी के लिए काम में देरी हुई। 01.02.2019 को आउटडोर एसएंडटी कार्य के लिए एलओए जारी किया गया। यह काम शुरू हो गया है। इंडोर एसएंडटी कार्य की तकनीकी बोली 17.01.2019 को खोली गई। 05.03.2019 इनडोर काम के लिए कार्य आदेश को जारी।
2	झांझरा संयुक्त यूजीपी	किरायेदारी भूमि का कब्जा	40 हैक्टे.	लक्ष्य प्राप्त, 2018-19 के दौरान 53.59 हैक्टे. पर कब्जा।
		कर्मशाला के निर्माण के लिए निविदा को अंतिम रूप देना	मार्च -19	पूरा कर लिया गया है। 28.02.2019 को वर्क ऑर्डर जारी किया गया है।
3	कुमारडीह -बी सीएम भूमिगत खदान	प्रथम एन्कलाइन का निर्माण	मार्च -19	950 मीटर में से 910 मीटर पूरा किया गया।
4	हुरा- सी ओ सी	किरायेदारी भूमि का कब्ज़ा	60 हैक्टे.	29.948 हैक्टे पर कब्जा।
		निविदा को अंतिम रूप देना (एचओई)	मार्च -19	किरायेदारी भूमि के कब्जे में देरी के कारण, वन भूमि पर ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नया प्रस्ताव। 25.02.2019 को निविदा जारी की गई । न्यूनतम बोलीदाता के दस्तावेज सत्यापन के अधीन है।
5	खोड़ाडीह सी.एम.	रिस्क एंड गेन आधार पर सीएम पैकेज के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर	सितम्बर 18	लक्ष्य प्राप्त, 26.04.2017 एलओए को जारी। मैसर्स CMATL- SXTD-CMML कंसोर्टियम एजेंसी के साथ 14.09.2018 को अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
		बिलपहाड़ी ओसीपी (62 लाख घन मी) भरना	मार्च -19	कुल 62 लाख में से अब तक 61.87 लाख घन मी. की भरायी हो चुकी है।

3.14 परियोजना की निगरानी और कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध- III में दी गई है।

4.0 प्रबंधन की परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को निदेशकगण रिपोर्ट के एक अलग भाग **(अनुबंध -IV)** में प्रस्तुत किया गया है।

5.0 कोयला विपणन:

5.1 मांग की तुलना में निकासी (ऑफ-टेक):

2018-19 में 51.00 मिलियन टन की मांग के मुकाबले में कोयले का वास्तविक ऑफ-टेक 50.41 मिलियन टन था, यानी 99% मांद की संतुष्टि। 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान क्षेत्रवार मांग और ऑफ-टेक इस प्रकार है:

(मिलियन टन में आंकड़े)

क्षेत्र/ सेक्टर	ऑफ-टेक 2018-19			ऑफ-टेक 2017-18		
	मांग	वास्तविक	% संतुष्टि	मांग	वास्तविक	% संतुष्टि
विद्युत शक्ति	43.505	46.886	108	40.756	39.892	98
सीमेंट	0.082	0.046	56	0.098	0.069	70
सीपीपी (ओआरएस)	0.700	0.286	41	0.190	0.066	35
सीपीपी (स्टील)	0.490	0.302	62	0.490	0.121	25
स्टील (ब्लेंड)	-	0.003	-	-	0.002	-
स्पंज आयरन	1.028	0.381	37	0.143	0.146	102
निर्यात	-	-	-	-	-	-
लोको	-	-	-	-	0.002	-
रक्षा	-	-	-	-	-	-
कोलियरी खपत	0.200	0.184	92	0.200	0.195	98
अन्य	4.995	2.319	46	5.123	3.137	61
कुल	**51.000**	**50.407**	**99**	47.000	**43.629**	**93**

5.2 प्रति दिन वैगनों की औसत लोडिंग:

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए वैगनों का क्षेत्र-वार औसत लदान निम्नानुसार है:

(आंकड़े बॉक्स / दिन)

क्षेत्र	वैगनों का लोडिंग			
	2018-19		2017-18	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	1032	1030	963	934
मुग्मा / सालनपुर	262	289	227	239
आद्रा	11	14	15	15
पिरपैंती	-	-	-	-
राजमहल (वार्फ वाल)	193	139	189	148
कुल	**1498**	**1472**	**1394**	**1336**

5.3 साधन / मोड-वार प्रेषण:

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में कोयले का साधन मोड-वार प्रेषण इस प्रकार है:

(मिलियन टन में आंकड़े)

प्रेषण की विधि	**2018-19**	**2017-18**
रेल	34.171	30.430
सड़क	2.409	1.814
हिंडोला (एमजीआर)	13.644	11.191
कुल	**50.224**	**43.435**

5.4 31 मार्च 2019 को बिक्री योग्य/ वेंडेबल कोयले का भंडार निम्नानुसार है:

(लाख टन में आंकड़े)

क्षेत्र	**31.03.2019** को
रानीगंज	7.169
मुग्मा / सालनपुर	1.646
एसपी खदान	3.352
राजमहल	10.381
कुल	**22.548**

5.5 हाजिर (स्पॉट) 'ई' नीलामी अग्रसारण ई-नीलामी:

विधि	**2018-19**			**2017-18**		
	प्रेषित मात्रा (लाख टन में)	**अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)**	**प्राप्ति प्रतिशत (%)**	**प्रेषित मात्रा (लाख टन में)**	**अधिसूचित मूल्य पर प्राप्ति (₹ करोड़ में)**	**प्राप्ति प्रतिशत (%)**
हाजिर (स्पॉट) 'ई' नीलामी						
रेल	6.634	94.590	44.526	15.253	136.080	27.366
सड़क	18.170	504.100	85.224	15.332	238.720	48.581
कुल	**24.804**	**598.690**	**74.469**	**30.585**	**374.800**	**37.910**
अग्रसारण ई-नीलामी						
सड़क	10.584	314.410	96.244	-	-	-
कुल	**10.584**	**314.410**	**96.244**	**-**	**-**	**-**
सकल योग	**35.388**	**913.100**	**80.761**	**30.585**	**374.800**	**37.910**

5.6 बिक्री वसूली:

(₹ करोड़ में)

विवरण	**2018-19**	**2017-18**
बिक्री की वसूली	18527.72	16433.58

6.0 उपकरणों की गणना (एचईएमएम):

6.1 31 मार्च, 2018 की तुलना में 31 मार्च, 2019 तक उपकरणों की संख्या:

उपकरण	उपकरणों की संख्या	
	31.03.2019	31.03.2018
ड्रैगलाइन	1	1
डम्पर	262	252
डोजर	84	82
शॉवेल	57	54
ड्रिल	52	48

6.2 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान सीएमपीडीआईएल मानकों के तहत प्रत्येक प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग निम्नानुसार है:

उपकरण	प्रतिशत की उपलब्धता				प्रतिशत उपयोग			
	सीएमपीडीआईएल मानक	2018-19	2017-18	गत वर्ष की तुलना में परिवर्तन	सीएमपीडीआईएल मानक	2018-19	2017-18	सीएमपीडीआईएल मानक
ड्रैगलाइन	85	89.32	74.08	15.24	73	82.21	57.45	24.76
डम्पर	67	80.26	83.56	-3.30	50	33.09	31.83	1.26
डोजर	70	75.20	74.47	0.73	45	21.62	23.53	-1.91
शॉवेल	80	80.30	79.16	1.14	58	46.48	47.00	-0.52
ड्रिल	78	85.08	84.87	0.21	40	20.36	20.52	-0.16

6.3 उपकरणों की उपयोगिता मुख्य रूप से निम्नलिखित बाधाओं से प्रभावित हुई:

परियोजना	बाधाएं
राजमहल	1. केंद्रित कामकाजी जगह, उपकरणों की अधिकता और भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण।
	2. 170T डंपरों की खराब गुणवत्ता: 4 अप्रैल, 2019 को 170T डंपरों में से 7 काम लायक नहीं।
	3. कोल इंडिया लि. द्वारा 190T डंपरों और 20 घनमीटर शॉवेल की खरीद में देरी।
सोनेपुर बाजारी	1. भारत में ओईएम के स्टोर के फ्लोट सब-असेंबली की अनुपलब्धता के कारण नए 10 घनमीटर शॉवेल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
	2. प्रतिबंधित डंपिंग क्षेत्र।
शंकरपुर	भूमिगत खनन करना, अग्नि प्रभावित फेस और कठिन खनन परिस्थितियां।
खोड़ाडीह	1. ग्रामीणों द्वारा प्रतिरोध के कारण भूमि अधिग्रहण की समस्या।
	2. खदान के सीमित क्षेत्र में एचईएमएम का परिचालन - भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण कम कार्यक्षेत्र।
मोहनपुर	भूमि अधिग्रहण की समस्या और श्रमशक्ति की समस्या परिचालन के साथ-साथ रखरखाव विभागों पर भी निर्भर है।
जामबाद	स्थानीय निवासियों के गैर-स्थानांतरण के कारण भूमि अधिग्रहण की समस्या।
राजपुरा	गांवों के पास स्थित होने के कारण प्रतिबंधित ब्लास्टिंग।
बरामुरी	सीमित कार्य स्थान, केवल एक डम्पर चलाने लायक संकरी हॉल रोड

6.4 2018-19 में ओसीपी को प्रदान किए गए नए / प्रतिस्थापन उपकरण निम्नानुसार हैं:

उपकरण	संख्या	परियोजना
डम्पर	14	राजमहल -6, नॉर्थ सियरसॉल -1, चित्रा -6 और शंकरपुर -1
डोजर	6	नॉर्थ सियरसॉल -1, चित्रा -2, बारामुरी -1, बेगुनिया -1 और बोनजेमेहरी -1
शॉवेल	3	सोनेपुर बाजारी -1, उत्तर सियरसॉल -1 और चित्रा -1
ड्रिल	4	मोहनपुर -1, चित्रा -1, शंकरपुर -1 और डाबोर -1

7.0 ऊर्जा संरक्षण:

7.1.1 बिजली और ईंधन की खपत:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2017-18
I	बिजली की आपूर्ति			
	क. खरीदी गई यूनिट	एम. किलोवाट-घंटा	846.30	868.97
	ख. आपूर्ति कर्ता एजेंसियों को दी गई कुल राशि (लगभग)	₹ करोड़ में	611.07	647.22
	ग. प्रति यूनिट दर (औसत)	₹ / किलोवाट-घंटा	7.22	7.45
	घ. बिजली की विशिष्ट खपत (लगभग)	किलोवाट-घंटा / सीयूएम	5.29	5.85
II	कंपनी द्वारा स्वयं उत्पादन (डीजी सेट के माध्यम से)			
	क. उत्पादित यूनिट	लाख किलोवाट-घंटा	6.98	6.79
	ख. प्रति लीटर डीजल तेल से उत्पादित यूनिट	किलोवाट-घंटा / लीटर	7.63	7.16
	ग. उत्पादन की लागत	₹ / किलोवाट-घंटा	6.73	7.94
III	बिजली की मांग			
	क. बिजली की औसत मांग	एमवीए	172.34	165.96
	ख. अनुबंध की मांग	एमवीए	183.22	189.40
	ग. % उपयोग	%	94.06	87.63

7.1.2 चिनकुरी पावर प्लांट से बिजली उत्पादन की प्रगति:

निविदा के माध्यम से, बिजली की उत्पादन के लिए 2 ओएचटीएल के निर्माण के साथ 3 x 10 मेगावाट के चिनकुरी थर्मल पावर प्लांट की मरम्मत / नवीनीकरण का काम मैसर्स इम्पीरियम एनर्जी यूटिलिटी सर्विसेज एलएलपी को प्रदान किया गया है। मरम्मत / नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है और अंतिम निरीक्षण चल रहा है। तत्पश्चात व्यावसायिक उत्पादन से पहले परीक्षण शुरू होगा। ईसीएल ऊर्जा उत्पादन के लिए ₹ 7.80 करोड़ (एमजीई के लिए 1452 लाख किलोवाट-घंटा @ 53p / किलोवाट-घंटा) की बचत करेगा और₹ 4.54 करोड़ का वार्षिक लीज रेंट अर्जित करेगा।

7.2 ऊर्जा संरक्षण और लेखा परीक्षा:

2018-19 में, ईसीएल ने अधिकांश भूमिगत खानों में विद्युत कारकों में सुधार के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा, औद्योगिक भार से घरेलू भार को अलग करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

7.3 भूमिगत मशीनरी प्रदर्शन:

उत्पादकता के साथ भूमिगत मशीनरी का विवरण नीचे दिया गया है:

उपकरण	2018-19		2017-18	टिप्पणियां
	रोल पर	उत्पादकता (टीपीडी)	उत्पादकता (टीपीडी)	
एसडीएल	254	56	60	पिछले वर्ष की तुलना में भूमिगत यंत्रीकृत उत्पादन में 6% वृद्धि है। 18-19 के दौरान कम ऊँचाई वाले 2 कंटीन्यूअस माइनर चालू किए गए हैं।
एलएचडी	40	88	101	
कंटीन्यूअस माइनर	5	1354	1610	
रोड हैडर	2	458	461	
लॉगवॉल	1	4430	6026	

7.4 सीएचपी का प्रदर्शन:

31 मार्च 2019 तक, प्रमुख सीएचपी ने 16.4 मीट्रिक टन और छोटे सीएचपी ने 2.6 मीट्रिक टन कोयला हैंडल किया गया।

7.5 प्रमुख उपलब्धियों के दौरान2018-19:

क) वित्त वर्ष 2018-19 में ईसीएल की कुल बिजली खपत पिछले वर्ष की 8689.70 लाख किलोवाट-घंटा से घटकर 8463.04 लाख किलोवाट-घंटा रह गई है अर्थात 2.61% की कमी हुई है।

ख) वित्त वर्ष 2018-19 में ईसीएल की कुल विद्युत लागत पिछले वर्ष 2017-18 की लागत ₹ 647.22 करोड़ से घटकर ₹ 611.07 करोड़ रह गई है अर्थात इसमें 5.58% की कमी हुई है।

ग) वित्त वर्ष 2018-19 में पावर फैक्टर के प्रति दंड/ पेनाल्टी पिछले वर्ष 2017-18 के ₹ 87.91 करोड़ से घटकर ₹ 51.85 करोड़ रह गई है अर्थात इसमें 41% की कमी हुई है। अन्य बिंदुओं के लिए, पावर फैक्टर दंड/ पेनाल्टी का भुगतान, संधारित्र (कैपेसिटर) बैंक की खरीद (मुग्मा क्षेत्र के लिए 1 नग 255 केवीएआर, राजमहल क्षेत्र के लिए 2 नग 600 केवीएआर, विभिन्न क्षेत्रों और ईसीएल मुख्यालय के लिए 8 नग 450 केवीएआर और 9 नग 300 केवीएआर, झांझरा क्षेत्र के लिए 2 नग 3x275 केवीएआर) की प्रक्रिया चल रही है।

घ) वित्त वर्ष 2018-19 में कुल उत्खनन के लिए विशिष्ट खपत पिछले वर्ष 2017-18 की खपत 5.85 kWh/Cum से घटकर 5.29 kWh/Cum रह गई है अर्थात इसमें 9.62 % की कमी हुई है।

ङ) ईसीएल ने सोदेपुर क्षेत्र की कुछ इकाइयों को अपनी घरेलू आपूर्ति को हटाने की दिशा में कदम उठाया है और साथ ही उन भारों को प.बं.रा.वि. कंपनी से जोड़ा है। ईसीएल कंपनी के रोल में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही बिल राशि का भुगतान कर रहा है और इस प्रकार अनधिकृत कनेक्शन से बचकर काफी ऊर्जा और विद्युत लागत की बचत कर रहा है। मार्च 2019 में पारबेलिया और रानीपुर कोलियरी की कुल खपत (औद्योगिक + घरेलू) 5,12,773 किलोवाट-घंटा है, जबकि मार्च 2018 में यही खपत 11,63,228 किलोवाट-घंटा थी। इस प्रकार, घरेलू भार को अलग करने के बाद खपत 56% कम हो गई है। बिजली की लागत भी मार्च 2019 में घटकर ₹ 40, 67,250 हो गई, जबकि मार्च 18 में ₹ 1,00,33,744 थी, यानी बिजली की लागत में 59.46% की कमी हुई है।

च) कंपनी पुराने और अप्रचलित स्टीम विंडरों को इलेक्ट्रिक विंडरों द्वारा बदलने की प्रक्रिया में है। खास कजोरा के पिट नंबर 10 में एक स्टीम विंडर को इलेक्ट्रिक विंडर में परिवर्तित किया गया है।

8.0 कल्याण सुविधाएं:

क्र. सं.	मद	31.03.2018 को संचयी स्थिति	2018-19 के दौरान उपलब्धि	31.03.2019 को संचयी स्थिति
1	शिक्षण सुविधाएं			
	क. डीएवी स्कूल	6	0	6
	ख. i) आवर्ती अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	162	0	162

क्र. सं.	मद	31.03.2018 को संचयी स्थिति	2018-19 के दौरान उपलब्धि	31.03.2019 को संचयी स्थिति
	ii) आवर्ती अनुदान सहायता की राशि - (₹ लाख में)	5548.13	330.00	5878.13
	ग. i) गैर-आवर्ती अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या	387	1	388
	ii) गैर-आवर्ती-अनुदान सहायता की राशि (₹ लाख में)	307.04	5.00	312.04
	घ. i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत स्कूलों की संख्या	79	0	79
	ii) स्वीकृत तदर्थ अनुदान राशि (₹ लाख में)	69.60	0	69.60
	ङ. स्कूल बसों की संख्या	156	0	156
	च. i) सीआईएल छात्रवृत्ति छात्रवृत्तियों और नकद अवार्ड की संख्या	18287	681	18968
	ii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	253.63	15.34	268.97
	छ. चयनित इंजीनियरिंग और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन कर रहे वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के ट्यूशन फीस और हॉस्टल शुल्क के लिए वित्तीय सहायता हेतु सीआईएल योजना।			
	Ii) स्वीकृत वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों की संख्या	615	96	711
	Iii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	151.48	43.17	194.65
2	खेल और खेल राशि पर खर्च (₹ लाख में)	529.16	66.27	595.43
3	सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर राशि (₹ लाख में)	83.77	3.37	87.14
4	जलपान गृह	82	0	82
5	बैंकिंग सुविधाएं - कार्यरत शाखाओं की संख्या	27	0	27
6	सहकारी समिति			
	क) सहकारी साख समितियां	74	0	74
	ख) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी स्टोर	30	0	30
	ग) केंद्रीय सहकारी समिति	4	0	4
	घ) सहकारी समितियों को ऋण और निवेश (₹ लाख में)	63.80	0	63.80

9.1 चिकित्सा सुविधाएं:

2 केंद्रीय अस्पताल, 7 क्षेत्रीय अस्पताल जिनमें 822 की कुल बेड क्षमता है तथा 112 डिस्पेंसरियों में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं। इन अस्पतालों में 110 एम्बुलेंस वाहन सेवा में हैं।

9.2 उपचार के लिए बाहर भेजे गए व्यक्तियों की संख्या और उनके इलाज पर हुआ खर्च तथा मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा कवर किए गए ग्रामीण:

विवरण	2018-19	2017-18
बाहर भेजे गए रोगियों की संख्या:	2828	2474
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम :		
- शिविरों की संख्या	397	175
- लाभार्थियों की संख्या	17546	19320
मोबाइल डिस्पेंसरी द्वारा कवर किए गए ग्रामीण:		
- शिविरों की संख्या	1519	48
- लाभार्थियों की संख्या	62756	4000
कंपनी कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पी.एम.ई.)	9550	11888
संविदा कर्मियों की आवधिक चिकित्सा परीक्षा (पी.एम.ई.)	922	978
कंपनी कर्मचारियों की आई.एम.ई.)	657	769
संविदा कर्मियों की आई.एम.ई.)	1254	2280

कंपनी ने पिछले वित्त ₹ 34.70 करोड़ की तुलना में इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के अस्पताल के बाहर मेडिकल रेफरल के लिए ₹ 56.92 करोड़ की राशि खर्च की।

10.0 कॉर्पोरेट सामाजिक योग्यता:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (2) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के एक अलग भाग (अनुलग्नक-V) में प्रस्तुत की गई है।

10.0 सामाजिक गतिविधियाँ:

स्थापना के बाद से, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने श्रमिकों के कल्याण के साथ-साथ खदानों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों / समुदायों के विकास के लिए भी विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त, बुनियादी ढाँचे के विकास, औद्योगिक संरचना, सड़कों और रेलवे साइडिंग, आवासीय भवन, जल आपूर्ति और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों आदि के लिए भी सी गतिविधियों की गयी हैं। संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है: -

10.1 भवन (बिल्डिंग):

झांझरा क्षेत्र में स्कूल भवन का निर्माण तथा सोनेपुर बाजारी परियोजना में 20 बी प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण वर्ष के दौरान भवन निर्माण से संबंधित पूर्ण किए गए प्रमुख कार्य हैं। क्वार्टरों की मरम्मत और उन्नयन के माध्यम से कॉलोनियों के निवासियों की रहन-सहन स्थिति में सुधार का काम किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान, ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 8938 आवासीय क्वार्टरों की मरम्मत और उन्नयन का काम पूरा हो चुका है।

10.2 पानी की आपूर्ति:

ईसीएल ने हमेशा हमारे आवासीय घरों के रहने वालों के साथ-साथ आसपास के समुदायों के लोगों के लिए पीने योग्य पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2018-19 में, केंडा (2), सोदेपुर (1) और मुगमा (1) सहित कुल 04 नग प्रेशर फिल्टर और इलेक्ट्रो क्लोरीनेटर्स के सेट लगाए गए।

खदान से निकले अधिशेष पानी के बेहतर उपयोग के लिए, 5000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाले 07 आरओ फिल्टर प्लांट कुनुस्टोरिया, सतग्राम, पांडवार, झांझरा, केंडा, सोदेपुर और कजोरा में लगाए गए हैं। उपचारित पानी आसपास की ईसीएल कॉलोनियों के निवासियों और आसपास के ग्रामीणों की पेयजल मांगों को भी पूरा करता है।

11.1 बुनियादी ढांचा विकास:

कोयले का प्रेषण ईसीएल की प्रमुख गतिविधियों में से एक है और यह प्रभावी ढंग से तथा कुशलता पूर्वक किया जा रहा है। मुख्य रूप से सड़कों और रेलवे के माध्यम से कोयला भेजा जा रहा है। ईसीएल ने इस संबंध में उचित कदम उठाए हैं। कुछ कार्यों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है: -

क. सड़कें - वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गए कुछ प्रमुख कोयला परिवहन सड़क कार्य निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
1	मुकुंदपुर रेलवे गेट से पारस कोल पूर्वी बंकर, कजोरा क्षेत्र तक पीसीसी सड़क का निर्माण (लंबाई - 800 मीटर)	87.68
2	खास कजोरा पिट सं. 6 से कजोरा क्षेत्र के तहत मधुसूदन पुर रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन सड़क का निर्माण (लंबाई - 3000 मीटर)	199.97
3	माधबपुर डिस्पेंसरी से डीबी रोड जंक्शन (जामबाद के रास्ते) कजोरा एरिया, ईसीएल तक सड़क का सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण । (लंबाई - 2350 मीटर)	168.34
4	बेलबैद कोलियरी से बेलबैद रेलवे साइडिंग होते हुए परसिया खान समूह, कुनुस्टोरिया क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा कोयला परिवहन सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण। (550 मीटर +3650 मीटर)	157.85
5	केंडा क्षेत्र ईसीएल के अंतर्गत बहुला कोलियरी की बहुला साइडिंग के पीछे कोलतार/डामर सड़क का निर्माण। (लंबाई 1200 मीटर)	300.01

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
6	हरिआजम कोलियरी, मुगमा क्षेत्र के अंतर्गत 27 नंबर 5/6 एन्कलाइन से 25 नंबर एन्कलाइन तक कोयला परिवहन सड़क का नवीनीकरण।	285.96
7	पांडववार क्षेत्र के अंतर्गत दालुरबांध ओसी पैच के लिए कोयला परिवहन सड़क का निर्माण।	63.99
8	पांडववार क्षेत्र की खोट्टाडीह कोलियरी के अंतर्गत खोट्टाडीह भूमिगत सीएचपी से बिलपहाड़िया मोड़ तक सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण।	70.76
9	सतग्राम क्षेत्र की निमचा कोलियरी के अंतर्गत एसआरजी न्यू पैच अमकोला के जंक्शन प्वाइंट से 25 नंबर बंकर तक कोयला एवं रेत/बालू परिवहन सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	81.45
10	सोनेपुर बाजारी परियोजना, ईसीएल के तहत कोल डिपो से सीएचपी के पास तक मौजूदा कोयला परिवहन सड़क का निर्माण।	164.50
11	सोनेपुर बाजारी परियोजना के तहत काली मंदिर जंक्शन से बाजारी गाँव (1.6 किमी) तक हॉल रोड का निर्माण	361.86
12	सोनेपुर बाज़ारी परियोजना के तहत नबाग्राम गांव को जोड़ने के लिए 6 पुलिया सहित 2460 मीटर परिधीय सड़क का निर्माण योजना	281.81
13	झांझरा क्षेत्र के अंतर्गत एनएचएस-1 मोड़ से एमआईसी तक कोयला परिवहन सड़क के उत्तरी दिशा के बराबर में हल्के वाहनों के लिए सड़क का निर्माण।	164.79

ख. रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: वर्ष 2018-19 के दौरान पूरे किए गए कुछ प्रमुख रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य इस प्रकार हैं: -

क्र. सं.	काम का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	बांकोला क्षेत्र के अंतर्गत बांकोला कोलियरी की 1 नंबर रेलवे साइडिंग पर घाट दीवार (Wharf wall) का निर्माण।	111.25
2.	पीओसीपी रेलवे साइडिंग, झांझरा क्षेत्र ईसीएल की आरसीसी घाट दीवार का नवीनीकरण।	117.64
3	बांकोला कोलियरी की आरसीसी बाउंड्री वॉल और डायवर्जन रोड का निर्माण के निर्माण सहित 1 नंबर रेलवे साइडिंग का विस्तार।	100.50
4	कुनुस्टोरिया क्षेत्र ईसीएल के अंतर्गत बांसड़ा रेलवे साइडिंग पर आरसीसी घाट दीवार (खंबों का आधार) का निर्माण (750 मीटर)	145.40

ग. खदान संबंधित बुनियादी ढांचा कार्य: वर्ष 2018-19 के दौरान पूर्ण किए गए खदानों से संबंधित कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य निम्नानुसार हैं: -

क्र. सं.	काम का नाम	कार्य आदेश मूल्य (₹ लाख में)
1.	खोट्टाडीह ओसीपी, पांडववार क्षेत्र के अंतर्गत बाउरी पाड़ा रिहाब के चारों ओर आरसीसी नाली का निर्माण।	129.79
2.	खोट्टाडीह कोलियरी, पांडववार क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य एन्कलाइन की आरसीसी रूफ सपोर्ट का निर्माण।	177.06
3	पांडववार कोलियरी के जे-12 डि-पिलरिंग पैनल में हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग के लिए पानी के भंडारण टैंक (क्षमता 1,00,000) के साथ 250 घन मीटर सैंड स्टोविंग बंकर का निर्माण।	51.45
4	केंडा एरिया के तहत न्यू केंडा में सिंगारन जोड़ के लिए मौजूदा पुलियों पर ह्यूम पाइप सहित कमजोर बिंदुओं पर मिट्टी के तटबंध और प्रीकास्ट पिचिंग का निर्माण।	45.20

12.0 सुरक्षा:

ईसीएल में, सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसे मुख्य उत्पादन प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाता है। ईसीएल का लक्ष्य शून्य हानि नीति को प्राप्त करना है। सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए, ईसीएल ने वर्ष 2018-19 के दौरान कई उपायों का सख्ती से पालन किया है।

12.1 2018-19 में दुर्घटना के आँकड़े:

साल	2018-19*	2017-18*
i) घातक दुर्घटनाएँ (संख्या)	05	09
ii) विपत्तियाँ (संख्या)	05	09
iii) गंभीर चोटें (संख्या)	21	24
iv) घातकता / मिलियन टन उत्पादन	0.099	0.207
v) घातकता / 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.107	0.187
vi) गंभीर चोट / मिलियन टन आउटपुट	0.418	0.550
vii) गंभीर / 3 लाख मैन-शिफ्ट	0.450	0.498

(* डीजीएमएस के साथ मिलान के अधीन)

12.2 सुरक्षा जागरूकता गतिविधियाँ:

क) खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सड़क मार्च का आयोजन किया गया है। सभी विशिष्ट स्थानों पर सुरक्षा के आग्रह और वृद्धि से संबंधित बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए हैं।

ख) ईसीएल के सभी क्षेत्रों में कई सुरक्षा संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें कोल इंडिया के सिमटार्स (SIMTARS) प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा भाग लिए जाने वाली कार्यशाला भी शामिल है। भारतीय खनन और इंजीनियरिंग जर्नल के सहयोग से एकेएस विश्वविद्यालय, सतना द्वारा 16 फरवरी, 2019 को खनन प्रौद्योगिकी और सुरक्षा विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

ग) दिसंबर 2018 में कंपनी की सभी खदानों में सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें हर खदान की सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन भी किया गया था।

घ) इंटर-एरिया सेफ्टी ऑडिट सभी खानों में किया गया है जिसमें एक क्षेत्र की टीम ने दूसरे क्षेत्र की खदानों की जाँच की और सुरक्षा स्थिति पर सुझाव दिए।

ङ) वर्ष के दौरान विभिन्न खदानों में मॉक रेस्क्यू और रिकवरी रिहर्सल आयोजित किए गए हैं।

च) सभी खानों में सुरक्षा समिति की बैठकें हर महीने नियमित रूप से होती हैं। सुरक्षा समितियों द्वारा अग्रेषित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र स्तरीय द्वि-पक्षीय बैठकें आयोजित की गई हैं। डीजीएमएस अधिकारियों की मौजूदगी में 13 क्षेत्रों में क्षेत्र स्तरीय त्रि-पक्षीय बैठकें आयोजित की गई हैं। कॉर्पोरेट स्तर की द्विपक्षीय सुरक्षा बोर्ड की बैठक जून और नवंबर 2018 महीने में आयोजित की गई। कंपनी की सुरक्षा पर सर्वोच्च स्तर की बैठक, 58वीं कॉर्पोरेट स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा बोर्ड की बैठक 18 सितंबर, 2018 को आयोजित की गई।

छ) वार्षिक सुरक्षा सप्ताह 2018 का समापन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कुशल श्रमिकों को त्रिस्तरीय ट्रेड परीक्षण के माध्यम से चुना गया और उन्हें समारोह में पुरस्कृत किया गया।

ज) कार्यस्तल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आईएलओ दिवस पहली बार 28 अप्रैल, 2018 को सभी क्षेत्रों और मुख्यालय में मनाया गया।

12.3 विशेष उपलब्धियां:

क) चार नग गैस क्रोमैटोग्राफर खरीदे गए हैं जो सभी 10 भूमिगत क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

ख) सात नग ग्राउंड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग उपकरण खरीदे गए हैं।

ग) 18 नग लोकल मीथेन डिटेक्टरों की खरीद की गई है।

घ) लीड-एसिड प्रकार के कैप लैंप के पुर्जों के लिए दर अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया है।

ङ) जेम (Gem) पोर्टल के माध्यम से 10650 एलईडी कैप लैंप सेट खरीदे जा रहे हैं तथा जोखिम खरीद प्रक्रिया के तहत 15000 नग प्रक्रियाधीन हैं।

च) रूपांतरण के बाद ट्रायल पर चल रहे खास-कजोरा कोलियरी का विंडिंग इंजन सफलतापूर्वक चालू हो गया है। अंतिम अनुमोदन के लिए डीजीएमएस को स्थिरता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

छ) ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की 9 प्रतियां तथा कलर प्लॉटर के 7 नग खरीदे गए हैं जिन्हें सटीक डिजिटल खदान योजना तैयार करने के लिए वितरित किया गया है।

ज) दो खदानों में मैन-राइडिंग सिस्टम लगाया गया है। अब मैन राइडिंग सिस्टम वाली खदानों की कुल संख्या05 हो गई है।

झ) ओबी डंप स्थिरता की निगरानी के लिए एक अनुसंधान परियोजना के माध्यम से सिंथेटिक अपर्चर रडार (एसएआर) स्थापित किया गया है।

ञ) वर्ष 2018-19 के दौरान खदानों की सुरक्षा स्थिति का अवलोकन और चर्चा करने के लिए आईएसओ अधिकारियों द्वारा ईसीएल की विभिन्न खदानों में 515 निरीक्षण किए गए हैं।

ट) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के स्तर के सुरक्षा बोर्ड के सदस्य और ऑपरेटिंग ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ ही आईएसओ अधिकारियों ने एक बार सभी खदानों का निरीक्षण किया है।

12.4 मानसून की निगरानी:

वर्ष 2017-18 के दौरान मानसून की तैयारी के लिए कोलियरी प्रबंधन सहित नोडल अधिकारी/ सुरक्षा विभाग के क्षेत्रीय प्रभारी द्वारा फरवरी माह में विशेष अभियान चलाया गया और इसके कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी नियमित अंतराल पर की गई। ईसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.06.2017 से 15.10.2017 तक 24x7 के आधार पर एक नियंत्रण कक्ष खोला गया था,जिसमें सक्षम अधिकारियों को तैनात किया गया था और उन्हें टेलीफोन एवं वाहन भी उपलब्ध कराये गए थे, ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रों में संचालित नियंत्रण कक्ष से अविलंब संपर्क कर सकें। कंपनी के अधिकारी 'बाढ़-चेतावनी संदेश'प्राप्त करने हेतु डीवीसी, मैथन के मुख्य अभियंता (हाईड्रल) के साथ सीधे संपर्क में रहते थे, ताकि नदी का एचएफएल बढ़ने के कारण जब कभी पंचेत एवं मैथन बांध से पानी छोड़ा जाये तो उसकी सूचना समय पर प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त,वे मौसम का पूर्वानुमान-रिपोर्ट टेलीफोन एवं फैक्स के माध्यम से प्राप्त करने के लिए निदेशक मौसम विभाग, अलीपुर, कोलकाता तथा निदेशक, क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर,कोलकाता के साथ सीधे संपर्क में रहते थे, ताकि भारी वर्षा/गर्जन/ मूसलाधार बारिश आदि की चेतावनी क्षेत्रों को समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

12.5 वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदान किए गए सुरक्षा-प्रशिक्षण

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार/शीर्षक	कार्यक्रमों की सं.	प्रतिभागियों की कुल सं.	संस्थान
1	फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों के लिए दो सप्ताह का संरचित प्रशिक्षण	2	45	एमटीए, धाडका
2	माइनिंग सरदारशिप परीक्षा के लिए कोचिंग	2	41	
3	माइनिंग सरदार के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण	2	41	
4	द्वितीय श्रेणी परीक्षा के लिए कोचिंग	1	12	
5	प्रथम श्रेणी परीक्षा के लिए कोचिंग	1	16	
6	सर्वेयरशिप के लिए कोचिंग	1	05	
7	विद्युत पर्यवेक्षकों के लिए कोचिंग	2	19	
8	खनन/वि. एवं यां./उत्खनन अधिकारियों के लिए सुरक्षा अभियांत्रिकी	1	12	एम.टी.आई., रतिबाती
9	वर्कमैन निरीक्षकों के लिए ओरीऐंटेशन पाठ्यक्रम	3	36	
10	खनन/वि. एवं यां./ उत्खनन पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण	3	39	
11	सांविधिक अभियांत्रिकी कर्मियों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम	2	18	
12	फ्रंटलाइन पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा प्रबंधन विषय पर दो सप्ताह का संरचित प्रशिक्षण	2	19	
13	खनन पर्यवेक्षकों के लिए रूफ बोल्टिंग का प्रशिक्षण	2	17	
14	फेस वर्करों के लिए सुरक्षा एवं उत्पादकता प्रशिक्षण	2	19	
15	रूफ बोल्टिंग में कौशल विकास प्रशिक्षण	4	60	
16	एसडीएल/एलएचडी के सुरक्षित परिचालन एवं रखरखाव का प्रशिक्षण	2	22	

12.6 ईसीएल में बचाव (रेस्क्यू) सेवाएँ:

माइंस रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर, झांझरा और मुगमा में परिचालित रेस्क्यू रूम विद रिफ्रेशर ट्रेनिंग (आरआरआरटी) केंद्र एवं रेस्क्यू कक्षों द्वारा ईसीएल की कोलियरियों, बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया क्षेत्र, इस्को के रामनगर कोलियरी के साथ-साथ नगर प्रशासन एवं लोक प्राधिकरणों को (आवश्यक होने पर) को रेस्क्यू सेवाएं प्रदान की जाती है।

12.7.1 वर्ष के दौरान रेस्क्यू सेवाओं के माध्यम से आग/ स्वत:: तापन जैसी घटनाओं का सफलता पूर्वक निपटान निम्नलिखित खदानों में किया गया:

क्र. सं.	कोलियरी/घटनास्थल	क्षेत्र	दिनांक	घटना की प्रकृति/कार्य की प्रकृति
1	नबाकाजोरा	कजोरा	21.04.2018	बंद क्षेत्र को फिर से खोलना
2	सीएम घुसिक	श्रीपुर	22.05.2018 से 23.05.2018	परित्यक्त खदान से एक शव निकालना
3	न्यू सतग्राम	सतग्राम	09.06.2018 से 10.06.2018	परित्यक्त खदान से एक शव निकालना
4	सतग्राम इंकलाइन	सतग्राम	23.08.2018	बंद क्षेत्र को फिर से खोलना
5	पारसकोल (पश्चिम)	कजोरा	10.08.2018 से 11.08.2018	बंद क्षेत्र को फिर से खोलना
6	जामबाद भूमिगत	केंदा	29.10.2018 से 30.10.2018	बंद क्षेत्र को फिर से खोलना
7	जामबाद भूमिगत	केंदा	16.11.2018	आग से निपटान
8	मधुसूदनपुर	कजोरा	25.12.2018 से 26.12.2018	बंद क्षेत्र को फिर से खोलना
9	कपासारा ओसीपी	मुग्मा	23.01.2019	एक शव निकालना

12.7.2 प्रशिक्षण:

माइंस रेस्क्यू स्टेशन में प्रारंभिक के साथ-साथ पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण भी नियमित रूप से प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

विवरण	2018-19	2017-18
सक्रिय रेस्क्यू प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	544	595
नये प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या	59	48
पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) अभ्यासों की संख्या	4988	5209
आपातकाल की संख्या	09	07

12.7.3 खरीदे गए नए औजार/उपकरण:

Sl. No.	विवरण	Numbers purchased
1.	मल्टी गैस डिटेक्टर	04
2.	डिजिटल थर्मामीटर गन टाइप	03
3.	फिटिंग सहित बोर-होल सैंपल कलेक्शन सक्शन पंप	01
4.	बोर होल पायरोमीटर	01
5.	आधुनिक स्ट्रेचर	07

12.7.4 क्षेत्रीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता:

वर्ष 2018-19का क्षेत्रीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता, पूर्वी अंचल का आयोजन दिनांक 9 एवं 10 अक्टूबर, 2018को किया गया,जिसमें ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों से 10 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया।

12.7.5 अखिल भारतीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता (कोयला तथा धातु):

49वीं अखिल भारतीय माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता (कोयला तथा धातु) का आयोजन माइंस रेस्क्यू स्टेशन, सीतारामपुर में दिनांक 10 से13 दिसम्बर, 2018 तक किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कोयला एवं धातु कंपनियों से कुल 23 रेस्क्यू टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ईसीएल की दो टीमों ने भी भाग लिया और ओवर-ऑल बेस्ट, तृतीय ओवर-ऑल बेस्ट, एफएबी में बेस्ट, एफएबी में द्वितीय बेस्ट, सुरक्षा एवं बचाव में बेस्ट तथा सुरक्षा एवं बचाव कार्यक्रम में द्वितीय बेस्ट पुरस्कार प्राप्त किया।

12.7.6 माइंस रेस्क्यू स्टेशन के लिए बजट प्रावधान:-

विवरण	पूंजीगत बजट (₹ लाख में)		राजस्व बजट (₹ लाख में)	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
स्वीकृत	511.68	341.56	2051.30	1678.38
व्यय	176.58*	86.32	2016.19	1602.83

*36 नग SCBA खरीद की अनुमानित मूल्य 234 लाख के लिए प्रक्रियाधीन है।

13.0 गुणवत्ता नियंत्रण:

13.1 वजन स्थिति:

विगत वर्ष की तुलना में 2018-19में बिजली घरों एवं अन्य के आपूर्ति खाते के लिए ईपीएस की मात्रा निम्नलिखित है:

(मिलियन टन मे)

विवरण	2018-19			2017-18		
	विद्युत	अन्य उपभोक्ता	कुल	विद्युत	अन्य उपभोक्ता	कुल
प्रेषित मात्रा	46.886	3.337	50.224	39.892	3.542	43.434
ईपीएस के तहत मात्रा तौल	46.199	3.337	49.536	39.026	3.542	42.568
ईपीएस के तहत तौल %	98.53	100	98.63	97.83	100	98.01

13.2 कोयले के साइजिंग की स्थिति:

वर्ष 2018-19 के दौरान कोयला का कुल प्रेषण 50.224 मिलियन टन था,जिसमें से पावर सेक्टर को 46.886 मिलियन टन प्रेषित किया गया। सीएचपी/एफवी सुविधा के अतिरिक्त साइडिंग से प्रेषण में डोजर से कोयले को साइजिंग किया गया और इस प्रकार बिजली केन्द्रों को 100% यांत्रिक क्रश कोयले की आपूर्ति की गई थी। अन्य तरीकों से भी 100% साइजिंग किए गए कोयले की ही आपूर्ति की गई। ईसीएल से -100 एमएम आकार के 100 % क्रश कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन मे)

कोयला साइजिंग	2018-19			2017-18		
	विद्युत	अन्य	कुल	विद्युत	अन्य	कुल
सीएचपी/एफबी में आकार किए गए कोयले की मात्रा (एल/टी)	46.886	3.337	50.224	39.768	3.666	43.434
%	100	100	100	100	100	100
आकार किए गए कोयले का कुल %	100	100	100	100	100	100

14.0 सतर्कता गतिविधियाँ:

ईसीएल में प्रबंधन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता, दायित्व बोध तथा दक्षता सुनिश्चित करने में सतर्कता विभाग सहायता करता है। संस्थान की कार्यप्रणाली की छवि को 'पारदर्शी तथा उचित'दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की सतर्कता गतिविधियाँ वर्ष भर जारी रही । ईसीएल के विभिन्न हितधारकों के

बीच विश्वास बहाली के लिए पिछले वर्ष कुछ कठोर एवं अभिनव कदम उठाए गए थे। वर्ष के दौरान ईसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों पर बड़ी संख्या में जांच की गई, जिसके फलस्वरूप विभिन्न कमियों / अनियमितताओं को उजागर किया गया। इन कमियों/ अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रचलित कार्य प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसके अतिरिक्त, कंपनी के संचालन में और अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने के लिए उन मामलों को गंभीरता से लिया गया, जिनमें जानबूझकर कर गलत नीयत से अनियमितता बरती गई थी। कई मामले का निपटान संबंधित अधिकारियों को सजा देकर किया गया। कमियों को दूर करने के लिए कई विभागों में गहन जांच की गई और कई मामलों का निपटान "प्रणाली सुधार" के रूप में किया गया। सतर्कता विभाग के नियमित देखरेख एवं निगरानी में ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक आईटी एवं ई-गवर्नेन्स प्रणाली को लागू किया गया है।

14.1 निवारक सतर्कता:

वर्ष 2018-19 के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा ईसीएल की विभिन्न इकाइयों तथा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर औचक निरीक्षण किया गया ताकि कंपनी की कार्य पद्धति पर संपूर्ण रूप से नजर रखी जा सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में लाभार्थियों को शामिल करते हुए विभिन्न स्टेक होल्डरों के लिए सतर्कता जागरूकता-सह- प्रेरणात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई मामलों में प्रचलित प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया गया और आवश्यकतानुसार 'प्रणाली में सुधार' के लिए कई कदम उठाए गए, ताकि 'निवारक सतर्कता'के रूप वर्तमान प्रणाली में सुधार हो तथा इसकी कमी को दूर किया जा सके। इन प्रयासों से कंपनी की कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

क्र. सं.	विषय	2018-19	2017-18
i	नियमित जांच सहित औचक जांच/निरीक्षण की संख्या	58	65
ii	सतर्कता जागरूकता सह प्रेरक कार्यक्रम		
	क. आंतरिक संकायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम	18	21
	ख. प्रतियोगिता, निबंध/ वाद-विवाद/ नुक्कड नाटक/ सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि	23	07
	ग. बाहरी या आंतरिक संकायों के साथ सेमिनार/ कार्यशाला	03	01
	घ. ग्राम सभाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	01	02
	ड. मोटर साइकिल रैली	01	01
iii	गहन जाँच	08	08

14.2 सुधार के लिए उठाये गए कदम:

वर्ष 2018-19के दौरान प्रणाली सुधार की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए:

क. किसी भी मशीन/उपकरण की खरीद के लिए एनआईटी और खरीद-आदेश में प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) मानदंड जारी करना।

ख. भूमि के अधिग्रहण/कब्जे के साथ-साथ भूमि के बदले नियोजन प्रक्रिया में सुधार।

ग. डीजल वितरण इकाई में प्राप्ति, निर्गत तथा डीजल उपभोग से संबंधित एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करना।

घ. ईसीएल का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति।

ड. प्रक्रिया में होने वाली देरी को कम करने के लिए ई-नीलामी सॉफ्टवेयर।

च. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत सिविल कार्य।

14.3 दंडात्मक सतर्कता:

कंपनी की स्वच्छ एवं पारदर्शी छवि को बनाये रखने के लिए जानबूझकर एवं कपटपूर्ण इरादे से की गयी अनियमितताओं से सख्ती से निपटा गया और संबंधित आचरण नियमावली के अनुसार अनुकरणीय दंडात्मक उपाय किए गए। इसके परिणामस्वरूप, कुल 14 (चौदह) लोगों को विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडित किया

गया।

14.4 तकनीकी इस्तेमाल:

कंपनी की पारदर्शिता एवं कार्य क्षमता में सुधार के लिए सतर्कता विभाग द्वारा तकनीकी इस्तेमाल के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

क्र. सं.	आईटी क्षेत्र में की गयी पहल	स्थिति/टिप्पणी
1	जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली	उपलब्ध कोयला ट्रकों में कुल 1479 जीपीएस उपकरण लगा दिए गए हैं। मुख्यालय तथा सभी 14 क्षेत्रों में नियंत्रण कक्ष संचालित हैं। वाहनों की ट्रेकिंग जारी है।
2	सीसीटीवी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी	ईसीएल में कुल 1366 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। कोयले के 120 डिपो में से 114 डिपो में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जा चुका है। कोयले के डिपो में कुल 349 सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जा चुका है।
3	आरएफआईडी आधारित बूम बैरियर एवं रीडर्स	स्थापित (यांत्रिक भाग): 77
4	तुलाचौकी स्थिति	सड़क- 95 एवं रेल-11 स्थापन कार्य पूर्ण
5	वाइड एरिया नेटवर्किंग (डब्ल्यू ए एन)	135 स्थानों में लिंक स्थापित
6	कोलनेट एप्लीकेशन	ऑनलाइन मैटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम-राजमहल,जहां ओएमएमएस ओरेकल आधारित सिस्टम पर चल रहा है को छोड़कर सभी क्षेत्रीय भंडार गृहों में लागू किया गया है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
		वित्तीय लेखा प्रणाली: राजमहल, एमआरएस, कल्ला, पोनियटी, रतिबाती जहां समकक्ष प्रणाली चल रही है, को छोड़कर सभी क्षेत्रों में लागू। एफएएस में लागत शीट उप-मॉड्यूल सभी क्षेत्रों में लागू किया गया है।
		कार्मिक सूचना प्रणाली: ईसीएल मुख्यालय में लागू किया गया है।
		पे-रोल: ईसीएल मुख्यालय, सोनेपुर बज़ारी, कुनुस्तोड़िया, कोलकाता विक्रय कार्यालय एवं झांझरा क्षेत्र में कर्मचारी पे-रोल लागू। सभी क्षेत्रों में अधिकारियों के लिए पे-रोल लागू कर दिया गया है।
		विक्रय: सभी क्षेत्रों में रेल विक्रय माड्यूल लागू। रोड विक्रय जीएसटी अनुवर्ती कर चालान कोलनेट से निकाला जा रहा है।
		वीवीआइपी संदर्भ: ईसीएल मुख्यालय में लागू किया गया।
7	ऑनलाइन लीव मैनेजमेंट प्रणाली	अधिकारियों के लिए सभी क्षेत्रों में लागू
8	मोबाइल एप्लीकेशन बिल ट्रेकिंग प्रणाली ऑनलाइन शिकायत निवारण (निदान) स्वच्छ विद्यालय रोड सेल्स (ग्राहक सड़क कोयला वितरण) पर्यावरण	लागू
9	खानों की चहारदीवारी की जियो फेसिंग	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में लागू
10	इंटर एरिया नेटवर्क (एलएएन/डब्लयूएएन)	ईसीएल के सभी क्षेत्र मुख्यालय एवं कोलकाता विक्रय कार्यालय से जुड़ चुके हैं।
11	बॉयोमेट्रीक उपस्थिति	कंपनी के कर्मचारियों के लिए पे-रोल डाटा को बॉयोमेट्रीक उपस्थिति से जोड़ दिया गया है। कुल 7712 संविदा कर्मियों में से 6418 को बॉयोमेट्रीक उपस्थिति से जोड़ दिया गया है।
12	ईएमडी की स्वतः: वापसी	लागू
13	रिवर्स ऑक्शन	₹ 1 करोड़ से अधिक के अनुमानित संविदा मूल्य के लिए लागू।
14	3डी टीएलएस	राजमहल एवं सोनपुर बाजारी में स्थापित

14.5 एकीकरण करार कार्यक्रम का कार्यान्वयन:

ईसीएल में एकीकरण करार विधिवत कार्यान्वित किया जा चुका है और यह प्रचलन में है।

14.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन:

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ईसीएल में दिनांक 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन का विषय "भ्रष्टाचार मिटाएं - नये भारत का निर्माण करें'' था। संपूर्ण कंपनी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। डीएवी स्कूल निमचा के छात्रों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ईसीएल में एक मोटर साइकिल रैली भी निकाली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की143वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 31.10.2018 को एक समारोह आयोजित किया गया था। सोनेपुर बाजारी क्षेत्र में ईसीएल द्वारा सीएमपीएफ कार्यशाला/ शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएमपीएफ क्षेत्रीय आयुक्त सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। दिनांक 01.11.2018 को सतर्कता विभाग द्वारा ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों, गुप्ता कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल साइंसेज, आसनसोल (निबंध और सिट-एन-ड्रा) और विभिन्न स्कूलों में निबंध लेखन प्रतियोगिता/ स्लोगन प्रतियोगिता/ पोस्टर प्रतियोगिता/ स्किट आदि का आयोजन किया गया था। दिनांक 02.11.2018 को, सोनेपुर बज़ारी क्षेत्र में ग्राम पंचायतों (चिंचुरिया गाँव-दंगल पारा और सुकांता पल्ली) में जागरूकता के प्रसार के लिए ग्राम सभा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव और सतर्कता पर चर्चा के बाद इस संबंध में नागरिकों को जागरूक किया गया। दिनांक 03.11.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे, ऑफिसर क्लब, झाल बागान, ईसीएल मुख्यालय में "भ्रष्टाचार मिटाएं - नये भारत का निर्माण करें" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री दीपक वर्मा, डीआईजी सीआईएसएफ, आईएसपी बर्नपुर अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित थे। ईसीएल मुख्यालय में सभी प्रमुख स्थानों और सभी क्षेत्रों/ इकाइयों/ प्रतिष्ठानों/ सार्वजनिक स्थानों जैसे एटीएम, पेट्रोल पंप आदि पर भ्रष्टाचार विरोधी नारों के साथ बैनर एवं पोस्टर लगाए गए।

14.7 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

क. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 2018 में ईसीएल को "अनुशासनात्मक कार्यवाही की समय पर समापन" श्रेणी के तहत 'उत्कृष्टता' पुरस्कार से सम्मानित किया।

ख. पिछले वर्ष शुरू की गई कई आईटी पहल और ई-गवर्नेंस से कंपनी अब डिस्काउंट बिडिंग शुरू करने में अग्रणी बन गई है।

ग. कंपनी ने सामान्य प्रबंधन कार्यप्रणाली के साथ सतर्कता गतिविधियों को एकीकृत करके और जागरूकता सह प्रेरणा कार्यक्रम के माध्यम से नियमित रूप से परिचर्चा करके कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के मनोबल को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। इसका प्रभाव उत्पादन एवं उत्पादकता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

घ. सतर्कता विभाग द्वारा नियमित निगरानी से ओवर-रिपोर्टिंग की जांच करने के साथ-साथ बकाएदारों से दंड के रूप में मौद्रिक लाभ की बड़ी मात्रा की वसूली में भी मदद मिली है।

ङ. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सतर्कता विभाग, ईसीएल द्वारा किए गए विभिन्न औचक निरीक्षणों और सीटीई निरीक्षण के परिणामस्वरूप, ₹ 2868327.26 की राशि की वसूली/ बचत की गई।

च. सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2018 के समापन समारोह में मिशन 'जटायु' को लॉन्च किया गया था। वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान मिशन 'जटायु' के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। मिशन 'जटायु' की थीम थी FITE यानी Fairness (निष्पक्षता), Integrity (सत्यनिष्ठा), Transparency (पारदर्शिता) एवं Equality (समानता) है।

15.0 कर्मियों का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XII के अंतर्गत कंपनी नियमावली, 2014 के नियम 5 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक किसी भी कर्मी ने प्राप्त नहीं किया है।

15.1 राजभाषा कार्यान्वयन:

ईसीएल मुख्यालय तथा इसके 11 क्षेत्र, भाषायी क्षेत्र 'ग' (पश्चिम बंगाल) में अवस्थित हैं, जहाँ हमारे 86% कर्मचारी पदस्थापित है। केवल 03 क्षेत्र, भाषायी क्षेत्र 'क' (झारखंड) में अवस्थित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान हिंदी पत्राचार का प्रतिशत,'क'क्षेत्र में 56.08%,'ख'क्षेत्र में 50.46% और 'ग'क्षेत्र में 55.42% दर्ज किया गया। मुख्यालय एवं क्षेत्रों के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय कर दिया गया है, जिससे इन कंप्यूटरों पर हिंदी में काम किया जा सकता है। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ताकि हिंदी पत्राचार में वृद्धि हो सके। गृह मंत्रालय, भारत सरकार को राजभाषा संबंधित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जा रही है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, मुख्यालय में 1 से 14 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवारे का आयोजन किया गया था और साथ ही हिंदी भाषी और गैर-हिंदी भाषी

कर्मचारियों के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया था। दिनांक14.09.2018 को 'हिंदी पखवारा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर, कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, मुख्य वक्ता डॉ. कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी), आसनसोल बालिका महाविद्यालय तथा समस्त कार्यकारी निदेशकगण उपस्थित थे। पखवारा के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुख्यालय के विभागों और क्षेत्रों को सम्मानित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 15 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। दिनांक 26.03.2019 को अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन को किया गया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के कवियों ने श्रोताओं को संबोधित किया। श्री सुबोध कुमार, माननीय संयुक्त निदेशक (राजभाषा), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने ईसीएल मुख्यालय में दिनांक 1 एवं 2 मार्च, 2019 को राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए दौरा किया। श्री कुमार ने की गई गतिविधियों की प्रशंसा की और इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ मूल्यवान सुझाव भी दिए। कंपनी ने दिनांक 02.01.2019 को आयोजित कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में भी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। ईसीएल ने दिनांक28.11.2018 को नराकास की 60वीं बैठक का आयोजन किया।

वर्ष 2018-19 के दौरान 'ज्योत्सना' (कंपनी की गृह पत्रिका) के दो अंक प्रकाशित हुए। इसके अलावा, ईसीएल के सालनपुर क्षेत्र से एक वार्षिक हिंदी पत्रिका 'ऊर्जा स्रोत' प्रकाशित की गई। हिंदी में एक वॉल पोस्टर "ईसीएल समाचार" का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें ईसीएल से संबंधित अलग-अलग खबरों और कर्मचारियों की उपलब्धियों आदि को सचित्र प्रकाशित किया जा रहा है। ईसीएल दर्पण (द्वैमासिक पत्रिका, द्विभाषी-हिंदी एवं बांग्ला) को नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और वर्ष 2018-19 के दौरान इसके 06 अंक प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न विभागों द्वारा निकाली जा रही विभिन्न पत्रिकाओं, जैसे 'चेतना','सचेतना', एवं 'जागृति' आदि में हिंदी निबंध तथा अन्य विषयों को प्रकाशित किया जाता है। नराकास मुख्यालय द्वारा अपने सदस्यों के लिए आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ईसीएल को 42 टीमों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

17.0 कंप्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाएँ:

17.1 ईसीएल में ई-निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ:

क. वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल 4365 निविदाएँ सीआईएल ई-टेंडरिंग पोर्टल: http://coalindiatenders.nic.in पर प्रकाशित किए गए,जिनमें से 2873 निविदाओं को पूरा किया गया, 549 को निरस्त किया गया और शेष निर्णय के विभिन्न स्तरों में है।

ख. ई-टेंडरिंग में शामिल हैंग आउट/ टीम व्यूअर, एम्मी एडमिन, एनी डेस्क इत्यादि आधुनिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके सभी क्षेत्रों कर्मशालाओं में संस्थानिक तथा रिमोट माध्यम से प्रशिक्षण/सहायता उपलब्ध करायी गयी।

ग. मा .सं .वि. में 42 नव नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षुओं (एमटी) और मौजूदा अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ ई-खरीद के संबंध में विचार-विमर्श एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजित किया गया।

घ. वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों एवं कर्मशालाओं के 142 अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की व्यवस्था की गई।

ड. वर्ष 2018-19 के दौरान ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से टेंडर पूरा होने की औसत चक्र अवधि 90 रही। ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से निविदा पूर्ण होने की न्यूनतम चक्र अवधि 15 दिन है।

17.2 विशेष उपलब्धियाँ:

क. कोलनेट: ईसीएल मुख्यालय के केंद्रीय सर्वर में कोलनेट एप्लीकेशन को सक्रिय कर दिया गया है।

कोलनेट मॉड्यूल	क्रियान्वयन की स्थिति
वित्त	सभी क्षेत्रों, स्टोर, वर्कशाप और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे माइंस रेस्क्यू स्टेशन और कल्ला सेंट्रल अस्पताल में कार्यान्वित।
सामग्री प्रबंधन	सभी क्षेत्रीय भंडार और कार्यशालाओं में लागू
बिक्री मॉड्यूल (रोड एवं रेल)	सभी क्षेत्रों और तौल सेतुओं (वे ब्रिजों) में लागू
पीआईएस मॉड्यूल	ईसीएल मुख्यालय में केंद्रीकृत रूप से लागू
अधिकारी भुगतान रजिस्टर (पे-रोल)	ईसीएल के सभी क्षेत्रों में लागू

कोलनेट मॉड्यूल	क्रियान्वयन की स्थिति
कर्मचारी रजिस्टर (पे-रोल)	ईसीएल मुख्यालय, कोलकाता बिक्री कार्यालय, कुनुस्टोरिया, झांझरा, सोनपुर बाजारी, सोदेपुर, मुगमा, सालनपुर और एसपी माइंस में लागू
वित्त मॉड्यूल में नयी पहल	1. कोलनेट के माध्यम से लागत शीट तैयार करना 2. कोलनेट के माध्यम से डीआर-सीआर शीट तैयार करना 3. लैंड लूजर डिलेवरी आदेश तैयार करना 4. बैंक गारंटी निगरानी प्रणाली

ख. मोबाइल एप्लीकेशन विकास:

एप्लीकेशन का नाम	विवरण
ईसीएल भंडारण स्थिति	इस एप्लीकेशन का उपयोग कर ईसीएल के सभी भंडार में किसी भी आइटम की स्टॉक स्थिति देखा जा सकता है।
पर्यावरण	वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी और ईसीएल के अन्य पर्यावरणीय गतिविधियां

18.0 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार:

संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक उन्नत करने के लिए एमपीएलएस क्लाउड में वाइड एरिया नेटवर्क को मुख्यालय (बैंडविड्थ-100 एमबीपीएस) सभी क्षेत्रों (बैंडविड्थ-10 एमबीपीएस) कोलकाता विक्रय कार्यालय (बैंडविड्थ-10 एमबीपीएस) और सभी तौल सेतुओं (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस), केंद्रीय एवं क्षेत्रीय भंडारों (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस), केंद्रीय कार्यशालाओं (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस) और केंद्रीय चिकित्सालय (बैंडविड्थ-2 एमबीपीएस) कुल 135 स्थलों में उपलब्ध कराया गया है। लीज आधारित इंटरनेट लाइन मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और रेल तौल सेतुओं (वे-ब्रिजों) में क्रमशः 55 एमबीपीएस, 4 एमबीपीएस एवं 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध हैं। ऑटो-सह-मैनुअल डायल संचार प्रणाली द्वारा भूमिगत खदानों की संचार प्रणाली को बढ़ाकर कुल 30 खदानों में लागू कर दिया गया है।

रोड वे-ब्रिज, सेंट्रल एंड एरिया स्टोर, सेंट्रल वर्कशाप और केंद्रीय अस्पताल में तेरह नए अतिरिक्त वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन उपलब्ध कराया गया हैं। भूमिगत खदानों के लिए नए उन्नत ऑटो-कम-मैनुअल डायल संचार प्रणाली के छह सेट खरीदे गए हैं। बेहतर और कुशल संचार के लिए पूरी कंपनी में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली उपलब्ध है।

19.0 भूमि अधिग्रहण एवं भूमि सूचना की स्थिति:

19.1 i) भूमि अधिग्रहण की स्थिति:

वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न विधियों के तहत भूमि अधिग्रहण/कब्जा की स्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

अधिग्रहण की विधि	अधिग्रहीत (हे.में)	कब्जा (हे.में)
काश्तकारी भूमि की सीधी खरीद	102.47	110.03
एल. ए. अधिनियम/ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम	शून्य	5.41
सीबीए अधिनियम	30	152.547
सरकारी भूमि का हस्तांतरण	शून्य	57.984
वन भूमि का अंतरण	शून्य	शून्य
कुल	**132.47**	**325.971**

19.2 सरकारी भूमि का स्थानांतरण:

पश्चिम बंगाल:

क. वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि के स्थानांतरण से संबंधित निम्नलिखित मामलों का अनुमोदन कर दिया गया हैं:

क्षेत्र	परियोजना	भूमि की मात्रा (एकड़)
बांकोला	सर्पी	1.13
	ऊखरा	15.42

कुनुस्टोरिया	एगरा	7.18
सालनपुर	सरीशताली एवं जामग्राम	11.62

ख. राज्य सरकार के पास सरकारी भूमि के स्थानांतरण से संबंधित निम्नलिखित मामले लंबित हैं:

क्षेत्र	मौजा	भूमि की मात्रा (एकड़)
केंडा	न्यू केंडा	2.81
	बोनबाहल	8.81

झारखण्ड:

चित्रा ईस्ट ओसीपी में कुल 137.02 एकड़ भूमि, जिसमें 95.75 एकड़ सरकारी भूमि और 41.27 एकड़ गोचर भूमि है, के हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार ने ₹ 43,55,42,372/- की मांग की है, जिसे दिनांक 19.02.2019 को जमा किया गया है।

कोयला मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त:

क. कुछ गांव, केंडा क्षेत्र के न्यू केंदा ओसीपी के क्वारी-2 क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये गाँव रानीगंज मास्टर प्लान के तहत आते हैं, जिनमें अस्थिर स्थान सं. 65 और 80 भी हैं। दिनांक 21.02.2019 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है उक्त अस्थिर स्थानों के पीआइसी (फोटो पहचान पत्र-एडीडीए द्वारा जारी किए गए) धारकों के पुनर्वास के लिए रानीगंज मास्टर प्लान की कार्यान्वयन एजेंसी, एडीडीए को 4.83 एकड़ भूमि सौंपने के प्रस्ताव को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

ख. कें.औ.सु.बल रिजर्व कैंप एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सिधाबारी मौज़ा में लगभग 18 एकड़ ज़मीन को कें.औ.सु.बल को पट्टे पर हस्तांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई है।

19.3 सीबीए (ए ऐंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत प्रगति:

परियोजना का नाम	जिला/ राज्य	क्षेत्र	आवेदन की तिथि	स्थिति
झांझरा संयुक्त परियोजना	पश्चिम बर्दवान, प. ब.	30 हे	31.03.2017	क) एस.ओ. सं.1254 दिनांक 19.03.2017 के माध्यम से धारा 4(1) और एस.ओ. सं. 1103 (1) दिनांक 09.03.2018 के माध्यम से धारा 7 (1) के तहत भारत के राजपत्र में नामांकन प्रकाशित कर दिया गया। ख) एस.ओ. सं. 1278 दिनांक 30.08.2018 के माध्यम से धारा 9(1) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दिया गया। ग) एस.ओ. सं. 175दिनांक 28.01.2019 के माध्यम से धारा 11(1) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दिया गया।
अमरकंडा-मुरगादंगल	दुमका, झारखंड	767.77 हे	20.02.2019	धरा 4 (1) के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए दिनांक 20.02.2019 को कोयला मंत्रालय को ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसके बाद दिनांक 28.03.2019 को इसे आधिकारिक गजट में प्रकाशन के लिए भेजा गया था।

19.4 पुनर्वास की स्थिति:

वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये:-

क्षेत्र का नाम	दिए गए भूखंड	प्लॉट के बदले में आर्थिक मुआवजा	स्थानांतरित किए गए परियोजना प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या
सोनपुर बाजारी	698	105	0
एस. पी. खान	0	0	0
पांडववार	235	161	0
राजमहल	0	9	0
कुनुस्टोरिया	0	0	13
कुल	933	275	13

19.5 विशेष उपलब्धियाँ:

i. ईसीएल को विरासत में मिली भूमि के अभिलेखों की खोज और डीड की प्रमाणित प्रतियों का संग्रह:

1950-1971 की अवधि से लेकर 52 मौजों में लगभग 3800 एकड़ के विलेखों की प्रमाणित प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट, पूर्व बर्धमान के कार्यालय से एकत्र किया जा चुका है।

ii. प्रणाली सुधार:

(i) देवभूमि के खरीद और दाखिल खारिज मुद्दे को हल करना: देवभूमि से निपटने के लिए कोई सुपरिभाषित नीति/प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं था। पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न राज्य प्राधिकारियों के साथ हुई कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। अंततः: 17 अगस्त, 2018 को प्रमुख सचिव/एलआरसी, प. ब. और 29 सितंबर, 2018 को सचिव, भूमि एवं भू-राजस्व, प. ब. ने देवभूमि की खरीद-प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किया।

(ii) पश्चिम बंगाल सरकार के सहायक बंदोबस्त अधिकारी की रिपोर्ट के परिशिष्ट A-1 में शामिल भूमि की रिकॉर्डिंग का हल, जिन्होंने पश्चिम बंगाल भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ईसीएल के पक्ष में सर्वेक्षण किया था: यह मामला पीएमजी पोर्टल में अपलोड किया गया था। पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव/एलआरसी सहित राज्य एवं केंद्र सरकार के प्राधिकारियों के साथ कई बैठकें की गईं। दिनांक 29 सितंबर, 2018 को इस मुद्दे के समाधान के लिए दिशानिर्देश जारी किया गया और ईसीएल को एलटीएस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया और यह कहा गया कि इसके उचित सत्यापन के बाद कलेक्टर बाधा रहित उक्त ए-1 भूमि का आरओआर निर्गत करेंगे।

20.0 सुरक्षा प्रबंधन:

सुरक्षा विभाग का लक्ष्य कंपनी की सामग्री एवं परियोजनाओं की सुरक्षा है तथा कोयला चोरी एवं अवैध खनन गतिविधियों को रोकना है। कंपनी में तीन प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है।

1. ईसीएल सुरक्षा	-	2089 कर्मचारी
2. सीआईएसएफ	-	1027 कर्मचारी
3. संविदा सुरक्षा	-	1500 कर्मचारी
4. होम गार्ड	-	170 कर्मचारी

ईसीएल सुरक्षा :

ईसीएल सुरक्षा कर्मियों का मुख्य कर्तव्य कंपनी की संपत्ति यानि भंडार, कार्यालय, बारूद घर, कोल डिपो/ साईडिंग्स, कॉलोनियों की सुरक्षा करना और प्रबंधन के आवश्यकतानुसार वीआईपी की एस्कॉर्टिंग करना है। लोडिंग होने तक लोडेड रेलवे रेक, टिपिंग ट्रकों/कोल डिपो से डंपरों/साइडिंग से रेलवे वे-ब्रिजों की एस्कॉर्टिंग करना है। कोई संदिग्ध सूचना एवं खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर हमारे सुरक्षा कर्मियों, स्थानीय पुलिस और के.औ.सु.ब. द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी भी किया जाता है और कोयला चोरी में शामिल ट्रकों/वाहनों को जब्त किया जाता है तथा अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें स्थानीय पुलिस थाने को सौंप दिया जाता है और तदनुसार उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है। ईसीएल में हड़ताल/घेराव/प्रदर्शन/भूख हड़ताल प्रदर्शन के समय और ईसीएल के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर कंपनी के सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाता है।

संविदा सुरक्षा:

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए ईसीएल सुरक्षा कर्मियों के साथ संविदा सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जाता है।

सीआईएसएफ:

सीआईएसएफ को ईसीएल की राजमहल, सोनपुर बज़ारी एवं एसपी माइन्स में स्थायी तौर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा,मुगमा, सालनपुर, श्रीपुर, कुनुस्टोरिया, पांडववार, कालीदासपुर और सतग्राम क्षेत्र में भी इनके लिए कैंप बनाये गए हैं। वे अवैध खनन, कोयले की अवैध तस्करी और अवैध कोयला डिपो के विरूद्ध छापामारी करने के लिए मोबाइल ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और कोलियरी/क्षेत्र में हड़ताल/घेराव के दौरान भी तैनात किए जाते हैं।

होमगार्ड:

मुगमा, एसपी माइंस एवं राजमहल क्षेत्र में ईसीएल सुरक्षा कर्मियों के साथ 170 होमगार्ड तैनात किए गए हैं।

सुरक्षा की मूल समस्या :

क. सुरक्षा अधिकारियों तथा अन्य स्तर के सुरक्षा कर्मियों की कमी, जिसे मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रों में यथाशीघ्र भरने की आवश्यकता है।

ख. क्यूआरटी/सुरक्षा जांच वाहन को पीटीटी मोटोरोला संचार सेट जैसे सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता है।

ईसीएल में सुरक्षा विभाग के पुनर्गठन के लिए उठाए गए कदम:

क. सीआईएसएफ मुख्यालय को 700 के.औ.सु.बलों का अनुरोध भेजा गया है। इन्हें विशेष रूप से ईसीएल के बारूद घरों में तैनात करने की योजना है, जिनमें से 210

के.औ.सु.ब. जवानों का अनुमोदन गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है।

ख. लगभग 800 अन्य श्रेणी के कर्मियों को सुरक्षा गार्ड (प्र.) में परिवर्तित किया गया है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

ग. रेलवे साइडिंग में सीसीटीवी आरएफआईडी एवं बूम बैरियर जैसी अन्य मशीनों की स्थापना के लिए एजेंसियों से संपर्क किया गया है।

घ. स्थानीय पुलिस थानों से जब्त कोयले को इकट्ठा करने के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है। ईसीएल ने विभिन्न पुलिस थानों से जब्त कोयले को प्राप्त किया है।

ड. पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के राज्य पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा कर्मियों (प्रशिक्षु) को बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सूची अभी प्रक्रियाधीन है।

कोयले के अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदम:

क. खुफिया जानकारी इकट्ठा करना।

ख. विभागीय पे-लोडर/ डोजर और कभी-कभी अनुबंधित माध्यम से अवैध कोयला खनन स्थलों तथा भू-धंसान क्षेत्र को डोजिंग करना/भरना/सील करना।

ग. सीआईएसएफ,पुलिस एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक जाँच/ छापामारी करना और चोरी में शामिल वाहनों के साथ अवैध कोयला/तस्करी-कोयले को जब्त करना और अपराधियों को पकड़कर उन्हें स्थानीय पुलिस थानों को सौंपना।

घ. अवैध खनन और कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य के जिला प्राधिकारियों के साथ राज्य एवं जिला स्तरीय बैठक (पश्चिम बंगाल के बर्दवान, बांकुरा, पुरुलिया एवं बीरभूम और झारखंड के साथ संयुक्त जिला स्तरीय बैठक) की गई है।

ड. जिला प्राधिकारी एवं सब-डिविजन प्राधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस थानों को अपनी सतर्कता बढ़ाने का सलाह दिया गया है, ताकि डोजिंग किए गए अवैध खनन स्थलों को फिर से खोलने से रोका जा सके।

च. क्षेत्रीय दल द्वारा प्रभावित स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है, जिसमें सीआईएसएफ अधिकारियों के साथ महाप्रबंधक, क्षेत्रीय सर्वे अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से शामिल होते हैं और तदनुसार उचित रणनीति बनाने के लिए कमांडेंट, सीआईएसएफ कार्यालय में नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं।

छ. न्यायालय में लंबित मामलों के तार्किक निष्पादन के लिए ईसीएल ने वकील की प्रतिनियुक्ति की है।

ज. निचली अदालत और आसनसोल के सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक के साथ भी चर्चा की गई है ताकि अदालत में लंबित मामले की त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

कोयले की चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदम:

क. कोयले की चोरी को रोकने के लिए सीआईएसएफ,निजी सुरक्षा कर्मियों एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण/ छापामारी की जाती है। औचक निरीक्षण/ छापामारी के दौरान अवैध कोयले की जब्त किया जाता है और अपराधियों को पकड़कर उनके विरूद्ध स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है। करने के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाता है।

ख. सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा साइडिंग से रेलवे तौल सेतु (वे-ब्रिज)तक कोयले से लदी रेक की एस्कॉर्टिंग की जाती है।

ग. ईसीएल ने न्यायालय में लंबित मामलों की पैरवी करने के लिए पेनल वकील को प्रतिनियुक्ति किया है, जो लोक अभियोजक के साथ परामर्श करके न्यायालय में लंबित सभी मामलों के तार्किक निष्पादन हेतु प्रयास करेंगे।

घ. कोयला चोरी को रोकने के लिए सभी क्षेत्रों में जीपीएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है।

20.1 सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा कर्मियों, डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध तस्करी-कोयले एवं अवैध खनन कोयले का विवरण:

वर्ष	राज्य	छापामारी की संख्या	जब्त कोयला (टन)	जब्त वाहन	पकड़े गए अपराधियों की संख्या	दर्ज एफआईआर की संख्या
अवैध तस्करी-कोयले की जब्ती						
2018-19	पश्चिम बंगाल	1186	11063.39	64	30	224
	झारखण्ड	586	4885.23	01	-	135
	कुल	1772	15948.62	65	30	359

2017-18	कुल	1464	11013.77	49	36	175
	अंतर	308	4934.85	16	-6	184
ईसीएल सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयला की जब्ती						
2018-19	पश्चिम बंगाल	624	1280.18	27	-	184
	झारखण्ड	291	171.45	-	-	64
	कुल	915	1451.63	27	0	248
2017-18	कुल	687	115.29	-	3	84
	अंतर	228	1336.34	27	-3	164

उपर्युक्त आंकड़े सीआईएसएफ, ईसीएल सुरक्षा कर्मियों तथा पुलिस द्वारा कोलियरी परिसर के बाहर की गई जब्ती से संबंधित है। यह कोयला अवैध खनन स्थलों अथवा अवैध तरीकों/अवैध कोयला भंडारों से ट्रकों द्वारा परिवहन किया जा रहा था।

डोजिंग/सीलिंग/अवैध खनन स्थलों की भराई के दौरान ईसीएल के पट्टाधारित एवं गैर-पट्टाधारित क्षेत्र के बाहर डोजिंग स्थल पर ईसीएल के सुरक्षाकर्मियों सहित सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया जाता है। वर्ष2018-19के दौरान अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए 2054स्थलों की डोजिंग/भराई की गई। कोयला चोरी तथा अवैध कोयला खनन की हानिकारक गतिविधि के नियंत्रण के लिए राज्य प्रशासन भी सक्रिय है।।

20.2 अन्य सामग्रियों की चोरी/वसूली:

वर्ष	2018-19	2017-18	अंतर (वृद्धि/कमी)
घटनाओं की सं.	117	107	10
एफआईआर/सूचना की सं.	76	61	15
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	27,38,418.34	16,94,808.18	1043610.16
वसूली की गई संपत्ति (₹ में)	3,66,622.50	1,43,540.20	223082.30
पकड़े गए अपराधियों की सं.	08	07	01

20.3 कोयले के अवैध खनन एवं चोरी को रोकने के लिए आईटी पहल:

अवैध कोयला खनन एवं चोरी को रोकने के लिए शून्य सहिष्णुता एवं सत्यनिष्ठा के साथ निम्नलिखित आईटी पहलों को लागू किया गया है:-

क. सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी लगाना
ख. आरएफआईडी की स्थापना
ग. वाहन ट्रैकिंग प्रणाली
घ. एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली
ङ. खानों में प्रवेश करने वाले वैध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए बॉयोमेट्रीक
च. सुरक्षा के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (स्वचालित शिकायत प्रणाली, श्रमशक्ति की मांग, फाइलिंग प्रणाली आदि को स्वचालित किया जाना)
छ. खान प्रहरी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग

21.0 आउटसोर्सिंग ओसी पैच:

वर्ष 2017-18 में कंपनी ने 33 आउटसोर्सिंग ओसी पैचों से 310.08 लाख टन कोयले का उत्पादन किया तथा 1015.14 लाख घनमीटर मलवा हटाया, जिससे गत वर्ष के 32 आउटसोर्सिंग पैचों से 251.99 लाख टन कोयले का उत्पादन तथा 898.42 लाख घनमीटर मलवा हटाई की तुलना में इस वर्ष कोयला उत्पादन में 23.05%तथा मलवा हटाई में 12.99% की वृद्धि दर्ज की गई।

22.0 कारपोरेट गवर्नेंस:

कारपोरेट गवर्नेंस वह प्रक्रिया है जिसके तहत शेयरधारकों एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। यह एक प्रतिबद्धता है,जिसके तहत शेयरधारकों के मौलिक विश्वास को बढ़ाया जाता है, कार्य में पारदर्शिता, संगठन के सभी घटकों के बीच अपने विश्वास मूल्यों को बढ़ाया जाता है। कारपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा अनुशासन है जो बोर्ड, प्रबंधन तथा कर्मचारियों को शेयरधारकों के हितों में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें एक रचनात्मक, सकारात्मक सोच एवं गतिविधि शामिल है जो विभिन्न हितधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देता है।

ईसीएल सभी क्षेत्रों के संचालन, अपने सभी हितधारकों की बैठक, शेयरधारकों के मूल्यों को बढ़ावा देने, सभी अंशधारकों को समय पर सभी तथ्यात्मक सूचना उपलब्ध कराने में पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेही पूर्ण कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। जोखिम कम करने एवं भूमि संबंधी कानूनों के अनुपालन, रणनीति कार्यान्वयन में कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कंपनी के पास एक ठोस पद्धति है।

हमारी कंपनी में कारपोरेट गवर्नेंस की धारणा यह है कि दक्षता एवं विकास के सुधार में कारपोरेट गवर्नेंस की अहम भूमिका हो और साथ ही यह निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक हो। यह धारणा निम्नलिखित है :

"एक कॉरपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी बेहतर कॉर्पोरेट पद्धति, अंतःकरण पर आधारित, सादगी, निष्पक्ष, व्यावसायिकता तथा विभिन्न हितधारकों में विश्वास उत्पन्न करने की जवाबदेही एवं दीर्घकालिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

हमारी कंपनी के कारपोरेट गवर्नेंस पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक-VI में दिया गया है तथा 31 मार्च, 2019को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षक से प्रमाणीकरण भी अनुलग्नक-VII में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 92 के अनुपालन में वित्त वर्ष 2018-19के लिए कंपनी का वार्षिक विवरण हमारे वेबसाइट www.eastercoal.gov.in पर उपलब्ध है। (संलग्नक-VIII)

23.0 आभार:

आपके निदेशकगण भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार, झारखण्ड सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड को पूरे वर्ष मूल्यवान निर्देशन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। वे कंपनी के कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पूरे मन से कंपनी के हित में कार्य किया। वे सभी मजदूर संगठनों को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिन-प्रतिदिन प्रबंधन को अपना सहयोग प्रदान किया है। वे पूरी तरह आश्वस्त है कि कंपनी के सभी स्तर के कर्मीगण आगामी वर्षों में कंपनी के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहेंगे ताकि कंपनी आगामी वर्षों में अपने प्रदर्शन में सुधार ला सके।

आपके निदेशकगण वैधानिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कर लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षक, कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग और निर्देशन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण उन उपभोक्ताओं को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने कंपनी को संरक्षण प्रदान किया।

इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

ii) 2013 के अनुभाग 204(1) के अनुसार कंपनी सचिव द्वारा फॉर्म संख्या एमआर-3 में प्रस्तुत सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, (अनुलग्नक-IX)।

iii) विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय (अनुलग्नक-X)

iv) कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विवरण (अनुलग्नक - XI)।

v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(2) एवं 134(3)(एफ) के तहत निदेशक के रिपोर्ट का अनुशेष जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षकों का रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से

(प्रेम सागर मिश्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-07379202

कोलकाता
दिनांक : 30 जुलाई, 2019

3.3. 31 मार्च, 2019 तक ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वित की गयी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थिति:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
1	भूमिगत खान में फंसे खनिकों की अवस्थिति प्रणाली परियोजना कोड - CIL/R&D/1/35/10 कार्यान्वयन एजेंसी: टीसीएस, सीएमसी एवं सीएमपीडीआईएल (एमई)	489.70	15 जनवरी, 2010	मार्च 2015	447.86	एमएफ सिस्टम का सफल क्षेत्र परीक्षण झांझरा यूजी खदान, ईसीएल में पूरा हुआ। डीजीएमएस, धनबाद से फील्ड ट्रायल की अनुमति प्राप्त करने के बाद, समिति ने टीसीएस / सीएमसी, कोलकाता को यह सलाह दी कि इसे विचार हेतु शीर्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले, एक विस्तृत रिपोर्ट समय विस्तार प्रस्ताव के साथ सीएमपीडीआई के समक्ष प्रस्तुत करें। शीर्ष समिति के की सलाह के अनुसार सीएमपीडीआई एवं टीसीएस ने विकसित प्रणाली के क्षेत्र परीक्षण की अनुमति जारी करने के संबंध में डीजीएमएस के साथ इस विषय पर चर्चा की है। क्षेत्र परीक्षण अनुमति अभी भी प्रतीक्षित है।
2	भूमिगत खनन मशीनों के ट्रेलिंग केबलों के लिए रबर कंपाउंड एवं मरम्मत तकनीक का विकास परियोजना कोड:- CIL/R&D/1/54/2013 कार्यान्वयनएजेंसी: आईआईटी, खड़गपुर एवं ईसीएल	204.07	मार्च 2013	फरवरी, 2016	202.65	परियोजना पूरी हो चुकी है तथा अंतिम रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है और परियोजना के तहत, अब तक, ईसीएल की पटमोहना कोलियरी से संग्रहित 25 वर्ग मिली मीटर व्यास तथा 70 मीटर लंबाई के एक ट्रेलिंग केबल की आईआईटी, खड़गपुर द्वारा विकसित रबड़ कम्पाउन्ड से मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया तथा ट्रेलिंग केबल को कोलियरी में वापस आपूर्ति करने के पहले विभिन्न प्रकार की आवश्यक जाँचे कर ली गयीं हैं। जे के रोपवेज़ से संग्रहित 55 वर्ग मिली मीटर व्यास तथा 125 मीटर लंबाई के एक अन्य क्षतिग्रस्त ट्रेलिंग केबल की भी मरम्मत नव-विकसित रबड़ से की गयी। केबल का उच्च वोल्टेज परीक्षण किया गया तथा कमजोर एवं दोषपूर्ण हिस्सों को हटा दिया गया और मजबूत हिस्सों को जोड़ दिया गया। जनवरी, 2015 में आईआईटी, खड़गपुर को ईसीएल से 561 मीटर क्षतिग्रस्त ट्रेलिंग केबल प्राप्त हुई, जिसकी मरम्मत कर उसके जमीनी परीक्षण के लिए ईसीएल को वापस भेज दिया गया है। क्षतिग्रस्त केबलों की मरम्मत के पश्चात आईआईटी, खड़गपुर ने इनके जमीनी परीक्षण के लिए इन्हें ईसीएल के खदानों में भेज दिया है। इन तारों के प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा रही है और तभी अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकेगा। दिनांक 09.10.2018 को संपन्न शीर्ष समिति की 28वीं बैठक में उपर्युक्त परियोजना की समापन रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी। दिनांक 18.04.2019 को निर्धारित सीआइएल की आर ऐंड डी बोर्ड की अगली बैठक में इसके परिणाम पर पुन: चर्चा की जाएगी।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
3	हाई एश कोल गैसीफिकेशन तथा संबंधित अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया (कोयला से रसायन, सीटीसी) प्रोजेक्ट कोड: CIL/R & D/03/03/2076 कार्यान्वयन एजेन्सी: आईआईटी-आईएसएम-धनबाद, आईआईटी-रुड़की, सीएमपीडीआईएल-राँची, एमसीएल-सम्बलपुर, ईसीएल-सांकतोड़िया एवं सीसीएल-राँची। तकनीकी सहयोग आईआईटी- आईएसएम, धनबाद तथा ऑस्ट्रेलियायी विश्वविद्यालय (i) कर्टेन विश्वविद्यालय बेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ 6102 (ii) द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, विक्टोरिया 3010, ऑस्ट्रेलिया तथा (iii) मोनास विश्वविद्यालय, क्लेटन, विक्टोरिया 3800, ऑस्ट्रेलिया	2160.721 आईआईटी, आईएसएम के लिए-1872.007 आईआईटी रुड़की के लिए-131.804 एवं सीएमपीडीआईएल, रांची के लिए-156.910	20 जुलाई, 2017	19 जुलाई, 2020	1685.00 आईआईटी, आईएसएम के लिए-1580.00 आईआईटी रुड़की के लिए-105.00 सीएमपीडीआईएल, रांची के लिए- शून्य	**<u>आईआईटी-आईएसएम, धनबाद</u>** क. साहित्य सर्वेक्षण पूरा। ख. परियोजना के लिए आवश्यक सभी उपकरणों की विशिष्टता का फ्रीजिंग कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त उपकरण का स्वदेशी डिजाइन प्रगति पर है। ग. दिनांक 09.01.2018 को सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय) रांची में एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें आईआईटी-आईएसएम, धनबाद,सीएमपीडीआई, सीसीएल, एमसीएल तथा सीआईएल (मुख्यालय), कोलकाता शामिल थे, जिसका उद्देश्य इस परियोजना के लिए आवश्यक उप ऐश % के कोयले का संग्रह एमसीएल, सीसीएल तथा ईसीएल की खानों/सीमों से करना था। **<u>आईआईटी, रुड़की</u>** क. "फिजियोशोरेप्शन / केमिशोरेप्शन सिस्टम" खरीदने का आदेश दे दिया गया था। ख. फ्लो-मीटर के साथ "उच्च दबाव रिएक्टर" और अन्य विश्लेषण सुविधाओं की खरीद प्रक्रियाधीन है। ग. समस्याओं और संभावित समाधानों की पहचान के साथ विभिन्न उत्प्रेरकों के प्रदर्शन की तुलना की गई थी। घ. विभिन्न मार्गों से कैनेटीक्स एवं ऊष्म प्रवैगिकी सहित कुछ इंजीनियरिंग पहलुओं की भी समीक्षा की गई है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
4	माइनिंग स्लोप सरफेस के सुरक्षित क्षेत्र में उपयोगिता का आकलन तथा ग्राउन्ड आधारित इंटरफेरोमेट्री सिंथेटिक अपर्चर रडार (जीबीएलएन एसएआर) कार्यान्वयन एजेन्सी: आईआईटी खड़गपुर और ईसीएल, सांकतोड़िया परियोजना कोड संख्या - CIL/R &D//01/65/2017	478.27 आईआईटी खड़गपुर के लिए- 478.27 ईसीएल के लिए– शून्य	1 अगस्त, 2017	31 जुलाई, 2019	430.00	क. रडार स्थापना के लिए खदान स्थल की पहचान तथा सोनेपुर बाजारी, ईसीएल के परामर्श से कंट्रोल रूम बनाया गया था। ख. आईआईटी, खड़गपुर ने डब्ल्यूपीसी, संचार मंत्रालय, नई दिल्ली में रडार के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन दिया है। सोनेपुर बज़ारी क्षेत्र, ईसीएल में माइन स्लोप मॉनिटरिंग रडार के लिए नियमित मूल्यांकन के संबंध में डब्ल्यूपीसी से आशय-पत्र प्राप्त हो गया था। ग. तदनुसार, उपरोक्त परियोजना के तहत सोनपुर बाजारी में GbInSAR की स्थापना के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान आईआईटी द्वारा ईसीएल के माध्यम से कर दिया गया है। घ. सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर औजारों के साथ सभी GbInSAR उपकरणों की स्थापना और चालू करने का काम दिनांक 04.10.2018 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। ङ. जब से इस उपकरण की स्थापना हुई तब से यह बिना रुके सातों दिन चौबीसों घंटे काम कर रहा था। किंतु आपूर्ति कर्ता के साथ कुछ विवाद होने के कारण 12 मार्च, 2019 से यह अस्थायी रूप से बंद है। च. एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण आईआईटी, खड़गपुर में किया जा रहा है। छ. परिकल्पना के अनुसार 4-6 अक्टूबर, 2018 के दौरान खनन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। परियोजना की शेष अवधि के दौरान और अधिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। विवाद को हल करने और स्थापित उपकरण का जल्द परिचालन शुरू करने के लिए दिनांक 05.04.2019 को आईआईटी खड़गपुर को एक पत्र भेजा गया था और उसकी प्रतिलिपि ईसीएल को भी दी गई थी।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
5	पिट वाटम तथा भूमिगत खदान मार्गों एवं कार्यस्थल का ऑप्टिकल फाइबर आधारित सोलर इल्यूमिनेशन। कार्यान्वयन एजेन्सी: आईआईटी खड़गपुर तथा ईसीएल, सांकतोड़िया परियोजना कोड संख्या - CIL/R &D//01/66/2017	155.53 आईआईटी खड़गपुर के लिए- 155.53 ईसीएल के लिए –शून्य	1अगस्त, 2017	31जुलाई, 2020	120.00	क. प्रारंभिक साहित्य सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। ख. ऑप्टिकल फाइबर को छोड़कर, इस परियोजना के लिए आवश्यक अन्य सभी प्रमुख उपकरण की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिये गए थे। उम्मीद है कि अगस्त, 2018 के अंत तक सभी उपकरण स्थापित हो जाएंगे। ग. फाइबर क्लीवर, स्लिपर्स और प्रकाश युग्मन के लिए खरीद का आदेश दिया जा चुका है और उम्मीद है कि ये उपकरण शीघ्र ही आईआईटी, खड़गपुर आपूर्ति कर दिये जाएंगे। घ. सिमुलेशन और प्रयोगों की मदद से एलईडी लाइट की रोशनी के बिखराव को रोका जा रहा है, ताकि एलईडी लाइट की रोशनी का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। ड. रोशनी के सर्वोत्तम संभव विकल्पों का पता लगाने के लिए तीन प्रकार के एलईडी का परीक्षण किया गया है। च. कम और अधिक लंबाई वाले लेंस का उपयोग करते हुए कुछ ऑप्टिकल फाइबरों में किया गया है। छ. प्रारंभिक प्रयोग किए गए हैं। उपर्युक्त प्रयोगों से और विकसित कपलिंग की सहायता से, लाइट कपलिंग की कार्य-क्षमता को 55% तक बढ़ाया जा सकता है। ज. परियोजना के लिए अन्य आवश्यक प्रयोगशाला प्रयोग आईआईटी, खड़गपुर में किए जा रहे हैं।
6	व्यापक उत्पादन तकनीक के लिए खानों में हवा की आवश्यकता परियोजना कोड : CIL/ R&D/01/63/2016 कार्यान्वयन एजेन्सी: यूएमडी,सीएमपीडीआई (मुख्यालय), राँची	491.27	1 नवंबर, 2016	31 अक्टूबर, 2019	120.39	साहित्य सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। परियोजना के लिए आवश्यक सभी उपकरणों की विशिष्टता को पूरा कर लिया गया है। उपकरण खरीद की प्रक्रिया जारी है। कुछ उपकरणों की खरीद का आदेश पहले ही दिया जा चुका है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
7	जोखिम आधारित खान से आपातकालीन निकासी और पुनः प्रवेश प्रोटोकाल को शामिल करते हुए जोखिम मूल्यांकन और भारत में कोयले तोड़ने के लिए अपेक्षित विस्फोटक क्षमता के निर्धारण द्वारा विस्फोट के खतरे की रोकथाम और शमन के लिए दिशानिर्देशों का विकास परियोजना कोड : CIL/R & D/1/60/2016 कार्यान्वयन एजेंसियां: सिंफर, धनबाद, आईएसएम, धनबाद, एस ऐंड आर डिवीजन, सीआइएल(HQ), कोलकाता और एसआइएमटीएआरएस, ऑस्ट्रेलिया।	1629.71 आईआईटी-आईएसएम के लिए- 833.57 सिंफर के लिए- 796.14	15 अप्रैल, 2016	14 अप्रैल, 2019	1567.76 आईएसएम के लिए - 810.00 सिंफर के लिए- 757.76	**सिंफर, धनबाद:** इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छलनी शेकर, प्रोग्राम करने योग्य भट्टी और इलेक्ट्रॉनिक संतुलन, बम कैलोरी मीटर, 2000 सेल्शियस तक प्रोग्राम करने योग्य एयर ओवन, कण आकार विश्लेषक खरीदे गए हैं। कुछ अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ 20 एल विस्फोट कक्ष की खरीद की प्रक्रिया सिंफर, धनबाद में प्रक्रियाधीन है। बीसीसीएल, एमसीएल और सीसीएल के 25 खानों से नमूना संग्रह का काम पूरा हो चुका है। शेष खदानों से नमूने संग्रह का काम चल रहा है। बीसीसीएल सीसीएल से एकत्रित नमूनों का अनुमानित विश्लेषण, डीएससी और क्रिटिकल ऑक्सीकरण विश्लेषण पूरा हो गया है। 20 एल विस्फोट कक्ष में फैलाव मॉडलिंग का सीएफडी सिमुलेशन कार्य सिंफर, धनबाद में प्रक्रियाधीन है। **आईआईटी-आईएसएम, धनबाद:** एसआइएमटीएआरएस, ऑस्ट्रेलिया के साथ परामर्श से प्रयोगात्मक सेट-अप का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। आईआईटी-आईएसएम, धनबाद में उपकरण खरीद जारी है। आवश्यक उपकरणों की वास्तविक लागत [परियोजना प्रस्ताव में यथा प्रस्तावित] अनुमानित लागत से बहुत अधिक है। प्रत्येक उपकरण [इस परियोजना के लिए चार उपकरण आवश्यक] की वास्तविक लागत अनुमानित लागत से अधिक है। इसी कारण से, आईआईटी-आईएसएम, धनबाद ने एक बार में सभी चार उपकरणों की खरीद का आदेश नहीं दिया है। आईआईटी-आईएसएम, धनबाद से आवश्यक अनुमोदन के बाद, सभी औजारों एवं सॉफ्टवेयरों के साथ विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर सहित गैस क्रोमैटोग्राफ, सॉफ्टवेयर सहितआर-70 सूचकांक का सेट और सॉफ्टवेयर सहित गैस मूल्यांकन विशिष्टता नामक तीन उपकरणों की खरीद के लिए आदेश दे दिया गया है। लागत में वृद्धि के कारण सभी औजारों एवं सॉफ्टवेयर के साथ 30 मीटर लंबे विस्फोट परीक्षण कैनन/ट्यूब की खरीद का आदेश नहीं दिया गया है। दिनांक 23.03.2019 को संपन्न शीर्ष समिति की 29वीं बैठक में इस परियोजना के लागत संशोधन तथा समय विस्तार प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।

3.4. 31 मार्च, 2019 तक ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वित की गयी कोयला मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
1	भूमिगत कोयला खदानों के लिए टेलि-रोबॉटिक एवं दूरस्थ संचालन तकनीक का विकास-एमटी (ईओआई) /162 कार्यान्वयन एजेंसी: सीएमईआरआई, दुर्गापुर, सिंफर, धनबाद एवं सीएमपीडीआईएल, राँची	440.12 सीएमईआरआई के लिए - 251.57, सिंफर के लिए- 125.55 और सीएमपीडीआईएल के लिए - 63.00	सितंबर. 2012	सितंबर. 2019	373सीएमईआरआई के लिए-235.00, सिंफर के लिए- 75.00 तथा सीएमपीडीआईएल के लिए - 63.00	क. इस परियोजना के तहत, ईसीएल के खोट्टाडीह खदान में टेली-रोबोट विकसित किया गया है और इसका क्षेत्र परीक्षण किया गया। ख. विकसित रोबोट पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी करने में सक्षम है, जैसे CO2, CH4, O2 का प्रतिशत, और आर्द्रता एवं तापमान। वास्तविक समय ग्राफिकल-यूजर-इंटरफेज़ (जीयूआई) आधारित नेविगेशन कैमरा सेंसर डाटा से भूमिगत खानों में रोबोट की स्थिति और परिचालन वातावरण के 3 डी तस्वीर को प्रदर्शित करने में सक्षम है। कई वायरलेस राउटर के माध्यम से रोबोट के साथ लंबी दूरी तक संचार भी स्थापित किया गया था। ग. परियोजना के प्रस्तावक को सलाह दी गई कि विकसित रोबोट को ठीक करने के लिए डीजीएसएससे अनुमोदन के बाद ही क्षेत्र परीक्षण किया जाए ताकि पर्यावरण के मापदंडों के अनुपालन के लिए भूमिगत खानों में इसे दूर से उपयोग किया जा सके। घ. एसएएमईईआर, कोलकाता से IS प्रमाणन प्राप्त हो चुका है और सिंफर, धनबाद से प्राप्त अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए गए हैं। ङ. डीजीएमएस से क्षेत्र परीक्षण की अनुमति की प्रतीक्षा है।
2	ब्लास्ट डिजाइन और विखंडन नियंत्रण-उत्पादकता विशेषता-मीट्रिक टन/164 क्रियान्वयन एजेंसी: सिंफर, धनबाद।	303.86	जनवरी. 2013	सितंबर. 2016	250.00	क. सिंफर द्वारा परियोजना समापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ख. ब्लास्टिंग द्वारा रॉक विखंडन पर ब्लास्ट डिजाइन मापदंडों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। निरंतर चार्ज फैक्टर के साथ भार और रिक्ति में भिन्नता के साथ प्रयोगात्मक परीक्षणों से पता चलता है कि घटते बोझ और रिक्ति के साथ खंड का आकार घटता जाता है। ग. निरंतर बोझ और रिक्ति और चर प्रभारी कारक के साथ प्रायोगिक परीक्षण का मतलब है कि बढ़ते प्रभार के कारण खंड आकार में कमी आ गई है। घ. देरी करने वाले डेटोनेटर में प्रकीर्णन विस्फोट के छिद्रों के फायरिंग अनुक्रम को प्रभावित करता है और इसके बाद में प्रति विलंब विस्फोटक भार को बदल दिया गया है। ये परिवर्तन मुख्य रूप से डेटोनेटरों की खराबी के कारण हुए हैं और ब्लास्ट भिन्नता के बढ़े स्तर के साथ वांछित विखंडन स्तर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, विलंब समय और फायरिंग अनुक्रम का रॉक विखंडन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो विस्फोट प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	आरंभ की तिथि	पूरा होने की संशोधित/ निर्धारित तिथि	प्रगतिशील संवितरण (₹ लाख में)	स्थिति
						ङ. यह पाया गया कि ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन आउटपुट तथा सर्वोतम अनुमानित मूल्य लगभग3 होने पर स्टिफनेस अनुपात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च कठोरता मूल्य के मामले में, बोझ या रिक्ति में परिवर्तन का रॉक विखंडन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से बेंच के केंद्र में चट्टान को विस्थापित और ख़राब करना आसान है लेकिन दूसरी ओर, ब्लास्ट होल विचलन से संबंधित समस्या हो सकती है। इस प्रकार, बेहतर परिणामों के लिए कठोरता अनुपात 2 से अधिक होना चाहिए। च. दिनांक 22.12.2017 को आयोजित एसएसआरसी की तकनीकी उप-समिति की 17वीं बैठक में परियोजना के परिणाम पर विचार-विमर्श किया गया। समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सिंफर, धनबाद को उस खदान के प्रबंधन से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी, जहां इस परियोजना के तहत क्षेत्र परीक्षण किया गया। सिंफर द्वारा अभी तक संबंधित खदान से प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3	भारत के दामोदर बेसिन की शेल गैस क्षमता का मूल्यांकन-CE(EoI)/30 कार्यान्वयन एजेंसी: एनजीआरआई, हैदराबाद, सिंफर, धनबाद और सीएमपीडीआईएल, रांची	2038.09 एनजीआरआई के लिए - 813.84 सिंफर के लिए - 169.95 एवं सीएमपीडीआईएल के लिए - 1054.30	दिसंबर, 2012	दिसंबर, 2019	1738.26 एनजीआरआई -790.00, सिंफर -140.00, सीएमपीडीआईएल - 808.26	इस परियोजना के अंतर्गत सभी उपकरण खरीद लिए गए। रानीगंज कोलफील्ड्स के रांगामाटी बी ब्लॉक तथा झरिया कोलफील्ड्स के राधा नगर पीपराटांड ब्लॉक को 3डी सिस्मिक सर्वे के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में चुना गया है। पेट्रोग्राफिक विश्लेषण, एडोप्शन आइसोथर्म जांच, प्रोक्सीमेट विश्लेषण इत्यादि सिंफर, धनबाद तथा एनजीआरआई, हैदराबाद द्वारा किए गए हैं। एनजीआरआई, हैदराबाद द्वारा रानीगंज कोलफील्ड्स के रांगामाटी बी ब्लॉक तथा झरिया कोलफील्ड्स के राधा नगर पीपराटांड ब्लॉक में 3डी सिस्मिक सर्वे किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण का कार्य चल रहा है। कोयला मंत्रालय से धन की संपुष्टि होने के बाद 8 बोर-होल के ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है।

परिशिष्ट-III

3.14 चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परियोजना निगरानी और स्थिति:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की मूल तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	पूरा होने की अपेक्षित तारीख	टिप्पणी
1.	सोनपुर-बाज़ारी संयुक्त ओसी (8.00 एमटीवाई)	1055.05	अगस्त2012	मार्च-2018	मार्च-2020	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2016-17: 8.92 एमटीवाई 2017-18: 9.72 एमटीवाई 2018-19: 10.03 एमटीवाई रेलवे साइडिंग और नए सीएचपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भूमि पर कब्जा करने और आर ऐंड आर कार्य प्रगति पर है।
2.	हुरा-सी ओसी (3.00 एमटीवाई)	359.69	अक्टूबर-2015	मार्च-2022	मार्च-2022	चरण-II वानिकी स्वीकृति और भूमि पर कब्जा प्रक्रियाधीन है।
3	झांझरा संयुक्त पीआर (3.50 एमटीवाई)	602.86	नवंबर-2015	मार्च- 2022	मार्च- 2022	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2016-17: 2.44 एमटीवाई 2017-18: 3.17 एमटीवाई 2018-19:3.38 एमटीवाई
4	न्यू केंडा ओसीपी (1.20 एमटीवाई)	127.72	नवंबर-2014	मार्च-2019	मार्च-2020	दिनांक22.07.2018 से ओबी हटाने का कार्य पुन: शुरू किया गया है। दिनांक 28.12.2018 से कोयला उत्पादन शुरू। वर्ष 2018-19 के दौरान कोयला उत्पादन 0.103 मीट्रिक टन है।
5	कुमारडीह-बीसीएम भूमिगत (1.02 एमटीवाई)	117.91	मई-2014	मार्च-2023	मार्च-2023	इंकलाइन नंबर I की प्रगति:103 मी. आरसीसी बॉक्स सहित 910 मीटर। इंकलाइन-II की प्रगति: 103 मी. आरसीसी बॉक्स सहित 180 मीटर। अगस्त-19 में एक सेट एलएससीएम के शुरू होने की उम्मीद है.
6	चित्रा पूर्व ओसी (आरसीई) (2.50 एमटीवाई)	513.99	अगस्त-2018	मार्च-2024	मार्च-2024	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2017-18:1.56 एमटीवाई 2018-19: 2.03 एमटीवाई चरण-II वानिकी मंजूरी, भूमि कब्जा और आर ऐंड आर कार्य प्रगति पर हैं।
7	मोहनपुर विस्तार ओसी (1.00 एमटीवाई)	14.23	जून-2008	जून-2013	अप्रैल-2019	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन – 2016-17: 0.999 एमटीवाई 2017-18: 0.999 एमटीवाई 2018-19: 0.748 एमटीवाई भूमि पर कब्जा और आर ऐंड आर में देरी हो रही है। विस्तार पीआर (2.50 एमटीवाई) तैयार हो गया था और यह सीआइएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूंजी (₹ करोड़ में)	अनुमोदन की मूल तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	पूरा होने की अपेक्षित तारीख	टिप्पणी
8	खोट्टाडीह सीएम भूमिगत (0.60 एमटीवाई)	127.17	मई-2015	मार्च-2016	दिसंबर-2019	दिनांक14.09.18 को मैसर्स CMATL-SXTD-CMML कंसोर्टियम एजेंसी के साथ जोखिम एवं लाभ के आधार पर सीएम पैकेज के लिए अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
9	खोट्टाडीह विस्तार ओसीपी (1.60 एमटीवाई)	140.25	मई-2017	मार्च-2020	मार्च-2020	निम्नलिखित वर्षों में प्राप्त उत्पादन - 2017-18: 1.28 एमटीवाई 2018-19: 1.07 एमटीवाई बिलपहाड़ी गांव का आर ऐंड आर प्रक्रियाधीन है।
10	सिदुली (ओसी:1.20 एमटीवाई और भूमिगत: 1.63एमटीवाई)	535.18	मई-2018	मार्च-2026	मार्च-2026	भूमि अनुसूची तैयार की जा रही है। अस्थिर स्थान 105 (हटिया बस्ती) के स्थानांतरण के मुद्दे का निपटान एडीडीए के साथ मिलकर किया गया है।
11	नकरकोंडा कुमारडीह बी ओसी (3.00 एमटीवाई	502.68	अगस्त-2018	मार्च-2029	मार्च-2029	भूमि अनुसूची तैयार की जा रही है। ओबी हटाने के लिए एचओई के लिए प्रस्ताव अनुमोदनाधीन है। कोयला के लिए एचईएमएम का मांग-पत्र भेज दिया गया है और यह अनुमोदनाधीन है।
12.	तिलाबनी भूमिगत (1.86 एमटीवाई)	916.62	फरवरी-19	मार्च-2027	मार्च-2027	दिनांक 12.02.2019 को आयोजित सीआईएल बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया था।
13	परसिया- डोबराना भूमिगत (0.16 एमटीवाई)	11.89	फरवरी-2004	मार्च-2009	पुनर्गठन के तहत पीआर	दिनांक 30.10.2018 को ईसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित परसिया-बेलबैद पुनर्गठन के लिए पीआर। सीआईएल बोर्ड के ईएससी के समक्ष रखने के लिए प्रतीक्षित।
14	बेलबैद भूमिगत (0.36 एमटीवाई)	69.01	फरवरी-2009	मार्च-2014	पुनर्गठन के तहत पीआर	
15	नाबाकजोरा- माधबपुर ब्लॉक भूमिगत (0.30 एमटीवाई)	56.14	दिसंबर-2006	मार्च-2014	पुनर्गठन के तहत पीआर	दिनांक01.11.2018 को ड्राफ्ट पीआर (यूजी: 1.32 एमटीवाई; ओसी: 0.80 एमटीवाई) प्रस्तुत. दिनांक 12.11.2018 एवं 23.11.2018 को योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। दिनांक 30.03.2019 को संशोधित पीआर प्रस्तुत किया गया।
16	खांद्रा एनकेजे (0.285 एमटीवाई)	18.81	जुलाई-2003	मार्च-2009	पुनर्गठन के तहत पीआर	पुनर्गठन के तहत पीआर
17	बांकोला आर-VI (0.24 एमटीवाई)	19.14	मार्च-2003	मार्च-2009	पुनर्गठन के तहत पीआर	पुनर्गठन के तहत पीआर
18	नारायणकुरी भूमिगत (0.54 एमटीवाई)	149.06	फरवरी-2009	मार्च-2015	पुनर्गठन के तहत पीआर	पुनर्गठन के तहत पीआर

परिशिष्ट :- IV

प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 2018-2019

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन:

भारत, समान विद्युत क्रय शक्ति के आधार पर, अनुमानित जीडीपी के साथ संयुक्त राष्ट्र और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है ताकि प्रभावी एवं कुशल खनन पद्धति, सुरक्षा सुनिश्चितता, सतत गुणवत्ता तथा ग्राहक संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर, किफायती लागत और खदानों की व्यवहार्यता में सुधार के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। कोयला भारत के एक प्रमुख ईंधनों में से एक है और यह भविष्य में भी भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रमुख ईंधन बना रहेगा।

भारतीय कोयला उद्योग एवं भंडार :

अप्रैल, 2018 को, भारतीय कोयले का अनुमानित भूगर्भीय स्रोत 1200 मीटर की गहराई तक 319.02 बिलियन टन था (स्रोत: जीएसआई, भारत सरकार)।भारत में, कोयले की उपलब्धता एवं सस्ता होने के कारण, यह ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मुख्य ईंधन है।

परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सामान्य परिचय :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की शुरूआत 01 नवंबर, 1975 को कोल इंडिया की एक अनुषंगी कंपनी के रूप में हुई थी, जिसके अंतर्गत कोयला खनन प्राधिकरण लिमिटेड के पूर्वी संविभाग के साथ 414 खदानों को शामिल किया गया था तथा उसी दिन से कंपनी ने अपने व्यावसायिक परिचालन की शुरूआत कर दी। इसका परिचालन पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्य में होता है। वर्तमान में, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुल 14 परिचालन क्षेत्रों के अंतर्गत 84 चालू खदानें हैं, जिनमें से 54 भूमिगत खदानें, 20 खुली खदानें तथा 10 मिश्रित खदानें हैं। दिनांक 01.04.2018 के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 31.67 बिलियन टन तथा झारखंड में 19.16 बिलियन टन (कुल 50.83 बिलियन टन) कोयले के रिजर्व के साथ ईसीएल भारत में सर्वोत्तम गुणवत्ता युक्त कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियों में से एक है।

शक्ति एवं कमजोरी:
प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति:

क. पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत ईसीएल कमान क्षेत्र में कुल 31.67 बिलियन टन कोयले का भूगर्भ भंडार है जिसमें से 14.16 बिलियन टन प्रमाणित श्रेणी में आता है। ईसीएल में रानीगंज में 20% से कम ऐश कंटेन्ट सहित प्रीमियम श्रेणी का कोयला है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस कोयले को अन्य अनुषंगी कंपनियों से मिले उच्च राख वाले कोयले के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

ख. दिनांक 01.04.2018 (जीएसआई के अनुसार) तक झारखंड राज्य में 600 मीटर नीचे तक लगभग 19.12 बिलियन टन कोयले का भंडार है, जिसमें से 5.76 बिलियन टन प्रमाणित श्रेणी में आता है, जिसे खुले खदान बनाकर आसानी से निकाला जा सकता है।

ग. हमारे कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम हैं।

घ. ईसीएल की खदानें राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे कॉरीडोर के आसपास स्थित हैं, जिससे कोयले की निकासी में सुविधा होती है।

ङ. ईसीएल की खदानों का कोयला 6700 किलो कैलोरी/किलो ग्राम से 3401 किलो कैलोरी/किलो ग्राम के सकल ताप मूल्य (जी3-जी13) तक के रेंज का होता है, जिससे इसके उपभोक्ता मिलने में आसानी होती है।

च. ईसीएल को ब्राह्मणी और अमरकोंडा-मुरगादंगल कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं और इनमें क्रमशः1900 एमटी और 900 एमटी का विशाल कोयला भंडार हैं। इससे आने वाले वर्षों में ईसीएल की उत्पादन क्षमता में सुधार होगा और यह निकट भविष्य में ईसीएल को 100 एमटी की कोयला कंपनी बनाने में सहायक होगा।

कमजोरियाँ:

क. रानीगंज में कोयले की खदान की शुरूआत लगभग 250 वर्ष पहले हुई थी। अभी भी कंपनी में परंपरागत छोटी खदानें, वाष्प चलित वाईंडर मौजूद हैं, जो अपनी क्षमता से काफी कम काम करती हैं।

ख. कठिन भूगर्भीय परिस्थिति।
ग. जनसंख्या-घनत्व अधिक होने के कारण भूमि-अधिग्रहण में रूकावट आती है।
घ. कोयलाधारित क्षेत्र में आधारभूत संरचना काफी अधिक है, जो कि खुले खदान को प्रभावित करती हैं।
ङ. पम्पिंग एवं बालू भराई की लागत काफी अधिक है।
च. ऊपरी सीमों में भारी जल-जमाव के कारण निचली सीमों में 'वृहत उत्पादन तकनीक' शुरू करने में रूकावट आती है।

अवसर और चुनौतियां:

अवसर:

क. ई-मार्केटिंग के माध्यम से कोयले के बेहतर मूल्य की प्राप्ति।
ख. अवैध खनन को रोकने के लिए छोटे ओसी पैचों फिर से शुरू करना।
ग. उत्पादन व उत्पादकता की क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से सकारात्मक सहयोग प्राप्त होना।
घ. समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों से मिलने वाले सहयोग में वृद्धि।
ङ. हाईवाल माइनिंग तकनीक की शुरूआत।
च. ईसीएल के पट्टाधारित क्षेत्र में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) का अन्वेषण एवं निष्कासन।

चुनौतियाँ:

क. ग्रामीणों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध और कंपनी-मानक से अधिक की मांग करना।
ख. अव्यवहार्य भूमिगत खदानों को बंद करने का विरोध।
ग. ऊपरी सतह में भारी जल-जमाव के कारण 'व्यापक उत्पादन तकनीक' शुरू करने तथा खुली खानों के विस्तार के लिए जमीन की कमी।

कारोबारी रणनीतियां:

क. भारतवर्ष में कोयले की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए उत्पादन, उत्पादकता एवं क्षमता को निरंतर बढ़ाते रहना।
ख. उच्च श्रेणी के कोयले की बिक्री और ई-ऑक्शन के माध्यम से राजस्व वसूली में वृद्धि करना।
ग. परिचालन में सुधार एवं किफायती लागत के माध्यम से लाभ को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित करना।
घ. विस्तृत अन्वेषण द्वारा भंडार क्षेत्र को सतत बढ़ाते रहना।
ङ. पर्यावरण एवं समाज की दृष्टि से संधारणीय परिचालन के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
च. अतिरिक्त राजस्व सृजन करने के लिए कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम) एवं गैसीफिकेशन का अन्वेषण एवं निष्कासन।
छ. अलाभकारी खदानों को बंद करना।
ज. श्रमशक्ति का युक्तिकरण।

बिजनेस रणनीति के एक हिस्से के रूप में कंपनी ने वैश्विक चुनौतियों की पहचान की है और इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कंपनी में विभिन्न पहलों को मिशन मोड में शुरू किया गया है जिनका उद्देश्य कंपनी के मिशन, विजन और उद्देश्य को नए सिरे परिभाषित करना है। कंपनी ने मिशन मोड में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य कंपनी की छवि को एक नया रूप दिया जाना भी है:

1. मिशन सुदेश: (SuDESHH - Sustainable Development, Environment, Safety, Health & Hygiene) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य सतत विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, एवं स्वच्छता है। संधारणीय विकास का प्रमुख सारतत्व, भावी-पीढ़ी के अधिकारों से समझौता किए बिना वर्तमान-पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए, ईसीएल वैश्विक चुनौतियों स्वीकार करता है और उसे समझता है, जिसके तहत संधारणीय विकास, पर्यावरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दे आते हैं और इसलिए, एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते, मिशन सुदेश: (SuDESHH) का उद्देश्य एक स्थायी और बेहतर ईसीएल का निर्माण करना है।

2. मिशन संजीवनी (SANJIBANI - Systemic Advancements, New Jobs, Integrated Business & New Initiatives) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य व्यवस्थित उन्नति, नये रोजगार, एकीकृत व्यवसाय और नई पहलें है।

3. मिशन सुमित (SUMIT - Systematic Upgradation of Mining & Information Technology) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य खनन और सूचना प्रौद्योगिकी का योजनाबद्ध रूप से उन्नयन करना है। चूंकि, लगभग सभी खदानों में बहुत पुराने एवं परंपरागत तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए सुमित (SUMIT) परियोजना के माध्यम से सूचना-प्रौद्योगिकी के साथ खदानों एवं संबद्ध प्रक्रियाओं को एकीकृत करने की जरूरत महसूस की जा रही थी।

4. मिशन धरोहर (DHAROHAR) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य संग्रहालय का निर्माण करके देश में कोयला खनन की विरासतों, प्राचीन भवनों, संयंत्रों, उपकरणों, मशीनों, यंत्रों, औजारों, धरोहर प्रकृति के मॉडलों की रक्षा एवं उनका संरक्षण करना है।

5. मिशन जटायु (JATAYU) की शुरूआत सतर्कता जागरूकता सप्ताह- 2018 के दौरान किया गया था, जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि को नया रूप देने के लिए कर्मचारियों के बीच फाइट (FITE - Fairness, Integrity, Transparency & Equality) अर्थात निष्पक्षता, अखंडता, पारदर्शिता एवं समानता को बढ़ावा देना है।

6. मिशन संबंध (SAMBANDH) की शुरूआत की गयी है, जिसका उद्देश्य समस्या निवारक एवं समाधान प्रदाता के रूप में व्यापक पैमाने पर सभी हितधारकों और समुदाय तक संपर्क स्थापित करना है, जो अंततः ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के सुचारु रूप से शुरू करने और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को आसान बनाने में सहायक होगा।

7. मिशन इंद्रधनुष (INDRADHANUSH) की शुरूआत देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों, त्योहारों, नृत्य, संगीत और जातीयता को आत्मसात करने के लिए किया गया है। इस पहल के माध्यम से, अलग-अलग क्षेत्रों के विभिन्न उत्सवों को अलग-अलग इकाइयों में आयोजित किया जाता है, जिससे ईसीएल कर्मचारियों तथा इनके पारिवारिक सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना का विकास होता है और इससे ईसीएल के प्रसन्नता सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स) में भी वृद्धि हुई है।

8. मिशन सुदेश: (SuDESHH) के तहत सुदेश: "मितवा (SuDESHH-MITWA)" नामक एक और मिशन की शुरूआत 1 दिसंबर, 2018 को 'विश्व एड्स दिवस' के अवसर पर किया गया है, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

9. मिशन "मितवा (MITWA)" की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य उचित कार्य संस्कृति के विकास के साथ-साथ ओपनकास्ट और भूमिगत खदानों में सभी उपकरणों एवं मशीनरियों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना है।

उत्पादन:

विवरण	2018-19	2017-18
ओसीपी - कोल (एमटी)	41.10	34.97
भूमिगत कोल (एमटी)	9.06	8.60
कुल (एमटी)	50.16	43.57
वृद्धि %	15.13	7.53
ओबीआर - (एमसीयूएम)	126.06	118.89
विवरण%	6.03	-4.61

विभाग-वार या उत्पादन-वार कार्य निष्पादन :

(मिलियन टन में)

विवरण	2018-19	%	2017-18	%	वृद्धि (%)
एफएसए के तहत बाहरी कंपनियों को प्रेषण	45.006	89.29	39.093	89.60	15.13
ई-नीलामी	3.538	7.02	3.059	7.01	15.69
समझौता ज्ञापन के तहत प्रेषण	1.603	3.18	1.192	2.73	34.44
अन्य	0.075	0.15	0.090	0.21	-16.28
हमारी खपत	0.184	0.37	0.195	0.45	-5.55
कुल ऑफटेक	50.407	100.00	43.629	100.00	15.54

हमारे ग्राहक :

ईसीएल में उत्पादित अधिकांश कोयले को ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति की जाती है। इसके साथ विभिन्न उद्योगों जैसे कि स्टील, सीमेंट, स्पंज आयरन, रक्षा एवं अन्य विभिन्न उद्योगों में भी कोयले की आपूर्ति की जाती है।

परिवहन, आधारभूत संरचना और लॉजिस्टिक :

खदान/कार्यस्तल से निकाले गए कोयले को वितरण स्थान तक टिपिंग ट्रक और मालवाहक बेल्ट के माध्यम से पहुँचाया जाता है। ग्राहकगण तक कोयले का वितरण रेल मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल एमजीआर पद्धति के माध्यम से पहुँचाया जाता है।

प्रेषित सभी खेप का वजन ईसीएल के धर्मकांटों (वे-ब्रिजों) पर किया जाता है, जो हमारे सभी प्रेषण केंद्रों पर उपलब्ध हैं अथवा रेलवे के नजदीकी धर्मकांटों (वे-ब्रिजों) पर किया जाता है। प्रेषण केंद्रों से हमारी बिक्री ''फ्री ऑन रेल'' या ''फ्री ऑन रोड'' दोनों माध्यमों से की जाती है, ग्राहक रेल मार्ग या सड़क मार्ग में से किसी एक परिवहन के मार्ग का चयन कर सकते हैं। खदान से निर्धारित प्रेषण स्थल तक कोयले के परिवहन का व्यय उपभोक्ता द्वारा किया जाता है।

हमारे खदानों से कच्चे कोयले के परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न परिवहन विधियों से संबंधित विवरण निम्नलिखित है।

(मिलियन टन में)

प्रेषण की विधि	2018-19	2017-18
रेल	34.171	30.430
रोड	2.409	1.814
मैरी गो-राउंड (एमजीआर)	13.644	11.191
कुल	50.223	43.435

कोयले का मूल्य :

वर्तमान समय में कोकिंग कोयले का मूल्य दिनांक 01.01.2012 से प्रभावी उसके सकल कैलोरिक मूल्य पर निर्भर करता है और कोकिंग कोयला और वाशरी ग्रेड कोयले का मूल्य निर्धारण उसके राख की मात्रा के स्तर पर किया जाता है। सेमी-कोकिंग कोल के मूल्य का निर्धारण उसके राख एवं नमी के स्तर पर निर्भर करता है। कोयले के मूल्य का संशोधन आवक लागत, मुद्रास्फीति और आयात कोयले के रख-रखाव-खर्च के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ग्राहक के लिए तय किए गए मूल्य में मूल और अन्य खर्च (उपकर, राजस्व, सीमा शुल्क, विक्रय कर और अन्य) को शामिल होता है। ईसीएल और उससे जुड़े ग्राहकों के बीच हुए दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसएएस) के अंतर्गत लगभग 90% कोयले की बिक्री की जाती है। इसके अतिरिक्त, ई-नीलामी योजना के अंतर्गत भी कोयले की बिक्री की जाती है।

वितरण एवं बाजार नीति :

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के ग्राहकों से प्राप्त, कोयले की दीर्घावधि एवं अल्पावधि माँग को अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुशासन के साथ आश्वस्त, निरंतर, पारदर्शी और कुशल तरीके से पूरा करने के लिए 18 अक्तूबर 2007 में एनसीडीपी जारी की गई है।

ई-नीलामी योजना:

जो ग्राहक एनसीडीपी के अंतर्गत संस्थागत तंत्र के माध्यम अपने कोयले की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, ऐसे ग्राहकों को कोयला उपलब्ध कराने के लिए कोयले की ई-नीलामी योजना की शुरूआत की गई है। कोयला मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के अंतर्गत ऑफर किए गए कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है। ई-नीलामी योजना से ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला उपलब्धता का भी एक विकल्प तैयार होता है।

ईंधन आपूर्ति समझौते :

एनसीडीपी के शर्त के आधार पर, कोयला कंपनी ने एक कानूनी ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) किया है, जो कि ग्राहकों या राज्य सरकार के द्वारा नामित एजेंसियों से जुड़कर ग्राहकों को उचित वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराती है। हमारे ईंधन आपूर्ति समझौते को वृहत रूप से निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है:-

1. विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र, जिसमें कि राज्य विद्युत उपयोग, निजी विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (पीपीएस) और स्वतंत्र विद्युत उपयोग करने वाले क्षेत्र (आईपीपीएस) के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता किया गया है।
2. गैर-विद्युत उद्योगों में (कैप्टिव विद्युत संयंत्र सहित) ग्राहक के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता।

3. राज्य की नामित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता।

4. लिंकेज नीलामी मार्ग द्वारा ईंधन आपूर्ति समझौता।

अनुसंधान एवं विकास:

अनुसंधान एवं विकास के लिए ईसीएल सीआईएल की एक अनुषंगी कंपनी सीएमपीडीआईएल के साथ जुड़ी हुई है। अनुसंधान कार्य को करने के लिए सीएमपीडीआईएल एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, राशि वितरित करती है और साथ ही हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों की निगरानी भी करती है।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति और उसकी उपयुक्तता:

नियंत्रण और अनुपालन के दृष्टिकोण से आंतरिक लेखा-परीक्षा का अत्यंत महत्व है। प्रत्येक व्यवसाय/कार्यों की समय-समय पर समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि उद्देश्य, उपयोगकर्ता (एसओपी) मैनुअल एवं नियंत्रण सही हैं और निदेशक मंडल एवं लेखा-परीक्षा समितियों को आश्वासन प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लेखा-परीक्षा जोखिम नियंत्रण प्रभावी रूप से और कुशलता से काम कर रहे हैं। एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा, बोर्ड को अपने शासन का निर्वहन करने और जिम्मेदारियों को नियंत्रित करने में सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जारी किए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस के विभिन्न संहिताओं ने इस तथ्य का भी अनुकरण किया है कि आंतरिक लेखा-परीक्षा किसी भी संगठन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की पूरी आंतरिक लेखा-परीक्षा चार्टर्ड या लागत लेखाकारों की स्वतंत्र बाहरी ऑडिट फर्मों को सौंपी जाती है। मुख्यालय सहित कंपनी के पंद्रह क्षेत्र/इकाइयों के आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करने वाली पंद्रह ऑडिट फर्म हैं। चयन प्रक्रिया में उच्चतम स्कोर रखने वाली फर्मों में से एक को 'सेंट्रल इंटरनल ऑडिटर' या 'लीड ऑडिटर' का काम सौंपा जाता है। कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों का चयन विधिवत गठित समिति द्वारा 'इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (इआइओ)' प्रक्रिया के माध्यम से और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संरचित चयन प्रक्रिया के अनुसार और सख्त अनुपालन से किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग (मुख्यालय) के प्रमुख द्वारा की जाती है। कोल इंडिया लिमिटेड ने ऑडिट फर्मों की शॉर्ट-लिस्टिंग और चयन के लिए विस्तृत मानदंड सहित उनकी नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें भी निर्धारित किए हैं और सामान्य कार्य के साथ कार्य का दायरा भी निर्धारित किया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा फर्मों की नियुक्ति को शॉर्टलिस्ट कमेटी द्वारा चयन के लिए शॉर्टलिस्ट और प्रस्तावित किया जाता है, अनिवार्य रूप से कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन हेतु ऑडिट कमेटी के मूल्यांकन और सिफारिश के अधीन हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षक अपनी आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट इकाई/क्षेत्र प्रमुखों के साथ-साथ आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग (मुख्यालय), निदेशक (वित्त) और कोल इंडिया लिमिटेड को मासिक आधार पर प्रस्तुत करते हैं। वे एक विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं जिसमें कंपनी के संचालन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFC) के अनुप्रयोग और प्रभावशीलता पर उनके अवलोकन और टिप्पणियां पर नियमित मूल्यांकन शामिल होता है।

आंतरिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी होने के नाते, इसकी लेखा-परीक्षा महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा (जिसे पहले, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी के रूप में जाना जाता है) के कार्यालय से लेखा-परीक्षा कर्मियों द्वारा और भारत सरकार के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के द्वारा भी किया जाता है। सरकारी लेखा-परीक्षकों द्वारा कंपनी के विभिन्न क्षेत्र/इकाइयों में नियमित अंतराल पर, विशेष लेखा-परीक्षा कार्यक्रमों एवं कार्यक्षेत्र के अनुसार, 'निरीक्षण/लेन-देन का लेखा-परीक्षा' किया जाता है,जो पीएसयू विशेष के लिए डीजीसीए द्वारा डिज़ाइन किया गया है। लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों से युक्त निरीक्षण रिपोर्ट, सरकार, डीजीसीए के लेखा-परीक्षकों, संबंधित निदेशकों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार की जाती हैं। ट्रांजेक्शन ऑडिट के अलावा, सरकारी लेखा-परीक्षण कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को प्रमाणित करने के उद्देश्य से वार्षिक ऑडिट भी करते हैं।

केंद्रीय आंतरिक लेखा परीक्षकों (लीड ऑडिटर्स) को अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले और इसे लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पहले, इसका अंतिम रूप वे विभागाध्यक्ष, आईएडी के परामर्श से तैयार करना आवश्यक है। उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे संबंधित क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ आवश्यक समन्वय और संचार के माध्यम से सभी ऑडिट टिप्पणियों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें। कंपनी/सीआइएल की लेखा परीक्षा समिति,आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और कंपनी से संबंधित प्रक्रियात्मक अनुप्रयोगों पर कड़ी निगरानी रखती है। आंतरिक लेखा परीक्षकों की महत्वपूर्ण टिप्पणियों को समय-समय पर समीक्षा के लिए लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। लेखा-परीक्षा समिति द्वारा इस तरह के अवलोकनों पर विचार करने के लिए आवश्यक अनुपालन और कार्यान्वयन हेतु विधिवत निर्देश (यदि कोई हैं) निर्गत किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के लेखा-परीक्षा में ईसीएल के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में काम करने वाली विभिन्न ऑडिट फर्मों ने कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों और इकाइयों में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर संतोष व्यक्त किया है। इस प्रकार कंपनी के पास कंपनी के आकार और उसके द्वारा किए गए व्यापार लेनदेन की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण हेतु एक सक्षम प्रणाली मौजूद है।

भंडार (स्टोर) लेखा परीक्षा:

गोदाम (स्टोर) लेखा परीक्षा की अवधारणा को वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रभावी रूप से कंपनी में लाया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की

नियुक्ति 'इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (इआइओ)' प्रक्रिया के माध्यम से चार्टर्ड / कॉस्ट एकाउंटेंट्स की चार बाहरी ऑडिट फर्मों को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक ऑडिट फर्मों को डीजल एवं लुब्रिकेंट सहित सभी स्टोरों और पुर्जों के सत्यापन के लिए केंद्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्र और कार्यशाला के एक विशिष्ट क्लस्टर का ऑडिट असाइनमेंट आवंटित किया गया है। लेखा परीक्षकों को प्रणाली की पर्याप्तता और सामग्री के भंडारण और प्राप्ति पर टिप्पणी करना आवश्यक है, ताकि सामग्रियों को नुकसान एवं चोरी से बचाया जा सके। सभी स्टोर सामग्रियों के स्टॉक को भौतिक रूप से सत्यापित करने और कार्डेक्स शेष के संदर्भ में टिप्पणी करने की आवश्यकता है। भौतिक और भंडार बही में कमी/अधिकता के संबंध में अंतर/विसंगतियों (यदि कोई हो) का मिलान लेन-देन के विवरण में जाकर उनका किया जाएगा और भौतिक शेष का मिलान मूल्य स्टोर बही के साथ कार्डेक्स शेष एवं लेखा (टैल्ड) से करना आवश्यक होगा।

लागत लेखा-परीक्षा:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(6) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम2014, के नियम 6(6), वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म-सीआरए-4 में लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को 8 अक्टूबर, 2018 को केंद्र सरकार के साथ दायर किया गया था।

परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

परिचालन का परिणाम:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18	वृद्धि (%)
सकल बिक्री	18385.03	15250.11	20.56%
घटाएं: लेवी	5470.68	4624.10	18.31%
शुद्ध बिक्री	12914.35	10626.01	21.54%
अन्य आय	993.14	841.65	18.00%
कुल आय	13907.49	11467.66	21.28%

कोयले की बिक्री से आय:

बिक्री को सकल बिक्री शुद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें (I) कोयले और माल एवं सेवाकर पर रॉयल्टी, उपकर सहित विभिन्न वैधानिक शुल्क शामिल। कोयले की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कोयले एवं वितरण के मूल्य निर्धारण एवं उत्पादन पर निर्भर करती है।

व्यय:

प्रमुख मदों का ब्रेक-अप:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18	वृद्धि	
			शुद्ध	वृद्धि (%)
स्टॉक में (वृद्धि)/ह्रास	109.50	33.53	75.97	226.57%
स्टोर और स्पेयर्स	721.71	656.99	64.72	9.85%
उत्पाद शुल्क	0.00	146.14	-146.14	-100.00%
वेतन एवं मजदूरी	7448.47	8415.89	-967.42	-11.50%
विद्युत एवं ईंधन	476.39	506.06	-29.67	-5.86%
सामाजिक व्यय	16.46	12.69	3.77	29.71%
संविदात्मक व्यय	1929.81	1587.39	342.42	21.57%
मरम्मत	141.12	153.41	-12.29	-8.01%
अन्य व्यय	643.04	551.12	91.92	16.68%
ओबीआर समायोजन	456.24	274.04	182.20	66.49%
वृद्धि/ह्रास	494.98	443.99	50.99	11.48%
प्रावधान	8.28	-1.24	9.52	767.74%
कर से पहले कुल व्यापक आय	1298.39	-1303.10	2,601.49	199.64%

विवरण	2018-19	2017-18	वृद्धि	
			शुद्ध	वृद्धि (%)
कर के बाद कुल व्यापक आय	706.38	-824.17	1,530.55	185.71%

नकदी प्रवाह:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
आरंभिक नकद एवं नकद समकक्ष	783.39	737.44
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	420.57	1320.15
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद	-718.68	-1268.16
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी	-6.60	-6.04
नकद और नकदी समतुल्य में परिवर्तन	-304.71	45.95
अंतिम नकद एवं नकदी समकक्ष	478.68	783.39

31 मार्च, 2019 तक समझौता ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां:

क्र. सं.	मानक	इकाई	वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
1	परिचालन से राजस्व	₹ करोड़	₹11519.36 करोड़	₹13409.77 करोड़
2	परिचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (शुद्ध)	%	-14%	5.97%
3	पिछले वर्ष की तुलना में कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय में कमी	%	4.20%	24.43%
4	तैयार माल और कार्य-प्रगति के मालसूची से परिचालन से राजस्व (शुद्ध)	दिनों की सं.	15 दिन	6.49 दिन
5	संचालन (सकल) से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य (शुद्ध)	दिनों की सं.	42 दिन	31.31 दिन
6	समग्र आधार पर ऋण के रूप कंपनी के विरुद्ध दावों में कमी, जिसे स्वीकार नहीं किया	%age	5%	-12.11%

मानव संसाधन विकास:

श्रमशक्ति:

श्रेणी	इस तिथि तक श्रमशक्ति		वृद्धि (+)/ ह्रास (-)
	31.03.2019	31.03.2018	
अधिकारी	2084	2217	-133
पर्यवेक्षक	4097	4197	-100
लिपिकीय संवर्ग	2310	2559	-249
अत्यधिक कुशल/कुशल	19982	21090	-1108
अर्ध-कुशल/अकुशल	30141	30978	-837
प्रशिक्षु (गैर-अधिकारी)	1084	755	329
कुल	**59698**	**61796**	**-2098**

श्रमशक्ति में अंतर के कारण:

विवरण	अधिकारी	गैर-अधिकारी	कुल
वृद्धि			
नयी नियुक्ति	63	106	169

विवरण	अधिकारी	गैर-अधिकारी	कुल
चिकित्सकीय अयोग्य मामलों के एवज में नियुक्ति	0	13	13
मृत्यु के मामलों के एवज नियुक्ति.	0	703	703
पुनर्स्थापना/ पुन: नियोजन	0	39	39
अन्य कंपनियों से स्थानांतरण	59	31	90
भूमि के बदले नियोजन	0	412	412
विशेष महिला वीआरएस के बदले नियोजन	0	3	3
गैर-अधिकारी से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति	2	0	2
अधिकारी से गैर-अधिकारी संवर्ग में वापसी	0	0	0
कुल वृद्धि (क)	**124**	**1307**	**1431**
कमी			
सेवानिवृत्ति	132	2456	2588
मेडिकल अनफिट	0	4	4
मृत्यु	7	558	565
इस्तीफा	30	10	40
अन्य कंपनियों को स्थानांतरण	69	75	144
बर्खास्तगी / सेवा समाप्ति	19	19	38
जीएचएस/ ईवीआरएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	0	148	148
विशेष महिला वीआरएस	0	0	0
गैर-अधिकारी से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति	0	2	2
अधिकारी से गैर-अधिकारी संवर्ग में वापसी	0	0	0
कुल कमी (ख)	**257**	**3272**	**3529**
भिन्नता (क-ख)	**-133**	**-1965**	**-2098**

औद्योगिक संबंध :

कंपनी में औद्योगिक संबंध बड़े सौहार्दपूर्ण हैं। कार्यकर्ता अब बाहरी मुद्दों का समर्थन नहीं करते हैं। औद्योगिक संबंध और विधि-व्यवस्था से संबंधित आँकड़े निम्नलिखित हैं:

क्र .सं.	विषय	2018-19	2017-18
1	हड़तालों की सं.	01 (2 दिन)*	0
2	श्रम दिवस की हानि (लाख में)	0.04	0
3	उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.05	0

* सरकार के कुछ नीतिगत मामलों जैसे, कोयला खदानों का व्यावसायीकरण, श्रम कानूनों में संशोधन आदि के विरोध में एचएमएस एवं एआइटीयूसी जैसे केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा ईसीएल में दो दिनों की हड़ताल बुलायी गयी थी, जिसका समर्थन, टीयूसीसी, यूटीयूसी, सीएमएल, सीएमडब्ल्यूयू (क्षेत्रीय व्यापार संघ) द्वारा किया गया था। यह हड़ताल आंशिक थी और ईसीएल में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और तदनुसार इसे वापस ले लिया गया था।

कानून एवं व्यवस्था

विषय	2018-19	2017-18
विधि व्यवस्था (अशांति)	22	24
उत्पादन हानि (लाख टन में)	0.8	0.02

प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता:

ईसीएल में, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता का कंपनी में विभिन्न स्तरों पर पूरी तरह अनुपालन किया जाता है। संयुक्त सलाहकार समितियां कॉर्पोरेट, क्षेत्र और परियोजना/ इकाई स्तरों पर संचालित हैं। जेसीसी बैठक में उत्पादन, उत्पादकता, आदि जैसे गंभीर एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अन्य समिति/बोर्ड के अलावा, हमारी कंपनी में द्विपक्षीय सुरक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय सुरक्षा समिति और कोलियरी सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड आदि भी कार्य कर रही हैं। प्रमुख श्रमिक संगठन ऐसी समिति में भाग लेते हैं और प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच विश्वास एवं सद्भावना को मजबूत करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही के संबंध में चर्चा करते हैं।

बैठक	2018-19	2017-18
मुख्यालय स्तर पर आयोजित जेसीसी बैठकों की सं.	05	04
मुख्यालय स्तर पर आयोजित संरचित बैठक की सं.	20	26

एनसीडब्ल्यूए एवं एलएलएस के तहत प्रदान किया गया नियोजन:

निम्नलिखित के तहत नियोजन	2018-19	2017-18
एनसीडडब्ल्यूए	728	369
लैंड लॉस योजना	305	298
सीधा नियोजन	105	177

भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण:

अनुसूचित जाति (अनु.जा.), अनुसूचित जनजाति (अनु.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) की भर्ती के मामले में राष्ट्रपति के निर्देश ईसीएल में लागू किए गए हैं। कुल श्रमशक्ति में एससी और एसटी उम्मीदवारों की भागीदारी निम्नानुसार है:

इस तिथि तक	कुल श्रमशक्ति	अनु.जा. अभ्यर्थी		अनु.ज.जा. अभ्यर्थी	
		संख्या	%	संख्या	%
31.03.2019	59698	16520	27.67	7837	13.12
31.03.2018	61796	16987	27.48	8065	13.05

वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए 1297 पदोन्नति में से, अ.जा. समुदाय के 173 उम्मीदवारों और अ.ज.जा. के 86 उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया, जो वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः 205 एवं 115 था। वर्ष 2017-18 में 16611 की तुलना में दिनांक 31.03.2019 को कार्यरत ओबीसी कर्मचारियों की सं. 16,124 थी।

श्रमिक संघ:

ईसीएल के कर्मचारी काफी संगठित हैं और शायद ही ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी भी यूनियनों के सदस्य नहीं हैं। प्रमुख सक्रिय संघ आइएनटीयूसी, एआइटीयूसी, एचएमएस, बीएमसी, यूटीयूसी, सीआईटीयू, आईएनटीटीयूसी आदि हैं। अधिकारी सीएमओएआई के सदस्य हैं। गैर-अधिकारी कर्मचारियों की सेवा, वेतन पुनरीक्षण और अन्य शर्तें जेबीसीसीआई द्वारा प्रतिपादित नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (एनसीडब्ल्यूए), प्रमाणित स्थायी आदेश और सरकारी निर्देशों के अधीन होती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण:

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार गठित ईसीएल की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान आईसी, ईसीएल द्वारा यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई।

31 मार्च, 2019 तक एचआरएम मानकों के समझौता ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां:

क्र. सं.	मानक	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	लोगों की क्षमता परिपक्वता मॉडल (पीसीएमएम) या सीपीएसई में समकक्ष के अनुरूप स्तर का आकलन और मामले पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के समक्ष रखने के लिए, कि क्या इसके स्तर में उन्नयन किया जाना है और यदि हाँ, तो बोर्ड से समय पर अनुमोदन प्राप्त करना और यदि नहीं, तो बोर्ड प्रस्ताव (दिनांक) में औचित्य पूर्ण कारण दर्ज करना।	दिनांक	within 15.12.2018	उत्कृष्ट। अधिकारी स्थापना विभाग द्वारा पीसीएमएम के अनुरूप मूल्यांकन किया गया था और सिफारिशों को ईसीएल बोर्ड द्वारा 07.12.2018 को मंजूरी दी गई थी।
2.	ऑडिट (तिथि) की सिफारिशों पर बोर्ड का मानव संसाधन लेखा परीक्षा एवं निर्णय।	दिनांक	within 15.12.2018	उत्कृष्ट। अधिकारी स्थापना विभाग द्वारा एचआर ऑडिट संचालित किया गया था और सिफारिशें ईसीएल बोर्ड द्वारा 07.12.2018 को अनुमोदित की गई थीं।

3	वित्त विभाग द्वारा ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) को एकीकरण सहित कार्यान्वयन (ऑनलाइन डाटा प्रशासन, कर्मचारी स्वयं-सेवा, निकास प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन, आदि शामिल)	दिनांक	within 15.12.2018	उत्कृष्ट। ऑनलाइन एचआरएमएस को सीआईएल द्वारा विकसित किया गया था और 13.12.2018 को ईसीएल को भेजा गया था। तदनुसार यह ईसीएल में लागू किया गया था।

प्रशिक्षण:

हम पूरे वर्ष के दौरान सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करना चाहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट (IICM) जिसका गठन 1994 में कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा किया गया था, जो अधिकारियों को उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, उन्नत रख-रखाव अभ्यास, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कोचिंग, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए कैरियर विकास और सम्प्रेषण कौशल जैसे प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, हमारी कंपनी ने बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु महत्वपूर्ण संख्या में हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों (निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-अधिकारियों सहित) को भारत के बाहर कई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों के लिए भेजा है। आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में हमारे चार मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, चौदह क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) हैं जो हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नए भर्ती हुए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए नियमित रूप से अभिप्रेरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) द्वारा विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए जरूरत के आधार पर औद्योगिक / व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने 2017-18 के 1278 प्रशिक्षणार्थियों की तुलना में 2018-19 में 1525 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया। ईसीएल ने 2018-19 में 2177 संविदाकर्मियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। विवरण नीचे दिया गया है:

1. कार्य योजना: कार्य योजना के अनुसार एचआरडी प्रदर्शन रिपोर्ट (कंपनी में)

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या		प्रतिभागी की संख्या							
			लक्ष्य				वास्तविक			
	लक्ष्य	वास्तविक	अधिकारी	पर्यवेक्षक	मज़दूर	योग	अधिकारी	पर्यवेक्षक	मज़दूर	योग
2018-19	229	249	645	579	1550	2774	620	932	2407	3959
2017-18	227	229	643	607	1538	2788	851	853	1501	3205

2. 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदान किए गए विभिन्न प्रशिक्षणों का विवरण:

क्र. सं.	प्रशिक्षण की प्रकृति	2018-19				2017-18			
		अधिकारी	पर्यवेक्षक	मज़दूर	योग	अधिकारी	पर्यवेक्षक	मज़दूर	योग
1	**सामान्य / कंपनी में प्रशिक्षण:**								
1.i	3 दिन या उससे अधिक	322	765	2014	3101	251	667	1034	1952
1.ii	3 दिन से कम	298	167	393	858	610	186	467	1263
2	**बाहरी प्रशिक्षण (भारत के अंदर):**								
2.i	**आईआईसीएम में:**								
2.i.क	3 दिन या उससे अधिक	479	0	0	479	352	0	0	352
2.i.ख	अल्पावधि प्रशिक्षण	46	0	0	46	130	0	0	130
2.ii	**कंपनी प्रशिक्षण (आईआईसीएम से इतर):**								
2.ii.क	अल्पावधि प्रशिक्षण	78	04	0	82	77	18	0	95
2.ii.ख	दीर्घावधि प्रशिक्षण	191	14	0	205	113	03	07	123
2.ii.ग	3 दिन या उससे अधिक	24	0	0	24	95	0	0	95
3	**बाहरी (विदेश में)**	04	0	0	04	12	0	0	12
	कुल	**1442**	**950**	**2407**	**4799**	**1640**	**874**	**1508**	**4022**
4	**अन्य प्रशिक्षण और संगोष्ठियां:**								
a.	**प्रशिक्षु:**								
4.क.i	व्यावसायिक	0	0	1525	1525	0	0	1278	1278
4.क.ii	PDPT	0	428	0	428	0	0	302	302

4.क.iii	PGPT	136	0	0	136	0	35	35	35
4.क.iv	अपरेंटिस (कौशल विकास)	0	0	277	277	0	0	68	68
4.ख.	**संगोष्ठी / कार्यशाला (कंपनी को छोड़कर)**	57	0	0	57	100	07	112	112
4.ग.	**सिम्युलेटर प्रशिक्षण**	-	-	-	-	0	0	12	12
कुल		**1635**	**1378**	**4209**	**7222**	**1740**	**916**	**3315**	**5829**

3. कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण:

क्र. सं.	कार्यक्रम का विवरण	प्रतिभागियों की संख्या
1.	फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए कोचिंग क्लास	15
2.	सेकेंड क्लास प्रबंधक के लिए कोचिंग कक्षाएं	12
3.	डम्पर ऑपरेटर का सिम्युलेटर प्रशिक्षण	129
	कुल	**156**

पर्यावरणीय संरक्षण और संरक्षण:

पर्यावरण विभाग ईसीएल के पर्यावरण और वन संबंधी मामलों से संबंधित है। पर्यावरण पर कोयला खनन गतिविधियों के प्रभाव की नियमित निगरानी की जा रही है और वैधानिक मानदंडों, अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। बेहतर पर्यावरण मंजूरी (क्लीयरेंस) तथा वन मंजूरी के अनुपालन के अलावा, कंपनी ने सतत विकास की दिशा में प्राकृतिक हरित पहल की है। इसी से कंपनी को ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 और OHSAS 18001: 2015 जैसे प्रमाणन प्राप्त हुए हैं।

1. 2018-19 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां:

क. पर्यावरण मंजूरी:

1. क्लस्टर नंबर 4, क्लस्टर नंबर 9 और क्लस्टर नंबर 10 का पर्यावरण क्लीयरेंस में संशोधन किया गया था, जिससे सालनपुर, कुनुस्टोरिया और सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत खदानों से उत्पादन सुविधा होगी।
2. क्लस्टर नंबर 11 का ईसी सशर्त संशोधन से न्यू केंडा ओसीपी (1.2 एमटीपीए) का संचालन को शुरू हो सकेगा।
3. ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरण मंजूरी के नियमितीकरण के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 06.04.2018 के अनुपालन में, राजमहल ओसीपी (17.0 एमटीपीए) के लिए अद्यतन प्रपत्र I को ईएसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सफलतापूर्वक विचार-विमर्श किया गया। ईएसी द्वारा उठाए गए बिंदुओं का अनुपालन किया जा रहा है।
4. उल्लंघन प्रस्तावों के लिए पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में, मोहनपुर ओसीपी (2.5 एमटीपीए) के लिए अद्यतन प्रपत्र I लागू किया गया और ईएसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ईएसी की सिफारिशों का अनुपालन किया जा रहा है।

ख. वन मंजूरी:

i) चित्रा ओसीपी (124.28 हैक्टे) का चरण- II वन मंजूरी प्रस्ताव:

1. एफएसी की आवश्यक सिफारिशों के अनुपालन के बाद 17.07.2018 प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया गया था।
2. 28.08.2018 को, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सीएएमपीए खाते में भुगतानों का विधिवत भरा प्रारूप और समुचित फंड के जमा करने के साथ ही वनस्पतियों एवं जीवों के संरक्षण के लिए अद्यतन एवं अनुमोदित योजना जैसे अतिरिक्त अनुपालनों की मांग की थी।
3. राज्य वन विभाग, झारखंड सरकार के साथ समन्वय में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए योजना तैयार की गई है। मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा योजना को मंजूरी दे दी गई है और इसके अनुरूप 6.49 करोड़ का फंड जमा किया गया है।

ii) हुर्रा सी ओसीपी (260 हैक्टे) की चरण- II वन मंजूरी :

1. 23.08.2018 को प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिया गया था।
2. 15.10.2018 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सीएएमपीए खाते में किए गए भुगतान के विवरण, अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन योजना की प्रति, सीए की जमीन की स्पष्टता उपयुक्तता के संबंध में अतिरिक्त अनुपालन की मांग की है ।
3. सीए भूमि की उपयुक्तता का विश्लेषण करने के संबंध में दो जिलों, दुमका और गोड्डा में भूमि सर्वेक्षण और निरीक्षण किया गया।
4. इनके अलावा, लंबे समय से लंबित दो अनुपालन जो आगे चलकर हुर्रा सी ओसीपी के प्रस्ताव अग्रेषण को प्रभावित कर सकते थे, का अनुपालन किया गया है:

क) राजमहल ओसीपी के मामले में सीए के लिए 37.67 हैक्टे. गैर-वन भूमि प्रदान करने हेतु लंबे समय से लंबित अनुपालन पर कार्रवाई की गई है।

ख) राजमहल ओसीपी की 17.64 हेक्टेयर वन भूमि को झारखंड सरकार के राज्य वन विभाग को लौटाने के लिए हुर्रा सी ओसीपी के स्टेज II एफसी कंडीशन सं. 23; का भी अनुपालन किया गया है।

ग. वृक्षारोपण और भूमि सुधार:

ईसीएल ने बैकफिल्ड क्षेत्र (50.5 हेक्टे.), बाहरी ओबी डंप (22.2 हेक्टे.) और अन्य समतल जमीन (67.8 हेक्टे.) सहित कुल 140.50 हेक्ट (जो लक्ष्य से 33% अधिक है) भूमि पर वृक्षारोपण किया है। पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग के माध्यम से कुल 3,51,250 पौधे लगाए गए हैं।

घ. आईएसओ प्रमाणन:

समग्र रूप से ईसीएल एक आईएसओ 9001: 2015 आईएसओ 14001: 2015 और ओएचएसएएस 18001: 2015 प्रमाणित कंपनी है। ईसीएल ने आंतरिक आईएसओ लेखा परीक्षकों द्वारा सफलतापूर्वक 2 (दो) आंतरिक निगरानी ऑडिट कराए हैं और प्रमाणन निकाय द्वारा 2 (दो) बाहरी निगरानी ऑडिट किए गए हैं। कंपनी को आईएसओ 9001: 2015 आईएसओ 14001: 2015 और ओएचएसएएस 18001: 2015 के नवीनतम सिस्टम मानकों को जारी रखने के साथ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

ङ. पर्यावरण लेखा परीक्षा:

1. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) द्वारा राजमहल ओसीपी और सोनेपुर बाजारी ओसीपी के पर्यावरण मंजूरी के अनुपालन पर थर्ड पार्टी ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अंतिम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
2. कैग द्वारा "खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में इसके न्यूनीकरण / शमन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। महानिदेशक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, कोलकाता के कार्यालय में 16.11.2018 को एक्जिट कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित की गयी थी।

च. भूजल निगरानी के लिए पीजोमीटर की स्थापना:

भूजल की निगरानी के लिए पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन में, ईसीएल ने 30 नग पीजोमीटर वाले बोरवेल स्थापित किए हैं। ईसीएल के सभी क्लस्टरों और स्टैंड-अलोन परियोजनाओं को शामिल करते हुए बाहरी एजेंसियों के माध्यम से 15 स्वचालित वेल रिकार्डर स्थापित होंगे।

छ. वैज्ञानिक अध्ययन:

1. सोनेपुर बाजारी ओसीपी में 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि के वृक्षारोपण पर सोनेपुर बाजारी ओसीपी के कार्बन और वाटर फुट प्रिंट के अध्ययन नीरी (NEERI) के माध्यम से किया जा रहा है।
2. ईसीएल की 11 अलग-अलग कॉलोनियों, 2 कर्मशालाओं और 2 अस्पतालों में सीवेज / अपशिष्ट उपचार संयंत्र के उपचार अध्ययन का काम आईआईटी-आईएसएम धनबाद को प्रदान किया गया।
3. 38.44 हेक्टे. वन भूमि के वन मंजूरी (एफसी) आवेदन के लिए तिलबनी भूमिगत खदान के लिए धंसान के अनुमान और प्रबंधन के लिए 3डी में न्यूमेरिकल मॉडलिंग का अध्ययन आईआईटी-बीएचयू को दिया गया है।

परिशिष्ट- V

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ 2018-19

कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक कंपनी है। ईसीएल ने सीआईएल सीएसआर नीति को अपनाया और लागू किया है जो संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के तथा सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नियम, 2014 के अनुरूप है। सीएसआर से संबंधित डीपीई दिशानिर्देश संदर्भ संख्या : F. No.-15 (13) / 2013-DPE (GM) दिनांक 21 अक्टूबर 2014 जो 01.04.2014 से प्रभावी 01.04.2014 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जाता है। हमारी सीएसआर पहल ने ईसीएल के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मुख्य रूप से वंचित, भूमि से बेदखल हुए और परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) पर केंद्रित कल्याण उपाय करके सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ हमारे व्यापार को एकीकृत किया। सीआईएल सीएसआर नीति के तहत प्रावधान के अनुसार, फंड का 80% ईसीएल मुख्यालय / क्षेत्र / परियोजना के 25 किमी के दायरे में उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 20% राज्य / राज्य के संचालन क्षेत्र के भीतर खर्च किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया कि समाज का गरीब और जरूरतमंद वर्ग अपने विकास और स्थिरता को सहारा देने के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करे। परियोजनाओं और कार्यक्रमों को ईसीएल में निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों में निर्देशित किया गया है:

1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार
2. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य
3. कौशल विकास
4. पेयजल की सुविधा
5. महिला सशक्तिकरण
6. बुनियादी ढांचे का विकास
7. खेलों को बढ़ावा देना
8. पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना
9. स्वच्छ भारत अभियान

सीएसआर समिति की संरचना:

कंपनी के सीएसआर एंड सतत विकास एजेंडे को चलाने के लिए द्वि-स्तरीय संरचना है जिसमें ईसीएल की सीएसआर और सततता गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तर की समिति तथा महाप्रबंधक (कल्याण एवं सीएसआर) की अध्यक्षता वाली एक बोर्ड स्तर से नीचे की समिति का गठन किया गया है। सीआईएल सीएसआर नीति के दिशानिर्देशों के अनुरूप ईसीएल मुख्यालय में गठित बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति अवधारणा से लेकर निष्कर्ष तक सीएसआर गतिविधियों का समन्वय करती है वहीं क्षेत्रीय स्तर पर सीएसआर गतिविधियों को लागू करने के लिए अलग-अलग संवर्ग के अधिकारियों को मिलाकर भी एक सीएसआर समिति का गठन किया गयी है।

सीएसआर की उपलब्धियां:

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 69 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। कुल स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं में से, ईसीएल बोर्ड ने 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और 47 परियोजनाओं को बोर्ड स्तर से नीचे के प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ / कर पूर्व लाभ की 2 प्रतिशत (%) राशि का निर्धारण इस प्रकार है:

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18
कर से पहले लाभ (₹ करोड़ में)	1300.04	15.32	-1466.73
घटाएं: परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (₹ करोड़ में)	0.31	0.02	0.49
धारा 198 के अंतर्गत लाभ (₹ करोड़ में)	1299.73	15.30	-1467.22 या 0.00
तीन वर्षों के लिए औसत शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)		**438.34**	

इसलिए, औसत शुद्ध लाभ का 2% ₹ 8.767 करोड़ होता है।

निर्धारित सीएसआर व्यय:

ईसीएल द्वारा फंड का प्रावधान सीआईएल की सीएसआर नीति पर आधारित है, जो पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% है या पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन का ₹ 2 / - प्रति टन जो भी अधिक हो, वित्त वर्ष 2017-18 की खर्च न की गयी सीएसआर राशि इसमें और जोड़ी दी जाएगी। वर्ष 2017-18 में कुल उत्पादन 43.568 मिलियन टन था। इसलिए सीएसआर प्रावधान के अनुसार ₹ 2 / - प्रति टन कोयला उत्पादन की दर से यह राशि ₹ 8.714 करोड़ होगी, जबकि औसत शुद्ध लाभ का 2% की दर से देखा जाए तो यह राशि ₹ 8.767 करोड़ होती है जो कि अधिक है। इस तरह, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर का कुल बजट ₹ 24.289 (₹ 8.767 करोड़ और वित्त वर्ष 2017-18 की खर्च न की गयी ₹ 15.522 करोड़ की राशि का योग) है।

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गयी सीएसआर राशि का विवरण:

(क) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च की गई कुल राशि: ₹ 16.46 करोड़

(ख) खर्च न की गयी राशि: ₹ 7.83 करोड़

(ग) ईसीएल द्वारा सीएसआर के तहत की गई गतिविधियों की सूची **परिशिष्ट 'क'** के रूप में संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित राशि में से खर्च न की गयी राशि का कारण:

क. ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि आदि जैसे हितधारकों के साथ सहभागिता और उन्हें सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित योजना एवं क्रियान्वयन में शामिल करना हमारी सीएसआर नीति के तहत संस्थागत व्यवस्था का मूल भाव है और उनके अपने कार्यों में संलग्न बने रहने से हमारे निर्धारित कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, प्रमुख कार्यों में ई-टेंडरिंग व्यवस्था को अपनाया गया और अधिक जवाबदेही बनाने के लिए बाहरी प्रस्तावों की मूल्यांकन प्रक्रिया की गहन जांच-पड़ताल की गयी। संक्रमणकालीन अवस्था का समय और कार्य निर्धारण पर प्रभाव पड़ा है। ईसीएल के प्रमुख परिचालन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में मई-जून 2018 में पंचायत चुनाव हुए और पश्चिम बंगाल और झारखंड में वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में 2019 के आम चुनावों के कारण आचार संहिता लगी। पंचायत चुनावों और आम चुनावों में हितधारकों की व्यस्त रहने से हमारी कुछ दीर्घकालिक सीएसआर परियोजनाओं में देरी हुई, जिनके लिए उनकी सहमति या निष्पादन की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित निष्पादन समय तथा इससे संबद्ध निष्पादन एवं भुगतान में वृद्धि हुई।

एतद् द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि ईसीएल की सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी सीआईएल सीएसआर नीति के अनुपालन में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और 01.04.2014 से प्रभावी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

(विनय रंजन)
निदेशक (कार्मिक)

(डॉ इंदिरा चक्रवर्ती)
अध्यक्ष, सीएसआर उप-समिति

दिनांक : 29.07.2019
स्थान : कोलकाता

परिशिष्ट - क

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर गतिविधियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	बजट परिव्यय	खर्च राशि	31.03.2019 तक संचयी व्यय	राशि सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई
1	आशा स्कूल, ईस्टर्न कमांड जोन, भारतीय सेना के लिए स्कूल बस की खरीद।	शिक्षा	23.43	23.43	23.43	आशा स्कूल, पूर्वी कमान मुख्यालय
2	उखरा नेहरू विद्यापीठ एच एस स्कूल की क्षतिग्रस्त 4 कक्षाओं की मरम्मत	शिक्षा	19.79	19.79	23.49	सीधे
3	निरसा ब्लॉक, मुग्मा में स्कूल भवन का निर्माण	शिक्षा	418.00	356.88	520.14	सीधे
4	ईसीएल, मुख्यालय में और आसपास के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता कार्यक्रम।	शिक्षा	7.00	6.91	6.91	सांकतोड़िया ग्राम समिति
5	सीधू-कान्हू सरस्वती शिशु मंदिर, ललमनियां में सीढ़ियों सहित 4 कक्षाओं का निर्माण।	शिक्षा	49.27	49.27	49.27	सीधे
6	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, पाकुड़ में 4 कमरे और चारदीवारी का निर्माण।	शिक्षा	49.30	14.00	14.00	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बालीपुर
7	08 स्कूलों को स्कूल बेंच उपलब्ध कराना।	शिक्षा	9.14	9.04	9.04	सीधे
8	मीजिया गर्ल्स एचएस, बांकुरा में आयरन रिमूवर के साथ दो वाटर प्यूरीफायर और कूलर।	शिक्षा	4.52	4.26	4.26	सीधे
9	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सी-पेट (CIPET), भुवनेश्वर में प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त 80 उम्मीदवारों की स्वीकृति।	कौशल विकास	24.40	19.20	43.60	सीआईपीईटी
10	खनन सरदार एससी / एसटी उम्मीदवारों का प्रशिक्षण।	कौशल विकास	11.17	11.17	14.50	ईसीएल-मानव संसाधन विकास
11	सांकतोड़िया के बेरोजगार युवाओं के लिए विद्युत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।	कौशल विकास	9.99	5.45	5.45	एसएसआरडीपी
12	आईटीआई, पुरुषोत्तम, रामकली में कर्मशालाओं का निर्माण तथा फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए उपकरणों की खरीद।	कौशल विकास	48.53	38.83	38.83	ज्ञापन रामकनाली पुरुषोत्तम प्राइवेट आईटीआई के साथ समझौता ज्ञापन
13	आईटीआई सिकिटिया, गोड्डा का संचालन एवं रखरखाव (वित्त वर्ष: 2017-18)	कौशल विकास	46.66	23.33	23.33	जेएसपीएल
14	उन्नति - महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक हस्तशिल्प सूक्ष्म उद्योग	कौशल विकास	12.44	12.44	12.44	श्रीओशी (SRREOSHI), सोसाइटी
15	सेबा संघ द्वारा आतिथ्य एवं पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण	कौशल विकास	16.56	10.54	17.64	सेवा संघ
16	आईटीआई सिकिटिया , गोड्डा का संचालन और रखरखाव (वित्त वर्ष : 2018-19)।	कौशल विकास	54.44	54.44	54.44	जेएसपीएल

क्र. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	बजट परिव्यय	खर्च राशि	31.03.2019 तक संचयी व्यय	राशि सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई
17	वीटीसी, सालनपुर क्षेत्र में 3 साल का विद्युत कौशल प्रशिक्षण।	कौशल विकास	12.44	8.89	12.35	एसएसआरडीपी
18	जमेरी जीपी में स्कूल यूनिफॉर्म टेलरिंग यूनिट के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के लिए आजीविका।	कौशल विकास	10.82	5.41	5.41	एसएसआरडीपी
19	सुपोल धोड़ा, सीतलपुर में स्नान घाट तथा कपड़े बदलने के स्थान का निर्माण।	ग्रामीण विकास	1.14	1.14	1.98	बरजोरा समाज कल्याण केंद्र
20	दिशेरगढ़ घाट पर दोहरे विद्युत इलेक्ट्रिक श्मशान घाट का निर्माण।	ग्रामीण विकास	57.75	25.24	185.16	आसनसोल नगर निगम
21	जामगोड़ा गांव में पीसीसी सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	1.22	1.22	1.22	सीधे
22	जीटी रोड (NH-2) से श्री श्री रवि शंकरजी आश्रम, मध्य कजोर तक बिटुमिनस रोड का निर्माण।	ग्रामीण विकास	49.86	35.95	35.95	सीधे
23	जमुरिया ब्लॉक के तहत डासना गांव में प्रोजेक्ट बेलबैद ओसीपी और नॉर्थ सेरोसोशन ओसीपी के पास कुनुस्टोरिया एरिया के तहत बर्निंग घाट, तोरण, आरामगाह का निर्माण।	ग्रामीण विकास	21.08	20.45	20.45	सीधे
24	परबेलिया ग्रुप के पास चटर्जी पाड़ा से गोराई पाड़ा तक हिजुली गांव में पुलिया और नाली के साथ पीसीसी सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	40.89	35.32	35.32	सीधे
25	सीएसआर के तहत अलडीह एफ. पी. स्कूल में बाउंड्री वॉल और विविध कार्यों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	3.14	3.14	3.14	सीधे
26	गोविंदपुर गांव में आरसीसी छत, सामुदायिक कक्ष / ग्रीन रूम और सांस्कृतिक मंच के साथ चारदीवारी / सुरक्षा दीवार का निर्माण।	ग्रामीण विकास	20.11	16.67	16.67	सीधे
27	महेशपुर और गंगासागर तालाब महागामा में समुंद्र बंध की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार।	ग्रामीण विकास	460.33	230.17	230.17	डीसी, गोड्डा
28	भारत सेवाश्रम संघ, दुमका के स्कूल भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	24.91	24.91	24.91	सीधे
29	इथोरा स्कूल में चारदीवारी का निर्माण	ग्रामीण विकास	5.09	3.93	3.93	सीधे
30	कालीपत्थर गाँव में पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	16.02	12.85	12.85	सीधे
31	नकटी कन्यापुर प्राथमिक विद्यालय में चारदीवारी का निर्माण।	ग्रामीण विकास	4.62	4.62	4.62	बीडीओ बाराबनी के साथ समझौता ज्ञापन
32	साधुना एसएसके में नाली के साथ रसोई का निर्माण।	ग्रामीण विकास	4.15	3.07	3.07	सीधे
33	खास कांडा गांव में शौचालय सहित पुस्तकालय सह सामुदायिक हॉल बरामदे का निर्माण।	ग्रामीण विकास	11.60	11.17	11.17	सीधे
34	ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों के परिवहन के लिए 2 ट्रेकर्स उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	11.09	3.04	3.04	सोनेपुर बाजारी

क्र. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	बजट परिव्यय	खर्च राशि	31.03.2019 तक संचयी व्यय	राशि सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई
35	श्रीपुर हाई स्कूल में रिग बोर-कुएं के माध्यम से पीने के पानी के साथ पहली मंजिल पर 02 कक्षाओं का निर्माण और फर्नीचर।	ग्रामीण विकास	16.80	16.80	16.80	सीधे
36	आम्रसोटा, जी.पी. में बेसलाइन सर्वेक्षण से बाहर आईएचएचएल का निर्माण।	स्वच्छता	9.10	9.10	18.20	आम्रसोटा जी.पी.
37	देवघर में श्रावणी मेला के बाद स्वच्छता और सफाई सेवाएं।	स्वच्छता	3.00	3.00	3.00	डीसी, देवघर
38	रानीगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत जेमेरी, रातीबती और तिरत में ईसीएल के सीएसआर कार्यक्रम के तहत आईएचएचएल का निर्माण।	स्वच्छता	27.48	27.48	137.40	बीडीओ रानीगंज
39	मुगमा, सालानपुर, श्रीपुर, सोदेपुर, एमआरएस और ईसीएल, मुख्यालय के गांवों के आसपास तीन साल की अवधि के लिए मोबाइल मेडिकल वैन (एमएमवी) का संचालन	स्वास्थ्य देखभाल	28.90	22.07	22.07	एचएलएफपीपीटी
40	झांझरा, बांकोला और पांडवेश्वर क्षेत्र के गांवों के आसपास तीन साल की अवधि के लिए मोबाइल मेडिकल वैन (एमएमवी) का संचालन	स्वास्थ्य देखभाल	26.58	12.37	12.37	आर के एचआईवी एड्स
41	राजमहल क्षेत्र के गांवों के आसपास तीन साल की अवधि के लिए मोबाइल मेडिकल वैन (एमएमवी) का संचालन।	स्वास्थ्य देखभाल	27.06	9.39	9.39	आरके एचआईवी एड्स
42	एसपी माइंस क्षेत्र के गांवों के आसपास तीन साल की अवधि के लिए मोबाइल मेडिकल वैन (एमएमवी) का संचालन।	स्वास्थ्य देखभाल	28.90	22.94	22.94	एचएलएफपीपीटी
43	सोनेपुर बाजारी और कांडा क्षेत्र के गांवों के आसपास तीन साल की अवधि के लिए मोबाइल मेडिकल वैन (एमएमवी) का संचालन।	स्वास्थ्य देखभाल	26.58	15.25	15.25	आरके एचआईवी एड्स
44	सतग्राम क्षेत्र और कल्ला अस्पताल के गांवों के आसपास तीन साल की अवधि के लिए मोबाइल मेडिकल वैन (एमएमवी) का संचालन।	स्वास्थ्य देखभाल	26.58	9.97	9.97	आरके एचआईवी एड्स
45	चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	5.83	4.18	4.18	सीधे
46	इंद्रधनुष परियोजना	दिव्यांग जन	3.92	3.92	7.84	आसनसोल अनादम
47	दिव्यांगजनों के लिए सहायता और उपकरणों का वितरण।	दिव्यांग जन	66.57	66.57	66.57	एलिम्को
48	केंडा गाँव, केंडा मौजा को पानी की आपूर्ति की व्यवस्था।	जलापूर्ति	85.06	80.15	80.15	सीधे
49	नेताजी सुभाष मोड़ और विवेकानंद मोड़, सांकतोड़िया में 2 कूलर-सह-प्यूरीफायर की स्थापना	जलापूर्ति	0.97	0.97	0.97	सांकतोड़िया ग्राम समिति
50	मोहनपुर प्रेशर फिल्टर से पानी के टैंकर के माध्यम से आसपास के गांवों में घरेलू पानी की आपूर्ति।	जलापूर्ति	2.27	2.27	6.08	सीधे
51	भूराडांगा गाँव में वर्षा जल संचयन (सिंचाई परियोजनाएँ)	जलापूर्ति	3.45	3.45	4.08	सीधे

क्र. सं.	गतिविधि	क्षेत्र	बजट परिव्यय	खर्च राशि	31.03.2019 तक संचयी व्यय	राशि सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई
52	भागरान गाँव में 02 रिग बोर कुओं की स्थापना	जलापूर्ति	1.15	0.60	0.60	सीधे
53	बाराबनी ब्लॉक के 08 गाँवों को घरेलू पानी की आपूर्ति।	जलापूर्ति	32.87	24.61	24.61	सीधे
54	सालनपुर ब्लॉक के 09 जीपी में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति।	जलापूर्ति	9.25	7.43	7.43	बीडीओ सालनपुर के साथ समझौता ज्ञापन
55	बांकुरा जिले के रंगमती केंदाना हाई स्कूल में गहरी बोरिंग द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था।	जलापूर्ति	10.75	9.93	9.93	सीधे
56	तीरत मौजा में पीएचई पंप हाउस से अमकोला गाँव के लिए पेयजल व्यवस्था।	जलापूर्ति	68.89	68.89	68.89	पीएचई कार्यालय, आसनसोल
57	कौशल विकास, ब्यूटी थेरेपी ट्रेड के माध्यम से महिला सशक्तिकरण	महिला सशक्तिकरण	19.18	5.75	5.75	एसएसआरडीपी
58	विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (एटीसी) में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ईसीएल फुटबॉल अकादमी के चयनित खिलाड़ियों के लिए विशेष आहार।	खेल	12.15	8.86	8.86	सीधे
59	ईसीएल फुटबॉल अकादमी के लिए चयनित लड़कों के लिए स्पोर्ट्स किट	खेल	8.33	8.27	8.27	सीधे
60	एएमसी द्वारा 10 मिनी टिपर की खरीद।	पर्यावरणीय स्थिरता	4.58	4.58	45.82	आसनसोल नगर निगम
61	बशोरा समाज कल्याण केंद्र के लिए दिशेरगढ़ एससी और एसटी बस्ती के लिए 110 सौर लैंपों की स्थापना।	पर्यावरणीय स्थिरता	9.30	9.30	18.59	बरजोरा समाज कल्याण केंद्र
62	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सीएसआर कार्यों के लिए ऑनलाइन एमआईएस की स्वीकृति।	विविध	1.10	1.10	1.10	डिफ्यूजन एडवर्टाइज एंड पब्लिकेशन इंक
63	सरकारी आश्वासन, राज्य सभा की संसदीय समिति के सदस्यों के बीच वितरण के लिए रंगीन पुस्तिकाओं का मुद्रण।	विविध	0.05	0.05	0.05	डिफ्यूजन एडवर्टाइज एंड पब्लिकेशन इंक
64	एएससीआई, हैदराबाद में 07-09 मई, 2018 के दौरान एसटीपी और एफएसटीपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	विविध	0.40	0.40	0.40	ईसीएल-मुख्यालय
65	दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के लिए टिस्स (TISS) को भुगतान।	विविध	0.90	0.90	0.90	ईसीएल-मुख्यालय
66	सीएसआर के लिए 08 प्रतियों (प्रत्येक में 144 पृष्ठ) में दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए ₹ 2016 स्वीकृति।	विविध	0.02	0.02	0.02	ईसीएल-मुख्यालय
67	आईआईसीए, मानेसर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।	विविध	0.40	0.40	0.40	ईसीएल-मुख्यालय
68	बोर्ड की बैठक के लिए मुद्रण	विविध	0.07	0.07	0.07	ईसीएल-मुख्यालय
69	कुल व्यय के 5% तक सीमित सामुदायिक विकास अधिकारियों के वेतन का प्रभाव (₹ 15.67 लाख)	प्रशासनिक व्यय	0.00	78.27	0.00	ईसीएल-मुख्यालय
	कुल		**2129.34**	**1645.50**	**2111.60**	

परिशिष्ट-VI

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1. दर्शन:

कॉरपोरेट गवर्नेंस को उन प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि एक कंपनी सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में शासित है। ईसीएल का दृढ़ विश्वास है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसी संस्कृति है जिसके तहत एक संस्था का पोषण और विकास उसके मूलभूत मूल्यों और उस माध्यम से होता है जिसके द्वारा वह जनता के विश्वास और अपने हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। ईसीएल में, यह केवल कानूनों और नैतिक मानकों का अनुपालन नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक निवेश है जो न केवल हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे व्यवसाय को परिचालित करने और बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस की मुख्य घटक हैं। एक अच्छे कॉरपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों का पालन करने में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिकों को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराता है।

2. निदेशक मंडल:

(क) बोर्ड संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत हम एक सरकारी कंपनी हैं, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड के पास संपूर्ण पेड-अप शेयर कैपिटल है। एसोसिएशन के नियमानुसार निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के एसोसिएशन के नियमों के आलोक में हमारे बोर्ड में निदेशकों की संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 15 होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं। निदेशकों को कोई भी योग्यता-शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2019 तक, बोर्ड में 9 निदेशक शामिल थे, जिनमें से 5 पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशक, 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक और 2 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक थे। निदेशकगण बोर्ड को व्यापक स्तर पर अनुभव एवं कौशल प्रदान करते हैं।

निदेशकों की आयु सीमा एवं कार्यकाल:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशकों को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल की अवधि अथवा उनके सेवानिवृत्ति अथवा भारत सरकार के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है। निदेशक मंडल में शामिल कोई भी निदेशक दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक के पद पर नहीं है। इसके अलावा, उन सभी सार्वजनिक कंपनियों में, जिनमें वे निदेशक हैं,के दस से अधिक समितियों का सदस्य अथवा पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं हैं।31 मार्च, 2019 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति के पदों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण निदेशकों द्वारा किए गए हैं। कोई भी निर्देशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशक, कोयला मंत्रालय के अधिकारी होने के लिए बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं।

(ख) बोर्ड की बैठकें:

निदेशकों की सुविधा के लिए निदेशक मंडल की बैठक आम तौर पर सांकटोरिया / कोलकाता में आयोजित की जाती है। कंपनी ने निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों के लिए प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से परिभाषित किया है ताकि सूचित और कुशल तरीके से निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

वित्तीय वर्ष में 4 बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, दिनांक10.04.2018, 04.05.2018, 26.05.2018, 12.06.2018, 04.07.2018, 29.07.2018, 22.09.2018, 13.10.2018, 30.10.2018,07.12.2018, 28.01.2019 एवं13.03.2019 12 बैठकें को आयोजित की गई।

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	निदेशक	बोर्ड बैठक		अन्य निदेशकों की सं.
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	
	प्रकार्य निदेशकगण:			
1	श्री प्रेम सागर मिश्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल (20.08.2018 से)	06	06	NIL
2	श्री अजय कुमार सिंह अध्यक्ष-सह –प्रबंध निदेशक, ईसीएल (अतिरिक्त प्रभार) (30.06.2018 तक)	04	04	01
3	श्री सुनील कुमार झा निदेशक (तकनीकी) परिचालन,अतिरिक्त प्रभार, सीएमडी, ईसीएल (01.07.2018 से 19.08.2018 तक)	12	12	NIL
4	श्री जयप्रकाश गुप्ता निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना (18.06.2018 से)	08	08	NIL
5	श्री संजीव सोनी निदेशक (वित्त) (19.06.2018 से)	08	08	NIL
6	श्री विनय रंजन निदेशक (कार्मिक) (16.08.2018 से)	06	06	NIL
7	श्री के एस पात्रो निदेशक (कार्मिक) (31.05.2018 तक)	03	03	NIL
अंशकालिक सरकारी निदेशकगण:				
8	श्री निरंजन कुमार सुधांशु संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (03.10.2018 तक)	07	02	01
9	सुश्री विस्मिता तेज,संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (03.10.2018 से10.01.2019 तक)	03	02	01
10	श्री भबानी प्रसाद पति संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (10.01.2019 से)	02	02	01
11	श्री चंदन कुमार डे निदेशक (वित्त), सीआईएल (30.09.2018 तक)	07	06	06
12	श्री एस. एन. प्रसाद निदेशक (विपणन), सीआईएल(10.12.2018 से)	02	02	04
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण:				
12	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	12	12	NIL
13	श्री प्रवीण कांत (13.12.2018 से)	02	02	05

(ग) निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई सूचनाएं:

बोर्ड के पास कंपनी से संबंधित किसी भी सूचना को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। बोर्ड को आवश्यकतानुसार कई सूचनाएं उपलब्ध कराई गई, जिसमें निम्नलिखित भी शामिल है:

1) वार्षिक परिचालन योजना, बजट तथा सभी प्रकार के अद्यतन।
2) कैपिटल बजट और तथा सभी प्रकार के अद्यतन।
3) कंपनी तथा इसके परिचालन विभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों की त्रैमासिक रिपोर्ट।
4) लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
5) मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युत करने सहित बोर्ड स्तर से नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक संबंधी सूचना।
6) कारण बताओ, मांग, अभियोजन सूचना तथा अर्थदंड सूचना जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
7) घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, खतरनाक घटनाएँ, किसी भी सामग्री का प्रवाह या प्रदूषण की समस्या।
8) कंपनी से संबंधित और उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं के वित्तीय दायित्वों में कोई भी आर्थिक चूक या कंपनी द्वारा पर्याप्त भुगतान न किए जाने पर।
9) कोई भी मुद्दा, जिसमें किसी भी निर्णय या आदेश सहित पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता के दावे शामिल होते हैं, जो कंपनी के संचालन पर सख्ती से पारित हो सकते हैं या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकते हैं और जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
10) किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग-समझौते का विवरण।
11) महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे कि वेतन समझौता पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
12) किसी भी नियामक और सांविधिक का गैर-अनुपालन।

(घ) निदेशक का पारिश्रमिक:

क. प्रकार्य निदेशकगण:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन	लाभ	कुल	टिप्पणियों
1	श्री प्रेम सागर मिश्र	1958408.00	1316723.00	3275131.00	20.08.2018 से
2	श्री सुनील कुमार झा	4889357.43	2014211.00	6903568.43	-
3	श्री जयप्रकाश गुप्ता	3761049.00	2148528.00	5909577.00	18.06.2018 से
4	श्री संजीव सोनी	1903096.98	1948761.00	3851857.98	19.06.2018 से
5	श्री विनय रंजन	1507978.00	129839.00	1637817.00	16.08.2018 से
6	श्री के. एस. पात्रो	2205853.00	1614601.00	3820454.00	को सेवानिवृत्त 31.05.2018

ख. अंशकालिक सरकारी निदेशकगण:

कंपनी द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

ग. अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण:

बैठक-शुल्क के अलावा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए बैठक-शुल्क का विवरण निम्नलिखित है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक के लिए बैठक-शुल्क	समिति के लिए बैठक-शुल्क	कुल
1.	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	1,80,000/-	2,55,000/-	**4,35,000/-**
2.	श्री प्रवीण कांत	30,000/-	75,000/-	**1,05,000/-**

3. बोर्ड समिति:

बोर्ड ने निम्नलिखित बोर्ड-समिति3यों का गठन किया था:-

क. लेखा-परीक्षा समिति

ख. परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण एवं अनुमोदन के लिए उप-समिति

ग. सीएसआर समिति

घ. आपदा प्रबंधन समिति

[क] लेखा-परीक्षा समिति:

आपकी कंपनी की एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखा-परीक्षा समिति की संरचना, प्रक्रिया, शक्तियां और भूमिका/कार्य, कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

लेखा-परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र:

लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है:-

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. बोर्ड को लेखा-परीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के शुल्क निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।
4. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले,प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, और यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक वित्तीय विवरण निम्नलिखित संदर्भित विवरण सहित लागू कानूनों के अनुपालन में हैं-

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;

ख) परिवर्तन, लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में कोई हो परिवर्तन होने पर;

ग) प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ;

डी) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ई) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का स्पष्टीकरण; और

छ) ड्राफ्ट लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शर्तें;

ज) वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण।

5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरण पर प्रबंधन के साथ समीक्षा।
6. आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा।
7. आंतरिक लेखा-परीक्षा के पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की आंतरिक संरचना, आंतरिक कवरेज की आवृत्ति और रिपोर्टिंग और आंतरिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और/या हटाने के बारे में जानकारी शामिल है।
8. कोई महत्वपूर्ण बात पता चलने और उसके निष्कर्षों पर आंतरिक लेखा परीक्षक और/या लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना ।
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या किसी सामग्री प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना है।
10. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी भी चिंताजनक क्षेत्र की का पता लगाने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।

11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न होने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त डिफ़ॉल्ट के कारणों को देखना।
12. सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
13. नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) अंकेक्षण की अंकेक्षण टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. लेखा-परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी कठिनाई की समीक्षा करना, जिसमें गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है।
15. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

संरचना:

लेखापरीक्षा समिति में 2 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक, अर्थात श्री बी. पी पति (28.01.2019 से) और श्री एस. एन. प्रसाद (28.01.2019 से), 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती और श्री प्रवीण कांत (28.01.2019 से) और 3 (तीन) प्रकार्य निदेशक अर्थात श्री सुनील कुमार झा, निदेशक (तकनीकी) परिचालन, श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना और योजना (04.07.2018 से) और श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक) (22.09.2018 से) शामिल थे।

डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक दिनांक 28.01.2019 तक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थी और उसके बाद श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष बने।

निदेशक (वित्त) और विभागाध्यक्ष (आंतरिक अंकेक्षण),लेखा परीक्षा समिति के स्थायी आमंत्रित हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान दिनांक 25.05.2018, 29.07.2018, 22.09.2018, 30.10.2018, 07.12.2018 और 28.01.2019 को वित्तीय लेखा-परीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें आयोजित की गईं, जिसके विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	सदस्य	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	06	06
2	श्री सी. के .डे	03	03
3	श्री निरंजन कुमार सुधांशु	03	NIL
4	सुश्री विस्मिता तेज	02	01
5	श्री सुनील कुमार झा	06	06
6	श्री जयप्रकाश गुप्ता	05	05
7	श्री विनय रंजन	03	03

[ख] मूल्यांकन, समीक्षा और परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए समिति

246वीं बोर्ड बैठक में, परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा और अनुमोदन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा और अनुमोदन के लिए समिति में 2 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक, अर्थात श्री भबानी प्रसाद पति (28.01.2019 से) और श्री एस .एन. प्रसाद (28.01.2019 से), 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती और श्री प्रवीण कांत (28.01.2019 से) और 4 (चार) प्रकार्य निदेशक अर्थात श्री एस. के. झा, निदेशक (तकनीकी) परिचालन, श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना (04.07.2018 से) और श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक) (22.09.2018 से),श्री के. एस. पात्रो, निदेशक (कार्मिक) (30.04.2018तक), श्री एन. के. सुधांशु, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक (03.10.2018 तक) और सुश्री विस्मिता तेज (03.10.2018 से10.01.2019 तक) शामिल थे।।

कंपनी सचिव, इस समिति के सचिव और महाप्रबंधक (परि. एवं यो.) इस समिति के नोडल अधिकारी होते हैं।

श्री एन. के. सुधांशु, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक पहली दो बैठकों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद, डॉ. इंदिरा

चक्रवर्ती, अंशकालिक सरकारी निदेशक तीसरी बैठक के लिए समिति के अध्यक्ष बनीं और उसके बाद दिनांक 28.01.2019 को श्री भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक को समिति का अध्यक्ष चुना गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, परियोजनाओं के मूल्यांकन, समीक्षा और अनुमोदन के लिए समिति की 4 (चार) बैठकें दिनांक 25.05.2018, 29.07.2018, 07.12.2018 और 13.03.2019 को आयोजित की गई। बैठकों में सदस्यों और उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सदस्य	संबंधित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री एन. के. सुधांशु	02	01
2	सुश्री विस्मिता तेज	01	01
3	श्री बी. पी. पति	01	01
4	श्री एस. एन. प्रसाद	01	NIL
5	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	04	04
6	श्री प्रवीण कांत	01	01
7	श्री एस. के. झा	04	04
8	श्री जयप्रकाश गुप्ता	03	03
9	श्री संजीव सोनी	03	03
10	श्री विनय रंजन	02	02

[ग] सीएसआर समिति

ईसीएल की 261वीं बोर्ड बैठक में, सीएसआर और संधारणीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति में 2 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक अर्थात श्री भबानी प्रसाद पति (28.01.2019 से) और श्री एस. एन. प्रसाद (28.01.2019 से), 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती और श्री प्रवीण कांत और (4) चार प्रकार्य निदेशक अर्थात श्री श्री एस. के. झा, निदेशक (तकनीकी) परिचालन, श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना (04.07.2018 से), श्री संजीव सोनी (04.07.2018 से) और श्री विनय रंजन (22.09.2018 से)शामिल थे।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव और विभागाध्यक्ष (सीएसआर एवं डब्ल्यू) नोडल अधिकारी होते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सीएसआर समिति की 6 (छह) बैठकें दिनांक 30.06.2018, 10.08.2018, 06.11.2018, 07.12.2018, 28.01.2019 और 13.03.2019 को आयोजित की गई। डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक पूरे वर्ष समिति के अध्यक्ष थी। बैठकों में सदस्यों और उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सदस्य	संबंधित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की सं.
1	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	06	06
2	श्री एन. के. सुधांशु	02	NIL
3	सुश्री विस्मिता तेज	02	01
4	श्री बी. पी. पति	01	01
5	श्री एस. एन. प्रसाद	01	NIL
6	श्री प्रवीण कांत	01	01
7	श्री एस. के. झा	06	06
8	श्री जयप्रकाश गुप्ता	06	06
9	श्री संजीव सोनी	06	06
10	श्री विनय रंजन	04	04

[घ] आपदा प्रबंधन समिति:

ईसीएल की 291वीं बोर्ड बैठक में, आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया। समिति में 2 (दो) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक अर्थात डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती और श्री प्रवीण कांत (28.01.2019 से) और 4 (चार) प्रकार्य निदेशक अर्थात श्री एस. के. झा, निदेशक (तकनीकी) परिचालन(28.01.2019 से), श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना (28.01.2019 से), श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त) (28.01.2019 से) और श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक) (28.01.2019 से) शामिल थे। वर्ष 2018-19 के दौरान, आपदा प्रबंधन समिति की 1 (एक) बैठक दिनांक 13.03.2019 को आयोजित की गई थी।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं और श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक इस समिति के अध्यक्ष थे। बैठकों में सदस्यों और उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सदस्य	संबंधित सदस्यों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री प्रवीण कांत	01	01
2	डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती	01	01
3	श्री एस. के. झा	01	01
4	श्री जयप्रकाश गुप्ता	01	01
5	श्री संजीव सोनी	01	01
6	श्री विनय रंजन	01	01

सांविधिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत निम्नलिखित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के वित्तीय खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था:

सांविधिक लेखा परीक्षक:

1. मैसर्स जी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी, 7-ए, किरण शंकर रे रोड, दूसरी मंजिल, कोलकाता -700001

शाखा लेखा परीक्षक:

2. मैसर्स रे एंड कंपनी, 21 ए, शेक्सपियर सरानी, फ्लैट नं.-8 सी, 8 वीं मंजिल, कोलकाता -700017
3. मैसर्स सराफ एंड चंद्रा 501, अशोका हाउस, 3ए हरे स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, कोलकाता-700001
4. मैसर्स एडीडी एंड एसोसिएट्स, पी-168, सेक्टर-बी, मेट्रोपॉलिटन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि., कोलकाता-700105
5. मैसर्स एन. सरकार एंड कंपनी, 21 प्रफुल्ल सरकार स्ट्रीट, कोलकाता-700072
6. मैसर्स एस. के. बसु एंड कंपनी, टैम्पल चैम्बर्स, द्वितीय तल, 6 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कोलकाता-700001

वार्षिक आम बैठक:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के विवरण निम्नलिखित है: -

वर्ष	दिनांक, समय एवं स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प
2015-16	16.07.2016 11:00 बजे पूर्वाह्न सांकटोरिया	श्री सी. के .डे, निदेशक (वित्त), सीआईएल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार), ईसीएल श्री डी. सेट, मुख्य प्रबंधक (वित्त), सीआईएल एवं अध्यक्ष, सीआईएल के प्रतिनिधि श्री के. एस. पात्रो, डी (का.), ईसीएल, सदस्य लेखा परीक्षा समिति, श्री ए. एम. मराठे, निदेशक (वित्त), ईसीएल	हाँ *

वर्ष	दिनांक, समय एवं स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प
2016-17	16.07.2017 11:00 बजे पूर्वाह्न सांकटोरिया	श्री एस. चक्रवर्ती, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल, श्री बी. शर्मा, उप प्रबंधक (वित्त), सीआईएल, सीआईएल के प्रतिनिधि और श्री एस भट्टाचार्य, अध्यक्ष, सीआईएल के प्रतिनिधि के रूप में और श्री सी. के. डे, निदेशक (वित्त), सीआईएल,श्री के. एस. पात्रो, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल (लेखा परीक्षा समिति के सदस्य) श्री ए. मराठे, निदेशक (वित्त), ईसीएल श्री बी. एन. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) परिचालन(लेखा परीक्षा समिति के सदस्य)	-
2017-18	09.07.2018 10:00 बजे पूर्वाह्न कोलकाता	श्री एस. के. झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल श्री सी. के. डे, निदेशक (वित्त), सीआईएल (लेखा परीक्षा समिति के सदस्य) श्री रंजीत कुमार सिंह, उप प्रबंधक (वित्त), सीआईएल और ए. के. झा, अध्यक्ष, सीआईएल के प्रतिनिधि के रूप में।	-

* ईसीएल के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के खंड 32(ए) में संशोधन के लिए ईसीएल की 41वीं आमसभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। विशेष संकल्प का सारांश निम्नलिखित है:

"**संकल्प लिया गया कि** ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के खंड 32(ए) में प्रस्तावित संशोधन किए जाएंगे और इसका अनुमोदन किया जाता है:

"... उपर्युक्त प्रावधान की व्यापकता के लिए पक्षपात के बिना, बोर्ड के पास अध्यक्ष/सीआईएल के निर्णय के लिए निम्नलिखित किसी भी मामले से संबंधित अधिकार सुरक्षित होगा:

क) सीमा से अधिक राशि के लिए पूंजीगत व्यय का कोई भी कार्यक्रम, यदि वह सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत आता हो।"

उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान आयोजित सदस्यों की किसी भी सामान्य बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

4. प्रकटीकरण:

(क) संबंधित पार्टी लेनदेन:

कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, कोई भी संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों प्रतिकूल हो।

(ख) निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता:

निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 15 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अपनी 214वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया था और उनकी पुष्टि प्राप्त की गई थी । इसे कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर भी अपलोड किया गया था।

(ग) लेखा वर्णन:

वित्तीय विवरण प्रभावी अनिवार्य लेखा मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं ।

(घ) आपदा प्रबंधन, धोखाधड़ी निवारण और पहचान:

आपदा मूल्यांकन और शमन नीति को ईसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 05.11.2012 को आयोजित 257वीं बैठक में अनुमोदित किया गया। कोलकाता में दिनांक 13.03.2019 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में आपदा प्रबंधन समिति ने कंपनी के आपदा संबंधित मामलों की समीक्षा की और श्री आर. एन. सोम, महाप्रबंधक (परि. एंड यो.), ईसीएल को मुख्य आपदा अधिकारी नियुक्त किया।

(ड.) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन:

श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त) और श्री प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, को 323वीं बोर्ड बैठक में रखा गया था, इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में अनुलग्नक-के रूप में संलग्न किया गया है।

(च) लागू कानूनों का अनुपालन:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी पर लागू सभी कानूनों का अनुपालन किया गया है।

5. संचार के साधन:

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.gov.in पर अपलोड किए जाते हैं ।

वार्षिक लेखा रिपोर्ट के अलावा, लेखा की त्रैमासिक समीक्षा भी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है।

6. लेखा-परीक्षा योग्यता:

कंपनी का यह हमेशा प्रयास है कि वह अयोग्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं करे। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर अनुबंध की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक के रूप में दिया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

7. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

प्रकार्य निदेशक संबंधित प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के प्रमुख हैं, जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है। वे कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाईल से अवगत हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के व्यवसाय मॉडल से पूरी तरह अवगत हैं। इस संबंध में, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान मैसूर और गुवाहाटी में डीपीई द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र निदेशकों को नामित किया गया था।

8. कंपनी का शेयरधारिता का स्वरूप:

कंपनी के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास हैं।

9. सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति:

कंपनी अपने सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है। बोर्ड ने अवैध या अनैतिक व्यवहार के संबंध में रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को कानूनों, नियमों के उल्लंघन, धोखाधड़ी या अनैतिक आचरण की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी कर्मचारी से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा जांच समिति द्वारा की जाती है। प्रबंधकीय कर्मियों को इस तरह की रिपोर्टिंग की गोपयिता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) के साथ किसी भी प्रकार का विभेदकारी व्यवहार न हो।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने 27 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी 218वीं बैठक में मैसर्स ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, जिससे सीआईएल द्वारा सत्यनिष्ठा संधि के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और यह लागू हुआ।

10. वर्ष 2018-19 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंचने से नहीं रोका गया है।

11. पीई सर्वेक्षण के लिए पूर्ण डाटा-शीट को डीपीई के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि 28.09.2018 थी।

अनुलग्नक- ख

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: Burdwan, West Bengal-713333
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन

दिनांक: 27-05-2019

सेवा में,

निदेशक मंडल

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

हम, प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और एस. सोनी, निदेशक (वित्त), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इस वित्तीय रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी हैं और हम यह प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमने सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ-साथ लेखा नीतियों एवं इस पर की गई अतिरिक्त टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों की समीक्षा कर ली है, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूरी तरह से सही है।

I. इन विवरणों में भौतिक रूप से किसी असत्य विवरण को शामिल नहीं किया गया है अथवा किसी वास्तविक तथ्य को नजरंदाज नहीं किया गया है अथवा किसी ऐसे विवरणों को शामिल नहीं किया गया है, जो भ्रामक हो।

II. ये विवरण कंपनी से संबंधित वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण को एक साथ प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखा मानकों, प्रभावी कानूनों एवं नियमों के आलोक में हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास में 31 मार्च, 2019को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा सौदा नहीं किया गया, जो कंपनी के आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या अतिक्रमणात्मक हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्ट के आंतरिक नियंत्रण को स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने के दायित्व को स्वीकार करते हैं और हम वित्तीय रिपोर्ट से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रभावकारी मूल्यांकन करते हैं और हम उक्त आंतरिक नियंत्रण के दोष या परिचालन के संबंध में, यदि हो तो, इसकी जानकारी लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षण समिति को देते हैं, ताकि वे इसके प्रति सचेत रहें और इसे दूर करने के लिए उचित कदम उठा सकें अथवा इसे सुधारने के लिए अपना प्रस्ताव भेज सकें।

घ. हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा समिति को यह संकेत दिया है कि:

I. इस संदर्भित अवधि के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

II. इस अवधि के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

III. हमारे संज्ञान में कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर बनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित गंभीर धोखाधड़ी का ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है, जिसमें कंपनी के प्रबंधन या किसी कर्मचारी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो।

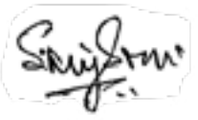

निदेशक (वित्त)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुलग्नक- VII

जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को कारपोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

1. हम, जीपी अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के सांविधिक लेखा परीक्षकों, ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिनांक 14.05.2010 (इसके बाद "डीपीई दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) को यथा निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो एक लेखा-परीक्षा है और न ही विचार की अभिव्यक्ति है।
4. हमने कंपनी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा बनाए गए बही-खातों एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्डों एवं दस्तावेजों की जांच की है।
5. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर दिशानिर्देश लेख, कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानक के संदर्भ में कंपनी से संबंधित रिकार्डों की जांच, इस प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए यथा प्रभावी प्रावधानों और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए विशेष उद्देश्यों के लिए, रिपोर्ट या प्रमाणपत्र पर मार्गदर्शन - टिप्पणी के अनुसार किया है, जिसके लिए हमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का पालन करना आवश्यक है।
6. हमने क्वालिटी कंट्रोल (एसक्यूसी) 1, फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, जो लेखा-परीक्षा और ऐतिहासिक जानकारी की समीक्षा करने, और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं पर मानक के प्रासंगिक लागू अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

अभिमत

7. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी परीक्षा और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदत्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च (March), 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान डीपीई में यथा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

i. प्रकार्य निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या का 56% (लगभग) है, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 3.1.2 के अनुसार "प्रकार्य निदेशकों (सीएमडी/ एमडी सहित) की संख्या, बोर्ड की वास्तविक संख्या का 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

ii. स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 2 है, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पैरा 3.1.4 के अनुसार "……अन्य सभी सीपीएसई के मामले में (यानी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध लेकिन एक कार्यकारी अध्यक्ष के बिना सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध सीपीएसई) बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में होने चाहिए।" उक्त दिशानिर्देश के अनुसार न्यूनतम 3 स्वतंत्र निदेशक (कुल 9 निदेशकों का 1/3) होना चाहिए।

iii. स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 2 है, जबकि डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के पैरा 4.1.1 के अनुसार "लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखा-परीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।'' यानी उक्त दिशानिर्देश के अनुसार न्यूनतम 5 स्वतंत्र निदेशक (लेखा-परीक्षा समिति के कुल 7 निदेशकों के 2/3) होने चाहिए।

iv. डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के पैरा 4.4 के अनुसार, ".....निर्दिष्ट संख्या दो सदस्य, लेखा-परीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई होगा, इनमें से जो भी अधिक हो, लेकिन कम से कम दो स्वतंत्र सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए।" हालांकि, दिनांक 28.01.2019 तक लेखा-परीक्षा समिति में केवल 1 स्वतंत्र निदेशक, अर्थात डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती थी।

8. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी-मामलों का संचालन किया है।

कृते, जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पं. सं. 302082E

(सीए अजय अग्रवाल)
सदस्यता सं. 017643
भागीदार
यूडीआईएन- 19017643AAAAAV2392

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 30 जुलाई 2019

परिशिष्ट-VIII

फॉर्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का सारांश

दिनांक 31.03.2019 को वित्तीय वर्ष के समापन पर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के संदर्भ में]

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण:

i. CIN: - U10101WB1975GOI030295

ii. पंजीकरण तिथि: -01.11.1975

iii. कंपनी का नाम: - ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

iv. कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी: - कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 2(71) के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी

v. पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण:- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़, जिला-बर्दवान, पिन-713333, पश्चिम बंगाल।

vi. सूचीबद्ध कंपनी हां / नहीं: नहीं

vii. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो: लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	कोयला	0510	100 %

III. नियंत्रक, अनुषंगी एवं संबद्ध कंपनियों का विवरण:-

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआइएन / जीएलएन	नियंत्रक/अनुषंगी/ संबद्ध	धारित शेयरों का%	कंपनी अधिनियम 2013 के लागू धारा
1	कोल इंडिया लिमिटेड सीआइएन-L23109WB1973GOI028844 कोल भवन परिसर-04 एमएआर, प्लॉट नं.- एएफ- III एक्शन एरिया-ए, न्यू टाउन राजरहाट, कोलकाता-700 156, पश्चिम बंगाल		नियंत्रक कंपनी	100%	2(46)

IV. शेयरधारिता स्वरूप (कुल इक्विटी प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग-अलग विवरण)

क. श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) **भारतीय**									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ		3	3	0.01		3	3	0.01	शून्य
ख) केंद्र सरकार									
ग) राज्य सरकार		22184497	22184497	99.99		22184497	22184497	99.99	शून्य
घ) निकाय कॉर्प									
ङ) बैंक/एफआई									
च) कोई अन्य…									
उप-योग (क) (1):-	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य
(2) विदेशी									
क) अनिवासी भारतीय व्यक्तिगत									
ख) अन्य - व्यक्तिगत									
ग) निकाय कॉर्प									
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान									
ङ) कोई अन्य…									
उप-योग (क) (2):-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता									
(क) = (क)(1) + (क)(2)	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य
ख. **सार्वजनिक शेयर धारिता**									
1. **संस्थागत**									
क) म्युचुअल फंड									
ख) बैंकों / वित्तीय संस्थान									
ग) केंद्र सरकार									
घ) राज्य सरकार									
ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
च) बीमा कंपनी									
छ) एफआईआई									
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
झ) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
उप-कुल (बी) (1): -	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. **गैर-संस्थागत**									
क) निकाय कॉर्प									
i) भारतीय									
ii) प्रवासी									
ख) व्यक्तिगत									
i) ₹1 लाख तक वाले नाममात्र शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयर धारक									
ii) ₹1 लाख से अधिक वाले नाममात्र शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयर धारक									
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
उप-कुल (ख)(2):-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता									
(ख) = (ख)(1)+(ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य	22184500	22184500	100	शून्य

ख. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारित शेयरों का%	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	कुल शेयरों में से गिरवी/भारित शेयरों का %	
1	कोल इंडिया लिमिटेड	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य
	कुल	22184497	99.99	शून्य	22184497	99.99	शून्य	शून्य

ग. प्रवर्तकों के शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया कोई बदलाव न होने पर निर्दिष्ट करें): वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का%
1	वर्ष के शुरुआत में	22184497	99.99	22184497	99.99
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास(जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) के कारणों के साथ प्रवर्तकों के शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ह्रास:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	वर्ष के अंत में	22184497	99.99	22184497	99.99

घ. शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों,प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अतिरिक्त) की शेयरधारिता स्वरूप:

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	साल के शुरुआत में	शून्य			
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) के कारणों के साथ प्रवर्तकों के शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ह्रास:				
3	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)				

ड. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

क्र. सं.	निदेशकों और केएमपी में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरंभ में	2	0.01	2	0.01
2	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/उद्यम इक्विटी आदि) के कारणों के साथ प्रवर्तकों के शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/ह्रास:	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	साल के अंत में	2	0.01	2	0.01

V. ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया/अर्जित किंतु भुगतान के लिए बकाया नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता।

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋ ग्रस्तता				
i. मूलधन				
ii. ब्याज दिया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
iii. ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं		1698.36		1698.36
कुल (i+ii+iii)		**1698.36**		**1698.36**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋ ग्रस्तता में परिवर्तन				
जोड़		135.82		135.82
घटाना		6.60		6.60
शुद्ध परिवर्तन		**129.22**		**129.22**
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन				
ii. ब्याज दिया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
iii. ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं		1827.58		1827.58
कुल (i+ii+iii)		**1827.58**		**1827.58**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम						कुल रकम
		श्री पी एस मिश्रा	श्री एस के झा	श्री जयप्रकाश गुप्ता	श्री संजीव सोनी	श्री विनय रंजन	श्री केएस पात्रो	
1	सकल वेतन	1958408.00	4889357.43	3761049.00	1903096.98	1507978.00	2205853.00	16225742.41
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन							
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में निहित प्रावधानों के तहत परिलब्धियों का मूल्य	250853.00	469546.00	448464.00	403014.00	37993.00	74091.00	1683961.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के अलावा लाभ							
2	स्टॉक का विकल्प		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
3	उद्यम इक्विटी		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
4	कमीशन		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	- लाभ का प्रतिशत							
	- अन्य (निर्दिष्ट करें							
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	1065870.00	1544665.00	1700064.00	1545747.00	91846.00	1540510.00	7488702.00
6	कुल (क)	3275131.00	6903568.43	5909577.00	3851857.98	1637817.00	3820454.00	25398405.41

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

(आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल रकम
1	**स्वतंत्र निदेशक**	**डॉ. इंदिरा चक्रवर्ती**	**श्री प्रवीण कांत**				
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	435000.00	105000.00				540000.00
	कमीशन						
	अन्य, निर्दिष्ट करें						
	कुल (1)						**540000.00**
2	**अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक**	**श्री एन के सुधांशु**	**सुश्री विस्मिता तेज**	**श्री बीपी पति**	**श्री सी के डे**	**श्री एस एन प्रसाद**	
	बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कमीशन						
	अन्य, निर्दिष्ट करें						
3	**कुल (2)**	**0.00**	**0.00**				**0.00**
4	**कुल (ख) = (1 + 2)**	**435000.00**	**105000.00**				**540000.00**

ग. प्रबंध निदेशक /प्रबंधक /पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	कंपनी सचिव		कुल
		श्री रामबाबू पाठक	श्री वी आर रेड्डी	
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन।	2077545.00	3028824.00	5106369.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में निहित प्रावधानों के तहत परिलब्धियों का मूल्य			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुसार वेतन के अलावा लाभ	5250.00	5250.00	10500.00
	स्टॉक का विकल्प			
	उद्यम इक्विटी			
	कमीशन - लाभ का प्रतिशत (%) - अन्य, निर्दिष्ट करें ...			
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	507600.00	1403987.00	1911587.00
	कुल	**2590395.00**	**4438061.00**	**7028456.00**

Vii. जुर्माना / दंड /अपराधों का समझौता:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	कंपनी अधिनियम की धारा संक्षिप्त विवरण	जुर्माना / सजा / समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]	अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समझौता					
ख. निदेशक					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समझौता					
ग. अन्य अधिकारी डिफ़ॉल्ट रूप से					
जुर्माना	शून्य				
दंड					
समझौता					

अनुलग्नक- - IX

दिनेश अग्रवाल, एसीएमए, एफसीएस
पेशेवर कंपनी सचिव .....

16/1 ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट (ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट),
चौथी मंजिल, कमरा नंबर 4बी, कोलकाता-700069 (प. बं.)
मोबाइल: +91 9339740007 || ई-मेल: agarwaldcs@gmail.com

सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म सं. - एमआर-3

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य
मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डाकघर-दिशेरगढ़, सांकतोड़िया,
बर्दवान-713333
पश्चिम बंगाल, भारत

मैंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (CIN: U10101WB1975GOI030295) (जिसे आगे ''कंपनी''कहा गया है) द्वारा प्रभावी सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर कारपोरेट कार्यप्रणाली के प्रति इसकी निष्ठा का सचिवीय लेखापरीक्षा किया। यह सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार किया गया था कि इससे मुझे कारपोरेट आचार-व्यवहारों/ सांविधिक अनुपालनों और इस पर हमारे विचार प्रकट करने के लिए एक यथोचित आधार मिला।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन के अतिरिक्त इस कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं के आधार पर, मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे विचार से इस कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में लेखा-परीक्षा के दौरान दिये गए सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों एवं बोर्ड प्रक्रियाओं तथा कंपनी के विस्तार हेतु अपनायी गई प्रणाली का उचित तरीके से और इसमें दिये गए विधि एवं विषय के अनुसार अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित रिपोर्टिंग के अधीन है:

मैंने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी)द्वारा तैयार किए गए लेखा-बहियों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल किए गए विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत बने नियम।
ii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) कानून, 1956 ("एससीआरए") तथा इसके तहत बनाये गए नियम।
iii. डिपॉजिटरी अधिनियम,1996 तथा विनियम तथा इसके तहत बनाये गए उप-नियम।
iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी (ओवरसीज) प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार के विस्तार हेतु इसके तहत बनाये गये नियम एवं विनियम।
v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम,1992 (सेबी अधिनियम) के तहत नियत विनियम एवं दिशानिर्देश।
vi. अन्य कानून, जो विशेष रूप से इस कंपनी पर लागू होते हैं।

टिप्पणी: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम'), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') में वर्णित विनियम एवं दिशानिर्देश और इसके तहत बनाये गए नियम और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके तहत बनाये गए विनियम एवं उपनियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

मैंने निम्नलिखित प्रभावी कारकों/खंडों सहित इसके अनुपालन की भी जांच की है:

i. द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत सचिवीय मानक।
ii. सीपीएसई, 2010 के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिये गए दिशानिर्देश।

इस वित्त वर्ष के समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस कंपनी ने उपर्युक्त कानूनों, नियमों, अधिनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है,जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है।

- **उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास इस अधिनियम की धारा 149 के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या नहीं है ।**
- **उपलब्ध रिकॉर्ड से पता चलता है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि में ₹ 7.83 करोड़ की कमी/ अव्ययित राशि है।**
- **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। इसका ठीक से गठन नहीं किया जा रहा है।**

मैं आगे यह सूचित करता हूं कि:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए उचित समय पर सूचना दी गयी है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी गयी थी, तथा बैठक से पहले एवं बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

इस समीक्षा में यह पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान बोर्ड बैठक में लिए गए अधिकांश फैसले सर्वसम्मति से हुए थे।

मैं आगे यह भी सूचित करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी एवं इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार एवं परिचालनों के अनुपात में कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जिसका अनुपालन निम्नलिखित रूप में किया गया:

- कंपनी के महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन) विभाग द्वारा संदर्भ सं. ECL/ENV/210 दिनांक 13/06/2019 के माध्यम से दिये गए वचन के अनुसार कंपनी ने सभी प्रभावी कानूनों का अनुपालन किया है।
- झारखंड राज्य के जिला खनन अधिकारियों (डीएमओ) ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957की धारा 21(5) के तहत 2000-01 से 2016-17 तक पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) क्षमता के कथित उल्लंघन के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 11 कोयला खानों को डिमांड नोटिस दिया था। उपर्युक्त अवधि के लिए 11 खदानों(मुगमा क्षेत्र-8 खदानें, राजमहल क्षेत्र-2 खदानें और एसपी माइंस क्षेत्र-1 खदानें) के लिए कुल लगभग ₹ 2178.14 करोड़ राशि की मांग की गई है। ईसीएल ने दिनांक16.01.2018 को 'खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 30 के तहत एकल पीठ पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया और इसे दिनांक22.01.2018 को स्थगन मिला। अब यह मामला विचाराधीन है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 17 जून,2019

DINESH AGARWAL KOLKATA COMPANY SECRETARY

(दिनेश अग्रवाल)
कंपनी सचिव
सी. पी. सं. 5881
सदस्यता सं. 6315

दिनेश अग्रवाल, एसीएमए, एफसीएस
पेशेवर कंपनी सचिव.....

16/1 ए, अब्दुल हमीद स्ट्रीट (ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट),
चौथी मंजिल, कमरा नंबर 4बी, कोलकाता-700069 (प. बं.)
मोबाइल: +91 9339740007 || ई-मेल: agarwaldcs@gmail.com

"अनुलग्नक - क"

सेवा में,
सदस्य
मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
डाकघर- दिशेरगढ़, सांकतोड़िया, बर्दवान-713333
पश्चिम बंगाल, भारत

समतिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाय।

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय प्रकट करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है ताकि सचिवीय रिकार्डों के विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में तर्कसंगत विश्वास प्राप्त हो सके। यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया है ताकि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्यों का प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जा सके। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा जो प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली अपनायी गई है वह हमारे विचार के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों एवं लेखा बहियों की सत्यता एवं औचित्य की जांच नहीं की है।
4. कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा किसी कार्यक्रम आदि के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़ी है हमें प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।
5. कॉरपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी तहकीकात, जांच के आधार पर कार्य पद्धति के सत्यापन तक सीमित थी।
6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यावहारिकता का आश्वासन नहीं है और न ही यह कंपनी के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए कामकाज की क्षमता एवं प्रभावकारिता का पैमाना है।

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 17 जून, 2019

(दिनेश अग्रवाल)
कंपनी सचिव
सी. पी. सं. 5881
सदस्यता सं. 6315

ईसीएल की सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट-2018-19 के लिए प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी	प्रबंधन के जवाब
1.	उपलब्ध सूचना के अनुसार, धारा 149 के तहत कंपनी के पास पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। ईसीएल में प्रो.(डॉ) इंदिरा चक्रवर्ती और श्री प्रवीण कांत के रूप में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं, जिन्हें क्रमशः दिनांक17.11.2015 और 13.12.2018 को ईसीएल के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। इसका ठीक से गठन नहीं किया जा रहा है।	लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया गया है, लेकिन उपर्युक्त के अनुसार केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। ईसीएल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा की जा रही है।
3.	उपलब्ध रिकॉर्ड बताते हैं कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधि में ₹ 7.83 करोड़ की कमी/ खर्च न की गयी राशि है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है। इस संबंध में पर्याप्त खुलासा बोर्ड की रिपोर्ट-2018-19 में किया गया है।
4.	झारखंड राज्य के जिला खनन अधिकारियों (डीएमओ) ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के तहत 2000-01 से 2016-17 तक पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) क्षमता के कथित उल्लंघन के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 11 कोयला खानों को डिमांड नोटिस दिया था। उपर्युक्त अवधि के लिए 11 खदानों (मुगमा क्षेत्र-8 खदानें, राजमहल क्षेत्र-2 खदानें और एसपी माइंस क्षेत्र-1 खदानें) के लिए कुल लगभग ₹ 2178.14 करोड़ राशि की मांग की गई है। ईसीएल ने दिनांक 16.01.2018 को 'खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 30 के तहत एकल पीठ पुनरीक्षण प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया और इसे दिनांक 22.01.2018 को स्थगन मिला। अब यह मामला विचाराधीन है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

अनुलग्नक-X

विदेश मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने की पहल, उत्पादों, सेवाओं और निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में संलग्न नहीं है।

(ii) **कुल विदेशी मुद्रा का उपयोग और अर्जन:**

(₹ में लाख)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
(क)	**विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया:**		
	1. आयात का सीआईएफ मूल्य:		
	(क) कच्चा माल	0.00	0.00
	(ख) घटक, भंडार और पुर्जे	0.00	0.00
	(ग) पूंजीगत सामान	000	000
	2. यात्रा / प्रशिक्षण व्यय	12.00	13.00
	3. तकनीकी जानकारी और विदेशी परामर्श पर खर्च	0.00	0.00
	4. विदेशियों को पेंशन	0.00	0.00
	5. अन्य	0.00	0.00
	कुल	**12.00**	**13.00**
(ख)	**अर्जित विदेशी मुद्रा**	**शून्य**	**शून्य**

अनुलग्नक -XI

प्रौद्योगिकी आमेलन के संबंध में विवरणों के प्रकटीकरण के लिए फार्म

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास किया जाता है	:	कंपनी का अपना अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) केंद्र स्थापित नहीं है। कोल इंडिया की एक अनुषंगी इकाई सीएमपीडीआईएल द्वारा केंद्रीकृत रूप से कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया जाता है।
2.	उपरोक्त आर एंड डी के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ	:	लागू नहीं
3.	भविष्य की योजना	:	लागू नहीं
4.	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	:	लागू नहीं
	a) पूंजी		-
	बी) आवर्ती		-
	ग) कुल		-
	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल आर एंड डी व्यय	:	लागू नहीं

प्रौद्योगिकी विस्तार, अनुकूलन और नवाचार

1.	प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास का संक्षिप्त विवरण	:	लागू नहीं
2.	उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ, जैसे उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि।	:	लागू नहीं
3.	आयातित तकनीक (वित्तीय वर्ष के आरंभ से पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करायी जाए -	:	लागू नहीं
	(i) प्रौद्योगिकी आयात की गई	:	लागू नहीं
	(ii) आयात का वर्ष	:	लागू नहीं
	(iii) क्या तकनीक पूरी तरह से अवशोषित हो गई है?	:	लागू नहीं
	(iv) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र जहां यह नहीं हुआ है, कारण और भविष्य की कार्य योजना।	:	लागू नहीं

सत्यमेव जयते

गोपनीय

संख्या 86/CA/LA-I/Accounts/ECL/2018-19
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND
ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय, महा निदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT
तथा पदेन सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड -II
& EX-OFFICIOMEMBER AUDIT BOARD-II
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated : 27/06/2019

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया,
पश्चिम बंगाल

विषय: 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

महोदय,
मैं एतद् द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को अग्रसारित करती हूं।

इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीय,

(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा बोर्ड-II,
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 जून, 2019

पुराना निजाम महल, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता -700 020, तार : "कोयलोखा
Old Nizam Palace, 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata-700 020
Phones : 2287-5380, 2287-7165, 2287-8838, 2287-2360, 2281-0043, 2281-5784, Fax : 2280-0062
E-mail : mabkolkata2@cag.gov.in

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानदंडों के अनुरूप निष्पक्ष लेखा परीक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपने विचार प्रकट करने के लिए जवाबदेह हैं। यह घोषित किया जाता है कि यह रिपोर्ट उनके द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 27.05.2019 और संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 24.06.2019 के आधार पर तैयार की गयी है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यगत दस्तावेजों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं यह मूलतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछेक लेखा प्रतिवेदनों के गिने-चुने परीक्षण तक ही सीमित है। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक -1 के 7 (ख) में संदर्भित प्रतिवाद के तहत जमा देय राशि के विवरण को परिशिष्ट '1' में शामिल करने के लिए किए गए संशोधन के मद्देनजर, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान मेरी ऑडिट टिप्पणियों के रूप में हाइलाइट किया गया है, इसके अलावा मुझे अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रस्तुत करने या पूरक के रूप में कोई और टिप्पणी नहीं करनी है। इसके अलावा ऐसी कोई भी विशेष बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है जिसके आधार पर अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट या इसके अनुपूरक भाग पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा
एवं पदेन सदस्य, लेखा बोर्ड-II,
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 27 जून, 2019

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन के जवाब

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट		
अभिमत		
	हमने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक का तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इन्हें अब 'भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण' कहा जाएगा) के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं| हमारे अभिमत तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के मुताबिक और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण यथा-आवश्यक विधि से अधिनियम की अपेक्षानुसार सूचनाएं प्रदान करता है और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष को लाभ (कुल व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन तथा इसका नकदी और कंपनी मामलों में भारत में सामान्य रूप से लागू अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और स्पष्ट है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
अभिमत के लिए आधार		
	हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के वित्तीय विवरण भाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी नीति संहिता और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों एवं नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नीतिपरक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुरूप अपने अन्य नैतिक दायित्वों और आईसीएआई की नीति संहिता का अनुपालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा-परीक्षा अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
वित्तीय विवरण और इन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचनाएं		
	कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में बोर्ड रिपोर्ट में समाहित सूचना शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं शामिल नहीं है और हम इन पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं। वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और यह विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों से आर्थिक रूप से असंगत या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी भिन्न तो नहीं हैं। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य और नीचे अन्य मामलों से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित हमें प्रस्तुत अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना से संबंधित कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक होगा। जैसा कि हमें बताया गया है, ऐसी अन्य सूचनाएं अभी तक तैयार नहीं की गई है। इसलिए, हम वर्तमान में उसके संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व और गवर्नेंस सहित इसका अनुपालन		
	कंपनी का निदेशक मंडल इस अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित लेखा मानकों समेत भारतीय लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लागू लेखा सिद्धांतों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जवाबदेह है जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सत्य एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं पता लगाना, पर्याप्त लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं न्यायसंगत मामलों का निर्णय एवं आकलन करना और वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखा रिकार्डों की शुद्धता और पूर्णता प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पर्याप्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, जो कि वित्तीय गलतियों से मुक्त हो, चाहे वह कपट से अथवा भूलवश ही क्यों न किया गया हो, भी शामिल है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के दौरान निदेशक मंडल चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, यथा लागू, चालू प्रतिष्ठान से संबंधित मामले और लेखा के आधार पर चालू प्रतिष्ठान का प्रयोग करने के लिए तबतक जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन कंपनी को बेच देने का या परिचालन बंद करने का या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प मौजूद न हो। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व		
	हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण आर्थिक अशुद्धि से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी से या त्रुटि के कारण हों, तथा एक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखा-परीक्षा के संदर्भ में किया गया लेखा-परीक्षा से कोई महत्वपूर्ण गलत बयान हमेशा पकड़ में आ ही जाएगी, यदि हो तो। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि हो तो, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से की गई हो, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय तार्किक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। लेखा मानकों के संदर्भ में, एक लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेहवाद को बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देते हैं: • वित्तीय विवरणों की गलतियों से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका आकलन करते हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय में आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय गलतियों को न पकड़ पाने का जोखिम एक से अधिक गलतियों के रूप में आता है, जैसे कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है। • इन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा-परीक्षा के प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों का प्रभावी तरीके से परिचालन किया जा रहा है। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं। • प्रबंधन के चालू प्रतिष्ठान आधार पर लेखा उपयोग की उपयुक्तता और इस पर आधारित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त कर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो कि चालू प्रतिष्ठान के रूप में कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण रूप से संदेहास्पद है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे द्वारा वित्तीय विवरणों में संबंधित स्पष्टीकरण के लिए अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है अथवा, हमारे अभिमत में परिवर्तन के लिए ऐसे स्पष्टीकरण अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं। • स्पष्टीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया है। हम गवर्नेंस सहित तथ्यों को एक विवरण के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिसमें अपनी लेखा परीक्षा के दौरान ज्ञात अन्य मामलों में, लेखा-परीक्षा की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं समय और आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण त्रुटियों समेत महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा तथ्यों के बारे में सूचित करते हैं। हम गवर्नेंस सहित तथ्यों को एक विवरण के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में सूचित किया है जो हमारी स्वतंत्रता और संबंधित सुरक्षा उपायों जहां लागू हो, के लिए यथोचित रूप से विचारणीय हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
	हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार अपना लेखा-परीक्षा किया। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा-परीक्षा करें कि क्या भारतीय लेखा मानकों के रूप में वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
	एक लेखा-परीक्षा में भारतीय लेखा मानक की धनराशि एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा-परीक्षण के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिमों का आकलन करने के लिए, लेखा परीक्षक कंपनी की भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को प्रासंगिक मानता है, जो लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है और जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। एक लेखा-परीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

	हम मानते हैं कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
अन्य मामले		
	हमने कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल उन 19 इकाइयों के वित्तीय विवरण/सूचनाओं का लेखा-परीक्षा नहीं किया है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना यह दर्शाती है कि 31 मार्च, 2019 तक उनकी कुल परिसंपत्तियां ₹ 4,358.52 करोड़ और इस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 12,356.41 करोड़ है, जैसा कि वित्तीय विवरणों में दिया गया है। इन इकाइयों के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा-परीक्षा इकाइयों के लेखा परीक्षकों द्वारा कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और इन इकाइयों से संबंधित शामिल किए गए धनराशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मंतव्य भी पूरी तरह उक्त इकाई के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए इसी वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना की लेखा-परीक्षा, पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक, मैसर्स एम. चौधरी एंड कंपनी द्वारा की गई थी, जिन्होंने 26 मई, 2018 की अपनी रिपोर्ट और दिनांक 6 जून, 2018 की संशोधित रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी। इस रिपोर्ट के उद्देश्य के लिए हमारे द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और उपर्युक्त मामलों और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य के संबंध में और उनकी रिपोर्ट पर हमारे द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास के संदर्भ में नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट संशोधित नहीं की गई है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट		
	अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार हमने अनुलग्नक 'I' के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
	जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत आवश्यक है, हमने इस रिपोर्ट के परिशिष्ट 'II' में लेखा-परीक्षा की सुझायी कार्यप्रणाली, इसपर हुई कार्रवाई तथा कंपनी के खाते एवं वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के अनुपालन के बाद, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक विवरण दिया है ।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
	अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
क.	हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया,जो हमारे लेखा-परीक्षा के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास में श्रेष्ठ थे।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ख.	हमारी राय में, कंपनी द्वारा बही खातों का रखरखाव कानून के अनुसार उचित तरीके से किया जाता है, यह उन लेखा बहियों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से पता चलता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ग.	इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत अंकेक्षित कंपनी के इकाइयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने इसे इस रिपोर्ट में सही तरीके शामिल किया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
घ.	तुलन-पत्र, लाभ-हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट में दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से रखे गए प्रासंगिक बही खाते से मेल खाते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ड.	हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) अधिनियम 2014 के नियम- 7 के साथ पढ़ा जाए।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
च.	कंपनी के निदेशक मंडल के रिकार्ड और 31 मार्च, 2019 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2019 तक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

झ.	कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में जानने के लिए, परिशिष्ट –''III'' में दिये गए हमारे पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें, जो हमारे लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट और 19 इकाइयों के लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका हमने लेखा परीक्षा नहीं किया है। इसमें वर्णित कारणों के लिए हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर इकाइयों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है
ज.	कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 सहित यथा संशोधित नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय तथा हमारी जानकारी एवं लेखा-परीक्षा के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरण: i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है- वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 5 का संदर्भ लें। ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई आर्थिक पूर्वाभासी हानि थी। iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाना आवश्यक था।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 'I'

क्र. सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित:		
1.	क. कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें अचल संपत्तियों का मात्रात्मक विवरण तथा उनकी स्थिति शामिल है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	ख. जैसा कि हमें बताया गया है, सीएमडी कार्यालय को छोड़कर, नियमित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा अचल संपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, सीएमडी कार्यालय के बारे में हमें बताया गया है कि अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन का काम जारी है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित अचल संपत्तियों के संबंध में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं देखी गई है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
	ग. कंपनी द्वारा खरीदी गई अचल संपत्तियों से संबंधित स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं तथा कोयला खदान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973, कोयला धारित भूमि (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, सरकारी भूमि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण और वन अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि अधिग्रहण के तहत अधिग्रहीत अचल संपत्तियों के स्वामित्व दस्तावेज कंपनी के नाम पर रखे गए हैं, सिवाय (i) 713.39 हेक्टेयर भूमि से संबंधित दस्तावेजों / विलेखों का संकलन और मिलान किया जा रहा है, और (ii) 12C, लॉर्ड सिन्हा रोड, कोलकाता -700 016 स्थित अपार्टमेंट का स्वामित्व विलेख हमारे सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं था।	
2.	धारक कंपनी यानी कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा कोयले का साल भर का स्टॉक स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की टीम द्वारा भंडार-गृहों/ स्टोर का भौतिक सत्यापन किया गया था। जैसा कि बताया गया है, कंपनी के आकार के संबंध में स्टॉक के सत्यापन की आवृत्ति उचित और पर्याप्त है। बुक रिकॉर्ड की तुलना में सूची के भौतिक सत्यापन पर कोई सामग्रीगत विसंगति नहीं देखी गई है। केवल (i) बराकर इंजीनियरिंग और फाउंड्री वर्क्स (ii) मुग्मा क्षेत्रीय कार्यशाला (iii) मुग्मा क्षेत्र (iv) सतग्राम क्षेत्र (v) सोदेपुर क्षेत्र (vi) रतिबाती कर्मशाला और (vii) सोदेपुर कर्मशाला में भौतिक रूप से विसंगतियों को देखा गया और लेखा बहियों में समुचित तरीके से दर्ज किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
3.	अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में कवर कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदार या अन्य पक्षों को कंपनी ने कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (क) से (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
4.	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत कवर किए गए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा से संबंधित कोई भी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
5.	कंपनी ने जनता से किसी भी प्रकार की जमा को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए जनता से जमा राशि के स्वीकार करने से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान अथवा कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान और कंपनी नियम (जमा की स्वीकृति) नियम, 2015 लागू नहीं हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
6.	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड और लेखा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। कंपनी द्वारा उक्त खातों और रिकॉर्ड को बनाए रखा गया है। हालाँकि, जैसा कि आवश्यक नहीं है, हमने इन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
7.	क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों, अभिलेखों की हमारी जांच पड़ताल के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर, और उचित प्राधिकारियों के साथ कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित कंपनी ने आमतौर पर अविवादित वैधानिक देय राशि को नियमित रूप से जमा किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2019 को उपरोक्त के संबंध में कोई भी निर्विवाद देय राशि उसकी देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

	ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर / बिक्री कर / संपत्ति कर / सेवा कर / सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / मूल्य वर्धित कर के बकाए के संबंधित राशि जो किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं की गयी है तथा लंबित विवाद से संबंधित फ़ोरम की जानकारी इस रिपोर्ट की परिशिष्ट 1 में दी गयी है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
8.	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकार से कोई ऋण नहीं लिया है और न ही कोई डिबेंचर जारी किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
9.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। हमारी जांच पड़ताल के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए ऐसे ऋण लिए गए थे।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
10.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि को वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
11.	कंपनी द्वारा प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान अनुसूची V के साथ पठित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदन के अनुसार किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
12.	हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
13.	हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लागू लेखांकन मानकों की आवश्यकतानुसार वित्तीय विवरणी में इसका का खुलासा किया गया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
14.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
15.	प्रस्तुत ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
16.	हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ(क) के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

परिशिष्ट 1

विवादित बकाया राशि जो जमा नहीं की गई है

क्र. सं.	कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि से संबंधित अवधि	मंच, जहां विवाद लंबित है	राशि (₹ करोड़ में)
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मार्च 2011 से मार्च 2016	सीसीई, बोलपुर	0.93
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	10-11 से 14-15 और अप्रैल 15 से सितंबर 16	सेसटेट (CESTAT), कोलकाता	784.52
3	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2015-16	आयुक्त न्यायनिर्णय, रांची	1.15

यह एक तथ्यात्मक विवरण है। हालाँकि, ये विवादित बकाया लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियों में खंड -5 के तहत न पहचानी गयी मदों में दर्शायी गयी आकस्मिक देयता में शामिल हैं (ऋण के रूप में अस्वीकृत कंपनी खिलाफ दावा)

4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मार्च, 11 से फरवरी, 13	आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, रांची	2.52
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	2014-15 और 2015-16	प्रधान निदेशक, ऑडिट का कार्यालय रांची (कैग)	5.19
6	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	2001-02	सीसीटी, रांची	1.96
7	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	April'06 to August'13 & 13-14	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, रांची	5.15
8	Central Sales Tax Act, 1956	सीएसटी	2015-16	डीसीसीटी, गोड्डा	4.74
9	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / झारखंड वैट अधिनियम, 2005	सीएसटी / जेवीएटी	1997-98 से 01-02	एसीसीटी, देवघर	0.9
10	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	सीएसटी / जेवीएटी	2008-09	सीसीटी, रांची	0.97
11	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	सीएसटी / जेवीएटी	2004-05, 2006-07 और 2007-08	वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची	9.04
12	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	सीएसटी / जेवीएटी	2011-12 और 2012-13	डीसीसीटी, देवघर	3.67
13	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	सीएसटी / जेवीएटी	1989-90 से 1995-96	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	24.65
14	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	सीएसटी / जेवीएटी	2003-04, 2009-10 और 2014-15	जेसीसीटी (अपील), दुमका	12.84
15	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	सीएसटी / जेवीएटी	2000-01	जेसीसीटी, दुमका	0.14
16	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005	सीएसटी / जेवीएटी	2002-03	ट्रिब्यूनल कोर्ट, रांची	1.62

17	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	प. बं. वैट / सीएसटी	2012-13	डब्ल्यूबी कराधान ट्रिब्यूनल, कोलकाता	23.13
18	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 / पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	प. बं. वैट / सीएसटी	2014-15	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीलीय और पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	14.13
19	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2012-13 से 2015-16	सेसटेट (CESTAT), कोलकाता	102.93
20	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	*1993-94, *2007-08, *2009-10 से 2015-16, *2017-18	सीआईटी (ए), आसनसोल	699.93
21	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस	2007-08 से 2017-18	सीपीसी बैंगलुरु	0.39
22	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	*2003-04 से 2006-07 &*2008-09	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	304.4
23	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	*2007-08	आईटीएटी, कोलकाता	44.28
24	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	1990-91, 1992-93, 2003-04 और 2005-06 to 2010-11	उप सीसीटी, चिरकुंडा सर्किल	19.49
25	झारखंड वैट अधिनियम, 2005	झारखंड वैट	78-79, 79-80, 90-91 92-93 से 96-97, 99-00, 00-01, 02-03, 07-08, 09-10 से 2012-13	जेसीसीटी (अपील) धनबाद	17.43
26	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	01.05.73 to 31.12.97, 1994-95, 96-97, 99-00, 07-08, 08-09, 2011-12	प्रमाणन अधिकारी, दुमका	16.59
27	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	सितंबर 03 और 2005-06	डीसी, देवघर	0.76
28	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	1999-00	जिला खनन अधिकारी	0.4
29	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2006-07 से 31.12.15	जिला खनन अधिकारी, दुमका	0.05
30	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2008-09 से 2009-10	जिला खनन अधिकारी, गोड्डा	0.09
31	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	1998-99, 24.09.03 to 31.12.05	माननीय उच्च न्यायालय, रांची	29.93
32	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	अप्रैल 86, फरवरी 91, अप्रैल 94, मार्च 96 और सितंबर 03	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	5.92
33	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2000-01 से 2009-10	पुनरीक्षण प्राधिकार, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	2,178.14

34	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	2002-03 से 2005-06, 2007-08 और 2008-09	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा , कोलकाता	19.84
35	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	2009-10 to 2016-17	सीनियर जेसी, आसनसोल	135.26
36	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा उपकर	1997-98 to 2001-02	पं. बं. कराधान ट्रिब्यूनल, कोलकाता	113.55
37	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	2002-03 to 2005-06, 2007-08 & 2008-09	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा , कोलकाता	79.35
38	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	2009-10 to 2016-17	सीनियर जेसी, आसनसोल	613.34
39	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार और उत्पादन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल ग्रामीण रोजगार उपकर	1997-98 to 2001-02	प. बं. कराधान ट्रिब्यूनल, कोलकाता	306.16

* निर्धारण वर्ष

उपर्युक्त में से, नीचे दर्शायी गयी सांविधिक बकाया राशि प्रतिवाद के तहत जमा की गई है:

क्र. सं.	बकाए की प्रकृति	प्रतिवाद के तहत जमा (₹ करोड़ में)
1	आयकर	45.68
2	पश्चिम बंगाल मूल्य वर्धित कर / केंद्रीय बिक्री कर	3.57
3	सेवा कर	3.86
4	झारखंड मूल्य वर्धित कर / केंद्रीय बिक्री कर	8.89
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	41.73
6	रॉयल्टी	3.52
	कुल	**107.25**

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि रिपोर्ट पर अनुलग्नक ''II''

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी समतिथि रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित:

अनुलग्नक - क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत दिशा-निर्देश

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदन	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हों तो उल्लेख किया जाए।	हाँ, निम्नलिखित के अधीन: क. कोलकाता बिक्री कार्यालय में रेल ग्राहक से मैन्युअल रूप से प्राप्त अग्रिम (तुलन-पत्र की तारीख को ₹ 93.10 करोड़) के उप- बहीखाते का रखरखाव। ख. रतिबाती कर्मशाला में मैन्युअल रूप से बनाए गए खाता बही।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा कर्ज / ऋण / ब्याज आदि में दी गयी छूट / बट्टे खाते में डालने का मामला है ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं आया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त / प्राप्य की गई थी और क्या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें। क	हां, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग किया गया।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि रिपोर्ट पर अनुलग्नक ''II''

अनुलग्नक 'ख'

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अतिरिक्त दिशा-निर्देश:

क्र. सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का जवाब
1.	क्या समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक का मापन किया गया था। क्या सभी मामलों में भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्टों को समोच्च मानचित्र के साथ लगाया गया? वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हुई या नहीं?	कोल स्टॉक का मापन समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किया गया था। भौतिक स्टॉक मापन रिपोर्ट समोच्च मानचित्र के साथ होती हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गयी है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
2.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनर्गठन के समय संपत्ति और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन अभ्यास किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक इकाई ने अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन किया है?	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं आया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
3.	क्या कोल इंडिया लिमिटेड या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खाते बनाए और व्यवस्थित किए गए हैं। इसके अलावा, खाते के फंड के उपयोग की जांच करें।	हां, प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाते बनाए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान इन एस्क्रो खातों से किसी निधि का उपयोग नहीं किया गया था।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
4.	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए लगाए गए दंड के प्रभाव को विधिवत रूप से माना गया है और इसके लिए जिम्मेदार है?	राजमहल, मुगमा और एसपी माइंस क्षेत्रों के संबंध में अधिकतम उत्पादन क्षमता से अधिक कोयला उत्पादन के लिए झारखंड सरकार से ₹ 2178.14 करोड़ की मांग-नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, कोयला मंत्रालय ने उक्त मांग नोटिस के निष्पादन पर रोक लगा दी है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समतिथि रिपोर्ट पर अनुलग्नक ''III''

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

क्र. सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन का जवाब
1.	हमने 31 मार्च 2019 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ किया है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी		
2.	इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण हेतु जारी मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण कसौटियों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने के लिए कंपनी की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो कंपनी की नीतियों के अनुरूप इसकी परिसंपत्तियों का संरक्षण करते हुए, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करने हेतु लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता/परिशुद्धता एवं परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर विश्वस्त वित्तीय सूचनाओं को तैयार करना शामिल करते हुए इसके व्यवसाय को सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक चलाना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से परिचालित किए जा रहे थे।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी		
3.	हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने का है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शक नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित होने योग्य हैं, के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक अपनी लेखा परीक्षा की है, ये दोनों ही इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं और दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं। उन मानकों और मार्गदर्शी- नोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों। हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी परिचालन प्रभावशीलता की पर्याप्तता के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ, जोखिम निर्धारण जिसमें महत्वपूर्ण कमजोरियां विद्यमान हैं तथा निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावकारिता की जांच एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण ही भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतियों जैसे बड़े जोखिम का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य जो उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में नीचे अन्य मामलों से संबंधित पैराग्राफ में संदर्भित हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ		
4.	वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन-देन को वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के समय पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं		
5.	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण पर अतिक्रमण से अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गड़बड़ी हो सकती है और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्तर बिगड़ सकता है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
अभिमत / राय		
6.	हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 को प्रभावी तरीके से परिचालित था, जो इंस्ट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रक के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग की कसौटियां पर आधारित हैं।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।
अन्य मामले		
	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, कंपनी की 19 इकाइयों से संबंधित है और यह ऐसी इकाइयों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।	यह एक तथ्यात्मक विवरण है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

बार्षिक लेखा

2018-19

तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	2,992.37	2,704.62
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	4	303.54	352.67
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	600.00	528.08
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	6	-	-
(ङ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-
(च) निवेश परिसंपत्तियां		-	-
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
i. निवेश	7	0.08	0.08
ii. ऋण	8	0.09	0.13
iii. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	499.94	504.30
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		448.48	696.83
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	187.35	159.19
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (क)		**5,031.85**	**4,945.90**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) सूची (इन्वेंटरी)	12	420.56	544.53
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	13	1,621.92	1,109.89
(iii) नकदी और नकदी समतुल्य	14	478.68	783.39
(iv) अन्य बैंक जमा शेष	15	4,186.82	3,870.36
(v) ऋण	8	-	-
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	9	305.65	730.07
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)		392.96	285.57
(घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	11	628.01	510.11
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (ख)		**8,034.60**	**7,833.92**
कुल परिसंपत्तियां (क+ख)		**13,066.45**	**12,779.82**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	2,218.45	2,218.45
(ख) अन्य इक्विटी	17	(1,169.94)	(1,876.32)
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी इक्विटी		1,048.51	342.13
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्विटी (क)		**1,048.51**	**342.13**

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	18	1,820.96	1,692.17
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	20.59	18.11
(ख) प्रावधान	21	3,357.14	3,705.31
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	22	-	-
कुल गैर-वर्तमान देयताएं (ख)		**5,198.69**	**5,415.59**
वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	18	-	-
(ii) व्यापार प्राप्तियां	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशि		502.93	473.49
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	328.89	290.42
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	23	4,661.18	4,068.77
(ग) प्रावधान	21	1,326.25	2,189.42
(घ) वर्तमान कर देयताएं (शुद्ध)		-	-
कुल वर्तमान देयताएं (ग)		**6,819.25**	**7,022.10**
कुल इक्विटी और देयताएं (क+ख+ग)		**13,066.45**	**12,779.82**
कॉर्पोरेट सुचना	1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
अतिरिक्त लेख पर टिपण्णीयाँ	38		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(ए.भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (वित्त)

(संजीव सोनी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- **08173548**

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-**07379202**

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

स.ले. अजय अग्रवाल
एम. सं. 017643
साझीदार

दिनांक: 27-05-2019
स्थान: कोलकाता

लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
परिचालनों से प्राप्त आय				
क.	बिक्री (शुद्ध/ नेट)	24	12,914.35	10,626.01
ख.	अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध/ नेट)	24	495.42	315.24
(I)	**परिचालनों से प्राप्त आय (क+ख)**		**13,409.77**	**10,941.25**
(II)	अन्य आय	25	497.72	526.41
(III)	कुल आय (I + II)		13,907.49	11,467.66
	खर्चे			
	खपत सामग्री की लागत	26	721.71	656.99
	तैयार माल की सूची / जारी कार्य और बिक्री के लिए स्टॉक में परिवर्तन	27	109.50	33.53
	उत्पाद शुल्क		-	146.14
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	7,448.47	8,415.89
	बिजली खर्च		476.39	506.06
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	29	16.46	12.69
	मरम्मत	30	141.12	153.41
	संविदात्मक व्यय	31	1,929.81	1,587.39
	वित्त लागत	32	163.10	154.38
	मूल्यह्रास/परिशोधन		494.98	443.99
	प्रावधान	33	8.28	(1.24)
	बट्टे खाते में	34	-	-
	अन्य खर्चे	35	643.04	551.12
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		456.24	274.04
(IV)	**कुल खर्चे**		**12,609.10**	**12,934.39**
(V)	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)**		**1,298.39**	**(1,466.73)**
(VI)	असाधारण मदें		-	-
(VII)	**कर से पहले लाभ (V - VI)**		**1,298.39**	**(1,466.73)**
(VIII)	कर व्यय	36	549.62	(535.56)
(IX)	**जारी संचालन अवधि के लिए लाभ (VII - VIII)**		**748.77**	**(931.17)**
(X)	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
(XII)	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (X - XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यमों के लाभ/ (हानि) में शेयर		-	-
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ (IX + XII + XIII)**		**748.77**	**(931.17)**
	अन्य व्यापक आय	37	**-**	**-**
	i. आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		(61.39)	163.63
	ii. लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		(19.00)	56.63
	iii. आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	iv. लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले आइटमों से संबंधित आय कर		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(42.39)**	**107.00**

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
(XVI)	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) (इस अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)**		**706.38**	**(824.17)**
	प्रति इक्विटी शेयर आय (₹ में)			
	(अंकित मूल्य ₹ 1000 / - प्रति शेयर)			
	1. बेसकि		**337.52**	**(419.74)**
	2. डाइल्यूटेड		**337.52**	**(419.74)**
कॉर्पोरेट सुचना		1		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ		2		
अतिरिक्त लेख पर टिपण्णीयाँ		38		
संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।				

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(ए.भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (वित्त)

(संजीव सोनी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- **08173548**

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-**07379202**

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

स.ले. अजय अग्रवाल
एम. सं. 017643
साझीदार

दिनांक: 27-05-2019
स्थान: कोलकाता

31.03.2019 को वर्ष के समापन पर इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2017 को वर्ष के समापन पर	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2018 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	01.04.2018 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2018 को वर्ष के समापन पर जमा शेष
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 10390000 इक्विटी शेयर पूरी तरह नकद में भुगतान किया	1,039.00	-	1,039.00	1,039.00	-	1,039.00
11794500 Equity Shares of ₹ 1000/- each allotted as fully paid up for consideration received other than cash	1,179.45	-	1,179.45	1,179.45	-	1,179.45
कुल	**2,218.45**	**-**	**2,218.45**	**2,218.45**	**-**	**2,218.45**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	इक्विटी शेयर पूंजी का अंश	पूंजी मोचन आरक्षित निधि	पूंजी रिजर्व	सतत विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	अन्य रिजर्व	प्रतिधारित आय
01.04.2017 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(2,820.17)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 को वर्ष के समापन पर पुनर्निर्दिष्ट शेष	855.61	-	-	-	832.71	-	(2,820.17)
Profit fot the period	-	-	-	-	-	-	(931.17)
Dividends (including Dividend tax)	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to General Reserve	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2018 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(3,751.34)**
01.04.2018 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(3,751.34)**
Total Comprehensive Income for the period	-	-	-	-	-	-	748.77
Adjustment during the Period	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व को / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 को वर्ष के समापन पर जमा शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**-**	**(3,002.57)**

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(ए.भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (वित्त)

(संजीव सोनी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- **08173548**

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-**07379202**
रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

स.ले. अजय अग्रवाल
एम. सं. 017643
साझीदार

दिनांक: 27-05-2019
स्थान: कोलकाता

नकदी प्रवाह स्थिति (प्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

		31-03-2019		31-03-2018	
क.	संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, निम्नलिखित के लिए समायोजित		**706.38**		**(824.17)**
	मूल्यह्रास और हानि	494.98		443.99	
	ब्याज आय	(400.14)		(279.91)	
	परिसंपत्तियों की बिक्री	(3.16)		(0.49)	
	प्रावधान	8.28		(1.24)	
	प्रतिलिखित देयता	(13.73)		(99.63)	
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	456.24		274.04	
	कोयले के समापन स्टॉक पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-		-	
	छूट का मोचन	163.10		154.38	
	विनिमय दर भिन्नता पर हानि / (लाभ)	10.93	716.50	0.04	491.18
	वर्तमान / गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व परिचालन लाभ, निम्नलिखित के लिए समायोजित		**1,422.88**		**(332.99)**
	व्यापार प्राप्य	(512.03)		519.22	
	माल-सूची (इन्वेंटरी)	123.97		58.77	
	लघु / दीर्घकालीन देयता और प्रावधान	(722.97)		2,520.50	
	लघु / दीर्घकालिक ऋण / अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	423.72	(687.31)	(1,345.35)	1,753.14
	संचालन से उत्पन्न नकदी		**735.57**		**1,420.15**
	भुगतान किया गया आयकर		315.00		100.00
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (I)		**420.57**		**1,320.15**
ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	अचल संपत्तियों की खरीद	(802.39)		(911.09)	
	अचल संपत्तियों के मूल्य में समायोजन	(3.13)		4.25	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री	3.16		0.49	
	सावधि जमा की कार्यवाही / (खरीद)	(316.46)		(641.72)	
	निवेश से संबंधित ब्याज	400.14		279.91	(1,268.16)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (II)		**(718.68)**		**(1,268.16)**
ग .	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	उधारियों की चुकौती	(6.60)	(6.60)	(6.04)	(6.04)
	वित्त पोषण गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकदी (III)		**(6.60)**		**(6.04)**
	नकदी और बैंक शेष में शुद्ध वृद्धि / कमी (I + II + III)		**(304.71)**		**45.95**
	नकदी और नकदी समतुल्य (आरंभिक शेष) (IV)	**783.39**		**737.44**	
	नकदी और नकदी समतुल्य (अंतिम शेष) (V)	**478.68**	**(304.71)**	**783.39**	**45.95**
	कोष्ठक में दिए गए सभी आंकड़े बहिर्वाह को प्रदर्शित करते हैं।				

नकद प्रवाह विवरणी पर टिप्पणी:

(₹ करोड़ में)

1.	**नकद और नकद समतुल्य**	**31-03-2019**	**31-03-2018**
	हस्तगत नकद और बैंको में जमा शेष	109.78	38.44
	अल्पकालिक निवेश	368.90	744.95
	नकद और नकद समकक्ष	478.68	783.39
	विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	नकद और नकद समतुल्य जैसा कि पुनर्वर्णित है	**478.68**	**783.39**

2. वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल कर ₹ 315.00 करोड़ (₹ 100 करोड़)

3. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन :

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं में बदलाव निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2018 को	**नकद प्रवाह**	**अन्य**	**31.03.2019 को**
a)	गैर-वर्तमान उधारियां [संदर्भ टिप्पणी संख्या- 18]	155.01	(0.41)	4.33	158.93
b)	लंबी अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं [संदर्भ टिप्पणी संख्या- 20]	6.19	(6.19)	6.62	6.62
	कुल	**161.20**	**(6.60)**	**10.95**	**165.55**
		31.03.2017 को	**नकद प्रवाह**	**अन्य**	**31.03.2018 को**
a)	गैर-वर्तमान उधारियां [संदर्भ टिप्पणी संख्या- 18]	161.01	0.15	(6.15)	155.01
b)	लंबी अवधि के ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं [संदर्भ टिप्पणी संख्या- 20]	6.19	(6.19)	6.19	6.19
	कुल	**167.20**	**(6.04)**	**0.04**	**161.20**

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(ए.भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (वित्त)

(संजीव सोनी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन- **08173548**

(प्रेम सागर मिश्रा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-**07379202**

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 302082E

स.ले. अजय अग्रवाल
एम. सं. 017643
साझीदार

दिनांक: 27-05-2019
स्थान: कोलकाता

टिप्पणी 1 : कॉरपोरेट सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) 1 नवंबर 1975 को कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पुराना नाम) की पूर्वी डिवीजन में निहित परिसंपत्तियों और देयताओं को अधिग्रहण करके 100 % कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक अनुषंगी इकाई के रूप में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित हुई। कंपनी मुख्य रूप से कोयले के उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है।

यह एक भारतीय कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय है - अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट- दिशेरगढ़, जिला-पश्चिम बर्दवान, पिन- 713333।

टिप्पणी-2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

कंपनी के वित्तीय विवरणों को, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के अनुसार तैयार किया गया है।

निम्नलिखित को छोड़कर, वित्तीय विवरण मापन की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:-

- उचित मूल्य पर मापी गयी कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय दस्तावेजों से संबंधित लेखांकन नीति देखें);
- परिभाषित लाभ योजनाएं- उचित मूल्य पर मापी गयी योजनागत परिसंपत्तियां;
- लागत पर संपत्ति सूची या एनआरवी, जो भी कम हो (देखें लेखांकन नीति अनुच्छेद 2.21)।

2.1.1 राशियों को पूर्ण अंकों में दर्शाना

जब तक अन्यथा संकेत नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणों में राशियों को दशमलव के दो अंको तक "रुपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में दर्शाया गया है।

2.2 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी अपने तुलन-पत्र में वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब –

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षा रखती हो अथवा उन्हें बेचने या इनका उपयोग करने की इच्छा रखती हो,

ख) कंपनी परिसंपत्तियों को मूल रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखती हो,

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर परिसंपत्ति की वसूली की अपेक्षा रखती हो, अथवा

घ) परिसंपत्ति नकद या एक नकद समतुल्य है (जैसा कि लेखा मानक 7 में परिभाषित किया गया है) जब तक कि परिसंपत्ति को अदला-बदली (एक्सचेंज) किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किसी देनदारी/देयता को वर्तमान के रूप में तब माना जाता है जब -

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की अपेक्षा रखती हो;
ख) इसकी देयता मुख्य रूप से कारोबारी उद्देश्य के लिए हो;
ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के अंदर बकाया देयता का निपटान किया जाना, अथवा
घ) कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को अस्वीकार करने का बिना शर्त अधिकार न हो। किसी देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर हो सकती हैं, इक्विटी लिखत जारी करके इसके निपटान के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

अन्य सभी देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व की मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व से संबंधित भारतीय लेखा मानक 115, निर्माण अनुबंध से संबंधित भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व की मान्यता को अधिगृहीत करता है और यह इसके ग्राहक-अनुबंध से प्राप्त सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखा मानक 115 ने ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व प्राप्त करने के लिए लेखा हेतु एक पंच-स्तरीय मॉडल को स्थापित किया है और यह आवश्यक है कि राजस्व की उस राशि को मान्यता देने पर विचार किया जाय, जिसमें ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी के विशेषज्ञों को विनिमय करने का अधिकार प्राप्त हो सके। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने ('ईसीएल' या 'कंपनी') अंगीकरण की पूर्वव्यापी विधि को अपनाते हुए भारतीय लेखा मानक 115 को अंगीकृत किया है।

अपने ग्राहकों से अनुबंध करने के लिए इस मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते भारतीय लेखा मानक 115 को निर्णय लेने की आवश्यकता है, सभी को ध्यान में रखते हुए संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों जब अनुबंध के साथ हैं उनके ग्राहक। मानक वृद्धिशील लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है एक अनुबंध प्राप्त करने और एक अनुबंध को पूरा करने के लिए सीधे संबंधित लागत।

2.3.1 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है, जिसका मुख्यालय सांकतोड़िया, प. बं., भारत में है। ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करती है। कंपनी ने साधारणतः यह निष्कर्ष निकाला है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इससे ग्राहक को हस्तांतरित करने से पहले माल या सेवाओं को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है।

भारतीय लेखा मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

केवल निम्नलिखित सभी मानदंडों के पूरा होने पर ही कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी उत्तरदायी है:

क) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी हो और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हों;
ख) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पक्ष के अधिकारों की पहचान की जा सकती हो;
ग) कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए भुगतान-शर्तों की पहचान की जा सकती है;
घ) अनुबंध में व्यावसायिक निहितार्थ (इस संविदा के परिणामस्वरूप जोखिम, समय या कंपनी के भावी नकदी प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होने की संभावना है) मौजूद हों, और
ङ) यह संभव है कि ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी विवेचना करे जिसका कि उसे अधिकार है। विचार राशि, जिसके लिए कि कंपनी को अधिकार है, अनुबंध में लिखित कीमत से कम या अधिक हो सकती है। विचार राशि में अंतर हो सकता है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, धनवापसी, क्रेडिट या प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस आदि का प्रस्ताव दे सकती है।

अनुबंधों का संयोजन

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पाये जाते हैं तो कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक से संबंधित पक्षों) के साथ, एक ही समय में या उसके आसपास हुए दो या दो से अधिक अनुबंधों को एक साथ मिला सकती है और इस अनुबंध को एकल अनुबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

क) यदि इन अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में माना गया हो;
ख) यदि एक अनुबंध में भुगतान किए जाने वाली विचारित-राशि, अन्य अनुबंध के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर हो, या
ग) यदि अनुबंध में दी गयी वस्तुएं या सेवाएं (या प्रत्येक अनुबंध में दी गयी कुछ वस्तुएं या सेवाएं) एक एकल निष्पादन दायित्व से संबंधित हो।

अनुबंध संशोधन

यदि निम्नलिखित दोनों स्थितियां मौजूद रहती है तो कंपनी किसी अनुबंध को अलग-अलग अनुबंध के रूप में परिभाषित कर सकती है:

क) यदि दी गयी विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाओं में कुछ इजाफा होने के कारण अनुबंध का दायरा बढ़ जाय और
ख) यदि अनुबंध-मूल्य विचारित-राशि तक बढ़ जाता है, जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त कंपनी स्वचालित (स्टैंड-अलोन) बिक्री मूल्य और उस कीमत के किसी भी उपयुक्त समायोजन की परिस्थितियों लिए विशेष अनुबंध में दर्शाया गया है

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध के आरंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ मिलकर अनुबंध में दी गयी वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को हस्तांतरण करने के लिए प्रत्येक वादा एक निष्पादन दायित्व के रूप में पहचान करती है या तो:

क) एक विशिष्ट वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) या
ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का एक ही तरीका है।

चरण 3: लेनदेन मूल्य का निर्धारण

लेन-देन का मूल्य निर्धारित करने के लिए कंपनी अनुबंध की शर्तों और इसकी व्यावसायिक प्रथाओं पर विचार करती है। लेन-देन की कीमत वह विचारित-राशि है, जिसे तृतीय पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, वादा किए गए वस्तुओं एवं सेवाओं को स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को यह उम्मीद होती है कि वह विनिमय में हकदार होगी।

लेन-देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित सभी पक्षों के प्रभावों पर विचार करती है:

- ❖ परिवर्तनशील विचार
- ❖ परिवर्तनशील विचार का बाध्यता अनुमान
- ❖ महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का अस्तित्व
- ❖ गैर-नकद विचार
- ❖ किसी ग्राहक को देय राशि का विचार

छूट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य, रियायतें, प्रोत्साहन, निष्पादन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण विचार राशि भिन्न हो सकती है। वादा की गयी विचार राशि भी भिन्न हो सकती है यदि कंपनी का विचार करने का अधिकार किसी भावी घटना या गैर-घटना के आधार पर निर्भर हो।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्धारित हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के तत्व के आधार पर दंड आधारित होता है। जहां लेनदेन के निर्धारण में जुर्माना निहित है, वहां यह परिवर्तनशील विचार का हिस्सा होता है।

कंपनी में केवल 'अनुमानित चर विचार' के कुछ या सभी लेनदेन मूल्य उस हद तक शामिल हैं, जबकि इसकी अत्यधिक संभावना हो कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक कि 'चर विचार' के साथ जुड़ी अनिश्चितता दूर नहीं होती।

कंपनी तब तक एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए चर विचार वादा की राशि को समायोजित नहीं करती है, जब तक अनुबंध के आरंभ में यह अपेक्षित हो कि इस अवधि के दौरान वादा की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जा सकता है और ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए एक वर्ष या उससे कम समय के अंदर भुगतान कर सकता है।

यदि कंपनी ग्राहक से विचार प्राप्त करती है और कुछ या सभी चर विचार ग्राहक को रिफंड करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धनवापसी दायित्व को स्वीकार कर लेती है। धनवापसी दायित्व की गणना उस चर विचार प्राप्त (या प्राप्य) राशि के आधार पर की जाती है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (अर्थात जो राशि लेन-देन मूल्य में शामिल नहीं है)। लेन-देन मूल्य में रिफंड देयता तथा चर विचार परिवर्तन है और इसलिए परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध देयता को अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध होने के बाद, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में वैसा परिवर्तन जिससे चर विचार की राशि में परिवर्तन होता हो, के संकल्प सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन की कीमत बदल सकती है, जिसमें कंपनी को उम्मीद है कि वह वादा की गयी वस्तुओं या सेवाओं के विनियम में हकदार होगी।

चरण 4: लेनदेन राशि का आवंटन:

कंपनी का उद्देश्य है कि लेन-देन मूल्य आवंटित करते समय किसी राशि में प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या विशिष्ट वस्तु या सेवा) के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित किया जाय, जो चर विचार की मात्रा को दर्शाती है और जिसके लिए कंपनी ग्राहक से वादा किए गए वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्वचालित विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व हेतु लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अलग-अलग वस्तु या सेवा के अंत में अनुबंध की स्थापना पर स्वचालित (स्टैंड-अलोन) विक्रय मूल्य निर्धारित करती है, जो अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन दायित्व के तहत आता है और उन स्वचालित बिक्री मूल्य के अनुपात में लेनदेन की कीमत आवंटित की जाती है।

चरण 5: राजस्व की पहचान:

जब (या के रूप में) कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तु एवं सेवा को हस्तांतरित कर उसके निष्पादन दायित्व से संतुष्ट होती है तो वह राजस्व की मान्यता करती है। ग्राहक द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने पर (या के रूप में) किसी वस्तु या सेवा को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ किसी वस्तु या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और इसलिए, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर ही, समय के साथ किसी निष्पादन दायित्व और राजस्व को स्वीकृत किया जाता है:

क) यदि कंपनी के निष्पादन के अनुसार ग्राहक कंपनी के निष्पादन से लाभ प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है।
ख) यदि कंपनी के निष्पादन से परिसंपत्ति का सृजन या वृद्धि होती है और इस सृजन या वृद्धि पर ग्राहक का नियंत्रण हो ।
ग) यदि कंपनी किसी वैकल्पिक साधन का उपयोग करते हुए अपने निष्पादन से किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास उस तिथि तक पूरे किए गए निष्पादन का भुगतान करने का अधिकार हो।

कंपनी समय-समय पर संतुष्ट प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए, उस तिथि तक इस दिशा में हुई प्रगति का मापन करके राजस्व को मान्य करती है।

कंपनी, प्रत्येक संतुष्ट निष्पादन दायित्व की प्रगति को मापने के लिए एकल मापक विधि का पालन करती है और समान निष्पादन दायित्वों और समान परिस्थितियों में इसी पद्धति का नियमित रूप से पालन करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी अपने निष्पादन दायित्व की प्रगति को पुन: मापती है।

कंपनी, अनुबंध के तहत वादा की गई शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित ग्राहक के मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व मान्यता करने के लिए आउटपुट विधि का पालन करती है। आउटपुट विधियों में उक्त तिथि तक के निष्पादन - सर्वेक्षण, प्राप्त परिणाम के मूल्यांकन, नए बनाए गए रिकॉर्ड (milestones), बीते समय तथा उत्पादित या सौंपी गई इकाइयां जैसी विधियों का शामिल किया जाता है।

कंपनी, समय के साथ-साथ अपनी प्रगति के माप को अद्यतन करती रहती है, ताकि यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे निष्पादन दायित्व में दर्शाया जा सके और इस परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8, लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के आलोक में परिवर्तन के रूप में शामिल किया जाता है।

कंपनी, यदि निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में इसकी प्रगति को यथोचित तरीके से माप सकती है तो उस समय तक के लिए संतुष्ट निष्पादन दायित्व के राजस्व को स्वीकारती है। जब (या के रूप में) कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक होता है, तो कंपनी लेनदेन-मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में स्वीकार करती है (जिसमें चर विचार के अनुमान को शामिल नहीं किया जाता है, जो उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किए गए हैं)।

यदि समय के साथ कोई निष्पादन दायित्व संतोषजनक नहीं है, तो कंपनी एक समय सीमा के अंदर इसे संतोषजनक बनाने का प्रयास करती है। उस समय सीमा को निर्धारित करने के लिए जब वादा की गयी किसी वस्तु एवं सेवा पर एक ग्राहक का अपना नियंत्रण स्थापित हो जाता है और कंपनी निष्पादन दायित्व से संतुष्ट हो जाती है, तो कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के संकेतक पर विचार करती है, जिसमें एक सीमा तक निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार है;
ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का स्वामित्व है;
ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को हस्तांतरित कर दिया है;
घ) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के स्वामित्व का महत्वपूर्ण जोखिम और पारितोषिक हैं;
ङ) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार किया है।

जब कोई भी पक्ष किसी अनुबंध का निष्पादन करता है, तो कंपनी अपने तुलन-पत्र में उक्त अनुबंध को अनुबंध परिसंपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में शामिल करती है, जो कंपनी के कार्य-निष्पादन तथा ग्राहक के भुगतान के संबंध पर आधारित होता है। कंपनी अलग से किसी भी बिना शर्त विचारित अधिकार को प्राप्य के रूप में दर्शाती है।

अनुबंध संपत्ति

एक अनुबंध परिसंपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए चर विचार का अधिकार है। अगर कंपनी ग्राहक के चर विचार करने या भुगतान करने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन करती है तो सशर्त रूप से अर्जित विचार के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है।

व्यापार प्राप्य

एक प्राप्य राशि प्रदर्शित करती कि किसी विचारित राशि पर कंपनी का बिना शर्त अधिकार है। (यानी, विचारित राशि के बकाया भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)।

अनुबंध देयताएं

एक अनुबंध दायित्व किसी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से चर विचार प्राप्त हुआ है (या चर विचार की राशि बकाया है)। कंपनी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले यदि कोई ग्राहक चर विचार करता है और जब भुगतान किया जाता है या देय होता है (जो भी पहले हो) तो किसी अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करती है तो अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3.2 ब्याज:

प्रभावी ब्याज पद्धति का प्रयोग कर ब्याज से प्राप्त आय की पहचान की जाती है।

2.3.3 लाभांश

निवेशों से प्राप्त लाभांश की आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.3.4 अन्य दावे:

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से विलंबित वसूली पर मिले ब्याज सहित) का लेखांकन वसूली की निश्चितता तथा उसके मूल्यांकन की वास्तविकता होने पर ही किया जाता है।

2.3.5 सेवाएं प्रदान करना

जब किसी लेनदेन के परिणाम को जिसमें सेवा के प्रदान करने को वास्तविक रूप से आकलित किया जाना संभव हो तब लेनदेन से सम्बद्ध राजस्व की पहचान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन की पूर्णता के संदर्भ में की जाती है। लेनदेन परिणाम को विश्वसनीय रूप से तब आकलित किया जाता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती है –

क) जब राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।
ख) जब लेनदेन से संबंधित आर्थिक सुविधाओं की कंपनी की ओर प्रवाहित होने की संभावना हो।
ग) जब लेन देन की अवधि के अंत में लेन देन की पूर्णता के स्तर को वास्तविक रूप में मापा जा सके।
घ) जब लेन देन पर हुए ख़र्च तथा लेनदेन को पूरा करने की लागत को वास्तविक रूप से मापा जा सके।

2.4 सरकारी अनुदान/सहायता

सरकारी अनुदान तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक पर्याप्त आश्वासन न हो कि कंपनी इसके साथ संलग्न शर्तों को पूरा करेगी तथा पर्याप्त निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

लाभ-हानि विवरणी में अवधि के दौरान नियमित आधार पर सरकारी अनुदान/सहायता स्वीकार की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को खर्चे के रूप में मानती है जिसके लिए अनुदान से उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा रहती है।

आस्थगित आय के रूप में अनुदान समायोजन द्वारा परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सहायता को तुलन-पत्र में दर्शाया गया है और परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की तुलना में योजनाबद्ध आधार पर लाभ-हानि के विवरणी में दर्शाया गया है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी परिसंपत्ति के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ हानि विवरण के एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

एक सरकारी अनुदान जो कुल ख़र्च में हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है जो पहले ही ख़र्च हो चुके हैं या कंपनी को तत्काल वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए दिए जाते हैं जिनमें भविष्य से संबंधित लागत नहीं है, उस अवधि के लिए लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त हैं जिसके लिए वे प्राप्य होते हैं ।

सरकारी अनुदान अथवा प्रोत्साहन की प्रकृति के रूप में योगदान को सीधे ''कैपिटल रिजर्व'' में स्वीकार किया जाता है जो "शेयर होल्डर निधि" का एक भाग है।

2.5 पट्टा

एक वित्तीय पट्टा वह पट्टा है जिसमें किसी संपत्ति के मालिकाना हक़ से संबंधित सभी जोखिमों तथा पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें अंततः स्वामित्व का हस्तांतरण हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है।

एक परिचालन पट्टा वह पट्टा जो वित्तीय पट्टे के अतिरिक्त है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी:

कोई पट्टा स्थापना की तारीख को ही वित्तीय पट्टा या परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

2.5.1.1 वित्तीय पट्टों को पट्टों की शुरुआत के समय पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य पर, या कम होने पर, लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य के रुप में पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा भुगतान वित्त प्रभार और पट्टा देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर लगातार आवधिक ब्याज दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय प्रभार को वित्तीय लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वे सीधे योग्य संपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, उस स्थिति में उन्हें उधार की लागतों पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है

पट्टे पर दी गयी किसी संपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर होता है। हालांकि, यदि इसकी कोई उचित निश्चितता नहीं हो कि कंपनी पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी, तो परिसंपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टा अवधि से कम पर किया जाती है।

2.5.1.2 पट्टेदाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टा - परिचालन पट्टों से पट्टा आय को (बीमा एवं अनुरक्षण जैसी सेवाओं के लिए राशि को छोड़कर) पट्टे की अवधि में जब तक निम्नलिखित में से कोई न हो, तो सीधे तौर पर आय में स्वीकार किया जाता है:

(क) टाइम पैटर्न का दूसरा व्यवस्थित आधार ज्यादा निरूपक है जिसमें पट्टादाता को इस आधार पर भुगतान नहीं करने पर भी पट्टाधारित परिसंपत्ति से प्राप्त उपयोग-लाभ को कम कर दिया जाता है, अथवा

(ख) पट्टादाता के अनुमानित मुद्रा स्फीति विषयक लागत वृद्धि की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रा-स्फीति के अनुसार ही वृद्धि हेतु पट्टादाता के भुगतान की रूपरेखा तैयार की जाती है। यदि मुद्रा स्फीति के अलावा किन्हीं अन्य घटकों के अनुसार पट्टादाता को किया जाने वाला भुगतान बदलता है तो इस स्थिति में यह शर्त पूरी नहीं होती।

मोल-भाव तथा परिचालन पट्टा की व्यवस्था करने में हुए प्रारंभिक सीधे खर्चों को पट्टे पर दे दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि (Carrying amount) में जोड़ दिया जाता है तथा पट्टा आय के तरह ही उसी आधार पर प्रारंभिक पट्टे में खर्च के रूप में स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय पट्टे - वित्तीय पट्टे के तहत पट्टों की बकाया राशि पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश में प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। वित्तीय पट्टे की आय को लेखांकन अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में शुद्ध बकाया निवेश पर लगातार सावधि वापसी की दर प्रतिबिंबित हो।

2.6 बिक्री के लिए रखी गयी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

कंपनी गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं / या बिक्री के लिए रखे गए निपटाने वाले समूह के वहन राशि (Carrying amount) की वसूली मूल रूप से लगातार उपयोग करते रहने के बजाए बिक्री के जरिए हो जाती है। बिक्री के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक कार्रवाइयों से यह ज्ञात होना चाहिए कि इसकी संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे अथवा यह कि बिक्री करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर अपेक्षित बिक्री के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए।

जब विनिमय में व्यावसायिक सामग्री है तो इस मुद्दे के लिए बिक्री लेन-देन में अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल होगा। बिक्री वर्गीकरण हेतु मान्य मानदंडों को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्तियों अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री हेतु उपलब्ध रहें इस शर्त के साथ कि वह ऐसी परिसंपत्तियों (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए एवं प्रथागत/प्रचलित हो। इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है तथा इसे वास्तव में बेचा जाएगा न कि परित्याग किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति अथवा निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना को तभी मानती है जब :

क. एक उचित स्तरीय प्रबंधन परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो,

ख. खरीददार का पता लगाने तथा योजना को पूरा करने हेतु एक कारगर कार्यक्रम की पहल की गई हो,

ग वर्तमान उचित मूल्य की तुलना में समुचित मूल्य पर बिक्री हेतु परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) के लिए सक्रिय रूप से बाजार ढूंढा जा रहा हो,

घ वर्गीकरण तिथि से एक वर्ष के अंदर संपूरित बिक्री के रूप में मान्यता हेतु बिक्री की अर्हता पूरी हो, और

ङ योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों से यह संकेत मिलता है कि यह संभव नहीं है कि

योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि ऐतिहासिक लागत (कीमत) पर ली गई ऐतिहासिक लागत में वह व्यय भी शामिल है जो संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले पुनर्वास खर्च, पुनर्वास लागत और क्षतिपूर्ति आदि जैसे भूमि के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

पहचान के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम को लागत मॉडल के तहत किसी संचित अवमूल्यन एवं किसी संचित क्षतिकर नुकसानों को घटाकर इसकी लागत पर वहन किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी आइटम की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) इसका खरीद मूल्य, व्यावसायिक छूट घटाने के बाद आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य खरीद-कर शामिल।

ख) किसी भी लागत को प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट तरीके से परिचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान तथा स्थिति तक परिसंपत्ति को लाने में प्रत्यक्ष कारक।

ग) सामानों के पुरजे खोलकर पृथक करने तथा निर्धारित स्थान पर इनके भंडारण के लिए लगी लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन जिसके दायित्व को कंपनी अपने ऊपर लेती है जब इस उद्देश्य के लिए आइटम की जरूरत पड़ती है या उस अवधि के दौरान सामान-सूची को प्रस्तुत करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किसी खास अवधि के दौरान उसके किए गए उपयोग के परिणाम को समझती है।

जिस आइटम का अलग से मूल्य ह्रास हुआ है, उसकी कुल लागत से संबंधित लागत सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी आइटम का प्रत्येक भाग महत्वपूर्ण है। हालांकि, पीपीई के एक आइटम के महत्वपूर्ण भाग (भागों) में समान उपयोगी जीवन और मूल्य ह्रास विधि को मूल्य ह्रास शुल्क निर्धारित करने के साथ एक साथ समीकृत किया जाता है।

मरम्मत और रख-रखाव के लिए उल्लिखित दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की कीमतें, जो उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें उस पर खर्च किया जाता हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की कुल लागत से संबंधित महत्वपूर्ण भागों को बदलने के बाद की कीमत मद के वहन राशि (Carrying amount) में स्वीकार किए जाते हैं, अगर यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता से मापा जा सकता है। तो जिन भागों को विस्थापित किया गया है, उनमें वहन राशि को नीचे उल्लिखित अस्वीकरण नीति के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

जब बड़े निरीक्षण किए जाते हैं, तो इसकी कीमत संपत्ति, प्लांट और उपकरण के सामान के प्रतिस्थापन राशि के रूप में पहचानी जाती है, यदि यह संभावित है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत विश्वसनीयता उसे मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण (भौतिक भागों से अलग) की लागत का कोई शेष वहन राशि (Carrying Amount) को अस्वीकार कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का एक हिस्सा को निपटान पर अथवा जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य के किसी भी आर्थिक लाभ की उम्मीद होती है अस्वीकृत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के इस तरह के अस्वीकरण के कारण किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में स्वीकार किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण पर मूल्यह्रास फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति के उपयोगी आकलित जीवन के सीधी रेखा आधार पर आदर्श लागत के अनुसार उपलब्ध कराया गया है जो निम्नलिखित हैं –

अन्य भूमि

(पट्टाधारित भूमि सहित)	:	परियोजना अवधि अथवा पट्टा अवधि जो कम हो
बिल्डिंग	:	3-60 वर्ष
सड़कें	:	3-10 वर्ष
दूर संचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5-15 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय के	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर एवं इससे जुड़ी वस्तुएं	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दी गयी उपयोगी जीवन उस अवधि का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है जिसपर प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए संपत्ति के उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II के भाग ग में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अपशिष्ट मूल्य संपत्तियों की मूल लागत का 5% माना जाता है, जैसे कि कोयला टब, बाइंडिंग रस्सा, हॉलेज रस्सा, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी परिसंपत्तियों की कुछ वस्तुओं को छोड़कर, जिसके लिए तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ एक वर्ष होना निर्धारित किया गया है।

वर्ष के दौरान ख़रीदने व बेची गई पर संपत्ति पर मूल्य ह्रास आनुपातिक आधार पर ख़रीदे बेचे जाने के माह के संदर्भ में उपलब्ध कराया गया है।

'अन्य भूमि' के मूल्य में वह भूमि शामिल है जो कोयला धारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एवं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (RFCTLAAR) अधिनियम, 2013, सरकारी जमीन का दीर्घावधि हस्तांतरण आदि के तहत अधिग्रहीत की गई है जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा पट्टाधारित भूमि के मामले में इस प्रकार के परिशोधन परियोजना की पट्टे की अवधि अथवा शेष जीवन, जो कम है, पर आधारित होता है।

पूरी तरह से मूल्य ह्रास हो चुकी परिसंपत्तियां, जिनका सक्रिय उपयोग बंद हो चुका है, को अप्रयोज्य (सर्वे-ऑफ) परिसंपत्तियों के रूप में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इसके अपशिष्ट मूल्य पर अलग से प्रकट किए जाते हैं और इन्हें क्षति के रूप में माना जाता है।

उत्पादन, सामानों की आपूर्ति अथवा कंपनी की किसी वर्तमान परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक किसी खास परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत परिसंपत्तियों को सक्षम/सक्रिय बनाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

भारतीय लेखा मानक में संक्रमण

लागत मॉडल के अनुसार कंपनी ने वहन मूल्य जारी रखने का निर्णय लिया है (पिछले जीएएपी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि को आंके गए वित्तीय विवरणों में मान्य अपने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए)।

2.8 खदान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों को समाप्त करना

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सरफेस एवं भूमिगत दोनों खानों के लिए बनी संरचनाओं को समाप्त/बंद करने एवं भूमि पुनरुद्धार का दायित्व कंपनी का है। कंपनी खान बंदी, भूमि पुनरुद्धार एवं करारों/ दायित्वों की समाप्ति के लिए आवश्यक कार्य में लगने वाली धनराशि एवं समय तथा भविष्य में नकद खर्च के विस्तृत तकनीकी आकलन एवं गणना के आधार पर अपने दायित्व का आकलन करती है। खदान बंदी खर्च अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार ही प्रदान किया जाता है। मुद्रास्फीति के लिए खर्चो के आकलन को तेज किया जाता है और तब छूट की दर पर छूट दी जाती है जो वर्तमान बाजार मूल्य एवं जोखिम के निर्धारण को इस प्रकार प्रतिबिंबित करती है कि प्रावधान की गयी राशि दायित्व निपटारे के लिए अपेक्षित आवश्यक खर्चो के वर्तमान मूल्य को

प्रतिबिंबित करे। कंपनी पूर्णरूपेण पुनरुद्धार तथा खदान बंदी के दायित्व से जुड़ी समरूप परिसंपत्ति का रिकार्ड रखती है। दायित्व एवं समरूप परिसंपत्ति की पहचान उसी अवधि में की जाती है जिसमें देयता उत्पन्न होती है। खदान बंदी योजना के अनुसार भूमि पुनर्स्थापन की कुल लागत को निरूपित करने वाली परिसंपत्ति (जैसा कि सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड में प्राक्कलित किया गया है) को पीपीई में एक अलग मद के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है तथा परियोजना/खान के शेष जीवन के लिए परिशोधित किया जाता है।

प्रावधान का मूल्य समय से समय के साथ-साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट में कमी होती जाती है, जिसमें एक ख़र्च कर सृजन होता है तथा वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, अनुमोदित खान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता का रखरखाव किया जाता है।

कुल खदान बंदी बाध्यता के हिस्से के रूप में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के खर्च को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य माना जाता है और उसके बाद उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।

2.9 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कोयले और संबंधित संसाधनों की खोज, तकनीकी व्यवहार्यता के लंबित निर्धारण तथा पहचान किए गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- शोध और ऐतिहासिक अन्वेषण डाटा का विश्लेषण;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक एवं भू-भौतिकी अध्ययनों के जरिए अन्वेषण के आँकड़ों को एकत्रित करना।
- अन्वेषणात्मक भू-वेधन, खंदक खुदाई और नमूना संग्रहण।
- संसाधनों की मात्रा एवं श्रेणी का निर्धारण एवं परीक्षण।
- परिवहन एवं संरचनात्मक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना।
- बाजार और वित्तीय अध्ययनों का आयोजन।

उपर्युक्त में कर्मचारियों का मानदेय, वस्तुओं की कीमत एवं प्रयुक्त ईंधन, ठेकेदारों आदि का भुगतान शामिल है।

चूंकि अप्रत्यक्ष संघटक होने वाली समग्र अनुमानित प्रत्यक्ष लागतों का एक निरर्थक एवं पृथक विचार न करने योग्य भाग को प्रस्तुत करता है जिसकी पूर्ति भावी उपयोग से की जाने की अपेक्षा है, इसलिए अन्य पूंजीकृत अन्वेषणात्मक खर्चों के साथ इन खर्चों को अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी संभाव्यता एवं व्यावसायिक उपयोगिता के निर्धारण को लंबित रखते हुए परियोजना द्वारा परियोजना के आधार पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागतों को पूंजीकृत किया जाता है तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट किया जाता है। बाद में उन्हें संचित प्रावधान से कम लागत पर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है एवं खदानों/परियोजना के विकास के लिए स्वीकृति दे दी जाती है तो पूंजीगत चालू कार्य के तहत अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को ''विकास'' के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है हालांकि यदि प्रमाणित भंडार का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

2.10 विकास खर्च

जब प्रमाणित भंडार का निर्धारण कर लिया जाता है तथा खानों/परियोजना के विकास की स्वीकृति दे दी जाती है, तो "विकास" मद के अंतर्गत पूंजीकृत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। बाद के सभी विकास खर्चों को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत विकास व्यय, विकास के चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय का शुद्ध होता है।

व्यावसायिक परिचालन

परियोजना/खदानों से राजस्व प्राप्त होता है; जब परियोजना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के आधार पर अथवा निम्नलिखित कसौटियों के आधार पर परियोजना/खदान व्यावसायिक तौर पर टिकाऊ होने के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती है -

(क) अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% वास्तविक उत्पादन जिस वर्ष परियोजना से होता है, उस वर्ष के तुरंत बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से, अथवा

(ख) कोयला तक पहुंचने के दो वर्ष बाद, अथवा

(ग) उस वर्ष के बाद वाले वित्तीय वर्ष की शुरूआत से जिस वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्चो से अधिक होता है। उपर्युक्त में से जो भी पहले घटित हो।

राजस्व प्राप्त होना आरंभ होने पर, चालू पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन आधारभूत संरचना" नामावली के तहत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संघटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन आधारभूत संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खदान को 20 वर्षो या परियोजना का कामकाजी जीवन जो भी कम हो, में राजस्व के अधीन लाया जाता है।

2.11 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

अलग से अधिग्रहीत की गई अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है। व्यावसायिक संगठन में अधिग्रहीत अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की लागत अधिग्रहण की तिथि को उनका उचित मूल्य होता है। प्रारंभिक मान्यता का अनुसरण करते हुए अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को किसी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान स्ट्रेट लाइन आधार पर परिकलित) एवं संचित हानिकरण क्षति, यदि कोई है, से कम लागत पर लिये जाते हैं।

पूंजीगत विकास लागत को छोड़कर आंतरिक रूप से सृजित अप्रत्यक्ष/अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। बल्कि संबंधित व्यय को लाभ हानि विवरण एवं जिस अवधि में खर्च हुआ है, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का निर्धारण सीमित या असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली प्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान परिशोधित कर दिया जाता है तथा जब कभी यह संकेत होता है कि अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति हानिकर हो सकती है, तो इसके हानिकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन सहित किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के लिए हानिकरण अवधि एवं हानिकरण विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन अथवा परिसंपत्ति में सम्मिलित भावी आर्थिक लाभों के उपयोग के अपेक्षित तरीकों में परिवर्तनों के लिए परिशोधन अवधि अथवा विधि में यथोचित संशोधन पर विचार किया जाता है। जिसे लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन के साथ अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

असीमित उपयोगी जीवन के साथ किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को इसके हानिकरण की जांच की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के अस्वीकरण से होने वाले फायदे एवं नुकसान को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभ एवं वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और जो लाभ-हानि विवरण में मान्य होता है।

बाहरी एजेंसियों (यानी ब्लॉक के लिए, सीआइएल के लिए अलग से नहीं) को बेचने के लिए चिह्नित अथवा बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों के लिए मदद पहुंचाने वाली अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों को फिर भी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा हानिकरण के लिए जांच की जाती है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में मान्य सॉफ्टवेयर की कीमत / लागत को प्रयोग करने की विधिक अवधि से अधिक अथवा तीन वर्षो में, जो भी कम हो, स्ट्रेट लाइन विधि पर अपशिष्ट मूल्य शून्य के साथ परिशोधित किया जाता है।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐसे किसी संकेत का मूल्यांकन करती है कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति में कमी या क्षति हो सकती है या नहीं। यदि इस प्रकार का कोई संकेत रहता है तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि परिसंपत्ति अथवा नकदी सृजन करने वाली इकाई के प्रयोग मूल्य से अधिक होती है। इसका उचित मूल्य निपटान लागत से कम होता है तथा इसका निर्धारण किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति नकद प्रवाह को सृजित नहीं कर लेती है जिसमें नकद वसूली योग्य राशि उस नकद सृजन करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती जिससे परिसंपत्ति जुड़ी होती है। कंपनी हानिकरण की जांच करने के उद्देश्य से पृथक खदानों को अलग नकदी सर्जक इकाई मानती है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को वहन राशि से कम आंका जाता है, तो परिसंपत्ति की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है तथा हानिकरण क्षति को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.13 निवेश संपत्ति

वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा प्रशासनिक उद्देश्य, अथवा व्यवसाय के सामान्य दौर में बिक्री हेतु उपयोग के बजाय किराया या पूंजी मूल्यांकन के लिए उपयोग हेतु रखी गई भूमि या भवन या भवन का कोई भाग या दोनों को निवेशित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित लेन-देन लागत सहित और जहां लागू हो वहां उधार वाली लागत सहित निवेशित संपत्ति को इसकी प्रारंभिक लागत पर मापा जाता है।

निवेशित संपत्तियों का उनके अनुमानित उपयोगी जीवन काल में स्ट्रेट लाइन पद्धति का प्रयोग करके मूल्यह्रास होता है।

2.14 वित्तीय दस्तावेज (लिखत)

एक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और किसी अन्य इकाई की एक वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को सृजित करता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियां

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन (Initial Recognition and Measurement):

लाभ या हानि और लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं, के जरिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रिकार्ड नहीं किए जाने की स्थिति में वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद अथवा बिक्रियों जिसे विनियम अथवा परंपरा द्वारा बाजार में एक सीमा के अंदर परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता पड़ती है, को ट्रेड की तिथि यानी कंपनी परिसंपत्ति की खरीद अथवा बिक्री के लिए जिस तिथि को प्रतिबद्ध है, उस तिथि को मान्यता दी जाती है।

2.14.2 परिवर्ती मापन

परिवर्ती मापन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है :

- परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज।
- अन्य सघन आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज (FVTOCI)
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण दस्तावेज, डेरिवेटिव और इक्विटी दस्तावेज (FVTPL)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी दस्तावेज (FVTOCI)

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण दस्तावेज:

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती है तो 'ऋण दस्तावेज' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(क) परिसंपत्ति व्यापार मॉडल के अंदर हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के लिए परिसंपत्ति रखनी होती है तथा

(ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथि को बढ़ने देती है जो बकाये मूलधन पर मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) होते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद इस प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना- अधिग्रहण एवं शुल्क या मूल्य/लागत जो ईआईआर का हिस्सा है, पर किसी छूट या किस्त को ध्यान में रखकर की जाती है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। हानिकरण के कारण होने वाली क्षति को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण दस्तावेज

यदि निम्नलिखित दोनों मानकों को पूरा किया जाता है तो ''ऋण दस्तावेज'' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

(क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसंपत्ति की बिक्री दोनों से पूरा किया जाता है, और

(ख) परिसंपत्तियों का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का निरूपण करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत के ऋण दस्तावेजों का प्रारंभिक तौर पर साथ ही साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। उचित मूल्य के बदलाव को अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्रदान की जाती है। हलांकि कंपनी ब्याज से होने वाली आय, हानिकरण से होने वाले नुकसान एवं उलटाव तथा विदेशी मुद्रा लाभ व हानि को लाभ व हानि (P&L) में स्वीकार करती है। परिसंपत्ति के अस्वीकरण पर संचित लाभ अथवा हानि को पहले अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता दी जाती थी, उसे लाभ व हानि (P&L) के लिए इक्विटी से पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पीवीटीओसीआई ऋण पत्र/दस्तावेज से अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट की जाती है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर ऋण-पत्र/दस्तावेज

एफवीटीपीएल ऋण पर/दस्तावेजों के लिए अपशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण पत्र/दस्तावेज जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के लिए कसौटी/मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एक ऋण -पत्र/दस्तावेज को नामित/निर्दिष्ट करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा कराती है। हालांकि ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता में कमी या समापन होता है (जिसे लेखाकरण बेमेल कहा जाता है) कंपनी ने किसी भी ऋण पत्र/दस्तावेज को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण पत्रों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी इकाइयों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक में पहली बार अंगीकृत) के अनुसार, परिवर्तन की तारीख को इन निवेशों की वहन राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद अनुषंगी इकाइयों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी निवेश को भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 में निर्दिष्ट इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में अन्य सभी इक्विटी निवेश लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय के उचित मूल्य में क्रमिक परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह के चुनाव को लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) के आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर बनाया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई के रूप में किसी इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, ओसीआई में मान्य किए जाते हैं। ओसीआई से लाभ और हानि तक की राशि का कोई पुनर्चक्रण नहीं होता है, निवेश की बिक्री पर भी। हालांकि, कंपनी इक्विटी के अंदर ही संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी साधनों को लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता समाप्त करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को मुख्य रूप से तब अमान्य कर दिया गया है (यानी तुलन पत्र से हटा दिया गया है) जब -

- संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय सीमा समाप्त हो गई है, अथवा
- कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या "पास-थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को बिना भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का हस्तांतरित नियंत्रण कंपनी के पास है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है, अथवा पास-थ्रू व्यवस्था अपना ली है, तो वह मूल्यांकन करती है कि वह और किस हद तक इसके स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को अधिकार में बनाए रखती है। जब कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण ही हस्तांतरित किया है, जब तक कंपनी की सहभागिता जारी रहती है तब तक यह हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में कंपनी जुड़ी हुई देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति एवं इससे जुड़ी देयता को जिस आधार पर मापा जाता है वह कंपनी के पास के अधिकारों एवं दायित्वों को प्रदर्शित करता है। हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी का रूप लेते हुए जारी होने वाली संपत्ति को मूल वहन राशि से कम पर और कंपनी के विचारार्थ अधिकतम राशि जिसे कंपनी को पुनः भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती है, पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) के अनुसार निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर पर हानिकरण/क्षति के मापन/मूल्यांकन एवं मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) मॉडल लागू करती है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं तथा जिन्हें परिशोधित लागत यानी ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, ट्रेड प्राप्य एवं बैंक शेष पर मापा जाता है,
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण-पत्र/दस्तावेज हैं एवं एफवीटीओसीआई के रूप में मापा जाता है,
(ग) भारतीय लेखा मानक 17 के तहत प्राप्य पट्टा, और
(घ) ट्रेड प्राप्तियां या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि भारतीय लेखा मानक 11 एवं भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे के अंदर है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानिकरण क्षति भत्ता की मान्यता के लिए "सरलीकृत दृष्टिकोण" अपनाती है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- भारतीय लेखा मानक 17 के दायरे के अंदर लेन-देन से उत्पन्न सभी लीज प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को जीवन काल ईसीएल के आधार पर हानिकरण हानि भत्ता को ठीक इसकी प्रारंभिक तारीख से मान्यता देती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएं

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं मापन:

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ट्रेड एवं अन्य देय, ऋण एवं बैंक ओवर ड्राफ़्ट सहित उधारियां शामिल हैं।

सभी वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्ष तौर पर आरोप्य निवल लेन-देन लागतों पर मान्यता दी जाती है।

2.14.3.2 परिवर्ती मापन / मूल्यांकन:

वित्तीय देयताओं का मूल्यांकन जैसा कि नीचे वर्णित है, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है :

2.14.3.3 लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं:

लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल हैं तथा वित्तीय देयताओं को लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित किया जाता है। वित्तीय देयताओं को ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में फिर से खरीद के उद्देश्य के कारण उत्पन्न हुई हों। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल है, जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित बचाव संबंधों में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव्स को भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग साधनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिये रखी हुई देयताओं पर फायदा या नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

लाभ या हानि के माध्यम से प्रारंभिक मान्यता और उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताओं को मान्यता की प्रारंभिक तारीख को उसी रूप में निर्दिष्ट किया जाता है एवं केवल तभी यदि भारतीय लेखा मानक 109 (Ind AS 109) की कसौटी को पूरा किया जाता है। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देयताओं, अपने क्रेडिट जोखिमों में परिवर्तन लाने के लिए आरोप्य उचित मूल्य लाभ/नुकसानों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। इन लाभ/हानियों को बाद में लाभ और हानि में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि कंपनी संचित लाभ/हानि को इक्विटी में हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तनों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देनदारी को निर्दिष्ट नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं:

प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। नफा और नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देयताओं को साथ ही साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता समाप्त कर दी जाती है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखकर की जाती है जो। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ व हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी प्रायः उधारियों पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता समाप्त करना:

जब देयता के तहत वित्तीय देनदारियों के दायित्व मुक्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है तो वित्तीय देनदारी की मान्यता समाप्त कर दी जाती है। जब किसी वर्तमान वित्तीय देयता को दूसरे समान उधारदाता द्वारा वास्तविक रूप से भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, अथवा वर्तमान देनदारी की शर्तों में वास्तविक संशोधन किया जाता है, तो ऐसे किसी परिवर्तन अथवा संशोधन को मूल देयता का अस्वीकरण एवं नई देयता का स्वीकरण माना जाता है। समाप्त कर दी गई या दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दी गई अथवा देयताएं मान ली गई वित्तीय देयता (वित्तीय देयता का हिस्सा) का पिछले शेष के बीच के अंतर को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.3.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्योंकि ये इक्विटी दस्तावेज एवं वित्तीय देयताएं होती हैं। जो वित्तीय परिसंपत्तियां इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तथा वित्तीय देयताएं होती है, उनके लिए प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण पत्र/दस्तावेज होती है, उनके लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। व्यापार मॉडल में ऐसे परिवर्तनों की अपेक्षा बारंबार की जाती है। कंपनी के उच्च प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों जो कंपनी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं, के परिणामस्वरूप ही व्यापार मॉडल में परिवर्तन निर्धारित किया जाता है। ऐसे परिवर्तन बाहरी पार्टियों के लिए साक्ष्य होते हैं। कंपनी अपने परिचालन के लिए किसी महत्वपूर्ण गतिविधि की या तो शुरूआत करती है अथवा समाप्त करती है, तभी व्यापार मॉडल में परिवर्तन होता है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत करती है, तो वह उस पुनर्वर्गीकरण को उसकी प्रत्याशित तिथि से लागू करती है जो व्यापार मॉडल में परिवर्तन से पहले की रिपोर्टिंग अवधि की ठीक बाद का पहला दिन होता है। कंपनी पिछली किसी स्वीकृति प्राप्तियों, नुकसानों (हानिकरण लाभ व हानि शामिल करके) अथवा ब्याज को पुनः निश्चित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न पुनर्वर्गीकरण एवं उनकी लेखांकन विधि को दर्शाया गया है :

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखा विवेचन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य का मूल्यांकन पुनर्वर्गीकरण की तारीख को किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत एवं उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख का उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। इसी नई सकल वहन राशि के आधार पर ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को ओसीआई में स्वीकार किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत की वहन राशि बन जाती है। हालांकि, ओसीआई में संचित लाभ व हानि को उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप परिसंपत्ति को इस प्रकार से मापा जाता है मानो इसे परिशोधित लागत पर ही हमेशा मापा जाता है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य नई वहन राशि बन जाता है। अन्य किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन किया जाना जारी रहता है। ओसीआई में स्वीकृत/मान्य संचित नफा या नुकसान पुनर्वर्गीकरण की तारीख को लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय दस्तावेजों (लिखतों) का समायोजन (ऑफसेटिंग):

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और यदि स्वीकृत राशि के समायोजन का कानूनी अधिकार वर्तमान में प्रवर्तनीय है तथा परिसंपत्तियों की वसूली और देयताएं दोनों का शुद्ध राशि के आधार पर निपटान एक साथ करने की प्रवृति हो, तो शुद्ध राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

2.14.6 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में शामिल नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंक में जमा और हस्तगत नकद तथा तीन महीने या उससे कम समय के लिए मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समकक्षों में ऊपर परिभाषित किए गए नकदी और अल्पकालिक जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध को शामिल किया जाता है, क्योंकि उन्हें समूह के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

उधार लागतें ऐसी उधार लागतों जो सीधे तौर पर अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, यानी वे परिसंपत्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती हैं, को छोड़कर एक प्रकार के यथा आवश्यक खर्चे हैं। इस मामले में उन्हें उस तारीख तक उन परिसंपत्तियों की लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस तारीख को अपने इच्छित उपयोग के लिए अर्हकारी परिसंपत्ति तैयार होती है।

2.16 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और विलंबित कर के योग को दर्शाता है।

किसी खास अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग) आयकर की राशि वर्तमान कर है। लाभ एवं हानि एवं अन्य व्यापक आय के विवरण में जैसा कि वर्णित है ''आयकर पूर्व लाभ'' से कर योग्य लाभ भिन्न है क्योंकि इसमें वह आय के व्यय मद में शामिल हैं जो दूसरे वर्षों में कर योग्य अथवा कटौती योग्य होते हैं तथा इसमें वे मद भी शामिल हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या संज्ञानात्मक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताएं आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होती हैं। सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी शेष के लिए उस सीमा तक विलंबित कर को मान्यता दी जाती है कि इसकी संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिसके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियां एवं देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, यदि अस्थायी शेष सद्भाव अथवा लेन-देन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं से उत्पन्न हुआ है जो न तो कर योग्य लाभ को न ही लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता है।

जहां कंपनी अस्थायी शेष के विपर्यय को नियंत्रित करने में सक्षम है इसकी संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी शेष को रिवर्स नहीं किया जाएगा उसे छोड़कर अन्य अनुषंगियों एवं संख्या में निवेश से जुड़े करयोग्य अस्थायी शेष के लिए विलंबित कर देयताओं को मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के निवेशों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी शेष से उत्पन्न विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं ब्याजों को उस सीमा तक तभी मान्यता दी जाती है जब यह संभाव्य हो कि पर्याप्त करयोग्य लाभ होंगे जिसके लिए अस्थायी अंतर के लाभों का उपयोग किया जा सकेगा।

विलंबित कर परिसंपत्तियों की पिछली शेष की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इसे उस सीमा तक घटा दी जाती है कि परिसंपत्तियों को संपूर्ण या इसके अंश की वसूली किए जाने के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहने की संभावना अधिक न रहे। अस्वीकृत विलंबित कर परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में किया जाता है तथा उसे उस सीमा तक मान्यता दी जाती है। विलंबित कर परिसंपत्ति का संपूर्ण या इसके अंश की वसूली की जा सके इसके लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा, इसकी संभावना बन चुकी हो।

विलंबित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को कर की दरों पर मापा जाता है तथा उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा की जाती है जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है। ऐसा उस दर (टैक्स कानूनों) के आधार पर किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पारित किया गया हो।

आस्थगित कर देनदारियों और संपत्तियों की माप उन कर परिणामों को दर्शाती है जिस तरह की उम्मीद कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि की वसूली या निपटान के लिए करती है।

वर्तमान एवं विलंबित कर को लाभ या हानि में तभी मान्यता दी जाती है जब ये अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी से सीधे तौर पर मान्य आइटम से संबंध रखते हों जिस मामले में वर्तमान और विलंबित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक कर अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता दी गई हो। जहां व्यवसाय समिश्रण के लिए प्रारंभिक लेखाकरण से वर्तमान अथवा विलंबित कर उत्पन्न होते हैं वहां व्यवसाय समिश्रण के लिए लेखाकरण में टैक्स के प्रभाव को शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारियों को लाभ:

2.17.1 अल्पकालिक लाभ:

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 नियोजन के बाद एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदायी योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि और पेंशन के लिए रोजगार के बाद की योजना है, जिसके तहत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत गठित एक अलग वैधानिक निकाय (कोल माइंस प्रोविडेंट फंड) द्वारा बनाए गए फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए कंपनी के पास कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए बाध्यताओं को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक परिभाषित लाभ योजना रोजगार के उपरांत की लाभ योजना है। ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण (लाभ पर अधिकतम सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के सकल दायित्व का परिकलन भावी लाभ राशि जिसे कर्मचारियों ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधियों में अपनी सेवाओं के बदले अर्जित किया है, उसके अनुमान से किया जाता है। लाभ को अपने वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए रियायत दी जाती है तथा उनके योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम कर दिया जाता है, यदि कोई है तो। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि में परिपक्वता तिथि होती है, जो कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है और इसे उसी मुद्रा में दर्शाया जाता है जिसमें लाभ का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट की दर के बारे में पूर्वानुमान परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वापसी की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि शामिल हैं। योजनाएं लंबी अवधि के होने के कारण ऐसे अनुमानों में अनिश्चितता के मामले होते हैं। किसी बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तुलन-पत्र में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का प्रयोग करके परिकलन किया जाता है। जब इस परिकलन के परिणाम अथवा योजना में भावी कटौतियां कंपनी के लाभ के होते हैं तो योजना से किसी भावी रिफंड के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभ का वर्तमान मूल्य पर मान्य परिसंपत्ति को सीमित किया जाता है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है, यदि योजना अवधि के दौरान अथवा योजना की देयताओं के निपटारे के समय यह वसूली योग्य है।

योजना की परिसंपत्तियों पर वसूली/वापसी (ब्याज को छोड़कर) तथा परिसंपत्तियों की अंतिम सीमा (यदि है, ब्याज को छोड़कर) पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ एवं हानियों के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ देयता को तत्काल अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है। अंशदान और लाभों के भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) के लिए वार्षिक अवधि को शुरूआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए प्रयोग किए गए छूट दर को लागू करके उस अवधि के लिए कंपनी शुद्ध परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) पर ब्याज खर्च (आय) का निर्धारण करती है। जब योजना के फायदे में सुधार होता है तो कर्मचारियों द्वारा की गई पहले की सेवा से संबंधित बढ़ी हुई लाभ का हिस्से को लाभ एवं हानि विवरण में सीधे खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ जैसे एलटीसी, एलटीए, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और खदान दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजे आदि को ऊपर वर्णित लाभ योजनाओं के आधार पर ही लागू किया गया है। इन लाभों के लिए कोई अलग से विशिष्ट निधि नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके अधिकांश संचालन के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (आईएनआर) है जो कि इसके संचालन क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा में लेनदेन उस तारीख में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार कंपनी की सूचित मुद्रा में किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में संचित मौद्रिक संपत्ति और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान अवधि या उससे पहले की अवधि के दौरान मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं के निपटारे से उत्पन्न विनिमय भेद या मौद्रिक संपत्तियों और देयताओं को आरंभ में परिवर्तित दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर वित्तीय विवरणों में इनकी पहचान लाभ और हानि विवरणों में इनके उत्पन्न होने वाली अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा में वर्णित गैर-मौद्रिक वस्तुएं लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

219 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/ समायोजन

खुली खदान से खनन के मामले में, कोयले की सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान से बने खदान अपशिष्ट पदार्थ (ओवर बर्डेन) को कोयले तक पहुंचने और इसके निष्कर्षण के लिए निकालने की आवश्यकता होती है। यह अपशिष्ट हटाने की गतिविधि 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जानी जाती है। खुली खदानों में, कंपनी को खदान के चालू रहने तक ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

इसलिए, नीतिगत रूप से, प्रति वर्ष एक मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को खदान से राजस्व मिलने के बाद अनुपात-विचलन लेखा और स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति के विधिवत समंजन के साथ प्रत्येक खदान में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोल) पर प्रभारित किया जाता है।

बैलेंस शीट की तिथि पर स्ट्रिपिंग गतिविधि संपत्ति और अनुपात के विचलन के कुल शेष को मामले के अनुसार गैर-मौजूदा प्रावधान/अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि समंजन के रूप में दिखाया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखा के अनुपात के लिए माना जाता है, जहां बताई गई मात्रा और मापी गई मात्रा के बीच भिन्नता निम्नानुसार दो वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के निचले भाग के अंदर है -

खान के ओबीआर का वार्षिक घनत्व	भिन्नता की अनुमत सीमाएं (%)
1 मिलियन घन मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन मी. के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन मीटर से अधिक	+/- 2%

हालांकि, जहां भिन्नता ऊपर की अनुमति सीमा से परे है, वहां मापी गई मात्रा मानी जाती है।

एक लाख टन से कम की रेटेड क्षमता वाली खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ-हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

2.20 वस्तु सूची (इन्वेंटरी)

2.20.1 कोयला का स्टॉक

कोयला/ कोक की सूची, लागत के निचले स्तर और प्राप्य मूल्य पर बताई गई हैं। इन्वेंटरी की लागत की गणना "प्रथम आवक प्रथम जावक पद्धति" पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य सूचियों के अनुमानित बिक्री मूल्य में इस बिक्री के लिए आवश्यक लागत और पूर्ण होने की पूरी अनुमानित लागत के अंतर को प्रदर्शित करता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में माना जाता है जहां बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहां अंतर +/- 5% से अधिक होता है, मापे गए स्टॉक पर आधारित होता है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक-फाइन को कम लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग / सेमी-कोकिंग), वाशरियों के मिडलिंग और उप उत्पादों को शुद्ध प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और इसे कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 स्टोर और पुर्जे

केंद्रीय एंड क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर्स पार्ट्स (जिसमें खुले टूल्स भी शामिल हैं) का स्टॉक स्थिर मूल्य लेखा बही में प्रदर्शित शेष के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन भारित औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है। कोलियरियों/उप भंडार/ड्रिलिंग कैंप्स/उपभोग केंद्रों में स्टोर और स्पेयर्स पार्ट्स की सूची को वर्ष की समाप्ति पर केवल वास्तविक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार माना जाता है और इनका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं तथा 5 साल एक ही स्थान पर रखे स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु सूचियां (इन्वेंटरी)

चालू कार्य सहित कर्मशाला के कार्य का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। प्रेस के कार्यों के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं प्रिंटिंग प्रेस में लेखन सामग्री तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

तथापि, लेखन सामग्री का स्टॉक (प्रिंटिंग प्रेस में पड़ी ऐसी सामग्रियों के अलावा) ईंट, बालू, दवाइयां (केंद्रीय अस्पतालों में है, उन्हें छोड़कर) एयरक्राफ्ट के समान एवं रद्दी माल का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन्हें माल सूची में स्वीकार नहीं किए जाते है।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधानों को तब स्वीकार किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी एवं संरचनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ का बहिर्वाह (Out flow) आवश्यक हो और दायित्व की मात्रा का आकलन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। जहां धन का समय-मूल्य महत्वपूर्ण है वहां प्रावधानों का उल्लेख दायित्व निपटान के लिए अपेक्षित खर्च के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा सर्वश्रेष्ठ अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती हैं।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह (out flow) की आवश्यक होगी, अथवा राशि को विश्वसनीयता के साथ, अनुमानित नहीं किया जा सकता, वहां आकस्मिक देनदारी के रूप में दायित्व का खुलासा नहीं किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभाव्यता दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों जिनकी उपस्थिति को एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं, जो कंपनी के पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, की पुष्टि केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति से ही की जाएगी उसे भी तब तक आकस्मिक देयताओं के रूप में खुलासा नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि आय की प्राप्ति लगभग निश्चित है तो संबंधित संपत्ति कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है और यह मान्यता उचित है।

2.22 प्रति शेयर उपार्जन

अवधि के दौरान बकाये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (Weighted average number) से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना की जाती है। प्रति शेयर मूल उपार्जन प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर प्रति शेयर मिश्रित उपार्जन (diluted earnings) की गणना की जाती है और सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की भी गणना की जाती है।

2.23 निर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन, मूल्यांकन एवं पूर्वानुमान करने की आवश्यकता पड़ती है जो लेखा नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसंपत्तियों एवं देयताओं की प्रतिवेदित राशियों वित्तीय विवरण की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के खुलासे तथा इस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चो की राशियों को प्रभावित करती है। जटिल एवं वास्तविक मूल्यांकन को शामिल करते हुए लेखा नीतियों का अनुप्रयोग तथा इन वित्तीय विवरणों में पूर्वानुमान के उपयोग का खुलासा किया गया है। एक अवधि में लेखा प्राक्कलन बदल सकता है। उन प्राक्कलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा चालू आधार पर (Ongoing basis) की जाती है। लेखांकन अनुमान के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि ऐसा होता है, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

2.23.1.1 लेखा नीतियों का निर्माण

लेखा नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उनका प्रतिफल उन लेन-देन, या अन्य घटनाएं या स्थितियां जिनपर वे लागू होती है, के बारे में संगत तथा विश्वसनीय सूचना वाले वित्तीय विवरणों में दिखता है। उन नीतियों को तब लागू करने की आवश्यकता नहीं है जब उनको लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हों।

भारतीय लेखा मानक के अभाव में खासकर जो लेन-देन, अन्य घटना या दशा में लागू होते हैं, प्रबंधन ने अपने निर्णय का प्रयोग लेखा नीति का विकास करने एवं लागू करने में किया है जो इस सूचना में प्रतिफलित होता है :-

(क) प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के लिए आर्थिक निर्णय में प्रासंगिक, और

(ख) उन वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता:

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह को विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करना (ii) न केवल कानूनी रूप में बल्कि लेन-देन की आर्थिक वास्तविकता, अन्य घटनाओं एवं दशाओं को परिलक्षित करते हैं (iii) तटस्थ होते हैं यानी पूर्वाग्रह से मुक्त (iv) विवेक पूर्ण होते हैं; और

(v) अनुकूल आधार पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में पूर्ण होते हैं।

प्रबंधन ने निर्णय लेते समय निम्नलिखित स्रोतों का अवरोही क्रम में संदर्भ एवं व्यवहार्यता के रूप में विचार किया है:

(क) समरूप एवं संबंधित मामलों का समाधान करने में भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं, और

(ख) ढांचे में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय के लिए परिभाषाओं, मान्यता की कसौटियां एवं मूल्यांकन अवधारण।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और इसके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखा साहित्य और स्वीकृत उद्योग परंपराओं को विकसित करने के लिए एक समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, की नवीनतम घोषणाओं पर उस सीमा तक विचार करता है जब तक कि ये उपर्युक्त पैराग्राफ में स्रोतों के साथ विरोधाभाषी न हों।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण दशकों के दौरान चल रहे पट्टे की अवधि में फैले हुए विविध स्थलाकृतिक और भू-खनन क्षेत्रों पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तन की संभावना होती है।) लेखा नीतियां जिन्हें अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित एवं विगत अनेक दशकों से इसके दृढ़ अनुप्रयोग के कारण विविध नियामकों द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक कार्यों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है। जो क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में है, वैसे कुछ खास क्षेत्रों में लेखा साहित्य, दिशानिर्देश एवं मानकों के अभाव में कंपनी लेखा साहित्य विकसित करने के साथ-साथ लेखा नीतियों को विकसित करना जारी रखती है और उसमें हुए किसी सुधार/विकास को भारतीय लेखा मानक 8 में उपर्युक्त अधिक स्पष्टता से उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्याशित रूप में लिया जाता है।

लेखांकन के आकस्मिक आधार का प्रयोग करते हुए चालू संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए जाते है।

2.23.1.2 द्रव्यात्मकता (Materiality)

भारतीय लेखा मानक उन वस्तुओं पर लागू होता है जो भौतिक रूप में हैं। प्रबंधन मूल्यांकन का प्रयोग यह तय करने के लिए करता है कि वित्तीय विवरण में कोई खास एक वस्तु या वस्तुओं के समूह द्रव्यात्मक है या नहीं। वस्तु के आकार और प्रकृति के संदर्भ में द्रव्यात्मकता को आंका जाता है। है। निर्णायक घटक है कि त्रुटि अथवा गलत विवरण एकल या सामूहिक तौर पर वित्तीय विवरण के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिये जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं। प्रबंधन भी भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए द्रव्यात्मकता के निर्णय का उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो प्रकृति या वस्तुओं की मात्रा या वस्तुओं का समुच्चय निर्धारण कारक हो सकता है। इसके अलावा कंपनी को कानून द्वारा आवश्यक होने पर अलग से सार सामग्री पेश करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने पट्टा अनुबंध किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थापन की शर्तों व निबंधन के मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया है कि जैसे व्यावसायिक संपत्ति को आर्थिक जीवन का कोई बड़ा भाग नहीं बनने वाली पट्टा अवधि एवं परिसंपत्ति का उचित मूल्य जो सभी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं इन संपत्तियों के स्वामित्व के पुरस्कारों, परिचालन पट्टे के रूप में संविदाओं के लिए हिसाबों को सुरक्षित रखता है।

2.23.2 प्राक्कलन एवं अनुमान

भविष्य से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान तथा रिपोर्टिंग की तारीख को आकलन की अनिश्चितता का मुख्य स्रोत जिनके पास अगले वित्त वर्ष के अंदर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पिछली राशियों के वास्तविक समायोजन का कारक बनने वाले महत्वपूर्ण जोखिम हैं, को नीचे वर्णित किया गया है। जब वित्तीय विवरण तैयार किए गए तब उपलब्ध मानदंडों पर कंपनी द्वारा अपने पूर्वानुमानों एवं प्राक्कलनों को आधार बनाया गया। फिर भी, भावी विकास के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों

एवं पूर्वानुमान बाजार में बदलाव अथवा उत्पन्न परिस्थितियां जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं, के कारण बदल सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वानुमानों में प्रतिबिंबित होते हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

यदि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य के निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है तो यह हानि का एक संकेत है। कंपनी विशेष/अलग-अलग खानों को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि कंपनी अभी तक इसके लिए या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है जो परीक्षण की जी रही सीजीयू परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और एक्सट्रापलेशन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख धारणाएं आगे संबंधित टिप्पणियों में बताई गई हैं।

2.23.2.2 कर (Taxes):

अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटा माना गया है, क्योंकि यह संभावना है कि कर योग्य उपलब्ध लाभ का उपयोग नुकसान के लिए किया जा सकता है। स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे भावी कर योजना के साथ संभावित समय और भावी कर योग्य लाभ के स्तर पर रणनीतियां बनाने में प्रयोग किया जा सकता है।

2.23.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ उपदान योजनाएं और अन्य प्रकार की नियोजन के पश्चात चिकित्सा लाभ और उपदान बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य का लागत निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न अनुमान किए जाते हैं जो कि भविष्य में होने वाले वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इसमें रियायती दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन की विभिन्न जटिलताओं और इसकी दीर्घकालीन प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ बाध्यताएं इन अनुमानों में परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होती हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है। रियायती दर के बदलने की संभावना सर्वाधिक होती है। भारत में परिचालित योजनाओं के समुचित रियायती दर के निर्धारण में, प्रबंधन सरकारी बॉण्डों की ब्याज दरों के साथ समान रूप से नियोजन पश्चात लाभ बाध्यताओं पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध देश की मृत्यु दर तालिका पर आधारित होती है। इस मृत्यु दर तालिका में जन-सांख्यिकी परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में निश्चित अंतरालों पर परिवर्तन होता है। भविष्य की वेतन वृद्धि और उपदान वृद्धि भविष्य में प्रत्याशित मुद्रास्फीति दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय लिखतों/साधनों का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर मापा नहीं जा सकता है, तब उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल सहित सामान्य तौर पर स्वीकार्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए मापा जाता है। इन मॉडलों में इनपुट को जहां संभव हो प्रेक्षणीय बाजार से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य के निर्धारण में एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णय में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/प्रतिफलों का विचार किया जाता है। इन कारकों में अनुमान और प्राक्कलन में परिवर्तन वित्तीय लिखतों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य प्रभावित कर सकता है।

2.23.2.5 विकास के तहत अप्रत्यक्ष संपत्ति

कंपनी लेखा नीति के अनुरूप किसी परियोजना के लिए विकास के तहत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है जिसमें सामान्यतः एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर अनुमोदित कर उसकी तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित कर ली जाती है।

2.23.2.6 खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान

खदान बंदी, खदान स्थल पुनरुद्धार और कार्य समाप्ति दायित्व के प्रावधान के उचित मूल्य के निर्धारण में रियायती दर, खदान स्थल पुनरुद्धार और विनष्टीकरण तथा इन लागतों में अनुमानित समय के आधार पर अनुमान और प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित आधार पर परियोजना/खदान के जीवन पर विचार करते हुए डीसीएफ विधि का प्रयोग कर प्राक्कलन तैयार किया जाता है.

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विशिष्टताओं के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- रियायती दर (कर पूर्व दर) जिस पर राशि के समय आधारित मूल्य के वर्तमान बाजार के अनुसार मूल्यांकन और विशेष रूप देयताओं के जोखिम पर प्रभाव डालते हैं।

2.24 प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

क	CGU	नकद उत्पाद इकाई
ख	DCF	रियायती नकदी प्रवाह
ग	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
घ	FVTPL	लाभ व हानि के जरिए उचित मूल्य
ड.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत
च	Ind AS	भारतीय लेखा मानक
छ	OCI	अन्य व्यापक आय
ज	P&L	लाभ व हानि
झ	PPE	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण
ट	SPPI	मूलधन एवं ब्याज का एकमात्र भुगतान
ठ	EIR	प्रभावी ब्याज दर

टिप्पणी 3 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि (फ्रीहोल्ड भूमि)	अन्य भूमि	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया आदि सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	भूमि पुनर्स्थापना / साइट बहाली लागत	फर्नीचर और जुड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	अन्य	"अप्रयुक्त (सर्वे ऑफ) परिसंपत्तियां"	कुल
वहन राशि:															
01-04-2017 को	123.33	518.81	347.00	1,305.70	18.44	19.37	327.47	83.82	14.81	2.51	-	311.92	-	1.77	3,074.95
परिवर्धन	53.60	34.50	37.40	254.30	1.81	5.64	5.42	17.97	8.54	-	-	102.90	-	4.22	526.30
विलोपन/ /समायोजन	(10.66)	10.66	31.84	(77.11)	0.34	-	-	47.37	2.52	-	-	-	-	(0.52)	4.44
31-03-2018 को	**166.27**	**563.97**	**416.24**	**1,482.89**	**20.59**	**25.01**	**332.89**	**149.16**	**25.87**	**2.51**	**-**	**414.82**	**-**	**5.47**	**3,605.69**
01-04-2018 को	166.27	563.97	416.24	1,482.89	20.59	25.01	332.89	149.16	25.87	2.51	-	414.82	-	5.47	3,605.69
परिवर्धन	56.94	144.26	60.64	244.99	2.25	4.30	-	28.07	8.98	-	-	230.30	-	1.44	782.17
विलोपन / समायोजन	-	-	0.02	(31.53)	(0.62)	-	-	(2.82)	(4.13)	-	-	-	-	(2.58)	(41.66)
31-03-2019 को	**223.21**	**708.23**	**476.90**	**1,696.35**	**22.22**	**29.31**	**332.89**	**174.41**	**30.72**	**2.51**	**-**	**645.12**	**-**	**4.33**	**4,346.20**
प्रावधान और नुकसान															
01-04-2017 को	-	61.51	37.48	154.25	3.73	3.11	65.74	17.22	1.69	0.41	-	105.95	-	1.77	452.86
वर्ष के लिए प्रभार	-	46.24	22.24	211.43	3.15	1.60	39.71	15.90	2.47	0.27	-	37.26	-	-	380.27
नुकसान	-	-	-	15.99	-	-	-	-	-	-	-	38.81	-	4.22	59.02
विलोपन/ समायोजन	-	(0.66)	22.56	(51.77)	-	-	-	38.77	0.79	-	-	(0.25)	-	(0.52)	8.92
31-03-2018 को	**-**	**107.09**	**82.28**	**329.90**	**6.88**	**4.71**	**105.45**	**71.89**	**4.95**	**0.68**	**-**	**181.77**	**-**	**5.47**	**901.07**
01-04-2018 को	-	107.09	82.28	329.90	6.88	4.71	105.45	71.89	4.95	0.68	-	181.77	-	5.47	901.07
वर्ष के लिए प्रभार	-	75.56	26.58	221.52	2.78	1.80	26.51	14.78	4.60	0.24	-	38.39	-	-	412.76
नुक़सान	-	-	-	19.86	-	-	-	-	-	-	-	58.47	-	1.44	79.77
विलोपन / समायोजन	-	(2.82)	0.01	(28.55)	-	-	-	(1.55)	(4.28)	-	-	-	-	(2.58)	(39.77)
31-03-2019 को	**-**	**179.83**	**108.87**	**542.73**	**9.66**	**6.51**	**131.96**	**85.12**	**5.27**	**0.92**	**-**	**278.63**	**-**	**4.33**	**1,353.83**
निवल वहन राशि															
31-03-2019 को	**223.21**	**528.40**	**368.03**	**1,153.62**	**12.56**	**22.80**	**200.93**	**89.29**	**25.45**	**1.59**	**-**	**366.49**	**-**	**-**	**2,992.37**
31-03-2018 को	**166.27**	**456.88**	**333.96**	**1,152.99**	**13.71**	**20.30**	**227.44**	**77.27**	**20.92**	**1.83**	**-**	**233.05**	**-**	**-**	**2,704.62**
31-03-2017 को	**123.33**	**457.30**	**309.52**	**1,151.45**	**14.71**	**16.26**	**261.73**	**66.60**	**13.12**	**2.10**	**-**	**205.97**	**-**	**-**	**2,622.09**

टिप्पणी:

1. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के तहत अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए अलग से स्वामित्व विलेख (टाईटल डीड) की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रीहोल्ड भूमि के कुछ मामलों, जिसमें कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं, को छोड़कर अधिग्रहीत भूमि के लिए लगभग सभी स्वामित्व विलेख (टाईटल डीड) प्राप्त हो चुके हैं और कंपनी के पक्ष में उनका दाखिल-खारिज भी हो चुका है।
2. भूमि - अन्य में कोयलाधारित क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के तहत अधिगृहीत भूमि को शामिल किया गया है।
3. भूमि सुधार/ स्थल पुनर्स्थापन लागत में खान बंदी पर की जाने वाली अनुमानित लागत को बढ़ी हुई मुद्रास्फीति (5% प्रतिवर्ष) के साथ शामिल की जाती है और फिर 8% की दर से छूट दी जाती है, जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।
4. कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन और कोल माइंस रेस्क्यू ऑर्गनाइजेशन से ली गई संपत्ति और देनदारियां, जिनके लिए कोई मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है, मूल्य निर्धारण लंबित होने के कारण उन्हें खातों में शामिल नहीं किया गया है। कोल माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, कल्ला एवं केंद्रीय अस्ताल के साथ 4 अन्य अस्पतालों / डिस्पेंसरियों, माइन्स रेस्क्यू स्टेशन, बाराकर इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री वर्क्स के संबंध में परिसंपत्ति और देयताओं के लिए हस्तांतरित और कंपनी द्वारा लिया गया औपचारिक हस्तांतरण विलेख/ समझौते को अभी भी कंपनी के पक्ष में अंतिम रूप दिया जाना और निष्पादित किया जाना बाकी है।
5. तकनीकी अनुमान के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।।
6. संयंत्र, संपत्ति और उपकरण: भवन (बिल्डिंग) में आवासीय/ कार्यालय/ खनन क्षेत्र में स्थित सड़कें और पुलिया शामिल हैं।
7. परिसंपत्तियोंर और देयताओं के कंपनी को स्थानांतरण के लिए विधिक औपचारिकताओं के लंबित होने के कारण खनन अधिकारों आदि सहित कुछ परिसंपत्तियां कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से ही जारी रहेंगी।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी)

(₹ करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुल सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	क्रमागत उन्नति	अन्य	कुल
वहन राशि:						
01-04-2017 को	21.01	222.62	79.95	57.02	2.82	383.42
परिवर्धन	62.89	130.45	16.85	131.12	10.38	351.69
विलोपन/ /समायोजन	(38.14)	(225.75)	(7.69)	(95.31)	(10.44)	(377.33)
31-03-2018 को	**45.76**	**127.32**	**89.11**	**92.83**	**2.76**	**357.78**
01-04-2018 को	45.76	127.32	89.11	92.83	2.76	357.78
परिवर्धन	69.92	138.74	40.78	158.47	21.03	428.94
विलोपन / समायोजन	(58.15)	(223.59)	(4.49)	(181.89)	(11.08)	(479.20)
31-03-2019 को	**57.53**	**42.47**	**125.40**	**69.41**	**12.71**	**307.52**
प्रावधान और नुकसान						
01-04-2017 को	(0.17)	0.82	(0.90)	0.90	(0.01)	0.64
वर्ष के लिए प्रभार	0.02	-	-	-	-	0.02
नुकसान	-	-	-	4.70	-	4.70
विलोपन/ समायोजन	-	(0.25)	-	-	-	(0.25)
31-03-2018 को	**(0.15)**	**0.57**	**(0.90)**	**5.60**	**(0.01)**	**5.11**
01-04-2018 को	(0.15)	0.57	(0.90)	5.60	(0.01)	5.11
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.18	-	-	-	0.18
नुक़सान	-	-	-	2.45	-	2.45
विलोपन / समायोजन	0.04	(1.97)	-	(1.83)	-	(3.76)
31-03-2019 को	**(0.11)**	**(1.22)**	**(0.90)**	**6.22**	**(0.01)**	**3.98**
निवल वहन राशि						
31-03-2019 को	**57.64**	**43.69**	**126.30**	**63.19**	**12.72**	**303.54**
31-03-2018 को	**45.91**	**126.75**	**90.01**	**87.23**	**2.77**	**352.67**
31-03-2017 को	**21.18**	**221.80**	**80.85**	**56.12**	**2.83**	**382.78**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां
वहन राशि:	
01-04-2017 को	117.65
परिवर्धन	412.25
विलोपन / समायोजन	(1.82)
31-03-2018 को	**528.08**
01-04-2018 को	528.08
परिवर्धन	73.56
विलोपन / समायोजन	(1.64)
31-03-2019 को	**600.00**
प्रावधान और नुकसान	
01-04-2017 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
नुकसान	-
विलोपन / समायोजन	-
31-03-2018 को	**-**
01-04-2018 को	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
नुकसान	-
विलोपन / समायोजन	-
31-03-2019 को	**-**
शुद्ध वहन राशि	
31-03-2019 को	**600.00**
31-03-2018 को	**528.08**
31-03-2017 को	**117.65**

टिप्पणी:

1. वर्ष के दौरान परिवर्धन में सीएमपीडीआईएल द्वारा ईसीएल कमांड क्षेत्र के भीतर बिना खनन पट्टा वाली भूमि पर अन्वेषण और ड्रिलिंग के लिए ₹10.85 करोड़ शामिल है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 6 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
वहन राशि:			
31-03-2017 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2018 को	**-**	**-**	**-**
01-04-2018 को	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2019 को	**-**	**-**	**-**
परिशोधन और नुकसान			
01-04-2017 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
नुकसान	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2018 को	**-**	**-**	**-**
01-04-2018 को	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
नुक़सान	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-
31-03-2019 को	**-**	**-**	**-**
शुद्ध वहन राशि			
31-03-2019 को	**-**	**-**	**-**
31-03-2018 को	**-**	**-**	**-**
31-03-2017 को	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	"शेयरों की संख्या वर्तमान वर्ष / गत वर्ष"	"प्रति शेयर अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष / गत वर्ष"	31.03.2019 को	31.03.2018 को
गैर-वर्तमान				
अन्य (सहकारी शेयरों में)				
"i) कोल माइन्स ऑफीसर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में ""बी"" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	1000 (1000)	0.05	0.05
ii) दिशेरगढ़ कोलियरी कर्माचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में "बी" श्रेणी के 1000 शेयर	1000 (1000)	100 (1000)	0.01	0.01
"iii) मुगमा कोलफील्ड कोलियरी कर्मचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में प्रत्येक रु. 25/- मूल्य के 4000 शेयर"	4000 (4000)	25 (25)	0.01	0.01
"iv) सोदेपुर कोलियरी कर्मचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में ""बी"" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
"v) धेनोमैन कोलियरी कर्मचारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में ""बी"" श्रेणी के शेयर"	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
कुल			**0.08**	**0.08**
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:			**0.08**	**0.08**
उद्धृत निवेश की कुल राशि:			-	-
उद्धृत निवेश का बाजाक मूल्य:			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि:			-	-

टिप्पणी:

1. परिशोधित लागत पर मान्य कर्मचारी सहकारी समितियों को शेयर

वर्तमान				
म्युचुअल फंड निवेश				
यूटीआई म्युचुअल फंड			-	-
एलआईसी म्युचुअल फंड			-	-
एसबीआई म्युचुअल फंड			-	-
कैनरा रोबेको म्युचुअल फंड			-	-
यूनियन केबीसी म्युचुअल फंड			-	-
बीओआई एक्सा म्युचुअल फंड			-	-
8.5 % कर मुक्त विशेष बॉन्ड (पूर्ण प्रदत्त):				
यूपी			-	-
कुल			**-**	**-**
कुल उद्धृत निवेश:			-	-
कुल गैर-उद्धृत निवेश:			-	-
उद्धृत निवेश का बाजाक मूल्य:			-	-
निवेश के मूल्य में नुकसान की कुल राशि:			-	-

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को		31-03-2018 को	
गैर-वर्तमान				
अन्य ऋण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	0.09		0.13	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
	0.09		0.13	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	0.09	-	0.13
कुल		**0.09**		**0.13**
वर्गीकरण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	0.09		0.13	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
वर्तमान				
अन्य ऋण				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि वाले	-		-	
खराब साख	-		-	
	-		-	
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-	-	-
कुल		-		-

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को		31-03-2018 को	
गैर-वर्तमान				
बैंक जमा*		0.12		24.83
निम्न मदों के तहत बैंक में जमा राशि				
खदान बंदी योजना * *		452.29		426.87
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना		-		-
अन्य जमा		47.53		35.98
खदान बंदी व्यय के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य		-		-
अन्य प्राप्य * * *	21.07		21.49	
घटाएं: संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	21.07	-	4.87	16.62
कुल		**499.94**		**504.30**

टिप्पणी:

* 1. बैंक जमाओं में 12 महीने से अधिक की प्रारंभिक परिपक्वता वाले जमा हैं।

** 2. वर्ष के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा माइन क्लोजर एस्क्रो अकाउंट के लिए ब्याज के रूप में ₹ 25.42 करोड़ (₹ 19.28 करोड़) जमा किए गए हैं।

*** 3. अन्य प्राप्तियों में पश्चिम बंगाल सरकार से बिजली शुल्क प्राप्तियों के रिफंड के रूप में ₹ 20.86 करोड़ (₹ 20.86 करोड़) शामिल हैं।

वर्तमान				
सीआईएल के साथ अधिशेष निधि		-		-
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जमा शेष		36.18		504.39
अर्जित ब्याज		241.09		165.28
दावे और अन्य प्राप्य	32.60		63.66	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	4.22	28.38	3.26	60.40
कुल		**305.65**		**730.07**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 10 : अन्य गैर-वर्तमान पत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को		31-03-2018 को	
(i) पूंजी अग्रिम	185.60		158.03	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.48	184.12	1.48	156.55
(ii) पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम				
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा *	3.74		3.74	
घटाएं : संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	1.52	2.22	1.52	2.22
(ख) अन्य जना एवं अग्रिम	1.14		0.55	
घटाएं :संदिग्ध जमाओं के लिए प्रावधान	0.13	1.01	0.13	0.42
(ग) संबंधित पक्षों (रिलेटेड पार्टी) को अग्रिम		-		-
कुल		**187.35**		**159.19**

टिप्पणी:

* सीआईएसएफ विंग की शक्त बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए ₹ 2.21 करोड़ आंतरिक मामलों के मंत्रालय में जमा किए हैं।

टिप्पणी 11 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को		31-03-2018 को	
राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तुएं एवं सेवाएं)	62.97		66.15	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	62.97	-	66.15
सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान	199.79		275.70	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	199.79	-	275.70
संबंधित पक्षों के लिए अग्रिम		-		-
अन्य अग्रिम एवं जमाएं	169.80		19.09	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.70	168.10	0.45	18.64
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य		197.15		149.62
मेट (MAT) क्रेडिट पात्रता		-		-
कुल		**628.01**		**510.11**

टिप्पणी:

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों को कुछ संदिग्ध अग्रिमों को छोड़कर सुरक्षित और अच्छा माना जाता है जिसके लिए उपरोक्त के रूप में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 12 : सूची (इन्वेंटरी)
(प्रबंधन द्वारा ग्रहण, मूल्यांकित और प्रमाणित के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को		31-03-2018 को	
कोयले का स्टॉक	238.42		333.88	
विकास के तहत कोयला	-		-	
कोयले का स्टॉक (शुद्ध) (क)		238.42		333.88
भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	167.51		182.46	
जोड़ें: पारगमन के तहत भंडारण	2.73		1.78	
शुद्ध भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर) (ख)		170.24		184.24
केन्द्रीय अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक (ग)		0.54		0.77
कार्मशाला और प्रेस कार्य (घ)		11.36		25.64
कुल (क + ख + घ + घ)		**420.56**		**544.53**

टिप्पणी:

1. मूल्यांकन की विधि:
   क. कोयले का स्टॉक: कोयले / कोक की इन्वेंट्री कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर दर्शायी गई है। इन्वेंट्री की लागत की गणना प्रथम आवक, प्रथम जावक (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) विधि के इस्तेमाल से की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य सूची के लिए अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक लागत और लागत के सभी अनुमानित लागतों को कम करता है।
   ख. स्टोर और पुर्जों का भंडार: केंद्रीय और क्षेत्रीय स्टोरों में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें खुले उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक को मूल्य भंडार के बहीखाता में प्रदर्शित होने वाले बकाया के अनुसार माना जाता है और इसके लागत पर मूल्य की गणना भारित औसत विधि के आधार पर की जाती है।करने के लिए आवश्यक लागत और लागत के सभी अनुमानित लागतों को कम करता है।
   ग. अन्य इन्वेंटरी: प्रगतिशील जारी कार्यों सहित कार्मशाला के कामों का मूल्यांकल लागत पर किया जाता हैं। प्रेस कार्यों का स्टॉक (जारी कार्य सहित) तथा प्रिंटिंग प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाइयों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।
2. केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडारों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत लागत में से गैरसेवा योग्य, क्षति, अप्रचलित और स्थिर भंडार तथा पुर्जों के लिए प्रावधान को घटा कर किया जाता है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 12 से संबंधित अनुलग्नक (1)
बही स्टॉक और मापित स्टॉक का मिलान

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

	कुल स्टॉक		गैर-बिक्री योग्य स्टॉक		बिक्री योग्य स्टॉक	
	मात्रा.	मूल्य	मात्रा.	मूल्य	मात्रा.	मूल्य
01.04.18 को आरंभिक स्टॉक	24.94	334.96	-	-	24.94	334.96
जोड़ / (घटाव) : आरंभिक स्टॉक में समायोजन	-	-	-	-	-	-
1. 01.04.2018 को आरंभिक स्टॉक में समायोजन	24.94	334.96	-	-	24.94	334.96
2. वर्ष के लिए उत्पादन	501.60	-	-	-	501.60	-
3. उप-योग (1 + 2)	**526.54**	**334.96**	**-**	**-**	**526.54**	**334.96**
4. उठान (ऑफ टेक) :						
(क) बाहरी प्रेषण	502.23	12,914.35	-	-	502.23	12,914.35
(ख) वाशरियों में खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) निजी खपत	1.84	55.01	-	-	1.84	55.01
योग	**504.07**	**12,969.36**	**-**	**-**	**504.07**	**12,969.36**
5. व्युत्पन्न स्टॉक	22.47	238.80	-	-	22.47	238.80
6. मापित स्टॉक	21.86	232.35	-	-	21.86	232.35
7. अंतर (5-6)	0.61	6.45	-	-	0.61	6.45
8. अंतर का विवरण:						
(क) 5% के भीतर की अधिकता	-	0.04	-	-	-	0.04
(ख) 5% के भीतर की कमी	0.64	6.46	-	-	0.64	6.46
(ग) 5% से ऊपर की अधिकता	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी	-	0.03	-	-	-	0.03
9. 31.03.2019 को लेखा में लिया गया अंतिम स्टॉक [6 - 8क + 8ख]	**22.50**	**238.80**	**-**	**-**	**22.50**	**238.80**

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य ₹ करोड़ में)

	कच्चा कोयला				धुला हुआ कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		गैर-कोकिंग		कोकिंग		गैर-कोकिंग					
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (अंकेक्षित)	-	-	24.94	334.96	-	-	-	-	-	-	24.94	334.96
घटाएं: गैर-बिक्री योग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन आरंभिक स्टॉक (बिक्री योग्य)	-	-	24.94	334.96	-	-	-	-	-	-	24.94	334.96
उत्पादन	-	-	501.60	-	-	-	-	-	-	-	501.60	-
उठाव (ऑफटेक)												
क. प्रेषण	-	-	502.23	12,914.35	-	-	-	-	-	-	502.23	12,914.35
ख. वाशरी लिए इस्तेमाल किया गया कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. निजी खपत	-	-	1.84	55.01	-	-	-	-	-	-	1.84	55.01
अंतिम स्टॉक	-	-	22.47	238.80	-	-	-	-	-	-	22.47	238.80
घटाएं: कमी (शॉर्टेज)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2019 को अंतिम स्टॉक (टिप्पणी - 12)	-	-	22.47	238.80	-	-	-	-	-	-	22.47	238.80
घटाएं: जब्त किया गया कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2019 को अंतिम स्टॉक (टिप्पणी - 27)	-	-	22.47	238.80	-	-	-	-	-	-	22.47	238.80

टिप्पणी:

1. टिप्पणी -12 में दिखाया गया अंतिम स्टॉक कोयले के अंतिम स्टॉक के लिए किए गए ₹ 0.38 करोड़ (₹1.08 करोड़) के प्रावधान के समायोजन के बाद है।
2. टिप्पणी -27 में दिखाया गया अंतिम स्टॉक कोयले के अंतिम स्टॉक के लिए किए गए ₹ 0.38 करोड़ (₹1.08 करोड़) के प्रावधान और टिप्पणी-21 में दिखाए गए जब्त कोयले के लिए ₹ 0.84 करोड़ (₹ 1.08 करोड़) के प्रावधान के समायोजन के बाद है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को		31-03-2018 को	
वर्तमान				
व्यापार प्राप्तियां				
सुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	-		-	
असुरक्षित, उत्तम प्रवृत्ति के	1,621.92		1,109.89	
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वाली	-		-	
खराब साख	307.05		366.00	
	1,928.97		1,475.89	
घटाएं : खराब और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	307.05	1,621.92	366.00	1,109.89
कुल		**1,621.92**		**1,109.89**

टिप्पणी:

	31-03-2019	31-03-2018
1. कंपनियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक भी एक निदेशक / सदस्य हैं।		
अंतिम जमाशेष	NIL	NIL
किसी भी समय देय अधिकतम राशि	NIL	NIL
2. एसे पक्षों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक/ निदेशकों की रूचि है।		
अंतिम जमाशेष	NIL	NIL
किसी भी समय देय अधिकतम राशि	NIL	NIL
3. भत्ते का विवरण निम्नलिखित है:-		
आरंभिक शेष	366.00	371.10
घटाएं:- प्रारंभिक ऋणदाताओं के लिए निपटान किए गए/ बट्टे खाले में डाले गए/ समायोजित	-	-
जोड़े:- वर्ष के दौरान नए प्रावधान	26.53	72.47
घटाएं:- प्रारंभिक प्रावधान से बट्टे खाते में	85.48	77.57
अंतिम शेष	**307.05**	**366.00**

4. विविध देनदारों के लिए प्रावधान अपेक्षिक क्रेडिट हानि मॉडल पर आधारित हैं।

5. ग्रेड स्लिपेज का समायोजन समंजम, निपटान और वर्ष के दौरान पार्टियों को क्रेडिट नोट जारी करने के बाद किया गया है।

विवरण निम्नलिखित है:-

	31-03-2019	31-03-2018
वास्तविक ग्रेड स्लिपेज	41.27	282.78
अनुमानित ग्रेड स्लिपेज	74.02	(21.62)
कुल	**115.29**	**261.16**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 14 : नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
बैंकों में जमा शेष		
i. जमा खातों में	-	-
ii. चालू खातों में		
क. ब्याज के साथ (सीएलटीडी खाते आदि) *	368.90	744.95
ख. गैर-ब्याज के साथ	109.78	38.44
iii. कैश क्रेडिट खातों में	-	-
भारत के बाहर बैंक जमा शेष	-	-
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट और स्टांप	-	-
हस्तगत नकदी	-	-
भारत के बाहर हस्तगत नकदी	-	-
अन्य	-	-
कुल नकदी और नकदी समतुल्य	**478.68**	**783.39**
घटाएं: बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध)	**478.68**	**783.39**

टिप्पणी:

* चालू खाते ब्याज में सीएलटीडी, स्वीप खाते और आरएलटीडी आदि शामिल है।

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक जमा शेष

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
बैंकों में जमा शेष		
- जमा खाते	4,186.82	3,870.36
- खदान बंदी योजना	-	-
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-
- अदत्त लाभांश खाते	-	-
- लाभांश खाते	-	-
कुल	**4,186.82**	**3,870.36**

टिप्पणी:

1. बैंक जमाएं 3 महीने से अधिक किंतु 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि की हैं।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 16 : इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
अधिकृत		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के 25000000 इक्विटी शेयर	2,500.00	2,500.00
	2,500.00	2,500.00
निर्गत, अभिगत, प्रदत्त (पेड-अप)		
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के पूर्णतः नकदी में चुकता 10390000 इक्विटी शेयर	1,039.00	1,039.00
₹ 1000/- प्रति शेयर मूल्य के नकदी के अलावा पूर्णतः भुगतान के रूप में विचारार्थ आवंटित 11794500 इक्विटी शेयर	1,179.45	1,179.45
	2,218.45	**2,218.45**

टिप्पणी:

1. कंपनी में प्रत्येक शेयर धारक के पास 5 % से अधिक शेयर

शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1000)
कोल इंडिया लिमिटेड - धारक कंपनी (इक्विटी शेयर)	22184500

2. वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ।

3. कंपनी के पास केवस एक ही श्राणी के शेयर अर्थात इक्विटी शेयर हैं।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अधिमान शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल अन्य व्यापक आय	कुल
		पूंजी मोचन आरक्षित	पूंजी आरक्षित	सीएसआर आरक्षित	सतत विकास आरक्षित				
01-04-2017 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(2,820.17)**	**79.70**	**(1,052.15)**
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-04-2017 को पुनर्विवर्णित शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(2,820.17)**	**79.70**	**(1,052.15)**
प्रतिधारित आय को स्थानांकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित/ प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	(931.17)	107.00	(824.17)
विनियोग									
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य बदलाव (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2018 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(3,751.34)**	**186.70**	**(1,876.32)**
01.04.2018 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(3,751.34)**	**186.70**	**(1,876.32)**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय को स्थानांकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य आरक्षित/ प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	748.77	(42.39)	706.38
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	
सामान्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य रिजर्व से / में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इक्विटी शेयर की बायबैक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य बदलाव (उल्लेख करें)									
31-03-2019 को शेष	**855.61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**832.71**	**(3,002.57)**	**144.31**	**(1,169.94)**

टिप्पणी:

	31-03-2019	31-03-2018	01-04-2017
1. वरीयता शेयर पूंजी की अधिकृत शेयर पूंजी 21000000 शेयर, 6% अपरिवर्तनीय सकल, बिमोचन योग्य रू 1000/ प्रत्येक।	2,100.00	2,100.00	2,100.00

2. वर्ष के दौरान वरीयता शेयरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3. वित्त वर्ष 2014-15 में कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) को वरीयता शेयर जारी किए गए।

4. वरीयता शेयर एक मिश्रित वित्तीय दस्तावेज है तथा लाभांश संचयी और विवेकाधीन है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार इस मिश्रित दस्तावेज को इक्विटी और दीर्घावधि उधारियों में विभाजित किया गया है। वरीयता शेयर पूंजीगत नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना 8% वार्षिक की छूट दर को लागू करके की गई है। गणना की गई नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को दीर्घावधि उधारियों (26.12.2014 को ₹ 1195.36 करोड़) के रूप में माना गया है तथा शेष राशि यानी मौजूदा वरीयता शेयरों के मूल्य और दीर्घावधि उधारियों के बीच के अंतर (₹2050.97 करोड़ - ₹ 1195.36 करोड़ = ₹ 855.61 करोड़) को 26.12.2014 को नए वरीयता शेयरों के रूप में माना गया है।

5. सामान्य आरक्षित एक मुक्त आरक्षित है, जिसका उपयोग आवश्यकता होने पर विनियोजन उद्देश्यों के लिए विनियोजित आय से मुनाफे के हस्तांतरण के लिए किया जाता है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 18 : उधारियां

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
गैर-वर्तमान		
मियादी ऋण		
बैंकों से	-	-
अन्य पक्षों से		
निर्यात विकास निगम, कनाडा	158.93	155.01
संयुक्त वित्तीय लिखत के देयता घटक (वरीयता शेयर)	1,662.03	1,537.16
अन्य ऋण	-	-
कुल	**1,820.96**	**1,692.17**

वर्गीकरण -1

सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	1,820.96	1,692.17

वर्गीकरण -2

निदेशकों एवं अन्य द्वारा ऋण गारंटी

ऋण का विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	गारंटी की प्रकृति
निर्यात विकास निगम, कनाडा	158.93	GOI

टिप्पणी:

1. निर्यात विकास निगम, कनाडा से असुरक्षित ऋण के संबंध में विनिमय दर में अंतर से ` 10.93 करोड़ के नुकसान को असुरक्षित ऋण के मूल्य और अन्य खर्चों में इसके प्रभाव में समायोजित किया गया है (टिप्पणी - 35)।
2. पुनर्भुगतान अनुसूची- ईडीसी कनाडा से ऋण की किस्त की चुकौती अर्ध-वार्षिक यानी 31 जनवरी और 31 जुलाई को की जाती है।
3. वरीयता शेयर एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तथा लाभांश संचयी और विवेकाधीन है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार इस मिश्रित दस्तावेज को इक्विटी और दीर्घावधि उधारियों में विभाजित किया गया है। वरीयता शेयर पूंजीगत नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना 8% वार्षिक की छूट दर को लागू करके की गई है। गणना की गई नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को दीर्घावधि उधारियों (26.12.2014 को ₹ 1195.36 करोड़) के रूप में माना गया है तथा शेष राशि यानी मौजूदा वरीयता शेयरों के मूल्य और दीर्घावधि उधारियों के बीच के अंतर (₹ 2050.97 करोड़ - ₹ 1195.36 करोड़ = ₹ 855.61 करोड़) को 26.12.2014 को नए वरीयता शेयरों के रूप में माना गया है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट (वरीयता शेयर) के देयता घटक का मूल्य ₹ 124.87 करोड़ (113.86 करोड़) लागत के परिशोधन समायोजित करने के बाद व्युत्पन्न किया गया है।

वर्तमान		
मांग पर चुकौती योग्य ऋण		
बैंकों से	-	-
अन्य पक्षों से	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	**-**	**-**
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 19 : व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार प्राप्तियां	-	-
निम्नलिखित के लिए अन्य व्यापार देय		
भंडारण और पुर्जे	82.33	64.17
विद्युत और ईंधन	24.66	27.00
वेतन, मजदूरी और भत्ते	395.94	382.32
अन्य खर्चे	-	-
कुल	**502.93**	**473.49**

टिप्पणी:

1. मूलधन और उस पर ब्याज के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से बकाया शून्य (शून्य) भुगतान में देरी। शून्य (शून्य)
2. अधिनियम के प्रावधानों तहत इस अवधि के दौरान देरी से किए गए सभी भुगतानों पर शून्य (शून्य) की कुल ब्याज का भुगतान किया गया।
3. अवधि / वर्षों के दौरान मूल धन पर बकाया ब्याज तथा नियत तारीख के बाद में भुगतान किंतु इस अधिनियम के तहत ब्याज राशि के बिना - शून्य (शून्य)
4. ब्याज अर्जित हुआ है, लेकिन बकाया नहीं - शून्य (वर्ष / अवधि के अंत में अर्जित ब्याज को दर्शाता है लेकिन बकाया नहीं, क्योंकि नियत तारीख से मासिक ब्याज पर ब्याज की गणना की जाती है)।
5. कुल बकाया ब्याज, लेकिन भुगतान नहीं किया गया- शून्य (शून्य) (पूर्व वर्ष से उस समय तक शेष सभी ब्याज राशियों दर्शाता है जब तक कि ब्याज वास्तव में लघु उद्यमों को भुगतान नहीं किया गया था)।

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
गैर-वर्तमान		
प्रतिभूति	19.21	16.73
अग्रिम धन	-	-
अन्य	1.38	1.38
कुल	**20.59**	**18.11**
वर्तमान		
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष कोष	-	-
निम्नलिखित के साथ चालू खाता		
सी आई एल	-	-
आई आई सी एम	-	-
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	6.62	6.19
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति	205.93	179.55
अग्रिम धन	104.21	85.39
पूंजीगत व्यय के लिए देय	12.13	19.29
अन्य	-	-
कुल	**328.89**	**290.42**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

NOTE - 21 : PROVISIONS

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	(103.12)	783.44
- छुट्टी नकदीकरण	189.49	94.11
- अन्य कर्मचारी लाभ	146.94	135.95
साइट पुनरुद्धार / खदान बंदी	606.03	567.80
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	2,454.37	1,998.13
अन्य (सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ)	63.43	125.88
कुल	**3,357.14**	**3,705.31**

टिप्पणी:

1. ग्रेच्युटी की अवधि की अंतिम देयता, अवकाश नकदीकरण, कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ और समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, अवकाश यात्रा रियायत, खदान दुर्घटना मृत्यु के मामले में आश्रितों को मुआवजा आदि का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर किया जाता हैं।

2.दीर्घकालिक ग्रेच्युटी का प्रावधान ₹ 3863.43 करोड़ (₹2867.07 करोड़) के ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड शेष के समायोजन के बाद हैं।

3. दीर्धकालिक अवकाश नकदीकरण का प्रावधान एलआईसी के साथ ₹ 454.34 करोड़ (₹ 491.73 करोड़) की अवकाश नकदीकरण निधि के समायोजन के बाद है।

4. अन्य प्रावधान (सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ) ₹ 101.97 करोड़ (₹19.01 करोड़) के सीपीआरएमएसई ट्रस्ट फंड शेष के समायोजन के बाद है।

5. अन्य प्रावधान (सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ) में चिकित्सा सुविधा के लिए सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों से प्राप्त गैर-वापसी योग्य शुल्क का ₹14.81 करोड़ (शून्य) राशि शामिल है।

6. भूमि/ स्थल पुनर्स्थापन/ खदान के पुनरुद्धार का मिलान

	31-03-2019	31-03-2018
दिनांक 01.04.2015 को स्थल पुनर्स्थापन परिसंपत्ति का कुल मूल्य	346.00	346.00
जोड़ : दिनांक 31.03.2018/31.03.2017 तक प्रभारित प्रावधान (पूंजीगत सहित) का मोचक	221.80	175.86
जोड़ : वर्तमान वर्ष के लिए प्रभारित प्रावधान (पूंजीगत सहित) का मोचक	38.23	45.94
खदान बंदी प्रावधान	**606.03**	**567.80**

7. एस्क्रो खाता शेष का मिलान

	31-03-2019	31-03-2018
आरंभिक तिथि को एस्क्रो खाते में शेष (वर्तमान/ गैर-वर्तमान)	426.87	327.24
जोड़ : वर्तमान वर्ष के दौरान जमा शेष	-	80.35
जोड़ : वर्ष के दौरान जमा ब्याज	25.42	19.28
घटाव: वर्तमान वर्ष के दौरान आहरित राशि	-	-
अंतिम तारीख को एस्क्रो खाते में शेष (वर्तमान/ गैर-वर्तमान)	**452.29**	**426.87**

(₹ करोड़ में)

वर्तमान	31-03-2019 को	31-03-2018 को
कर्मचारी लाभ		
- उपदान (ग्रेच्युटी)	477.44	438.71
- अवकाश नकदीकरण	72.26	60.99
- अनुग्रह राशि	352.36	351.75
- प्रदर्शन आधारित भुगतान	131.72	39.77
- अन्य	229.62	326.67
- एनसीडब्लूए - X	58.05	844.42
- अधिकारियों का वेतन संशोधन	3.96	126.03
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	-	-
अन्य (जब्त कोयला) के लिए प्रावधान	0.84	1.08
कुल	**1,326.25**	**2,189.42**

टिप्पणी:

1. एनसीडब्लियू-X के लिए प्रावधान एनसीडब्लियू-X को अंतिम रूप देने के कारण गैर-अधिकारियों को देय एकमुश्त वसूली योग्य अग्रिम के ₹ 2.25 करोड़ (₹ 281.60 करोड़) के समायोजन के बाद है।
2. अन्य में ₹ 170.52 करोड़ के अन्य कर्मचारी लाभ तथा दुर्वह अनुबंध के लिए ₹ 59.10 करोड़ के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी 22 : अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि	-	-
आस्थगित आय	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

NOTE - 23 : OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019 को	31-03-2018 को
सांविधिक बकाया	704.90	479.81
कोयला आयात के लिए अग्रिम	-	-
ग्राहकों / अन्य लोगों से अग्रिम	766.28	764.69
उपकर समानीकरण खाता	2,239.60	1,879.01
अन्य देयताएं	950.40	945.26
कुल	**4,661.18**	**4,068.77**

नोट 1: - प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को प्रचलित दर पर पूर्ववर्ती दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर कोयला धारित भूमि के वार्षिक मूल्य तथा पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य पर विचार करते हुए कोयले के प्रेषण मूल्य पर ग्राहकों से की गयी वसूली पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में भुगतान के लिए ₹ 2239.60 करोड़ (₹1879.01 करोड़) की राशि शेष है जिसे उपकर खाते के तहत दिखाया गया है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 24 : परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019		वर्ष के समापन पर 31-03-2018	
I. कोयला की बिक्री		18,385.03		15,250.11
घटाएं: वैधानिक लेवी (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)		5,470.68		4,624.10
कोयले की बिक्री (शुद्ध) (क)		**12,914.35**		**10,626.01**
II. अन्य परिचालन राजस्व				
बालू भराई और संरक्षा कार्यों के लिए अनुदान		-		23.93
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क	328.14		245.03	
घटाएं: वैधानिक लेवी (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	15.63	312.51	11.15	233.88
निकासी सुविधा शुल्क	192.06		60.30	
घटाएं: वैधानिक लेवी	9.15	182.91	2.87	57.43
अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (ख)		**495.42**		**315.24**
ग्रहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (क + ख)		**13,409.77**		**10,941.25**

टिप्पणी:

1. भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू किया। इसके परिणामस्वरूप 01.07.2017 से 30.06.2018 तक की अवधि के लिए परिचालन से राजस्व जीएसटी का शुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
2. 01.07.2017 से पहले की अवधि के लिए परिचालन से राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल है। कोयले की बिक्री में 01.04.2017 से 30.06.2017 की अवधि के लिए ₹ 146.14 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल है। लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क में ₹ 2.19 करोड़ का उत्पाद शुल्क शामिल है।
3. बालू भराई तथा संरक्षात्मक कार्य के लिए अनुदान में कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के तहत कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से एनईसी द्वारा बालू भराई तथा संरक्षात्मक कार्य के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त ₹ शून्य (₹ 23.93 करोड़) शामिल है
4. स्वच्छ ऊर्जा उपकर के स्थान पर 01.07.2017 के प्रभाव जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को लागू किया गया है।
5. बिक्री, पार्टियों को क्रेडिट नोट जारी किए जाने / जारी किए जा रहे क्रेडिट नोट के कारण ₹ 115.29 करोड़ (₹ 261.16 करोड़) के ग्रेड स्लिपेज के लिए कटौती का शुद्ध है।
6. बिक्री में 23.67 एलटी (30.58 एलटी) की ई-नीलामी मात्रा और ₹ 598.15 करोड़ (₹ 374.86 करोड़) का ई-नीलामी लाभ शामिल है।
7. बिक्री में 17.02 एलटी (11.92 एलटी) की एमओयू मात्रा और ₹ 29.19 करोड़ (₹ 15.14 करोड़) का एमओयू लाभ शामिल है।
8. खदान के लिए पहले के मामलों में किए गए कोयला गुणवत्ता विश्लेषण के बारे में रिपोर्टों के ऐतिहासिक रुझान के आधार पर, कोयले की गुणवत्ता के निम्नीकरण या कोयले की गुणवत्ता के उन्नयन के लिए एक प्रावधान का आकलन किया गया है और तदनुसार, कोयले की गुणवत्ता के लिए निम्नीकरण के लिए प्रावधान / उन्नयन के समायोजन किया गया है। कोयला की गुणवत्ता विचलन के लिए समायोजन पर ग्रेड उन्नयन के साथ ग्रेड स्लिपेज को समायोजित करके प्राप्त की गई शुद्ध राशि पर विचार करके किया जाता है। पिछले तीन महीनों के लिए प्राप्त वास्तविक रेफरी विश्लेषण रिपोर्ट को प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए माना गया है। पिछले तीन महीनों के रेफरी परिणामों के आधार पर ऊपर बताए गए ग्रेड के वास्तविक ग्रेड स्लिपेज / वृद्धि की गणना पहले की गई है। उपरोक्त ग्रेड स्लिपेज / वृद्धि की कुल राशि पर विचार किया गया है और फिर पिछले तीन महीनों के औसत रुझान की गणना उपरोक्त 3 महीने के नमूने की मात्रा से ऊपर की राशि से विभाजित करके की गई है। अंत में प्रवृत्ति विश्लेषण के अनुसार ग्रेड स्लिपेज / वृद्धि की प्रति टन उपरोक्त औसत लागत को मार्च 2019 तक लंबित रेफरी के परिणामों की मात्रा से अनुमानित ग्रेड स्लिपेज / वृद्धि पर पहुंचने के लिए गुणा किया गया है।
9. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व जानकारी टिप्पणी-38 में दी गई है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
ब्याज से आय	400.14	279.91
लाभांश आय	-	-
अन्य		
शीर्ष प्रभार	-	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.16	0.49
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
पट्टा किराया	-	-
देयता / प्रतिलेखन प्रावधान	13.73	99.63
स्टॉक में कमी पर उत्पाद शुल्क	-	-
विविध आय	80.69	146.38
कुल	**497.72**	**526.41**

टिप्पणी - 26 : खपत की गई सामग्री की लागत

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
विस्फोटक	213.92	181.71
टिंबर / लकड़ी	5.68	5.43
तेल और स्नेहक	239.68	229.40
भारी मशीनों (एचईएमएम) के पुर्जों	91.27	82.04
अन्य उपभोज्य सामग्री एवं पुर्जे	171.16	158.41
कुल	**721.71**	**656.99**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी -27 : तैयार माल, चालू कार्य एवं अंतिम रूप से तैयार माल-सूची (इन्वेंटरी) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
कोयले का आरम्भिक स्टॉक	332.80	376.27
कोयले का अंतिम स्टॉक	237.58	332.80
कोयले की इन्वेंटरी में परिवर्तन (क)	**95.22**	**43.47**
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का आरम्भिक स्टॉक	25.64	15.70
कर्मशाला में तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य का अंतिम स्टॉक	11.36	25.64
कर्मशाला की इन्वेंटरी में परिवर्तन (ख)	**14.28**	**(9.94)**
कारोबारी स्टॉक की इन्वेंटरी में परिवर्तन {कमी/ (वृद्धि)} (क + ख)	**109.50**	**33.53**

टिप्पणी - 28 : कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
वेतन एवं मजदूरी (भत्तों एवं बोनस आदि सहित)	5,651.13	5,731.97
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	1,532.21	2,403.29
कर्मचारी कल्याण व्यय	265.13	280.63
कुल	**7,448.47**	**8,415.89**

टिप्पणी:

1. वेतन, मजदूरी, भत्तों और लाभ आदि में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति लाभ के लिए किया गया ₹ 9.38 करोड़ (₹ 23.78 करोड़) का प्रवधान शामिल है।

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

NOTE 29 : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXPENSE

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
सीएसआर व्यय	16.46	12.69
कुल	**16.46**	**12.69**

टिप्पणी- 1: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों के कुल औसत शुद्ध लाभ का 2 % होना चाहिए।

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019	31-03-2018
3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	16.01	1,044.31
औसत शुद्ध लाभ का 2 %	0.32	20.89

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
भवन	12.94	7.93
संयंत्र एवं मशीनें	126.23	143.68
अन्य	1.95	1.80
कुल	**141.12**	**153.41**

टिप्पणी - 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
परिवहन शुल्क	326.46	236.06
वैगन लदाई	26.98	26.06
संयंत्र और उपकरणों को भाड़े पर लेना	1,460.63	1,232.09
अन्य संविदात्मक कार्य	115.74	93.18
कुल	**1,929.81**	**1,587.39**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 32 : वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
ब्याज खर्चे		
उधारियां	-	-
छूट की कमी	163.10	154.38
अन्य	-	-
कुल	**163.10**	**154.38**

टिप्पणी - 33 : प्रावधान (शुद्ध परिवर्तन)

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
(क) निम्मलिखित के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	26.53	72.47
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	18.40	3.26
भंडार एवं पुर्जे	1.47	1.93
अन्य	59.28	0.02
कुल (क)	**105.68**	**77.68**
(ख) परिवर्तन (रिवर्सल) का प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	85.48	77.57
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पुर्जे	0.82	0.28
अन्य	11.10	1.07
कुल (ख)	**97.40**	**78.92**
कुल (क - ख)	**8.28**	**(1.24)**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी - 34 : बट्टा खाता (पिछले प्रावधानों का शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाएं:- पहले प्रदान किया गया	-	-
उप-योग (क)	**-**	**-**
संदिग्धअग्रिम	-	-
घटाएं:- पहले प्रदान किया गया	-	-
उप-योग (क)	-	-
कुल (क + ख)	**-**	**-**

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
यात्रा खर्च	10.63	9.24
प्रशिक्षण व्यय	5.12	3.55
टेलीफोन एवं डाक	1.52	1.66
विज्ञापन एवं प्रचार	2.54	2.84
विलम्ब शुल्क	1.02	0.61
सुरक्षा खर्च	79.98	88.17
कोल इंडिया लिमिटेड का सेवा-शुल्क	50.16	43.61
किराया प्रभार	40.57	32.20
सीएमपीडीआई खर्च	0.57	31.36
कानूनी खर्च	2.89	1.99
परामर्श शुल्क	18.66	9.97
कम भराई शुल्क	54.41	47.03
परिसंपत्तियों के विक्रय/ अमान्य/ हटाने पर हानि	-	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक एवं खर्च		
क. लेखा परीक्षा शुल्क	0.21	0.20
ख. कराधान संबंधी मामलों के लिए	0.09	0.05
ग. अन्य सेवाओं हेतु	0.20	0.21
घ. खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.16	0.11
आंतरिक अन्य लेखा-परीक्षा शुल्क एवं व्यय	2.56	2.32
पुनर्वास प्रभार	30.23	26.17
केंद्रीय उत्पाद कर	-	-
भाड़ा	0.01	-

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
दरें एवं कर	3.23	7.93
बीमा	0.03	0.03
विनिमय दर में अंतर के कारण घाटा	10.93	0.04
बचाव / सुरक्षा व्यय	4.65	4.40
डेड रेट/ सरफेस रेंट	7.24	9.03
साइडिंग रख-रखाव प्रभार	1.44	3.48
अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.06	0.23
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण व्यय	6.88	4.38
विविध खर्चे	307.05	220.31
कुल	**643.04**	**551.12**

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
वर्तमान वर्ष	301.27	(12.96)
आस्थगित कर	248.35	(523.06)
मेट क्रेडिट पात्रता		
पहले के वर्ष		0.46
कुल	**549.62**	**(535.56)**

टिप्पणी 1. निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर परसंपत्तियां / (देयताएं):

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019	31-03-2018
निम्नलिखित के संबंध में आस्थगित कर परसंपत्तियां / (देयताएं):		
कर्मचारी लाभ	160.53	462.54
संपत्ति, संयत्र व उपकरण तथा विकास, पूर्वेक्षण और बोरिंग	37.82	15.10
संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	107.30	112.32
संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान	31.17	4.09
प्रावधान	111.66	102.78
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)	**448.48**	**696.83**

वित्तीय विवरणी पर टिप्पणियां

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

		वर्ष के समापन पर 31-03-2019	वर्ष के समापन पर 31-03-2018
I.	**i. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले मद**		
	परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	(61.39)	163.63
	उप-योग (क)	**(61.39)**	**163.63**
	ii. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत न किए जाने वाले मदों पर आयकर		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	(19.00)	56.63
	उप-योग (ख)	**(19.00)**	**56.63**
	कुल (ग = क - ख)	**(42.39)**	**107.00**
II.	**i. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले मद**		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	उप-योग (घ)	**-**	**-**
	ii. लाभ अथवा हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने वाले मदों पर आयकर		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	उप- योग (ड़)	**-**	**-**
	कुल (च = घ - ड़)	**-**	**-**
	सकल योग (ग + च)	**(42.39)**	**107.00**

टिप्पणी - 38
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय विवरणी पर अतिरिक्त टिप्पणियां

1. उचित मूल्य मापन

1. **[क] श्रेणी के अनुसार वित्तीय दस्तावेज (लिखत)**

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019		31-03-2018	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.09	-	0.13
व्यापार प्राप्य	-	1,621.92	-	1,109.89
नकद और नकद समकक्ष	-	478.68	-	783.39
अन्य बैंक जमा शेष	-	4,186.82	-	3,870.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	305.65	-	730.07
कुल	**-**	**6,593.24**	**-**	**6,493.92**
वित्तीय देयताएं				
उधार:				
ईडीसी ऋण	-	165.55	-	161.20
यौगिक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) का देयता घटक (अधिमानी शेयर)	-	1,662.03	-	1,537.16
व्यापार देयताएं	-	502.93	-	473.49
प्रतिभूति राशि	-	225.14	-	196.28
अग्रिम धन	-	104.21	-	85.39
अन्य वित्तीय देयताएं	-	13.51	-	20.67
कुल	**-**	**2,673.37**	**-**	**2,474.19**

1. [ख] उचित मूल्य पदानुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में लिए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जो (क) उचित मूल्य पर मान्य और मापित है; और (ख) को संशोधित बयानों में मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने में प्रयुक्त सामग्री की विश्वसनीयता के बारे में इस बात का संकेत देने के लिए समूह ने अपने लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वित्तीय साधनों को वर्गीकृत किया गया है।

1. [ग] उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019		31-03-2018	
	स्तर I	**स्तर III**	**स्तर I**	**स्तर III**
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	-	-	-
वित्तीय देनदारियां				
यदि कोई अन्य वस्तु	-	-	-	-

1. [घ] परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया जाता है

(₹ करोड़ में)

	31-03-2019		31-03-2018	
	स्तर I	**स्तर III**	**स्तर I**	**स्तर III**
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश:				
सहकारिता शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.09	-	0.13
व्यापार प्राप्य	-	1,621.92	-	1,109.89
नकद और नकद समतुल्य	-	478.68	-	783.39
अन्य बैंक जमा शेष	-	4,186.82	-	3,870.36
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	305.65	-	730.07
संपूर्ण	**-**	**6,593.24**	**-**	**6,493.92**
वित्तीय देयताएं				
उधार:				
ईडीसी ऋण	-	165.55	-	161.20
यौगिक वित्तीय दस्तावेज (लिखत) का देयता घटक (अधिमानी शेयर)	-	1,662.03	-	1,537.16
व्यापार देयताएं	-	502.93	-	473.49
प्रतिभूति राशि	-	225.14	-	196.28
अग्रिम धन	-	104.21	-	85.39
अन्य वित्तीय देयताएं	-	13.51	-	20.67
संपूर्ण	**-**	**2,673.37**	**-**	**2,474.19**

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

स्तर I: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय साधन शामिल हैं।

स्तर II: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो कि पर्यवेक्षित बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम आश्रित होते हैं। यदि किसी साधन के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण आदान अवलोकन योग्य हैं, तो साधन स्तर-II में शामिल होता है।

स्तर III: यदि महत्वपूर्ण आदानों में से एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो साधन स्तर III में शामिल होता है। यह गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, वरीयता शेयर उधारियों, प्रतिभूति जमाओं और स्तर III में शामिल अन्य देयताओं से संबंधित मामला होता है।

1. [ङ] उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों को महत्व देने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में साधनों (लिखतों) के उद्धृत बाजार मूल्यों का उपयोग शामिल है।

1. [च] महत्वपूर्ण गैर-अवलोकनीय आदानों का उपयोग करके उचित मूल्य मापन

वर्तमान में महत्वपूर्ण गैर-अवलोकनीय आदानों का उपयोग करके कोई उचित मूल्य मापन नहीं हैं।

1. [छ] वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य जो परिशोधन लागत पर मापा जाता है

- व्यापार प्राप्यों की वहन राशि, अल्पकालिक जमा, नकद और नकद समतुल्य, व्यापार देय को उनके अल्पकालिक स्वभाव के कारण उनके उचित मूल्यों के रूप में एक समान माना जाता है।
- कंपनी का मानना है कि प्रतिभूति जमा राशि में एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण भुगतान (प्रतिभूति जमा) कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रमुख भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की रोक कर रखने का उद्देश्य ठेकेदार से अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल होने पर कंपनी के हित की रक्षा करना है। तदनुसार, प्रतिभूति जमा की लेनदेन लागत प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में मान्य होती है और बाद में परिशोधन लागत पर मापी जाती है।

  महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषण करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियां और नकद तथा नकद समकक्ष जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं, शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में रहती है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित होता है जो अन्य बातों के साथ- साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति देता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट जोखिम के उन स्रोतों के बारे में बताता है जिनके संपर्क में संस्था में है और यह भी बताता है कि संस्था जोखिम तथा वित्तीय विवरणों में बचाव लेखांकन के प्रभाव का कैसे प्रबंधन करती है ।

जोखिम	उजागर होने का स्रोत	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति	एजिंग विश्लेषण / क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमाओं, क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण।
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता।
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, भारतीय रुपये में न दर्शायी गयी मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं।	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और ऑडिट कमेटी द्वारा नियमित निगरानी तथा समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।
बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

2.[क] ऋण जोखिम:

2. [क] (क) ऋण जोखिम प्रबंधन:

मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से प्राप्तियां होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समष्टि - आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है

2. [क] (ख) ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए)

जैसा कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार, कंपनी ग्राहकों के साथ या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ईंधन आपूर्ति समझौते करती है जिससे अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था बनती है। हमारे ईंधन आपूर्ति समझौतों को मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य विद्युत संयंत्रों, निजी विद्युत संयंत्रों (पीपीयू) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता।
- गैर-बिजली उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट-"सीपीपी" सहित) में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता; तथा
- राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता।

2. [क] (ग) ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनको आवश्यकता से कम कोयले का आवंटन, मौसम की वजह से उनकी कोयले की आवश्यकता प्रभावित होना और कोयले की सीमित आवश्यकता को दीर्घकालिक लिंकेज में शामिल नहीं किया जाना था। कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के तहत दिए जाने वाले कोयले की मात्रा की समीक्षा की जाती है।

2. [क] (घ) अपेक्षित क्रेडिट हानि:

कंपनी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध / अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि प्रदान करती है।

i. 31.03.2019 को सरलीकृत पद्धति के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित साख हानि:

(₹ करोड़ में)

काल अवधि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	1,239.95	90.32	88.73	152.58	78.68	278.71	**1,928.97**
अनुमानित क्षति दर (%)	5.67%	8.37%	8.85%	4.80%	13.68%	72.92%	**15.92%**
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	70.32	7.56	7.85	7.32	10.76	203.24	**307.05**

ii. 31.03.2018 को सरलीकृत पद्धति के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित साख हानि:

(₹ करोड़ में)

काल अवधि	2 महीने के लिए बकाया	6 महीने के लिए बकाया	1 वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 से अधिक वर्ष के लिए बकाया	कुल
सकल वहन राशि	480.31	129.46	92.79	219.77	275.65	277.91	**1,475.89**
अनुमानित क्षति दर (%)	7.52%	8.58%	9.74%	4.74%	14.11%	93.71%	**24.80%**
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	36.12	11.11	9.04	10.42	38.89	260.42	**366.00**

iii. हानि भत्ता प्रावधान का मिलान - व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

31-03-2018 को हानि भत्ता	366.00
हानि भत्ता में परिवर्तन	(58.95)
31-03-2019 को हानि भत्ता	307.05

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताई गई वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट और अपेक्षित हानि दरों के जोखिम के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि की गणना के लिए इनपुट का चयन करने के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों को देखते हुए कंपनी के पिछले इतिहास और मौजूदा बाजार की स्थितियों पर आधारित निर्णय का उपयोग करती है।

2. [ख] तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है कि देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों तथा प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से वित्तपोषण को बनाए रखना। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी ट्रेजरी प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखने के द्वारा वित्त पोषण में लचीलापन बनाए रखती है।

प्रबंधन कंपनी की तरलता स्थिति (पूर्व उधार लेने की सुविधाओं सहित) और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकदी समतुल्यों के पूर्वानुमान की निगरानी करता है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार कंपनी की संचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019			31-03-2018		
	एक वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	एक वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक
Non-derivative Financial Liabilities						
Borrowings including Interest Obligations	-	1,688.49	132.47	-	1,561.94	130.23
Trade Payables	490.32	10.45	2.16	462.93	9.68	0.88

2. [ग] बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में रहती है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती जाँच द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख. नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन से कंपनी के लिए नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम उजागर होता है। कंपनी की नीति अपने ज्यादातर जमाओं को स्थिर दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए बैंक जमाओं की क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

पूंजी प्रबंधन

सरकारी संस्था होने के नाते कंपनी वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31-03-2019	31-03-2018
i. इक्विटी शेयर पूंजी	2,218.45	2,218.45
ii. वरियता शेयर पूंजी का इक्विटी अंश	855.61	855.61
iii. दीर्घकालिक ऋण:		
ईडीसी ऋण - गैर-वर्तमान	158.93	155.01
ईडीसी ऋण - वर्तमान	6.62	6.19
दीर्घावधि उधार [वरियता शेयर]	1,662.03	1,537.16

3. कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय लेखा मानक -19)

क. ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा जाता है और योगदान राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में दी जाती है। परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन-पत्र में मान्य देयता और परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा की जाती है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं।

ख. अवकाश नकदीकरण

अर्जित अवकाश के लिए देयताओं का निपटान कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है। इसलिए उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार प्रतिफल का उपयोग करके लाभ-छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

ग. भविष्य निधि:

कंपनी भविष्य निधि और पेंशन निधि के लिए पूर्व-निर्धारित दरों पर एक निश्चित योगदान राशि का भुगतान कोल माइंस प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ) नामक एक अलग ट्रस्ट में करती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करती है। अवधि के दौरान इस निधि में ₹ 910.99 करोड़ (₹ 533.74 करोड़) के योगदान को लाभ-हानि विवरणी (टिप्पणी – 28) में मान्य किया गया है।

घ. कंपनी निम्नलिखित कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं को संचालित करती है जिनका मूल्य बीमांकिक आधार होता है:

वित्तपोषित:

- ग्रेच्युटी
- अवकाश नकदीकरण

गैर-वित्तपोषित:

- जीवन कवर योजना
- खदान दुर्घटना लाभ पर आश्रित को मुआवजा
- चिकित्सा लाभ
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- निपटान भत्ता
- अवकाश यात्रा रियायत

बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31-03-2019 को कुल देयता ₹ 5251.31 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

31-03-2019 को बीमांकिक देयता:

(₹ करोड़ में)

शीर्ष / मद	01-04-2018 को आरंभिक बीमांकिक देयता	अवधि के दौरान वृद्धिशील देयता	01-04-2019 को अंतिम बीमांकिक देयता
ग्रेच्युटी	4,089.22	148.51	4,237.73
अर्जित अवकाश	595.14	58.33	653.47
आधा वेतन अवकाश	51.69	10.91	62.60
अवकाश यात्रा रियायत - अधिकारी	17.65	(17.65)	-
अवकाश यात्रा रियायत – कर्मचारी	27.18	29.81	56.99
जीवन कवर योजना- कार्यकारी	0.47	(0.02)	0.45
जीवन कवर योजना – कर्मचारी	16.31	(0.14)	16.17
निपटान भत्ता - अधिकारी	7.57	(0.62)	6.95
निपटान भत्ता – कर्मचारी	29.38	(0.09)	29.29
घातक खान दुर्घटना	37.27	(0.32)	36.95
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.12	-	0.12
अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	129.61	(3.26)	126.35
कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	15.27	8.97	24.24
कुल	**5,016.88**	**234.43**	**5,251.31**

ङ. बीमांकक के प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

बीमांकक के प्रमाण पत्र के अनुसार कर्मचारी लाभ के लिए ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) और अवकाश नकदीकरण (वित्तपोषित) के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

31-03-2019 को प्रमाणपत्रों के अनुसार ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन
भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार

तालिका 1: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन	31-03-2019	31-03-2018
1.	पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,089.22	2,622.02
2.	वर्तमान सेवा लागत	171.43	161.53
3.	ब्याज लागत	292.82	192.15
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में निहित भाग (विगत सेवा)	-	1,534.76
6.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
7.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	45.08	(180.27)
8.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
9.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	60.83	18.69
10.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
11.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12.	भुगतान किए गए लाभ	421.66	259.66
13.	अधिग्रहण समायोजन	-	-
14.	दायित्व का निपटान / स्थानांतरण	-	-
15.	कटौती लागत	-	-
16.	निपटान लागत	-	-
17.	अन्य (मूल्यांकन तारीख के अंत में अस्थिर देयता)	-	-
18.	मूल्यांकन तिथि के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,237.73	4,089.22

तालिका 2: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2019	31-03-2018
1.	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	2,867.07	2,665.25
2.	ब्याज आय	216.46	205.49
3.	नियोक्ता योगदान	1,157.04	253.93
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-
6.	निपटान लागत	-	-
7.	भुगतान किए गए लाभ	421.66	259.66
8.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10.	प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-
11.	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	44.53	2.06
12.	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,863.44	2,867.07

तालिका 3: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	तुलन-पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	31-03-2019	31-03-2018
1.	वित्त पोषण की स्थिति	(374.29)	(1,222.15)
2.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
3.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
4.	मापन तिथि के बाद नियोक्ता योगदान (अपेक्षित)	-	-
5.	गैर-वित्तपोषित उपार्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	फंड परिसंपत्तियां	3,863.44	2,867.07
7.	फंड देयता	4,237.73	4,089.22

तालिका 4: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना के अनुमानों को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2019	31-03-2018
1.	छूट की दर	7.55%	7.71%
2.	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	7.55%	7.71%
3.	मुआवजा वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	अधिकारियों के लिए 9.00 %	अधिकारियों के लिए 9.00 %
		कर्मचारियों के लिए 6.25 %	कर्मचारियों के लिए 6.25 %
4.	पेंशन वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	12,11	12
6.	देयताओं की औसत अवधि	12,11	12
7.	मृत्यु दर तालिका	IALM 2006-2008 अल्टीमेट	IALM 2006-2008 अल्टीमेट
8.	आयु पर सेवा निवृत्ति - पुरुष	60	60
9.	आयु पर सेवा निवृत्ति - महिला	60	60
10.	समय पूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	0.30%	0.30%

तालिका 5: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय	31-03-2019	31-03-2018
1.	वर्तमान सेवा लागत	171.43	161.53
2.	विगत सेवा लागत (निहित)	-	1,534.76
3.	विगत सेवा लागत (गैर-निहित)	-	-
4.	शुद्ध ब्याज लागत	76.35	(13.34)
5.	निपटान पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
6.	कटौती पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
7.	केवल पिछले वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	-	-
8.	कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10.	लाभ लागत (लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय)	247.79	1,682.94

तालिका 6: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य व्यापक आय	31-03-2019	31-03-2018
1.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	45.08	(180.27)
2.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
3.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	60.83	18.69
4.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
5.	कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	105.91	(161.57)
6.	योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ, ब्याज आय को छोड़कर	44.53	2.06
7.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
8.	अवधि के अंत में जमा शेष	61.39	(163.63)
9.	ओसीआई में मान्य अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	61.39	(163.63)

तालिका 7: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2019	31-03-2018
1.	नकद और नकद समतुल्य	-	-
2.	निवेशित राशि	-	-
3.	डेरिवेटिव	-	-
4.	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
5.	संरचित ऋण	-	-
6.	अचल सम्पदा	-	-
7.	विशेष जमा योजना	-	-
8.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
9.	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-
10.	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
11.	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12.	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-	-
13.	अन्य	-	-
	कुल	**-**	**-**

तालिका 8: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति के आवंटन को प्रतिशत (%) में दर्शाने वाली तालिका	31-03-2019	31-03-2018
1.	नकद और नकद समतुल्य	-	-
2.	निवेशित राशि	-	-
3.	डेरिवेटिव	-	-
4.	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-
5.	संरचित ऋण	-	-
6.	अचल सम्पदा	-	-
7.	विशेष जमा योजना	-	-
8.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
9.	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	-	-

10.	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
11.	ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-
12.	वार्षिकी अनुबंध / बीमा निधि	-	-
13.	अन्य	-	-
	कुल	**-**	**-**

तालिका 9: प्रकटीकरण मद

मृत्यु दर तालिका

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 10: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

31-03-2018			31-03-2019	
वृद्धि	**कमी**	**संवेदनशीलता विश्लेषण**	**वृद्धि**	**कमी**
3,953.50	4,232.96	छूट दर (- / + 0.5%)	4,099.49	4,384.01
-3.32%	3.52%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	-3.26%	3.45%
4,182.37	3,987.65	वेतन वृद्धि (- / + 0.5%)	4,318.28	4,148.99
2.28%	-2.48%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	1.90%	-2.09%
4,092.49	4,085.95	संघर्षण दर (- / + ०.५%)	4,241.03	4,234.42
0.08%	-0.08%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.08%	-0.08%
4,113.35	4,065.10	मृत्यु दर (- / + 10%)	4,262.64	4,212.81
0.59%	-0.59%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.59%	-0.59%

तालिका 11: प्रकटीकरण मद

नकदी प्रवाह सूचना को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

अगले वर्ष कुल (अपेक्षित)	4,238.78
न्यूनतम धन की आवश्यकताएं	597.11
कंपनी का निर्णय	-

तालिका 12: प्रकटीकरण मद

भविष्य के अनुमानित भुगतानों की जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि
1.	1	495.11
2.	2	470.05
3.	3	464.04
4.	4	448.92
5.	5	420.99
6.	6 से 10	2,403.58
7.	10 वर्ष से अधिक	3,140.63
8.	कुल अघोषित भुगतान अतीत और भविष्य की सेवा	-
9.	विगत सेवा से संबंधित कुल अघोषित भुगतान	7,843.33
10.	ब्याज के लिए कम छूट	3,605.61
11.	अनुमानित लाभ दायित्व	4,237.73

तालिका 13: प्रकटीकरण मद

आगामी अवधि की शुद्ध आवधिक लाभ लागत के आगामी वर्ष घटक परिचय को दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	Amount
1.	वर्तमान सेवा लागत (केवल नियोक्ता का भाग) आगामी अवधि	172.79
2.	ब्याज लागत आगामी अवधि	301.26
3.	योजना परिसंपत्ति प्रतिलाभ	319.95
4.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-
5.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / हानि	-
6.	निपटान लागत	-
7.	कटौती लागत	-
8.	अन्य (बीमांकिक लाभ / हानि)	-
9.	लाभ लागत	154.10

तालिका 14: शुद्ध देयता का द्विभाजन

अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
1.	वर्तमान देयता	477.42	438.71
2.	गैर-वर्तमान देयता	3,760.31	3,803.72
3.	शुद्ध देयता	**4,237.73**	**4,089.22**

31-03-2019 को अवकाश नकदीकरण लाभ (ईएल / एचपीएल) का बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखा मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण पत्र

वर्तमान मूल्यांकन तिथि को सर्वोत्तम अनुमान धारणा के आधार पर एक नज़र में मूल्यांकन नीचे दिया गया है:

तालिका 1: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्तमान मूल्य दायित्व में परिवर्तन	31-03-2019	31-03-2018
1.	पिछले मूल्यांकन के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	646.83	698.09
2.	वर्तमान सेवा लागत	101.14	70.25
3.	ब्याज लागत	46.22	50.73
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
6.	योजना संशोधन: अवधि के अंत में गैर-निहित भाग (विगत सेवा)	-	-
7.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	8.77	(33.87)
8.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
9.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	(17.54)	(58.10)
10.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
11.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12.	भुगतान किए गए लाभ	69.34	80.27
13.	अधिग्रहण समायोजन	-	-
14.	दायित्व का निपटान / स्थानांतरण	-	-
15.	कटौती लागत	-	-
16.	निपटान लागत	-	-
17.	अन्य (मूल्यांकन तारीख के अंत में अस्थिर देयता)	-	-
18.	मूल्यांकन तिथि के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	716.07	646.83

तालिका 2: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	31-03-2019	31-03-2018
1.	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	491.73	378.62
2.	ब्याज आय	37.13	29.19
3.	नियोक्ता योगदान	-	160.02
4.	प्रतिभागी योगदान	-	-
5.	अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-
6.	निपटान लागत	-	-
7.	भुगतान किए गए लाभ	69.34	80.27
8.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
10.	प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-
11.	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	(5.18)	4.17
12.	मापन अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	454.34	491.73

तालिका 3: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	तुलन-पत्र में समाधान दर्शाने वाली तालिका	31-03-2019	31-03-2018
1.	वित्त पोषण की स्थिति	(261.73)	(155.10)
2.	गैर-मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
3.	अवधि के अंत में गैर-मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
4.	मापन तिथि के बाद नियोक्ता योगदान (अपेक्षित)	-	-
5.	गैर-वित्तपोषित उपार्जित / पूर्वदत्त पेंशन लागत	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	फंड परिसंपत्तियां	454.34	491.73
7.	फंड देयता	716.07	646.83

तालिका 4: प्रकटीकरण मद

क्र. सं.	योजना के अनुमानों को दर्शाने वाली तालिका	31-03-2019	31-03-2018
1.	छूट की दर	7.55%	7.71%
2.	योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	0.076	0.077
3.	मुआवजा वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	अधिकारियों के लिए 9.00%	अधकिारियों के लिए 9.00%
		कर्मचारियों के लिए 6.25%	कर्मचारियों के लिए 6.25%
4.	पेंशन वृद्धि दर	0	0
5.	औसत अपेक्षित भावी सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	12,11	12
6.	मृत्यु दर तालिका	IALM 2006-2008 अल्टीमेट	IALM 2006-2008 अल्टीमेट
7.	आयु पर सेवा निवृत्ति - पुरुष	60	60
8.	आयु पर सेवा निवृत्ति - महिला	60	60
9.	समय पूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता (सभी कारण संयुक्त)	0.30 % प्रति वर्ष	0.30 % प्रति वर्ष
10.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	उपेक्षित	उपेक्षित

तालिका 5: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय	31-03-2019	31-03-2018
1.	वर्तमान सेवा लागत	101.14	70.25
2.	विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
3.	विगत सेवा लागत (गैर-निहित)	-	-
4.	शुद्ध ब्याज लागत	9.09	21.54
5.	निपटान पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
6.	कटौती पर लागत (हानि / लाभ)	-	-
7.	बीमांकिक लाभ हानि	(3.59)	(96.14)
8.	अपेक्षित कर्मचारी योगदान	-	-
9.	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
10.	लाभ लागत (लाभ / हानि विवरणी में मान्य व्यय)	106.64	(4.35)

तालिका 6: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य व्यापक आय	31-03-2019	31-03-2018
1.	वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
2.	जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
3.	अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
4.	अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
5.	कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
6.	योजना परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ, ब्याज आय को छोड़कर	-	-
7.	परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
8.	अवधि के अंत में जमा शेष	-	-
9.	ओसीआई में मान्य अवधि के लिए शुद्ध (आय) / व्यय	-	-

तालिका 7: प्रकटीकरण मद मृत्यु दर तालिका

Mortality Table

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 8: प्रकटीकरण मद

(₹ करोड़ में)

31-03-2018			31-03-2019	
वृद्धि	कमी	संवेदनशीलता विश्लेषण	वृद्धि	कमी
622.54	672.83	छूट दर (- / + 0.5%)	689.30	744.78
-3.76%	4.02%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	-3.74%	4.01%
672.78	622.37	वेतन वृद्धि (- / + 0.5%)	744.64	689.18
4.01%	-3.78%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	3.99%	-3.76%
647.47	646.18	संघर्षण दर (- / + ०.५%)	717.80	714.35
0.10%	-0.10%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.24%	-0.24%
650.67	642.98	मृत्यु दर (- / + 10%)	720.20	711.95
0.60%	-0.60%	संवेदनशीलता के कारण आधार के मुकाबले % परिवर्तन	0.58%	-0.58%

तालिका 9: प्रकटीकरण मद

भविष्य के अनुमानित भुगतानों की जानकारी (पिछली सेवा) दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि
1.	1	74.91
2.	2	70.70
3.	3	73.38
4.	4	72.62
5.	5	72.20
6.	6 से 10	381.22
7.	10 वर्ष से अधिक	793.48
8.	कुल अघोषित भुगतान अतीत और भविष्य की सेवा	-
9.	विगत सेवा से संबंधित कुल अघोषित भुगतान	1,538.52
10.	ब्याज के लिए कम छूट	822.45
11.	अनुमानित लाभ दायित्व	716.07

तालिका 10: शुद्ध देयता का द्विभाजन

अंतिम मापन अवधि में योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ दर्शाने वाली तालिका

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019	31-03-2018
1.	वर्तमान देयता	72.24	60.99
2.	गैर-वर्तमान देयता	643.84	585.84
3.	शुद्ध देयता	**716.07**	**646.83**

4. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का प्रकटीकरण

अलग- अलग राजस्व की जानकारी

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा के प्रकार	31-03-2019	31-03-2018
• कोयला	12,914.35	10,626.01
• अन्य	-	-
ग्राहकों से अनुबंध से कुल राजस्व	**12,914.35**	**10,626.01**

(₹ करोड़ में)

ग्राहकों के प्रकार	31-03-2019	31-03-2018
• बिजली क्षेत्र	10,652.65	9,062.65
• गैर-बिजली क्षेत्र	2,261.70	1,563.36
• अन्य या सेवाएं (सीएमपीडीआईएल)	-	-
ग्राहकों से अनुबंध से कुल राजस्व	**12,914.35**	**10,626.01**

(₹ करोड़ में)

अनुबंध के प्रकार	31-03-2019	31-03-2018
• ईंधन आपूर्ति समझौता	11,180.16	9,016.78
• ई-नीलामी	1,369.80	1,363.51
• अन्य	364.39	245.72
ग्राहकों से अनुबंध से कुल राजस्व	**12,914.35**	**10,626.01**

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा का समय	31-03-2019	31-03-2018
एक समय में स्थानांतरित माल	-	-
समय के साथ स्थानांतरित माल	12,914.35	10,626.01
एक समय में स्थानांतरित सेवाएं	-	-
समय के साथ स्थानांतरित सेवाएं	-	-
ग्राहकों के साथ अनुबंध से कुल राजस्व	**12,914.35**	**10,626.01**

(₹ करोड़ में)

अनुबंध बकाया:	31-03-2019	31-03-2018
व्यापार प्राप्य (देखें टिप्पणी - 13)	1,621.92	1,109.89
अनुबंध परिसंपत्ति	-	-
अनुबंध देयताएं (देखें टिप्पणी - 23)	766.28	764.69
समीक्षाधीन अवधि के आरंभ में अनुबंध देयताओं से बाहर मान्य राजस्व	-	-
पिछले वर्ष के दौरान किए गए प्रदर्शन दायित्व से बाहर मान्य राजस्व	-	-

5. गैर-मान्यता प्राप्त मदें (आइटम)

आकस्मिक देयताएं : कंपनी के खिलाफ दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और अन्य स्थानीय **	सीपीएसई	अन्य	कुल
1.	01-04-2018 को खुल रहा है	1,633.21	3,347.72	-	713.29	5,694.22
2.	अवधि के दौरान जोड़	645.74	402.70	-	92.67	1,141.11
3.	अवधि के दौरान बसे:					
4.	क. संतुलन खोलने से	(333.10)	(66.15)	-	(49.02)	(448.27)
	ख. अवधि के दौरान इसके अलावा	-	-	-	(3.19)	(3.19)
	ग. वर्ष के दौरान कुल बसे (a + b)	(333.10)	(66.15)	-	(52.21)	(451.46)
	31-03-2019 को समापन	**1,945.85**	**3,684.27**	**-**	**753.75**	**6,383.87**

प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त के परिणाम से कंपनी पर कोई प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत अवैध रूप से या गैरकानूनी खनन के लिए दंड के रूप में झारखंड राज्य और जिला खनन अधिकारी धनबाद की मांग : झारखंड सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957) के तहत अवैध रूप से या गैरकानूनी रूप से खनिज खनन के लिए दंड के रूप में ₹ 2,178.14 करोड़ की एक मांग उठाई है। उपर्युक्त दंड का दावा करते हुए झारखंड राज्य और जिला खनन अधिकारी, धनबाद ने राजमहल क्षेत्र, एसपी खान और मुगमा क्षेत्र को 11 मांग नोटिस जारी किए थे। राजमहल, एसपी माइन, मुगमा क्षेत्र, ईसीएल के मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी महाप्रबंधक) ने पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोयल मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष कथित उल्लंघन के संबंध में झारखंड राज्य द्वारा जारी किए गए डिमांड नोटिस को चुनौती देते हुए 11 पुनरीक्षण आवेदन दायर किए हैं।

कोयला मंत्रालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 के साथ पठित खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 55 (v) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति के तहत उपरोक्त उल्लिखित 11 नोटिसों के निष्पादन को स्थगित करके उपर्युक्त पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं। कोयला मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रतिवादी द्वारा दिए गए मांग नोटिसों के अनुसार आवेदकों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। झारखंड सरकार को निर्देशित किया गया था कि वह पुनरीक्षण आवेदनों के प्रस्तुत होने की तारीख से 3 महीने के निर्धारित समय के अंदर पुनरीक्षण आवेदनों के जवाब दाखिल करे। झारखंड सरकार द्वारा पुनरीक्षण आवेदन का उत्तर अभी तक आवेदक यानी राजमहल क्षेत्र, ईसीएल को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए अग्रेषित नहीं किया गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर में ईसीएल के राजमहल, एस. पी. माइंस मुगमा क्षेत्र ने एक प्रथम-दृष्टया मामला बनाया है और मामले का उनके पक्ष में होना पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के अधीन है।

5. [क] प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गयी -

- पूंजी खाते पर निष्पादित होने के लिए प्रदान न की गयी शेष राशि ₹ 186.27 करोड़ (₹ 250.57 करोड़) है।
- राजस्व खाते पर निष्पादित होने के लिए प्रदान न की गयी शेष राशि ₹ 2124.95 करोड़ (₹ 1257.31 करोड़) है।

5. [ख] साख पत्र:

31-03-2019 को ₹ 22.41 करोड़ (₹ 25.88 करोड़) साख पत्र (एलओसी) का बकाया है तथा ₹ 75.04 करोड़ (₹ 37.64 करोड़) की बैंक गारंटी जारी की गयी है।

6. अन्य सूचना

क. प्रावधान

भारतीय लेखा मानक -37 के अनुसार, 31-03-2019 को विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और गतिविधि नीचे दी गयी हैं:

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	01-04-2018 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान प्रतिलेखन / समायोजन/ भुगतान	छूट की अनदेखी	31-03-2019 को समापन शेष
टिप्पणी 3: - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास एवं हानि	901.07	492.53	39.77	-	1,353.83
टिप्पणी 4: - जारी पूंजीगत कार्य: सीडब्ल्यूआईपी के खिलाफ	5.11	2.63	3.76	-	3.98
टिप्पणी 5: - अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां: प्रावधान और हानि	-	-	-	-	-
टिप्पणी 8: - ऋण: अन्य ऋण:	-	-	-	-	-
टिप्पणी 9: - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:	-	-	-	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-	-	-	-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-	-	-	-	-
अनुषंगी इकाइयों के साथ चालू खाता	-	-	-	-	-
दावे और अन्य प्राप्य	4.87	16.20	-	-	21.07
टिप्पणी 11:- अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां:					
राजस्व के लिए अग्रिम	-	-	-	-	-
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-				-
अन्य अग्रिम और कर्मचारियों के लिए जमा	0.45	1.25	-	-	1.70
टिप्पणी 13: - व्यापार प्राप्तियां:					
खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	366.00	-	58.95	-	307.05
टिप्पणी 21: - गैर-वर्तमान और वर्तमान प्रावधान:					
अन्य	2,451.76	-	(296.50)	-	2,748.26
भूमि पुनरुद्धार /खदान बंदी	567.80	38.23	-	-	606.03

टिप्पणी 12: वस्तु-सूची (इन्वेंटरी)					
कोयले का स्टॉक	1.08	-	0.70	-	0.38
स्टोर और पुर्जों का स्टॉक	44.49	0.65			45.14

क. अधिकृत वरीयता शेयर पूंजी	31-03-2019	31-03-2018
21000000, 6% गैर-परिवर्तनीय संचयी, ₹ 1000 / - प्रत्येक मूल्य के प्रतिदेय वरीयता शेयर	2,100.00	2,100.00

ग. प्रति शेयर आय

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
		31-03-2019	31-03-2018
i.	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	748.77	(931.17)
ii.	भारित बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	22,184,500	22,184,500
iii.	रुपये में प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड आय (अंकित मूल्य - ₹ 1000 / - प्रति शेयर)	337.52	(419.74)

घ. संबंधित पक्ष (पार्टी) प्रकटीकरण

i. धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां

क. कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी)
ख. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
ग. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
घ. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
ङ. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
च. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
छ. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
ज. केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

ii. नियोजन उपरांत लाभ निधि:

क. भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना ।
ख. भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नई समूह ग्रेच्युटी नकद संचय योजना (01.04.2014 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए)।
ग. भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना।
घ. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)।
ङ. अधिकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना
च. सीआईएल अधिकारी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना -2017

ङ. (i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक प्रकार्य निदेशक:

1. श्री प्रेम सागर मिश्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल (20.08.2018 से)
2. श्री एस के झा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01.07.2018 से 19.8.2018 तक) निदेशक (तकनीकी) संचालन (19.12.2018 से)
3. श्री ए के सिंह	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01.04.2018 से 30.06.2018 तक)
4. श्री के एस पात्रो	निदेशक (कार्मिक) (30.04.2018 तक)
5. श्री संजीव सोनी	निदेशक (वित्त) (19.06.2018 से)
6. श्री जयप्रकाश गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) परि. एवं योज. (18-06-2018 से)
7. श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक) (16.08.2018 से)

अंशकालिक आधिकारिक निदेशक:

1. श्री सी के डे	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (30.09.2018 तक)
2. श्री एन के सुधांशु	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (30-10-2017 से 02.10.2018)
3. सुश्री विस्मिता तेज	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (03.10.2018 से 10.01.2019)
4. श्री बी पी पति	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (11.01.2019 से)
5. श्री एस एन प्रसाद	निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड (10.12.2018)

स्वतंत्र निदेशक:

1. डॉ. (प्रो.) इंदिरा चक्रवर्ती
2. श्री प्रवीण कांत (13.12.2018 से)

कंपनी सचिव:

1. श्री रामबाबू पाठक (02-07-2018 से)
2. श्री वी आर रेड्डी (30.06.2018 तक)

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
		31-03-2019	31-03-2018
i.	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ:**		
	सकल वेतन	1.07	1.08
	चिकित्सकीय लाभ	0.02	0.02
	अनुलाभ और अन्य लाभ	0.43	0.45
ii.	**नियुक्ति पश्चात लाभ:**		
	पीएफ और अन्य निधि में योगदान	0.18	0.15
iii.	**सेवा समाप्ति के बाद लाभ (सेवा से अलग होते समय भुगतान):**		
	अवकाश नकदीकरण	0.20	0.33
	ग्रेच्युटी	0.40	0.40
	कुल	**2.30**	**2.43**

नोट: उपर्युक्त के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000 / - प्रति माह के भुगतान पर 1000 कि.मी. की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कार के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
		31-03-2019	31-03-2018
i.	Sitting Fees	0.06	0.04

(iv) **मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के साथ बकाया राशि**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	वर्ष के समापन पर	वर्ष के समापन पर
		31-03-2019	31-03-2018
i.	देय राशि	-	-
ii.	प्राप्य राशि	-	-

(v) समूह के अंदर संबंधित पक्ष (पार्टी) लेनदेन:

कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एपेक्स प्रभार, अनुसंधान एवं विकास व्यय, पुनर्वास व्यय, अनुदान, ईडीसी ऋण चुकौती, सीएंडएफ शुल्क और कर्मचारी संबंधित व्यय की प्रकृति के लेनदेन हैं। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और मात्रा के बारे में प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	संबंधित पक्षों को ऋण	संबंधित पक्षों से ऋण	एपेक्स प्रभार	पुनर्वास प्रभार	पट्टा किराया आय	सीआईएल के साथ रखे घन पर ब्याज	आईआईसीएम प्रभार	चालू खाता शेष (प्राप्य)
कोल इंडिया लि.	-	-	50.16	30.23	-	12.83	3.08	36.18

च. नवीनतम लेखा घोषणाएं / प्रकाशन

i) भारतीय लेखा मानक, 116- पट्टे

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2019 को निर्गत अधिसूचना के माध्यम से भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 116 को अधिसूचित किया गया है। पट्टे 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे।

यह मानक, पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों का निर्धारण करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टाधारी एवं पट्टाकार को प्रासंगिक सूचना इस प्रकार उपलब्ध करायी जाए कि उनके बीच विश्वसनीय लेनदेन हो सके।

यह मानक दो संभावित तरीकों के संक्रमण की अनुमति देता है:

भारतीय लेखा मानक 8 यथा 1 अप्रैल 2018 को लागू करते हुए प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के लिए पूर्वव्यापी रूप से।

लागू होने की तिथि अर्थात दिनांक 1 अप्रैल 2019 को आरंभिक रूप से लागू मानक के संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी रूप से।
प्रबंधन संक्रमण की उपयुक्त विधि का चयन करने और वित्तीय विवरण में इसके प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

ii) भारतीय लेखा मानक 19 में संशोधन - योजना संशोधन, कटौती या निपटान-

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2019 को अधिसूचना के माध्यम से योजना संशोधन, कटौती और निपटान के संदर्भ में भारतीय लेखा मानक (Ind AS) 19, 'कर्मचारी लाभ' के संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। संशोधनों के अनुसार एक संस्था के लिए आवश्यक है:

- योजना संशोधन, कटौती या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज के निर्धारण के लिए अद्यतन धारणाओं का उपयोग करना; और
- विगत सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि, अधिशेष में कोई कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति सीमा के प्रभाव के कारण पहले मान्य न किया गया हो, में मान्य/पहचान करना।

इस संशोधन के लागू होने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। प्रबंधन वित्तीय विवरण में उपर्युक्त के प्रभाव का आकलन करने की प्रक्रिया में है।

छ. अनुषंगी कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदी गयीं वस्तुएं

मौजूदा प्रथा के अनुसार, सहायक कंपनियों की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीदे गए सामानों को सीधे संबंधित सहायक कंपनियों के लेखाबही में शामिल किया जाता है।

ज. बीमा और संवर्धन दावे

बीमा और संवर्धन दावों का लेखांकन प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

झ. खातों में किए गए प्रावधान

धीमे / स्थिर / अप्रचलित स्टोर/भंडारों, प्राप्य दावों, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के लिए खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ञ. वर्तमान संपत्ति, ऋण एवं अग्रिम आदि।

प्रबंधन की राय में, अचल संपत्तियों और गैर-मौजूदा निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का वसूली मूल्य कारोबार की साधारण प्रक्रिया में कम से कम उस राशि के बराबर होता है जिस पर वे स्थिर है।

ट. वर्तमान देयताएं

जहां वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है वहां अनुमानित देयता दी गई है।

ठ. शेष पुष्टीकरण

नकदी और बैंक शेष, कुछ ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक देयताओं और वर्तमान देयताओं के लिए शेष पुष्टीकरण/ मिलान किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेष के लिए प्रावधान किया जाता है।

ड. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (टिप्पणी -2) को, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind Ass) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गयी लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता महसूस होने पर पिछली अवधि के दौरान उपयुक्त रूप से संशोधित/ पुनः प्रारूपित किया गया है।

ढ. सीएसआर व्यय:

i. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि ` 16.46 करोड़ (12.69 करोड़) है।

ii. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष के समापन पर	31.03.2019			31.03.2018		
		नकद रूप में / बैंक में	अभी नकद / बैंक में भुगतान किया जाना है	कुल	नकद रूप में / बैंक में	अभी नकद / बैंक में भुगतान किया जाना है	कुल
1	किसी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
2	उपरोक्त (1) के अलावा अन्य उद्देश्य	14.56	1.90	16.46	11.81	0.88	12.69

iii. विभिन्न शीर्ष/ मदें जिनके तहत सीएसआर व्यय किया गया, उनका विवरण निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अधिनियम की अनुसूची VII का प्रासंगिक खंड	सीएसआर गतिविधियों का विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
1	खंड (i)	भुखमरी, गरीबी और कुपोषण को दूर करना, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	3.22	1.36
2	खंड (ii)	शिक्षा का प्रचार-प्रसार	6.70	5.51
3	खण्ड (iii)	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना	0.06	0.12
4	खंड (vi)	स्वास्थ्य देखभाल	0.14	0.43
5	खंड (vii)	ग्रामीण खेलों और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों को बढ़ावा देना	0.17	-
6	खंड (x)	ग्रामीण विकास एवं अन्य	6.18	5.27
कुल			16.46	12.69

ण. अन्य

क. पिछले अवधि के आंकड़ों को भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनः उल्लिखित किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया है पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ख. टिप्पणी संख्या 3 से 38 में पिछली अवधि के आंकड़े कोष्टक में हैं।

ग. टिप्पणी- 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, टिप्पणी 3 से 23 तक 31 मार्च 2019 को तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के भाग के रूप में हैं और टिप्पणी 24 से 37 तक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी के भाग के रूप में हैं। टिप्पणी -38 वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त टिप्पणियों के रूप में है।

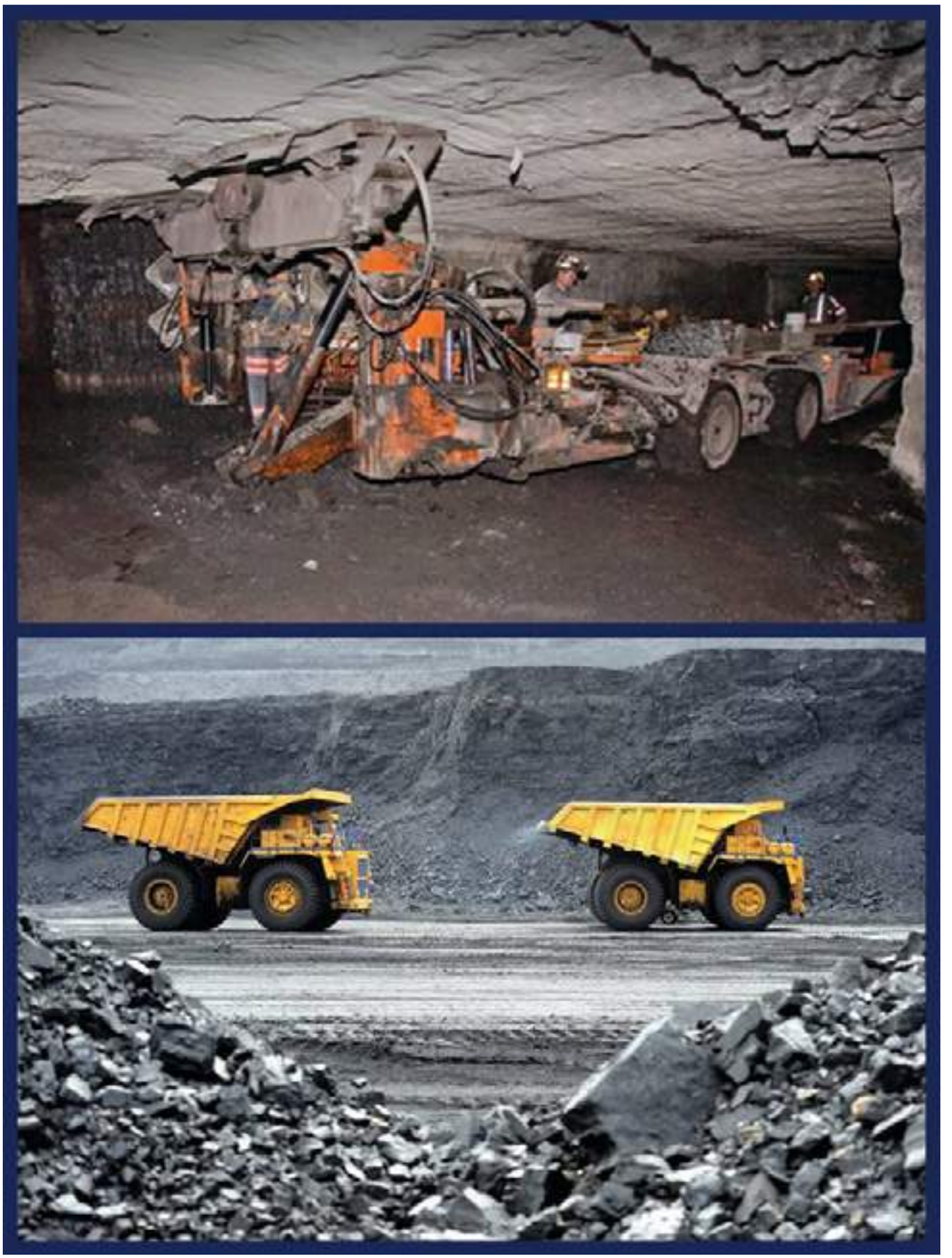

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय: सीएमडी कार्यालय, सैंकोरिया
पी.ओ. डिशरगढ़, जिला: पश्चिम बर्दवान, पिन - 713333, पश्चिम बंगाल
वेबसाइट: www.easterncoal.nic.in

Semaphore Technologies Pvt. Ltd. # +91-9830249800